पंचम माला, खंड 27, अंक 42 सोमवार, 23 अप्रैल, 1973/3 वैशाख, 1895(शक)
Fifth Series, Vol. XXVII, No. 42, Monday, April 23, 1973/3 Vaisakha 3, 1895 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 42, सोमवार, 23 अप्रैल, 1973/3 वैशाख 1895 (शक)

No. 42, Monday, April 23, 1973/Vaisakha 3, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	1—2
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
801.	जन संख्या की संतुलित वृद्धि	Balanced Growth of Population .	2—5
802.	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा राज्य आवास बोर्डों के अतिरिक्त अन्य एजेन्सियों को सहायता देना	H.U.D.C.O. Assistance to other Agencies besides State Housing Boards	5—7
805.	"सिवियर ड्राट हिट्स वैस्टर्न उड़ीसा" (पश्चिमी उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	News-item Captioned "Severe Drought Hits Western Orissa".	7—9
806.	भारतीय नौवहन के विस्तार के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की सिंफारिशें	Recommendations of National Shipping Board for expansion of Indian Shipping . . .	9—11
809.	भंडारण, वसूली और परिवहन के दौरान अनाज की हानि	Loss of Foodgrains during Storage, Procurement and Transport .	11—14
810.	नालंदा, बिहार में ह्वेनसांग स्मारक	Heun Tsang Memorial at Nalanda in Bihar	14—15
812.	भारत-कनाडा शास्त्री संस्थान को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Indo-Canadian Shastri Institute . .	15—16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
803.	राक ड्रिलिंग मशीनों की कमी तथा इसका कृषि उत्पादन पर प्रभाव	Shortage of Rock-Drilling Machines and its Effects on Agricultural Production	16
804.	दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों की पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Teachers in Education Department under Delhi Administration. . .	16—17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
807.	वर्ष 1972-73 के दौरान रबी की फसल का लक्ष्य	Target of Rabi Crop during 1972-73	17
808.	विद्यार्थियों को रोजगार देने सम्बन्धी योजना	Scheme to Employ Students .	17—18
811.	भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात	Proportion of Population Dependent on Agriculture in India .	18—19
813.	विश्वविद्यालय स्तर पर गांधी साहित्य का पढ़ाया जाना	Gandhian Literature of University Level	19
814.	"गुजरात्स काल टू सेव बाम्बे फ्राम बीईंग टर्न्ड इन्टू ए सिमेट्री" नामक समाचार	News item "Gujaral's call to save Bombay from being turned into a Cemetery"	19—20
815.	शंकर गार्डन कालोनाइजर के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई प्रगति	Progress by D.D.A. in Shankar Garden Coloniser Case . .	20
816.	भूमिहीन किसानों को 100 वर्ग गज भूमि देने सम्बन्धी योजना	Scheme to provide 100 Sq. Yards of Land to Landless Farmers .	20
817.	औद्योगिकीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए तमिलनाडु का अनुरोध	Tamil Nadu Request for opening of Technological University .	21
818.	दिल्ली में आवास सहकारी समितियों को दी गई भूमि	Land given to Housing Cooperatives in Delhi	21
819.	चावल और गेहूं की वसूली और थोक व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न की जमाखोरी	Procurement of Rice and Wheat and Hoarding of Foodgrains by Wholesalers	21—22
820.	भाषायी सम्मेलन का वित्त-पोषण	Finance to Language Conference .	22—23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
7655.	1973-74 के दौरान दिल्ली में निम्न तथा मध्य आय वर्गों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का बनाया जाना।	D.D.A. built up Flats for low and middle income groups in Delhi during 1973-74	23—24
7656.	बसन्त बिहार, नई दिल्ली में लाइसेंस के बिना दुकान चलाना	Running of shop without a licence in Vasant Vihar, New Delhi .	24
7657.	मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में संस्थाओं को अनुदान	Grant to Institutions in Panna District (M.P.)	24

अता०प्र०संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7658.	मोटर गाड़ियों में हैडलाइटों के लिए रंगीन बल्बों तथा कई ध्वनियों वाले हार्नों का प्रयोग	Use of coloured bulbs for Motor Vehicles head lights, and Multi-toned Horns	24—25
7659.	पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को कम करने के प्रयास	Efforts to reduce the effect of Western Civilisation . . .	25
7660.	औषधियों पर किस्म नियन्त्रण लागू करना और औषधियों में मिलावट के बारे में जांच	Enforcing Quality Control on Drugs and Inquiry into Drug Adulteration	25—26
7661.	अहमदाबाद स्थित भारतीय कृषि प्रबन्ध संस्थान में कृषि प्रबन्ध पाठ्यक्रम	Farm management course in Indian Institute of Management Ahmedabad	26—27
7662.	सरकारी उद्योगों में नियुक्ति के लिए कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को प्राथमिकता	Preference to Agricultural Engineering Graduates for Appointment in Public Industries . .	27
7663	जी० बी० पंत विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग स्नातक तथा उनको रोजगार	Agricultural Engineering Graduates of G.B. Pant University and their placement	27—28
7664.	वन्य जीवों के चोरी छिपे शिकार को रोकने के लिये वन्य जीव संरक्षण कर्मचारियों को वायरलैस सैट देना	Wireless Sets for Game Preservation Staff to Check Coaching of Wild Life	28
7665.	वन्य क्षेत्र में कमी होने के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी	Depletion of Wild Life due to Shrinkage of Forest Area . . .	28
7666.	स्कूलों में प्रारम्भिक स्तर पर वन्य जीवों से प्यार करना सिखाना	Teaching of Love for Wild Life heritage at Primary level in Schools .	28—29
7667.	व्यापारियों द्वारा बीजों में मिलावट	Adulteration of Seeds by Traders .	29—30
7668.	चीनी कारखाने खोलने के लिए मैसूर को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Mysore for starting Sugar Factories . .	30
7669.	खाद्यान्न के व्यापार को हाथ में लेने के लिये भाण्डागार	Warehouses for take over of Foodgrains Trade	30
7670.	एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन में कमीशन प्राप्त अध्यापकों को कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण	Pre-Commission Training to Teachers given Commission in N.C.C. Junior Division . . .	31
7671.	मध्य प्रदेश में थोक बाजार के विकास के लिए सहायता	Assistance for Developing Wholesale Market in Madhya Pradesh	31

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
7672.	राजमार्गों को चौड़ा करने तथा इनके सहायक मार्गों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि के अनुमानों की मंजूरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव	Proposal from Madhya Pradesh Government for approval of Estimates for widening National Highways and Land Acquired for by-passes	31—32
7673.	विंध्य प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध	Request from Madhya Pradesh Government for Assistance for construction of Roads in Vindhya Pradesh	32
7674.	बंगाल के रंगमंच के शत वर्ष पूर्ति समारोह के लिये केन्द्रीय सरकार का अंशदान	Central Government Contribution Centenary Celebration of Bengal Theatre Stage	33
7675.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अंतर्गत कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए पेंशन की योजना	Pension Scheme to Lecturers of Colleges and Universities under UGC Scheme	33—34
7676.	नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में विदेशी नाटकों का खेला जाना	Staging of Foreign plays in National School of Drama	34
7677.	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Allahabad District of U.P.	34
7678.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा काजू की फसल के बारे में अनुसन्धान कार्यक्रम	Research Programme in Cashew Crop by Indian Council of Agricultural Research	34—35
7679.	केरल में भाण्डागार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा उठाए गए कदम	Steps taken to increase storage facilities in Kerala by F.C.I. and Central Warehousing Corporation .	35—36
7680.	कृषि मंत्रालय में कर्मचारियों की सेवाओं का एकीकरण	Integration of Services of Employees in the Ministry of Agriculture .	36
7681.	इण्डियन लूनेसी ऐक्ट आफ 1912	Indian Lunacy Act of 1912	37
7682.	जी० बी० पन्त अस्पताल दिल्ली के कारडियालोजी तथा न्यूरोलोजी विभागों के साथ विशेष व्यवहार	Special Treatment given to Department of Cordiology and Neurology in G.B. Pant Hospital, Delhi.	37
7683.	विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मकानों की व्यवस्था	Houses for Handicapped Freedom Fighters	37—38
7684.	नव गठित अस्थमा एण्ड ब्रांकाईटिस फाऊंडेशन आफ इण्डिया की बैठक	Meeting of newly formed Asthma and Bronchitis Foundation .	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7685.	फोटो लिथो प्रैस, मिन्टो रोड, नई दिल्ली	Photo Litho Press at Minto Road, New Delhi	38—39
7686.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मिट्टी का सुधार (सायल अमेंडमेंट) करने की योजना	Scheme for Soil Amendment During Fifth Five Year Plan . .	39—40
7687.	कृषि आयुक्त के पद का रिक्त पड़ा रहना	Post of Agricultural Commissioner Lying Vacant	40
7688.	बिल्डिग मैटीरियल डवलपमैन्ट कारपोरेशन की स्थापना	Setting up of Building Material Development Corporation . .	40
7689.	राज्यों में नए मैडिकल कालेज खोलने के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता देना	Central Financial Assistance for Opening New Medical Colleges in States	40—41
7690.	स्टेट फार्मस कारपोरेशन में वित्तीय सलाहकार तथा लेखा अधिकारी के पद पर एक अधिकारी का चयन	Selection of an Officer for Post of Financial Adviser and Chief Accounts Officer in State Farm Corporation	41
7691.	समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायतें प्रकट करना	Grievances Through Newspapers .	41
7692.	मध्य प्रदेश में रासायनिक खादों की खपत	Consumption of Chemical Fertilisers in Madhya Pradesh . .	41—42
7693.	1972 के दौरान उड़ीसा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना	Lift Irrigation Projects in Orissa during 1972	42
7694.	गुजरात के समुद्रीतटीय क्षेत्र में मत्स्यपालन उद्योग का विकास	Development of Fishery Industry in Coastal Region of Gujarat .	43
7695.	राजस्थान में मरुभूमि की समस्या हल करने के उपाय	Measures to solve the problems of Desert Area in Rajasthan . .	43—44
7696.	अतिरिक्त भूमि के वितरण के तरीके के सम्बन्ध में केन्द्रीय निदेश	Central Directive on the manner of distribution of Surplus Land .	44
7697.	मध्य प्रदेश में द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे किए गए कार्य और रोजगार की व्यवस्था	Works Completed and Jobs Provided Under Crash Programme in M.P.	44—45
7698.	ग्रामीण श्रम संगठन और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों में ठेका श्रम का उन्मूलन	Organisation of Rural Labour and Abolition of Contract Labour in Rural Works Programme .	45
7700.	बड़ी संख्या में नसबन्दी आपरेशन योजना	Mass Vasectomy Scheme .	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7701.	कुष्टरोग के इलाज के लिए ऐच्छिक संस्थाएं	Voluntary Institutions for Leprosy Treatment	45—47
7702.	लद्दाख (जम्मू और काश्मीर) में अधिक ऊंचाई पर खेती के लिए अनुसंधान	Research in High Altitude Farming in Ladakh (J & K) . . .	47
7703.	दिल्ली में साप्ताहिक आधार पर राशन देने के कारण हो रही कठिनाइयां	Difficulties being faced for issue of Ration on Weekly Basis in Delhi	47
7704.	दिल्ली में उचित दर दुकानदारों द्वारा राशन सप्ताह के अन्तिम दिन कोटा लेना	Withdrawal of Quota by Fair Price Shop-keepers on Last-Day of Rationing Week in Delhi . .	47—48
7705.	छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए पंचायतों को और अधिक अधिकार देना	More Powers to Panchayats for Implementation of Small and Marginal Programmes . .	48
7706.	दिल्ली प्रशासन में शिल्प शिक्षकों के विभिन्न वेतनमान	Different Grades of Craft Teachers in Delhi Administration .	48—49
7707.	बिजली की कमी के कारण कृषि को हानि	Loss to Agriculture due to short Supply of Power . .	49
7708.	दुर्भिक्ष-ग्रस्त मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल	Central Study Team to Famine Hit Madhya Pradesh .	49
7709.	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में स्नातकोत्तर शिक्षकों (ड्राइंग) के पद	Posts of P.G.T. (Drawing) in Directorate of Education, Delhi . .	49—50
7710.	अखिल भारत नेत्र सुधार संघ तथा डाक्टर भगवान दास स्मारक ट्रस्ट से हर्जाने की वसूली	Realisation of damages from Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust	50
7711.	उड़ीसा में कैंसर अनुसंधान केन्द्र	Cancer Research Centre in Orissa	50
7712.	छोटे पत्तनों सम्बन्धी समिति का चान्दबाली पत्तन, उड़ीसा का दौरा	Visit by Minor Port Committee to Chandbali Port, Orissa . .	51
7713.	मत्स्य पत्तन, धामारा, उड़ीसा के बारे में अन्तिम अनुमान	Final Estimates of Fishing Harbour at Dhamara, Orissa .	51
7714.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी गोष्ठी	Seminar on National Health for Rural Areas	51
7715.	भारत में दवाइयों की रुपयों में प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita consumption in Rupees of Medicines in India .	52

अता०प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7716.	अध्यापकों की मांग पर विवादों में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप	Central Government Intervention in Disputes on Teacher's Demands.	52
7717.	स्कूलों में उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए अखिल भारतीय विश्वविद्यालय उर्दू शिक्षक सम्मेलन में की गई मांग	All India University Urdu Teaching Conference Demand for encouragement to Urdu in Schools .	52—53
7718.	देश में भिखारी और पटरियों पर रहने वाले व्यक्ति	Beggars and Street Dwellers in the Country . . .	53
7719.	दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत घर-घर दूध सप्लाई करने सम्बन्धी योजना	Scheme for supply of Milk at the door of the consumer under Delhi Milk Scheme	53
7720.	लुधियाना (पंजाब) में अखिल भारतीय विचार गोष्ठी एवं कर्मशाला का आयोजन	All India Seminar-*cum*-Workshop held at Ludhiana (Punjab) . .	54
7721.	दिल्ली में हैज़े के मामले	Cases of Cholera in Delhi	54
7722.	हमीरपुर (हि० प्र०) में एक नया विकास खंड बनाए जाने की योजना	Scheme for a New Development block in Hamirpur (H.P.) . .	55
7723.	लद्दाख़ की उच्चतर शिक्षा संस्था का पुनर्गठन	Reorganisation of Laddakh Institution of Higher Studies . .	55
7724.	दिल्ली दुग्ध योजना के पास दूध के टोकनों के विचाराधीन आवेदन-पत्र	Applications for Milk Tokens pending with Delhi Milk Scheme .	55—56
7725.	शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं	Journals Published by Ministry of Education . . .	56
7726.	भांडागार निगम द्वारा कूच बिहार में भेदभाव	Discrimination shown by warehousing Corporation at Coochbehar . . .	57
7727.	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के उर्वरकों के वितरण को अपने हाथ में लेना	Take-over of Distribution of Fertilizer of Fertiliser plants under public sector	57
7728.	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में 100 शैय्या वाले अस्पताल	100 Bed Hospitals in Adivasi Areas of Madhya Pradesh . .	57
7729.	दिल्ली में राष्ट्रीय अनुशासन योजना इंस्ट्रक्टरों को खपाने के लिए पद बनाना	Creation of Posts to Accommodate N.D.S. Instructors in Delhi .	58
7730.	दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस रूट संख्या 29-ए का रद्द किया जाना	Cancellation of D.T.C. Bus Route No. 29-A	58—59

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7731.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ई०-223-217 मार्ग को मोटर-योग्य सड़क द्वारा मुख्य मार्ग से मिलाना	Linking of E-223-217 Street by Motorable Road to the Main Street by DDA . . .	59
7732.	राष्ट्रीय विज्ञान योग्यता अनुसंधान छात्रवृत्ति	National Science Talent Research Scholarship	59—60
7733.	पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी का विकास	Development of Shanker Garden Colony of West Delhi . .	60
7734.	सलाया पत्तन का विकास	Development of Salaya Port .	60
7735.	राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खजूर के पेड़ों का लगाया जाना	Growing of Date Trees in certain Areas of Rajasthan . . .	60—61
7736.	दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम बस-सेवा	D.T.C. Bus Service in Delhi . .	61
7737.	संथाली भाषा सम्मेलन	Santhali Language Conference	61—62
7738.	संथाली भाषा के लिए 'ओ० एल०' लिपि का प्रयोग	Use of "OL" Script for Santhali Language	62
7739.	युवकों तथा अविवाहितों के नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations of Young and Unmarried Persons . .	62—63
7740.	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्व-विद्यालय का खोला जाना	Opening of an Agricultural University at Faizabad, (U.P.) . .	63
7741.	चावल अनुसंधान संस्थान, फैजाबाद, उ० प्र० को आवंटित राशि	Allocations to Rice Research Institute, Faizabad (U.P.) . .	63
7742.	दिल्ली में स्कूल न जाने वाले 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे	Children in Age Group 6-11 in Delhi not attending Schools .	64
7743.	खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रमाण-पत्र को अनिवार्य बनाना	Compulsory Certificate to check Adulteration of Food Items	64
7744.	उड़ीसा और आंध्र के भूमि की अधिक-तम सीमा सम्बन्धी कानून	Land Ceiling Legislation of Orissa and Andhra Pradesh . . .	65
7745.	दिल्ली प्रशासन के ड्राइंग और संगीत अध्यापकों के लिए पी० जी० टी० वेतनमान	P.G.T. Scales to Teachers of Drawing and Music by Delhi Administration	65
7746.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, दरियागंज, दिल्ली में सुविधाएं	Provision of Amenities in C. G. H. S. Dispensary, Daryaganj, Delhi.	66

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7747.	दिल्ली में उर्दू माध्यम वाले स्कूल	Urdu Medium Schools in Delhi .	66—67
7748.	पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली के दुकानदारों को दुकानों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Shopkeepers of Old Subzi Mandi Delhi for construction of Shops	68
7749.	चीनी सम्बन्धी स्थायी नीति	Permanent Sugar Policy	68
7750.	मोटे अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले-जाने पर रोक के बारे में प्राप्त हुए अभ्यावेदन/सुझाव	Representation/Suggestions received re. Ban on Movement of Coarse Grain	69
7751.	उत्तर प्रदेश के लिए अनाज का कोटा	Grain Quota for U.P. .	69
7752.	दिल्ली प्रशासन के अधीन उप-शिक्षा-निदेशक (खेलकूद) का पद	Post of Deputy Director of Education (Sports) under Delhi Administration	69—70
7753.	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अधिकारी के वेतनमान	Pay Scales of Physical Education Officers in Education Department of Delhi Administration	70
7754.	दिल्ली प्रशासन के अधीन वरिष्ठ विद्यालय निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा) के पद	Posts of Senior School Inspectors (Physical Education) under Delhi Administration. .	
7755.	'झूठे कृषि सुधार' नामक समाचार	News-Item "Sham Agrarian Reforms"	70—72
7756.	'हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड' में प्रकाशित इंडियन हाकी फैडरेशन के सचिव का वक्तव्य	I.H.F. Secretary's Statement reported in 'Hindustan Standard'	72
7757.	नेशनल काउंसिन्ल आफ यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स आफ इण्डिया से सम्बद्ध विश्वविद्यालय छात्र संघ	University Unions Affiliated to N.C.U.S.I.	72
7758.	दिल्ली परिवहन निगम की दिल्ली के पब्लिक स्कूलों को दी गई बसों को वापस लेना	Withdrawal of D.T.C. Buses being provided to Public Schools .	73
7759.	रियायती दर पर सरकारी कर्मचारियों को 'आल रूट' डी० टी०सी० पास जारी करने का प्रस्ताव	Proposal to Issue 'All-Route D.T.C. Passes to Government Employees at Concessional Rates.	73
7760.	दिल्ली उच्च न्यायालय भवन के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग	Use of Sub-Standard Material in the Construction of Delhi High Court Building	73
7762.	भवन निर्माण सहकारी समितियों/समूह आवास समितियों को आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा दिया गया ऋण	Loan provided by H.U.D.C.O. for House Building Cooperative Societies/Group Housing Societies .	74

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7763.	विश्व विद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाना	Student's Participation in University Affairs	74
7764.	दिल्ली में आगे की कक्षाओं में चढ़ाने के सम्बन्ध में 'रेट कांट्रेक्ट सिस्टम'	'Rate Contract System' of Promotion to Higher Classes in Delhi .	74—75
7765.	राज-भाषा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में हिन्दी निदेशालय द्वारा की गई प्रगति	Progress made by Hindi Directorate re : Implementation of Official Language	75
7766.	देश में डाक्टरी शिक्षा का भारतीयकरण	Indianisation of Medical Teaching in the Country . . .	75
7767.	ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए 'पायलट लैण्ड कालोनी'	'Pilot Land Colonies' to Provide Rural Employment . . .	75—76
7768.	प्रत्येक जिले में कृषि पोलिटेकनीक की स्थापना करना	Setting up Agricultural Polytechnic in each District . . .	76
7769.	जिला स्तर पर संग्रहालयों की स्थापना करना	Setting up of Museums at District Level	76
7770.	कृषि समस्याओं का अध्ययन	Study of Agricultural Problems	76—77
7771.	प्रत्येक राज्य द्वारा वसूल किया गया चावल और गेहूं तथा उपभोक्ताओं को उसकी बिक्री के लिये की गई व्यवस्था	Rice and wheat procured by each State and arrangements made for Sale to Consumers . .	78—79
7772.	एक फसली अनुसंधान स्टेशनों के युक्तिकरण के लिए कृषि वैज्ञानिकों का अनुरोध	Agriculturist scientists plea for reorientation of single Crop Research Stations	79—80
7773.	डाक्टरी शिक्षा पद्धति का पुनरीक्षण	Revision of Medical Education System	80
7774.	गुजरात सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से मोटे अनाज की खरीद	Purchase of Coarse Grain from various States by Gujarat Government . . .	80—81
7775.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्तमान नियमों का संशोधन करने संबंधी सुझाव	Suggestions regarding amending the existing rules of Aligarh Muslim University . . .	81
7776.	मध्य प्रदेश के लिए राशन के खाद्यान्नों और चीनी का कोटा	Quota of rationed foodgrains and sugar for Madhya Pradesh .	81
7777.	महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के लिए समिति का गठन करना	Setting up of a Committee for declaring important Waterways as National Waterways . .	81—82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7778.	गिर, गुजरात में वन्य जीवन संरक्षणालय का विकास	Development of Wild Life Sanctuary at Gir, Gujarat . .	82—83
7779.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भारी अन्तर	Wide Gap in the Budget Estimate and the Actuals of Family Planning Programme . . .	83—84
7780.	पंचायत राज संस्था को संविधान में सम्मिलित करना	Inclusion of Panchayat Raj Institution in Constitution .	84
7781.	चारों पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क विकास पर पूंजी निवेश	Investment in Road Development during Four Five Year Plans .	84—85
7782.	भारत सरकार के मुद्रणालयों के विभिन्न विंगों के वर्क्स मैनेजरों के वेतनमानों में असमानता	Disparity in Pay Scales of Works Managers of various wings of Govt. of India Presses . .	85
7783.	भारत सरकार के मद्रणालयों के कार्मिकों की संख्या	Personnel strength of Government of India Presses . . .	86
7784.	प्रभावी पौधा-संरक्षण प्रणाली के लिये योजना	Plan for effective plant protection system	86—87
7785.	मदरलैण्ड में प्रकाशित 'स्टोरी आफ ए सेक्यूलर संस्कृत स्कालर'	"Story of a Secular Sanskrit Scholar" published in the Motherland	87
7786.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली में 'कापी होल्डरों' के रिक्त पद	Vacancies of Copy-holders in Government of India Press, Minto Road, New Delhi . . .	87—88
7787.	मिन्टो रोड़, नई दिल्ली में टाइप II के 160 क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of 160 Type II quarters at Minto Road, New Delhi .	88
7788.	खाद्यान्नों की भारी कमी को देखते हुए कृषि, योजना और सिंचाई मंत्रालयों के बीच समन्वयन निकाय	Co-ordination Body between Ministries of Agriculture, Planning and Irrigation in view of acute shortage of Foodgrains . .	88—89
7789.	कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग (मार्केटिंग डिवीजन) पर नियंत्रण	Control on marketing division of Fertiliser Corporation of India by Ministry of Agriculture .	89
7790.	दिल्ली में हुई केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक	Central Prohibition Committee Meeting held in Delhi . .	89
7791.	आर्थोपेडिक सेन्टर के भवन का खाली पड़ा रहना	Orthopaedic Centre Building lying vacant	89—90

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7792.	विवेकानन्द कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई गेहूं की अधिक उपज वाली किस्म	High yielding variety of wheat evolved by Vivekananda Agriculture Research Institute . . .	90—91
7793.	दिनांक 27 मार्च, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में रिडल आफ एम्प्टी बैग्ज इन व्हीट गोडाउन" (गेहूं के गोदाम में खाली बोरियों की गुत्थी) शीर्षक से छपा समाचार	News Item Captioned "Riddle of Empty Bags in Wheat Godowns" in the Hindustan Times dt. 27-3-1973 . . .	91
7794.	विशिष्टियों (स्पेसिफिकेशन्स) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के तरीकों का सुझाव देने के लिए समिति स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Committee to suggest methods for construction of National Highways etc. according to Specifications . .	91—92
7795.	खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट के कारण	Reasons for fall in price of Foodgrains	92
7796.	खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण का अखिल भारतीय कृषक संघ द्वारा विरोध	Opposition by All India Farmer's Federation to take over Foodgrains Trade	92—93
7797.	'प्री-रिलीज मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम' के लिए राष्ट्रीय बीज निगम से अनुरोध	Request from National Seeds Corporation for 'Pre-release Multiplication Programme' . .	93
7798.	राष्ट्रीय बीज निगम के पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन करना	Restructuring the Capital Base of National Seeds Corporation .	93
7799.	राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों की शिकायतों सम्बन्धी समिति	Committee on Grievances of Employees of National Seeds Corporation	93
7800.	राष्ट्रीय बीज निगम की बकाया राशि	Outstanding dues of National Seeds Corporation .	94
7801.	भेड़ों को टीका लगाने, मशीन द्वारा ऊन काटने और भेड़ों का नसल-संकरण करने के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Rajasthan for Inoculation Machine-sharing, Cross-Breeding of Sheep . . .	94—95
7802.	हिन्द महासागर में मत्स्य-स्रोतों का उपयोग करना	Exploitation of fish resources in Indian Ocean	95—96
7803.	दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर मिलावटी गेहूं की सप्लाई	Supply of adulterated wheat at Fair Price Shops in Delhi . . .	96
7804.	फूलबनी जिला (उड़ीसा) में मलेरिया	Malaria in Phulbani District (Orissa)	96—97
7805.	नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली	Nehru Museum, New Delhi . .	97

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7806.	गेहूं तथा चावल की नई किस्म	New varieties of Wheat and Rice	97—98
7807.	समाज कल्याण योजनाओं की अप्रयुक्त राशि	Unutilized Funds for Social Welfare Schemes	98—99
7808.	एक गोष्ठी में दिल्ली बृहत योजना के पुनरीक्षण की मांग	Revision of Delhi Master Plan demanded at a Seminar . .	99
7809.	औद्योगिक कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि	Big Hike in prices of Industrial Raw Materials and Food Articles .	99—100
7810.	तमिलनाडु को कृषि पुनर्वित निगम से सहायता	Assistance from Agricultural Refinance Corporation to Tamil Nadu	100
7811.	विदेशों में खाद्यान्न खरीदने के लिए व्यवस्था	Machinery for purchasing foodgrains abroad	100
7812.	ताजमहल और कुतुब मीनार का रखरखाव	Maintenance of Taj Mahal and Kutab Minar	100—101
7813.	बिहार में केन्द्रीय विद्यालय	Central Schools in Bihar	101—102
7814.	कलकत्ता ट्राम्बे वर्कर्स यूनियन का प्रतिनिधि मण्डल	Delegation of Calcutta Tramway Workers' Union . . .	102
7815.	केन्द्रीय गन्दी बस्ती सफाई योजना में पटना टाऊन को शामिल करना	Inclusion of Patna Town in Central Slum Clearance Scheme . .	102—103
7816.	प्रदर्शक के पद की समाप्ति तथा उसे कनिष्ठ प्राध्यापक (जूनियर लेक्चरारशिप) में बदलना	Abolishing of post of Demonstrators and conversion to Junior lecturership	103
7817.	गत वर्ष महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथों पर शुरु किया गया कार्य	Work started last year on National Highways in Maharashtra .	103
7818.	अकाल के समय राष्ट्रीय राजपथ पर कार्य शुरु करने के लिए राजस्थान सरकार का अनुरोध	Request from Rajasthan Government for taking up National Highway at the time of Famine .	103—104
7819.	लोक लेखा समिति के 72वें प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति	Implementation of suggestions made in the 72nd Report of P.A.C.	104
7820	एशिया तथा सुदुरपूर्व के आर्थिक आयोग के अनुसार भारत में द्रुत कार्यक्रम का असफल होना	"Crash plan in India failed says E.C.A.F.E."	104
7821.	बंगलादेश से आयात की गई मछली को कोल्ड स्टोरेज में रखने तथा उसके विपणन की सुविधायें	Cold Storage and marketing facilities for fish imported from Bangla Desh	104—105

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7822.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में एक भवन पर किसी गैर-शैक्षणिक संस्था का कब्जा	Uneducational Institution occupying building in B.H.U. Campus	105
7823.	स्वास्थ्य विज्ञान के लिए पृथक विद्यालय	Separate University for Health Science	105
7824.	राज्यों में कृषि उत्पादन में तथा ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये गांवों का विकास करने हेतु राज्यों का चयन	Selection of States for Development of Villages for increase in output and Rural Employment in States	105
7825.	राजेन बाबू तपेदिक अस्पताल, किंग्जवे कैम्प दिल्ली ।	Rajen Babu T.B. Hospital, Kingsway Camp, Delhi . .	106
7826.	उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद का मूल्य ।	Procurement price of Wheat in U.P.	106
7827.	चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन तथा उसकी आवश्यकता ।	Production and requirement of sugar during Current Year . .	106—107
7828.	दमन-सूरत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना ।	Declaration of Daman-Surat Road as National Highway . .	107
7829.	उड़ीसा में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम में संसद सदस्यों को सम्बद्ध करना ।	Involving of Members of Parliament in crash programme for rural employment in Orissa . .	107—108
7830.	उड़ीसा में हरिजनों और आदिम जातियों पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रभाव ।	Impact of Family Planning programmes among Harijans and Tribals in Orissa	108
7831.	विधवाओं और बीमार व्यक्तियों को रिहायशी क्वार्टरों का आवंटन ।	Allotment of residential Quarters to Widows and Ailing Applicants	108—109
7832.	31 मार्च, 1973 से पूर्व गल्ले की खरीद आरम्भ करने वाले राज्य तथा उन पर किया गया व्यय ।	States which Started Procurement before 31st March, 1973 and Expenditure Incurred	109
7833.	गेहूं की नई फसल के बाजार में आने से गेहूं के मूल्य में उतार-चढ़ाव ।	Fluctuation in Price of Wheat on Arrival of New Crop . .	109
7834.	समाज कल्याण के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता ।	Financial Assistance to Institutions for Social Welfare . .	109
7835.	खाद्यान्नों का मुक्त रूप से व्यापार ।	Free Trade in Foodgrains	110
7836.	आसाम, आंध्र और उड़ीसा में क्षेत्रीय दंगों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना ।	Students Participation in Regional disturbance in Assam, Andhra and Orissa	110—111

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7837.	विभिन्न जनसंख्या क्षेत्रों में परिवार नियोजन का विस्तार	Extension of Family Planning to various populations . .	111—112
7838.	सरसों के बीजों की बहुत अधिक फसल ।	Bumper Crop of Mustard Seeds .	112
7839.	बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायत राज विषयक कानून	Legislation on Panchayat Raj in accordance with Balwant Rai Mehta Committee	113
7840.	प्रशाद नगर, वेस्टर्न ऐक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण	Construction of D.D.A. Flats in Prashad Nagar, W.E.A., New Delhi	113—114
7841.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली के अन्तर्गत संसद सदस्यों की कोठियों में लगाये गये पर्दे और उनको दी गई कुर्सियां	Curtains and Chairs provided to Bungalows of Members of Parliament under C.P.W.D. Enquiry Office, Ferozshah Road, New Delhi	114
7842.	थोक व्यापारियों, एजेन्सियों, भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों वसूल की गई गेहूं की मात्रा	Quantity of Wheat procured by the Wholesale Trading Agencies, F. C.I. and Co-operatives . .	114—115
7843.	पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का और धुलियां के बीच राष्ट्रीय राजपथ-34 के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना	Alternative Route Alignment on NH-34 between Farrakka and Dhulian in Murshidabad West Bengal . .	115
7844.	मैसूर में काजू के विपणन के सर्वेक्षण सम्बंधी रिपोर्ट	Report on Survey of Marketing of Cashewnut in Mysore	116
7845.	मैसूर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of University of Agricultural Science and a Technical University in Mysore	116
7846.	उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था का विकास	Development of Communications in Tribal Areas of Orissa, Madhya Pradesh and Bihar	116—117
7847	चौथी योजना के दौरान आदिवासी विकास संबंधी मार्गदर्शी परियोजना की प्रगति	Progress of Pilot Projects on Tribal Development during IV Plan	117
7848.	आदिवासी विकास संबंधी मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए धनराशि के नियतन का आधार	Basis of Allocation for Pilot Tribal Development Projects . .	117—118

उत्तर प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
7849.	उड़ीसा के जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा जल सप्लाई योजेना के बारे में जांच समिति का निष्कर्ष	Findings of Inquiry Committee on Water Supply Scheme of Public Health Engineering Organisation of Orissa	118
7850.	सरकारी कर्मचारियों से किराया लेना	Rent charged from the Government Employees	118
7851.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण और आवंटन	Construction and Allotment of Quarters to Central Government Employees	119
7852.	पांचवीं योजना के दौरान दिल्ली में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters for Class IV and Class III in Delhi during Fifth Plan	119
7853.	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा उर्वरक का वितरण अपने नियंत्रण में लेने का सुझाव	Suggestion for take over of distribution of Fertiliser by National Agricultural Cooperative Marketing Federation	119—120
7854.	भारत में आयातित खाद्यान्नों के परीक्षण के लिए एजेन्सी संस्थान	Agency/Institution for testing Foodgrains imported in India . .	120
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of urgent Public Importance	120—123
	शिवालिक जीवाश्यों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के बारे में उत्पन्न कथित विवाद	Reported controversy over export of Shi valik fossils to USA .	
	श्री बी० वी० नायक	Sh. B. V. Naik .	120—121
	प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	121—123
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	123—125
	महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का अत्यधिक अभाव	Acute foodshortage in Maharashtra	123—125
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	124—125
	गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद के बारे में	Re. Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad	126
	लोक लेखा समिति 81वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Eighty-first Report	126
	विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक	Foreign Exchange Regulation Bill	126—127
	(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee .	126—127
	(दो) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	(ii) Evidence before Joint Committee	127
	कृषि पुर्नवित्त निगम (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित	Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill—*Introduced*	127

उत्तर प्र० संख्या U.S Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
	नियम 377 के अन्तर्गत मामले Matters under rule 377	127
	(एक) बिहार के समाजवादी नेता श्री सूरज नारायण सिंह की कथित हत्या के बारे में (i) Reported Murder of Shri Suraj Narain Singh, Socialist leader of Bihar	127—128
	(दो) श्री टेन्नेटी विश्वनाथन और अन्यों की गिरफतारी (ii) Arrest of Shri Tenneti Viswanathan and others	128
	अनुदानों की मांगे, 1973-74 Demands for Grants, 1973-74	128—161
	विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs	128
	श्री सरोज मुखर्जी Shri Saroj Mukherjee	129—130
	श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी Shri Dinesh Chandra Goswami	130—131
	श्री एच० एन० मुखर्जी Shri H. N. Mukerjee	131—132
	डा० हेनरी अस्टिन Dr. Henry Austin	132—133
	श्री जी० विश्वनाथन Shri G. Viswanathan	133—135
	श्री सैंत बख्श सिंह Shri Sant Bux Singh	135—137
	श्री अटल बिहारी बाजपेयी Shri Atal Bihari Vajpayee	137—139
	श्री सी० एम० स्टीफन Shri C. M. Stephen	139—147
	श्रीमती माया राय Shrimati Maya Ray	147—148
	श्री श्याम नन्दन मिश्र Shri Shyamnandan Mishra	148—150
	श्री वसन्त साठे Shri Vasant Sathe	150—151
	श्री फ्रेंक एन्थनी Shri Frank Anthony	151—153
	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह Shri Surendra Pal Singh	153—157
	श्री पीलू मोदी Shri Piloo Mody	157—159
	श्री बिश्वनारायण शास्त्री Shri Biswanarayan Shastri	159—161
	श्री हरि किशोर सिंह Shri Hari Kishore Singh	161

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 23 अप्रैल, 1973/3 वैशाख, 1895 (शक)

Monday, April 23, 1973/Vaisakha 3, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBERS SWORN

1. **श्री मधुलिमये** (बांका) :

* * *

अध्यक्ष महोदय : शान्ति···

श्री के० लकप्पा : श्रीमान, शपथ ग्रहण करते हुए उन्होंने कुछ बातें कहीं हैं अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या नियमानुसार शपथ ग्रहण करने का कार्य पूरा हो गया है अथवा नहीं ।

श्री वयालार रवि : सभा की एक सीमा है जिसे वह छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री के० लकप्पा : शपथ अधूरी है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker, I have a submission to make Sh. Madhu Limaye has come as an elected Member. He is taking oath . What he said while he was taking oath was appropriate or not, there can be difference of opinion in this regard. But the behaviour of Congress Members here justify Shri Madhu Limaye's statement.

श्री के० लकप्पा : यह विधि अनुसार नहीं है । शपथ-ग्रहण के लिए एक पत्रक निर्धारित है । शपथ-ग्रहण करते समय उसका अनुसरण किया जाना चाहिए । (व्यवधान) उन्होंने सही रूप में शपथ ग्रहण नहीं की है । यह अपूर्ण है । वह सभा में बैठने के पात्र नही हैं ··· (व्यवधान) ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have a point of order. Even if Shri Madhu Limaye has done something wrong, he cannot be abused. The hon. Members has used abusive language. Why didn't he attract your attention? (Interruptions) Now it is proved that the ruling party has gone mad in their pride...(Interruptions)

**अध्यक्ष पीठ के आदेश अनुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया देखिए पृष्ठ 23701

Expunged as ordered by the chair *Vide* P. 23701.

Shri Ram Sahai Pandey: The dignity and the significance of oath, which an hon. Member taken in this House, after his election, is that he should cofine only to the form of oath prescribed here. After that he can say whatever he chooses to say. But in case some addenda is made to the presented oath, it would amount to an complete oath.

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is not the first occasion. Being an old Member of the House you might recollect that when Shri S. K. Patil was elected to this House and was taking his oath here, our friend Shri S. N. Banerjee added to the past sentence of Shri Patil's oath that "And I promise that I would not cause disunity in the Congress Party." That sentence was taken up in the House in the very spirit it was spoken out. But why they are so much disbalanced today?

Shri Ram Sahai Pandey : I want to draw your attention towards the spirit and dignity of the oath. Under the oath we solemnly promise to discharge our duties. Nothing more can be spoken out after the prescribed words relating to discharge of duties. In case something additional or different has been said it would not form part of the oath and, therefore, should be expunged.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिए । मैं कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो कुछ हुआ है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । शपथ ग्रहण के समय, माननीय सदस्यगण आ आ कर शपथ ग्रहण करते हैं, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं और अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। उस मामले में, श्री मधु लिमये ने शपथ ग्रहण करने के पश्चात् सरकार को सम्बोधित करते हुए कुछ टिप्पणियां कीं । जब वह यहां मेरे साथ मंच पर खड़े हुए थे तो उक्त टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में शोर-शराबा शुरू हो गया पहले उन्होंने ही सरकार को सम्बोधित करके कुछ टिप्पणियां की थीं। हाथ मिलाने के तुरन्त बाद ही जब वह यहां पर खड़े थे, तभी यह शोर आरम्भ हुआ था । वह हमारे पुराने मित्र हैं तथा वरिष्ठ सदस्य हैं और वह अब फिर आ रहे हैं। सदस्य के रूप में हम उनका फिर स्वागत करते हैं। परन्तु उन्हें इतना धैर्यहीन नहीं होना चाहिए। यह सारी घटना एक अत्यन्त अस्वस्थ परम्परा है । मेरा सुझाव है कि उनके द्वारा शपथ ग्रहण समाप्त होने तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाने के अतिरिक्त कुछ भी सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए । शपथ ग्रहण करने से लेकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने तक कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए । इसके पश्चात् आप जो कुछ चाहे कहने को स्वतन्त्र हैं।

2. श्री योगेश चन्द्र मुर्मु (राजमहल)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जनसंख्या की संतुलित वृद्धि

*801. **श्री भागीरथ भंवर :**

श्री एस० एन० मिश्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसी जनसंख्या सम्बन्धी नीति बनाने का है जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास की दर और जनसंख्या की वृद्धि के अन्तर को कम करना हो ताकि देश में जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके; और

(ख) क्या परिवार नियोजन के लिए आबंटित धनराशि का प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) : (क) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

Shri Bhagirath Bhanwar : In the part (b) of the question I had asked what steps are the Government taking to ensure the effective use of money allotted to family planning. At present the situation is that the amounts allotted to and spent by different States for family planning are not being properly utilised and complaints are being received from all quarters that lot of money is being misused in the name of family planning. I want to know whether Government are taking any measure to this effect that such a misuse is checked and the work relating to family planning is properly carried out and if so what?

श्री कोंडाजी बासप्पा : परिवार नियोजन के लिए आवंटित धनराशि राज्य सरकारों के माध्यम से खर्च की जाती है। हमें जब कभी भी शिकायतें मिली हैं हमने उन्हें राज्य सरकारों के पास भेजा है। वे सरकारें जांच कर रही हैं और इस संबंध में उचित कार्यवाही कर रही हैं।

Shri Bhagirath Bhanwar : The hon. Minister has stated that the matter is under consideration. May I know whether any programme has been chalked out in this regard; and if so, by what time a decision is likely to be taken in this matter?

श्री कोंडाजी बासप्पा : समूचा कार्यक्रम विचाराधीन है।

Shri Rajendra Prasad Yadav : May I know whether the Government is aware that there were certain irregularities in a recently started sterlisation campaign not that many such persons were operated upon which should have not been operated upon under the rules and also that they did not get even the money for the same and if so, what action is being taken by the Government in this matter?

श्री कोंडाजी बासप्पा : यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है तथा कोई अनिवार्य रूप से माननीय कार्यक्रम नहीं है। यदि कहीं किसी प्रकार की जबर्दस्ती की शिकायत है तो राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस संबंध में समुचित कार्यवाही करें।

Shri Madhu Limaye : During my election campaign I came across a 70-year old man in Baunsi in the Banka Parliamentary Constituency, who was operated upon for vesectomy twice and at two places. Do the Government realise that this machinery is in fact running the entire programme of family planning? Do the Government purpose to control population by rending the people unemployed and by starving?—(व्यवधान)

श्री कोंडाजी बासप्पा : यह पहला मामला है जबकि माननीय सदस्य ने यह विशिष्ट मामला हमें बताया गया है। यदि यह मामला हमें लिखित रूप से दिया जाये तो हम राज्य सरकारों को इसे भेजेंगे तथा उन्हें इस मामले में उचित कार्यवाही करने को कहेंगे।

श्री सतपाल कपूर : यह प्रश्न यहां नहीं किया जाना था।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी

श्री पी० एम० मेहता : व्यवस्था के प्रश्न पर मंत्री महोदय बोल रहे थे और इन माननीय सदस्य ने उत्तर देना शुरू कर दिया। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष पीठ ने मंत्री महोदय के उत्तर समाप्त होने से पूर्व ही माननीय सदस्य का प्रश्न करने की अनुमति दी है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यह बड़े ही शोक की बात है कि जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि पिछड़े क्षेत्रों में हुई है।

Shri Madhu Limaye : My question has not been replied to. I could not hear the reply of the hon. Minister in the noise created by these persons. Let the hon. Minister kindly repeat his answer. The reply is to be given for my question. What can I do if there persons make noise? Let the hon. Minister reply loudly.

अध्यक्ष महोदय :–मुझे खेद है मैं अगले सदस्य को पुकार चुका हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यह बड़े खेद का विषय है कि जनसंख्या में भारी वृद्धि का कारण लोगों का पिछड़ापन है . .

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I want a reply to my question. You please make these people silent. They are making noise.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय श्री मधुलिमये के प्रश्न का उत्तर दे दें।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : परिवार नियोजन कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और हम सब एक ऐसी सामाजिक क्रांति लाने में लगे हैं जोकि देश के विभिन्न भागों में चुपचाप सक्रिय है। कुछ लम्बी अवधि के कार्यक्रम हैं जिनका प्रभाव बड़ा दूरगामी होगा तथा अभी देखा जाना है।

70 वर्षीय बूढ़े व्यक्ति के आपरेशन से संबंधित उनके कुछ विशिष्ट प्रश्न के बारे में यदि वह लिखित रूप से अन्य ब्यौरा भी दें तो हम निश्चय ही उसकी जांच करेंगे। इन मामलों पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाता है। परन्तु मैं यह बात जोर देकर कह सकता हूं कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और सरकार पूरी तरह से इसे चला रही है क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रम को तीव्र करना है। हम सब का प्रयास है कि यह कार्यक्रम सफल हो।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : यह बड़े ही खेद का बिषय है कि जनसंख्या में वृद्धि का कारण किसी क्षेत्र का पिछड़ापन है तथा जितना कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वहां पर परिवार नियोजन का कार्यक्रम उतना ही विफल होता है। इस सम्बन्ध में, सरकार पिछड़े क्षेत्रों में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है।

श्री ए० के० किस्कू : परिवार नियोजन मूल रूप से शिक्षा तथा एक प्रयोजन से सम्बन्धित है। जबकि हम यह स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसे भी अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं; हम यह भी देखते हैं कि ज्यों-ज्यों हम पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचते हैं, त्यों-त्यों वे लोग वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं, त्यों-त्यों ये लोग उसे स्वीकार करते जाते हैं तथा सहयोग देते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government are concerned at the increase in population and are having family planning programme. But on the other hand they are encouraging multi-marriage system by refusing to have a common civil code. I want to know whether it is not necessary for the family planning that no Indian should be allowed to marry more than one person?

Mr. Speaker : But you do not believe in one.

श्री ए० के० किस्कू : यह प्रश्न कृपया विधि मंत्रालय से पूछा जाए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: वह टाल-मटोल वाला उत्तर दे रहे हैं। क्या परिवार नियोजन तथा बहु-विवाह साथ-साथ चल सकते हैं। यह एक संयुक्त दायित्व की बात है। एक मंत्रालय बहु-विवाह की अनुमति नहीं दे सकता और दूसरा मंत्रालय परिवार नियोजन का प्रचार नहीं कर सकता।

Mr. Speaker : It is a very disputable matter and involves quite a long issues.

श्री राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने कहा है कि परिवार नियोजन एक स्वैच्छिक कार्य है । क्या वह उसे भारत के हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाने जा रहे हैं ?

श्री ए० के० किस्कू : इस का निश्चित उत्तर है "नहीं" ।

Shri S. M. Banerjee : May I know whether it has been brought to his notice that certain young men also under go vasectomy operations only for the sake of getting ten, twenty or forty rupees? They do so only because they are unemployed. Would the Government issue instructions that the persons who go in for vasectomy are thoroughly examined that they have not came due to unemployment but have faith in vasectomy?

Mr. Speaker : You are giving this information that this also happens.

श्री ए० के० किस्कू : मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और देश में सामूहिक नस बंदी अभियान जारी है । हमारी जानकारी में एक-दो ऐसे मामले आए हैं और हम उन पर ध्यान दे रहे हैं ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा राज्य आवास बोर्डों के अतिरिक्त अन्य एजेन्सियों को सहायता देना

*802. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा की गई इस घोषणा के बाद कुछ सप्ताहों के अन्दर ही उसे बहुत बड़ी संख्या में आवास योजनाएं मिल गई हैं कि वह राज्य आवास बोर्डों के अतिरिक्त अन्य एजेन्सियों को भी वित्तीय सहायता देगा ;

(ख) यदि हां, तो इस घोषणा के बाद उसने कितनी योजनाओं के लिए मंजूरी दी है; और

(ग) उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया गया; और किन-किन एजेन्सियों को ऋण स्वीकार किए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) लगभग 200 सहकारी आवास समितियों, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों ने आवास तथा नगर विकास निगम से पूछताछ की हैं जिन्होंने आवास तथा नगर विकास से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में रुचि प्रकट की है ।

(ख) तथा (ग) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की 23.4 लाख रुपए की एक योजना की मंजूरी दे दी गई है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने बताया है कि अब तक आवास समितियों, विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक संस्थाओं से लगभग 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस पूरी अवधि में केवल एक ही मामले में स्वीकृति दी गई है और वह भी केवल 23 लाख रुपए की । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास आवेदन-पत्र कब से अनिर्णीत पड़े हैं और क्या कारण है कि इस सारी अवधि में केवल एक ही आवेदन-पत्र को छांटा गया और अन्य आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री ओम मेहता : सहकारी समितियों को ऋण देने का निश्चय 1 दिसम्बर, 1972 से ही किया गया था । यह निर्णय बोर्ड की 1 दिसम्बर, 1972 की बैठक में किया गया था । इसके पश्चात् इसकी

सार्वजनिक सूचना दी गई। मैंने यह कभी नहीं कहा कि केवल 200 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। मैंने कहा था कि जांच की गई है, हमारे पास कुछ आवेदन-पत्र हैं और अभी तक इस निर्णय को तीन महीने ही हुए ।

श्री प्रबोध चन्द्र: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वित्तीय सहायता के लिए केवल एक विश्वविद्यालय को चुना गया है और केवल उन्हीं समितियों के मामले पर विचार किया जाता है जिनके सदस्य समाज के उच्च वर्ग के हैं? क्या गरीबों को भी ऐसी कोई समिति है जिसे वित्तीय सहायता दी गई है?

श्री ओम मेहता: निश्चय ही यह योजना निम्न-आय वर्ग और मध्य-आय वर्ग के लोगों के लिए है। विश्वविद्यालय की एक ही योजना है जिसे हमने स्वीकार किया है। इस बारे में जो अन्य मामले हमारे सामने आये हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं। इस बारे में कुछ आंकड़े एकत्र किए जायेंगे और कुछ पूछताछ की जायेगी। और निर्णय लिए अभी केवल तीन महीने ही हुए हैं।

श्री पी० एम० मेहता: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 'हुडको' के प्रबन्ध निदेशक का यह कथन कि हुडको की हाल की बैठक में 13 नयी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, सच है तथा वे भावनगर, जामनगर, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, हुगली, कलकत्ता तथा अन्य नगरों में 10,000 मकानों तथा विकसित भूमि के 8,000 प्लाटों की व्यवस्था करेंगे और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है अर्थात् नगरवार कितने धन की और कितने मकानों और विकसित प्लाटों की स्वीकृति दी गई है?

श्री ओम मेहता: 'हुडको' के प्रबन्ध निदेशक ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। यदि माननीय सदस्य गुजरात के लिये स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें ये दे सकता हूं। उन सभी योजनाओं के बारे में यह बताने पर पर्याप्त समय लगेगा।

श्री पी० एम० मेहता: मैंने गुजरात तथा अन्य राज्यों में मंजूर किये गये मकानों की संख्या और स्वीकृत राशि के बारे में पूछा है। मैंने केवल इतनी जानकारी ही मांगी है। मैंने इससे अधिक ब्यौरा नहीं मांगा है।

श्री ओम मेहता: राजकोट के लिये स्वीकृत योजना में ....

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने केवल योजनाओं की संख्या और उनके लिए स्वीकृत कुल राशि ही पूछी है।

श्री ओम मेहता: हर एक योजना के भिन्न-भिन्न आंकड़े हैं। (व्यवधान) राजकोट के लिए 314 और नादिया के लिए 405 मकान।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न बिल्कुल सामान्य ढंग का था। परन्तु उन्होंने राजकोट के बारे में विशेष अनुपूरक प्रश्न पूछा है। अच्छा होगा यदि आप आंकड़े सभा पटल पर रख दें।

श्री ओम मेहता: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कुल राशि तथा स्वीकृत योजनाओं की संख्या पूछी है।

श्री हरि किशोर सिंह: प्रश्न संख्या 818 भी इसी के साथ लिया जा सकता है। यह भी उसी प्रकार का है।

एक माननीय सदस्य : वरिष्ठ मंत्रीमंडलीय स्तर के मंत्री पीछे बैठे हुए हैं, वह उत्तर नहीं दे रहे (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी मंत्री उत्तर दे सकते हैं ।

श्री पी० एम० मेहता : उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए । कृपया उन्हें पढ़ने दें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य गुजरात के बारे में कुछ पूछते हैं तो यह एक विशिष्ट प्रश्न बन जाता है । मैंने मंत्री महोदय से कह दिया है कि वह उन्हें जानकारी दें ।

श्री पी० एम० मेहता : यह संगत अनुपूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि यह संगत नहीं है । पर क्योंकि यह पूछा जा चुका है अतएव मैंने मंत्री महोदय से उत्तर देने को कह दिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कितनी मांग है और यह निगम सरकार से इस समय प्राप्त वित्तीय सहायता के अंतर्गत चालू वर्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पायेंगे ।

श्री ओम मेहता : इस निगम का निर्माण केवल नगरीय आवास के लिए किया गया है । अब तक उन्होंने 66 योजनाएं स्वीकार की हैं और 71 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है । हमें आशा है कि नगरीय क्षेत्रों में लगभग 5 लाख लोगों को आवास दिये जा सकेंगे ।

सिवियर ड्राट हिट्स वैस्टर्न उड़ीसा (पश्चिम उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

805. **श्री †अर्जुन सेठी :**
श्री बक्शी नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सिवियर ड्राट हिट्स वैस्टर्न उड़ीसा" (पश्चिमी उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नसाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछेक जिलों में कमी की स्थिति पैदा हो रही है । राज्य सरकार द्वारा किए गये उपायों में प्रभावित जनसंख्या को रोजगार सुलभ करने के लिए श्रम प्रदान करने वाले कार्य शुरू करने, मुफ्त अहार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार आदि के लिए क्राश योजनाओं को तेज करने जैसे उपाय किए गए हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : उड़ीसा के लोगों की वर्तमान दयनीय दशा का मुख्य कारण सरकार द्वारा उर्वरकों का अपेक्षित मात्रा में न दे पाना है जिसके परिणामस्वरूप रबी की फसल अच्छी होने की आशा समाप्त हो गई हो । क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई कार्रवाही की है ?

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : पिछली फसल में उर्वरकों की सामान्य कमी रही और कुछ समाज विरोधी तत्वों ने इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाया । आगामी फसल में उर्वरकों की स्थिति में सुधार की आशा है ।

श्री अर्जुन सेठी : क्योंकि वहां की समस्या अत्यन्त गम्भीर है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या सरकार ने राज्य सरकार को कोई राशि दी है अथवा क्या सरकार वहां की आवश्यकताओं को आंकने और राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजने पर विचार कर रही है ?

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : पिछले कुछ दिनों से हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके प्रतिवेदन की प्राप्ति पर मामले में कार्यवाही करेंगे। परन्तु राज्य सरकार को, जो भी कार्यवाही वह उपयुक्त समझे, करने का अधिकार है, उन्हें हमारे निदेशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने इन क्षेत्रों में किए गए सुधार कार्यों का उल्लेख किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्यों इन क्षेत्रों में कोई 'राक ड्रिलिंग' मशीने भेजी गई थी ताकि सतही जल को खोजा जा सके। क्योंकि यह वहां की भयंकर समस्या है ।

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : हमने राज्य सरकारों को लिखा है और दूरभाष द्वारा भी सम्पर्क स्थापित किया है । यह एक छोटा सा क्षेत्र है, सामान्यतः उड़ीसा की स्थिति अच्छी हैं। जैसे ही राज्य सरकार से विशिष्ट निवेदन प्राप्त होता है हम इस पर ध्यान देंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने राज्य सरकारों से सामान भेजने को कहा है। मैं जानना चाहता हूं विभिन्न राज्यों में ऐसी कठिनाइयों, विशेषतः आज प्रकाशित हुए इस समाचार के सम्बन्ध में कि आदिवासियों को गुजरात में बुरी तरह आपात चोटें आई हैं, में क्या कार्यवाही करती है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न उड़ीसा के बारे में है अन्य राज्यों के बारे में नहीं।

श्री पी० जी० मवलंकर : मैंने उनसे जानना चाहा है कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं गुजरात के मामले का उल्लेख मात्र कर रहा था। जैसे उड़ीसा में बहुत क्षति हुई है वैसे कई अन्य राज्यों में भी क्षति हुई है। लिखने के अलावा सरकार कौनसी क्रियात्मक कार्यवाही कर रही है ताकि सूखाग्रस्त भागों को तत्काल सहायता दी जा सके। मेरा प्रश्न यह है।

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है इस वर्ष की फसल गत वर्ष की फसल से बहुत अच्छी है। स्वभावतः कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए हैं। सूखा-सहायता राज्यों का विषय है। केन्द्रीय सरकार, जब भी उससे सहायता मांगी जाती है, सहायता देती है। हमने उनके साथ सम्पर्क बनाया हुआ है। हमने उनसे कहा है कि यदि वे तत्काल सहायता चाहते हैं तो आवश्यक प्रस्ताव हमारे पास भेजें।

श्री गिरधर गोमांगो : सूखे का प्रभाव मोरापुट, कालाहांडी जिलों और उनके निकटवर्ती क्षेत्रों पर पड़ा है। इन जिलों की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। 1972 के लिए खरीफ की फसल का लक्ष्य 3,21,000 टन या जबकि वास्तविक उपलब्धि केवल 1,15,000 टन है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्री गिरधर गोमांगो : हाल की सूखा स्थिति विशेष रूप से आदिम जातियों के जिलों में विद्यमान है। उन लोगों की स्थायी सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं और आदिम जातीय क्षेत्रों में सूखे

की स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि उन्हें जीवन-यापन के लिये खाद्यान्न मिल सके ?

श्री अन्ना साहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के इस मूल्यांकन से कि सूखे के कारण कम उगाही हुई है, से सहमत नहीं हूं । वास्तव में जैस कि मैंने कहा है इस वर्ष उड़ीसा में खाद्य उत्पादन की स्थिति अच्छी है । सहायता कार्यक्रमों के बारे में मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री एस० बी० गिरि : मंत्री महोदय ने बताया कि उड़ीसा में उर्वरक सरलता से उपलब्ध है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रायलासीमा और तेलंगाना के लिए उर्वरक नहीं सप्लाई किये गये ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

भारतीय नौवहन के विस्तार के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की सिफारिशें

*806. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन का विस्तार करने के उपायों के बारे में सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) यह अनुमान है कि उल्लेख सितम्बर 1972 में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा सरकार को की गई सिफारिशों से है । सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को सूचित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

[मंत्रालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4849/73]

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : प्रश्न के उत्तर का अन्तिम भाग मुझे नहीं दिया गया है । नौवहन बोर्ड ने वर्ष 1972 में 9 सिफारिशों की थीं । मंत्री महोदय ने दो सिफारिशों के बारे में कहा है । कि इस संदर्भ में विचार रखा जा रहा है और सरकार ने बोर्ड की चार महत्वपूर्ण सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार शेष सिफारिशों के बारे में कब तक कार्यवाही निश्चित कर लेगी ।

श्री राज बहादुर : शायद वह उन सिफारिशों के बारे में कह रहे हैं जिनका संबंध नौवहन के अधिग्रहण संबंध प्रोत्साहनों से है । मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि हम भी इस के इच्छुक हैं कि हमें इस संबंध में यथासंभव शीघ्र निर्णय करना चाहिये । देश की बदलती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन प्रोत्साहनों की मात्रा तथा सीमा में परिवर्तन करना पड़ेगा ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने जहाजों, टेंकरों तथा मालवाहक जहाजों संबंधी देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कोई समूचे तौर से प्राक्कलन तैयार किया गया है ।

श्री राज बहादुर : उत्तर में यह बताया गया है कि आरंभ में तो 58 लाख जी० आर० टी० का प्रस्ताव था परन्तु अनेक अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह प्रस्ताव है कि इस संख्या को पुनरीक्षित

करके एक करोड़ जी० आर० टी० कर दिया जाये । यह सारा मामला विचाराधीन है । जब तक योजना आयोग, सरकार तथा यह सभा इसे स्वीकार न करलें तब तक निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों में से एक, जिसका जिक्र विवरण मे किया गया है, का उद्देश्य भारतीय नौवहन निर्माण क्षमता को बढ़ाना है इसका आशय यह भी है कि पांचवीं योजना में कम से कम दो अतिरिक्त शिपयार्ड स्थापित किये जाने चाहियें । विवरण में मंत्री महोदय ने कहा है कि पांचवीं योजना का लक्ष्य निर्धारित करते समय उक्त बात ध्यान में रखी जा रही है । क्या वह हमें इस संबंध में थोड़ा कुछ और बतायेंगे विशेष रूप से यह कि क्या पूर्वी तट पर, विशेषतया हल्दिया और पाराडीय में दो शिपयार्ड खोलने की कोई योजना है ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दिया जा चुका है । इसका संबंध निश्चय ही हमारे नौवहन की टन क्षमता को प्राप्त तथा निमित करने से है । हल्दिया के लिये जैसा कि वह जानते हैं, एक कार्यकारी दल जाग्रित कर दिया गया था जिसने अपनी एक उप-समिति जाग्रित की थी । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है जिस पर सरकार इस समय विचार कर रही है । पारादीप तथा अन्य पत्तनों के लिए भी शीघ्र ही एक अन्य कार्यकारी दल गठित करने का प्रस्ताव है ।

श्री पी० वी० जी० राजू : क्या विशाखापत्तनम् में एक बाहरी गोदी बला शिपयार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री राज बहादुर : विशाखापत्तनम् की क्षमता को बढ़ाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

Shri Ram Sahai Pandey : In the context of shipping expansion field, may I know whether the Government have under thought of bringing the tonnage of our shipping upto the international mark of 10 million tons, to which we are very much behind? The hon. Minister has stated that it would be 5.8 million tons in the Fifth Plan. I, therefore, want to know as to where do we stand among the developing countries and whether we have ever thought of reaching upto ten million tons?

Shri Raj Bahadur : The hon. Minister has not understood my answer quite correctly for which I am also at fault. I had stated that previously our target was 5·8 tonnes but now we have made it 10 million tonnes for which we have to take sanction we know and feel that our tonnage should increase.

श्री वी० विश्वनाथन : क्योंकि सरकार पांचवीं योजना में से शिपयार्ड बनाने के बारे में निश्चय कर रही है इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या तूतीकोरिन में एक शिपयार्ड बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया, हम अन्य स्थानों के बारे में भी विचार कर रहे हैं । इन शिपयार्डों के बनाने के बारे में आर्थिक तथा तकनीकी बातें आदि महत्वपूर्ण होंगी ।

श्री वयालार रवि : सिफारिशें गैर सरकारी मालिकों तथा गैर सरकारी नौवहन उद्योग के लिये उत्साहजनक हैं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर सरकारी मालिकों को सरकार 70 से 90 प्रतिशत पूंजी ऋण अथवा अनुदान के रूप में देती हैं तब हम समस्त नौवहन उद्योग का अधिग्रहण क्यों नहीं कर सकते ?

श्री राज बहादुर : विश्व भर में ऐसा कोई देश नहीं है जहां नौवहन उद्योग को राज सहायता न दी जाती हो । उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमरीका जैसे देश में भी ऐसी स्थिति है ।

परन्तु मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या हम पुराने जहाज का अधिग्रहण करें अथवा सरकारी तंत्र का नौवहन निगम गठित करें। मेरे विचार से पांचवीं योजना को अंत तक सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व में इस उद्योग की टन क्षमता का 70 प्रतिशत भाग आ जायेगा।

श्री समर गुह : हल्दिया के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था जिसने सारे मामले का अध्ययन किया और यह सिफारिश की कि हल्दिया परियोजन को अन्तिम रूप से तैयार किया जाना चाहिए। फिर भी इस मामले में निर्णय करने के लिये एक अन्य उप समिति क्यों गठित की गई ? दूसरे, यह उप-समिति पारादीप पत्तन के बारे में अपने निष्कर्षों को कब तक अन्तिम रूप देगी ?

श्री राज बहादुर : अलग से उप-समिति नियुक्त करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तकनीकी ब्यौरा तैयार करने के लिये कार्यकारी दल ने स्वयं ही अपनी एक समिति नियुक्त की थी। इस उप-समिति तथा मूल कार्यवाही दल की सिफारिशें हमें प्राप्त हो गई हैं तथा सरकार के विचाराधीन है। परन्तु शिपयार्ड की स्थापना पांचवीं योजना में स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर ही निर्भर करती है। अतः जब पांचवीं योजना के प्रस्ताव स्वीकार हो जायेंगे तभी हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे।

भंडारण, वसूली और परिवहन के दौरान अनाज की हानि

*809. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री समर गुह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भण्डारण, वसूली और परिवहन के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में अनाज नष्ट हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रति टन लगभग कितने रुपये का अनाज नष्ट हो जाता है; और

(ग) क्या उक्त क्षति को कम से कम करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के संलगन है।

विवरण

बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की सम्भाल करते समय अधिप्राप्ति क्षेत्रों, भंडारण और मार्ग में कुछ हानि का होना लाजमी है। कटाई के बाद खाद्यान्नों को सम्भालने में खाद्यान्नों को प्रति मी० टन कितनी वित्तीय हानि हुई है, के संबंध में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। जहां-तहां किए गए कुछ सर्वेक्षणों से एकत्रित उपलब्ध आंकड़े बहुत ही कम हैं और इसे देश भर में खाद्यान्नों की हानि का कुल अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिन स्थितियों में खाद्यान्नों की गहाई, परिवहन तथा भण्डारण किया जाता है वे ऐसी हैं कि उनमें कटाई अवधि के बाद खाद्यान्नों की उल्लेखनीय हानि अवश्य होती होगी।

इन हानियों को कम करने के लिए किए गए कुछ उपाए इस प्रकार हैं :—

1. भण्डारण में हानि :

(1) भारत सरकार ने देश में भण्डारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भण्डारण सुविधाओं का विकास करने हेतु विधिवत योजनाएं बनाई हैं। गोदाम बनवाने के लि एक श्रृंखलाबद्ध "क्राश कार्यक्रम" तैयार किया गया है और इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है

(2) पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार में किसानों के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण-सुविधाओं में सुधार करने के लिए 40 लाख रुपये की एक योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अधीन, आस्थगित भुगतान के आधार पर किसानों को उन्नत किस्म के भण्डारण बिन सप्लाई किए जाते हैं जोकि व्याजमुक्त होता है।

(3) खाद्य विभाग ने देश व्यापी अन्न सुरक्षा अभियान चलाया है जिसके अन्तर्गत भण्डारण के वैज्ञानिक तकनीक और टिड्डी नियन्त्रण को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विज्ञापन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

2. अधिप्राप्ति क्षेत्रों में कमी :

(1) मंडियों और चावल मिलों से अनाज की अधिप्राप्ति में भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित की गई मानक कार्यविधि के आधार पर सैम्पुल लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि खरीदारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्टियों के बिल्कुल अनुरूप की जाती है। अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की खरीदारी से भण्डारण और रास्ते में होने वाली हानि कम होती है।

(2) विभिन्न लदान, उतरान और तौल केन्द्रों पर अचानक छापे मारने के लिए सतर्कता स्क्वाड स्थापित किए गए हैं।

(3) खाद्यान्नों की बोरियों की उपयुक्त पैकिंग और तौल को सुनिश्चित किया जा रहा है।

3. मार्ग में क्षति :

(1) जब माल सड़क द्वारा भेजा जाता है, तब रेल-शीर्ष और/अथवा गोदाम पर प्रेषण की प्रभावी जांच करने के लिए उपयुक्त ट्रक चिटें वाहन पत्र तैयार किए जाते हैं।

(2) लदान और उतरान केन्द्रों पर खाद्यान्नों की बोरियों को सम्भालने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सावधानी बरती जाती है।

(3) खाद्यन्नों के परिवहन के लिए यथा-उपलब्ध संख्या में ढके वैगनों को इस्तेमाल किया जाता है। रेल मार्ग में जब खुले वैगनों के ब्लाक रैकों को इस्तेमाल करना होता है, तब उपयुक्त आकार के तिरपाल इस्तेमाल कर खाद्यान्नों की उचित रूप से सुरक्षा करने हेतु आवश्यक सावधानी बरती जाती है और रास्ते भर में रेलवे सुरक्षा दल प्रेषण की हिफाजत करता है। मध्यवर्ती केन्द्रों पर तिरपालों की हालत की भी जांच की जाती है ताकि यथावश्यक उन्हें ठीक-ठाक किया जा सके या उनको बदला जा सके।

(4) रेल द्वारा संचलन को इस प्रकार योजनाबद्ध किया जा रहा है कि जिससे यथा-सम्भव दीर्घकालिक ढुलाई और नौकान्तरण से बचा जा सके।

Shri Sat Pal Kapur : The entire statement gives details about the steps taken to save the foodgrains from damage but my question was very direct and simple I wanted to know the total loss incurred because of the look of proper storage arrangements. And the statement does not mention about it at all.

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : यह प्रश्न हमें स्पष्ट नहीं हुआ था। तथापि हम ने पूरी योग्यता से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। आप माननीय महोदय यह जानना चाहते हैं कि भण्डारण परिवहन आदि में कितनी हानि हुई तो हमारा सामान्य जानकारी के अनुसार, खाद्य निगम को इस संबंध में लगभग एक प्रतिशत की हानि हुई है।

Shri Sat Pal Kapur : The All India Foodgrains Dealers Association had declared that the Government should not take over the wholesale trade of the course grains otherwise they would go on strike from 7th May, 1973. May I therefore know whether the Government would consider to take over their godowns, since the dealers would be holding strike, and utilise those godowns for storing procurred foodgrains? Would the Government think over this suggestion?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव मात्र है ।

Shri Sat Pal Kapur : I want to know the attitude of the Government.

Mr. Speaker : He has not agreed to your suggestion but has said that it is a suggestion for action.

श्री समर गुह : विवरण में बड़ा विचित्र उत्तर दिया गया है कि "कटाई के बाद खाद्यान्नों के संभालने में प्रतिटन कितनी वित्तीय हानि हुई, के संबंध में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है ।" जब तक सरकार कोई नमूना सर्वेक्षण या कड़ा सर्वेक्षण नहीं करती तब तक कोई निष्कर्ष कैसे निकाल सकती है । क्या यह सच है कि कृषि आयोग ने खाद्यान्नों को संभालने संबंधी समूची समस्या पर गहराई से विचार किया था तथा अपने प्रतिवेदन में उन्होंने कहा था कि लागत का 26 प्रतिशत भाग तो प्रबंध प्रभार ही है । दूसरे क्या यह सच है सरकारी उपक्रम समिति ने भी परिवहन तथा भण्डारण के दौरान होने वाली क्षति का एक सर्वेक्षण किया था । उस समिति के निष्कर्ष क्या हैं ? परिवहन तथा भण्डारण के दौरान कितनी क्षति होती है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : कई समितियों ने इस समस्या की जांच की है । स्वयं भारत सरकार ने भी कटाई के बाद फसल को संभालने संबंधी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की थी । दुर्भाग्य से, विभिन्न समितियों ने परस्पर अत्यन्त विरोधी मत व्यक्त किये हैं । जहां तक सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की बात है, वह प्रतिवेदन इस सभा की संपत्ति है और माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन का उसमें दी गई सिफारिशों का अध्ययन कर सकते हैं । जहां तक कृषि आयोग की बात है, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने भी इस संबंध में कोई मांग की थी ।

श्री समर गुह : स्वयं मन्त्री महोदय ने भी अपने उत्तर में "कटाई के बाद संभालने" शब्द का उपयोग किया है जिसके बारे में कृषि आयोग ने विशिष्ट रूप से कहा है कि उस पर 26 प्रतिशत खर्च आता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है तथा अनाज के नष्ट हो जाने के बारे में सरकारी उपक्रम मंगाने के प्रतिवेदन में क्या कहा गया है । ये आंकड़े तो वह दे ही सकते हैं ।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं कह चुका हूं कि मुझे जानकारी नहीं है । मैं कृषि आयोग से पूछ लूंगा कि क्या उन्होंने ऐसी कोई जांच की थी और ऐसी कोई सिफारिशें होंगी तो हम समूचे मामले की जांच के लिये उन सिफारिशों का उपयोग कर सकते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether arrangement would be made to check pilferage of the foodgrains from the bags done by using "PARKHI" or from "KHOP" and also whether they would start using plastic bags, as is done for carrying cement, so as to check the loss or damage to the foodgrains. May I know also whether such arrangements are there or are proposed to be made for re-weighing the foodgrains at the storing place?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है । जब गैर-सरकारी व्यापारी बाजार में खाद्यान्न खरीद रहे थे तो वे नमूना देखने के लिये बोरी में चाकू मार कर अनाज बाहर निकाल कर देखते थे । इसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की बड़ी हानि होती थी । अब अनाज के थोक

व्यापार के अधिग्रहण के पश्चात चावल और गेहूं के मामले में यह समस्या पैदा नहीं होगी। जहां तक अन्य मोटे अनाजों का संबंध है, सरकार उनकी विभिन्न स्तरों पर होने वाली क्षति से अवगत है।

Shri Bhan Singh Bhaura : May I know whether he is aware that there occurs an increase of one kilogram per quintal of wheat stored in the godowns and whether he has asked for the account of that increase which in fact, silently goes to officers' houses? Do you think it proper to get that accounted for so that that increased quantity is also put into Government accounts?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : चोरी और क्षति के मामले पर सरकार पूरी तरह ध्यान दे रही है। माननीय सदस्यों की ओर से हम किसी भी सुझाव का स्वागत करेंगे। वस्तुतः, नमी सूख जाने आदि के कारण भी वजन में कुछ कमी हो जाती है.....

Shri Sat Pal Kapur : Weight increases, and does not decrease, because of moisture.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : सूख जाने के कारण वजन घट जाता है। यदि बम्बई या कलकत्ता में वजन किया जाए वर्षा ऋतु में नमी की प्रतिशतता अधिक है, तो वहां वजन बढ़ जाता है। यह वृद्धि भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। परन्तु इस हानि पर भी सरकार को चिन्ता है। हम समस्या की तरफ ध्यान दे रहे है।

नालंदा बिहार में ह्वेनसांग स्मारक

*810. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालंदा, बिहार में ह्वेनसांग स्मारक का निर्माण किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस स्मारक के निर्माण पर कितना व्यय हुआ, और

(ग) इस स्मारक भवन में किस प्रकार के मुख्य कार्य और गतिविधियां होती हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): बिहार में नालन्दा में ह्वेनसांग स्मारक के निर्माण का प्रमुख कार्य जिसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है, 1970-71 तक पूरा हो गया था। जो कार्य बाकी रह गया है उसमें पैरिस प्लास्टर की नकली छत लगाना और ह्वेनसांग के पवित्र अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के लिए पूजा-स्थल, बिजली की फिटिंग, उद्यान सम्बन्धी कार्य आदि शामिल हैं। इन मदों पर कार्य की प्रगति धीमी रही है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वह यथा शीघ्र इस कार्य को पूरा करने का प्रबन्ध करें। अभी तक निर्माण पर लगभग 9 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

(ग) अभी तक इस स्मारक के स्थान पर कोई कार्यकलाप नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी इस भवन को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सौंपा जाना है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : यह परियोजना किस तारीख़ को स्वीकृत की गई थी और इसकी पूर्ति में कितने वर्ष लगे।

श्री डी० पी० यादव : वर्ष 1957 में परम पवित्र दलाईलामा ने चीन सरकार की ओर से भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू को ह्वेनसांग के पवित्र अवशेष तथा ह्वेनसांग स्मारक के लिए 5,74,000 रुपये का एक चैक भेंट किया था।

श्री नारायण चन्द पाराशर : यह देखते हुए कि 14 वर्ष बीत चुके हैं तथा यह परियोजना अब भी पूरी नहीं हुई है, जैसा कि अभी बताया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि नालन्दा पाली संस्थान के

साथ नालन्दा स्थित स्मारक के कार्यकलापों को समेकित करने तथा इन कार्यकलापों को शीघ्र ही पुनः आरंभ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है।

श्री डी० पी० यादव : मैंने स्वयं उक्त स्थल का दौरा किया है तथा बिहार सरकार और अपने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस मामले में दोनों सरकारों के मध्य स्थिति का पुनरावलोकन किया जाये ताकि इन कार्यकलापों को शीघ्र आरंभ किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री धरनीधर दास !—अनुपस्थित

श्री दास चौधरी

भारत-कनाडा शास्त्री संस्थान को वित्तीय सहायता

*812. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-कनाडा शास्त्री संस्थान ने अपने पुस्तकालय और माइक्रो फिल्म बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता के लिए सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है।

विवरण

एक करार के अधीन, भारत सरकार नवम्बर, 1968 से शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान को, भारत में अनुसंधान करने और कनाडा में सदस्य-पुस्तकालयों में वितरण के लिए पुस्तकालय सामग्री (भारत में प्रकाशित पुस्तकों) के अधिग्रहण के लिए उसके अधि-छात्रवृत्ति के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु, एक मुश्त वार्षिक अनुदान देती है। संस्थान ने, अपने पुस्तकालय सामग्री अधिग्रहण कार्यक्रम के अधीन, भारत में पुरानी तथा दुर्लभ पुस्तकों की लघु-फिल्म बनाने की भी पेशकश की है। इस परियोजना के लिए, कनाडा में संस्थान की डालर निधि में से उपस्कर खरीदे जा रहे हैं। इस परियोजना के कार्यान्वयन का प्रशासकीय खर्च भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे एक मुश्त वार्षिक अनुदानों में से किया जाएगा।

पुस्तकालय सामग्री के अधिग्रहण के अपने कार्यक्रम के अधीन, संस्थान ने अब तक मानविकी तथा समाज विज्ञानों पर भारत में प्रकाशित 70,000 से अधिक पुस्तकों को कनाडा के पुस्तकालयों को भेजा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : विवरण में उल्लिखित इस तथ्य की दृष्टि से कि भारत सरकार भारत-कनाडा शास्त्री संस्थान को भारत में अनुसंधान के लिए अधिछात्रवृत्ति देने तथा पुस्तकालय सामग्री के अधिग्रहण आदि के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये कुछ एक मुश्त अनुदान देती है, मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष नवम्बर, 1968 में इस कार्यक्रम के आरंभ होने से लेकर गत चार वर्षों में इस संस्थान को अब तक कुल कितनी राशि दी गई है और क्या यह भारत-कनाडा शास्त्री संस्थान जिसे शास्त्री अनुसंधान संस्थान कह कर पुकारा जाता है, देश भर में दुर्लभ सामग्री एकत्रित कर रहा था तथा हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालयों के लिये अच्छे उपयोग हेतु माइक्रो फिल्में बना रहा है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : पहले तीन वर्षों के दौरान कुल 30 लाख रुपये की राशि दी गई थी तथा प्रत्येक वर्ष समान राशि दी गई। फिर यह सुविधा नवम्बर, 1971 से आगे और तीन वर्षों के लिये बढ़ा दी गई जिसके अन्तर्गत पहले वर्ष 10 लाख रुपये तथा 12-12 लाख रुपये दूसरे तथा तीसरे वर्ष के लिये दिये गये।

इस विशिष्ट योजना के अन्तर्गत, माइक्रो फिल्मों का निर्माण भारतीय पुस्तकालयों के उपयोग के लिये नहीं है बल्कि भारतीय अध्ययन करने में रुचि रखने वाले कनाडा विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के लिये है और उन्हीं के लिये माइक्रो फिल्म का निर्माण तथा अन्य सामग्री का संचयन किया जा रहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस अधिक स्पष्ट उत्तर के संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा कि यह संस्थान हमारे देश के लिये वस्तुतः क्या-क्या लाभ जुटा रहा है और इससे और आगे क्या लाभ प्राप्त कर रहा है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कनाडा संस्थानों को भारत के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने, तथा भारत में क्षेत्र-कार्य करने एवम् व्यक्ति रूप से निष्कर्ष निकालने वरिष्ठ तथा कनिष्ट दोनों स्तरों पर विद्वानों के भेजने में सहायता करना तथा उन्हें अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराना है।

जहां तक भारत में स्थित संस्थानों का संबंध है, वे भारतीय विद्वानों को कनाडा भेजने के राष्ट्र-मंडलीय विनिमय कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Shortage of Rock-drilling machines and its effects on Agricultural Production.

***803. Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is acute shortage of rock-drilling machines in India;

(b) whether the agricultural production has been adversely affected as a result of the shortage of such machines because these are not available for digging wells; and

(c) the steps taken by Government to meet the shortage of such machines?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir. There is no acute shortage of rock-drilling machines required for boring of wells for irrigation purposes.

(b) and (c) : No, Sir. The agricultural production has not been adversely affected as a result of shortage of such machines. Their requirement for irrigation wells is, by and large, being met indigenously or by import (restricted to specialised rigs not yet manufactured indigenously).

Promotion of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Teachers in Education Department under Delhi Administration

***804. Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the teachers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Education Department of Delhi Administration have not been given promotion in all categories of posts according to the rules in terms of orders contained in Government of India, Cabinet Secretariat's letter No. 27-2-71 EST(SCT) dated the 27th November, 1972;

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) the number of Teachers benefited so far in each category of posts under the said orders?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) : The information is being collected will be laid on the Table of the House.

वर्ष 1972-73 दौरान रबी की फसल का लक्ष्य

*807. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 के दौरान रबी की फसल के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनका वास्तविक उत्पादन कितना रहा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : उत्पादन के लक्ष्य पूरे वर्ष के लिये नियत किए जाते हैं, न कि खरीफ़ और रबी के लिए अलग-अलग।

1972-73 के उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1973 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे।

विद्यार्थियों को रोजगार देने संबंधी योजना

*808. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 26 मार्च 1973 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "एम्बीशस स्कीम टू एम्प्लाय वन लैक स्टूडैन्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक योजना पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार द्वारा "अकाल के विरुद्ध युवक नामक एक विकासोम्मुख शैक्षिक कार्यक्रम, जिसमें छात्र तथा गैर छात्र दोनों प्रकार के एक लाख युवक शामिल हैं, संस्वीकृत किया गया है। यह छात्रों को रोजगार देने वाली योजना नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अकाल के विरुद्ध युवक योजना संचालित की जा रही हैं। विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा एकक इसको कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी होंगें।

उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

ग्रामीण परिस्थिति की वास्तविकताओं का सही साक्षात्कार करा कर विश्वविद्यालय छात्रों की शैक्षिक शिक्षा की सम्पूर्ति।

राष्ट्रीय निर्माण कार्यकलापों में भाग लेने वाले युवकों के लिए अवसर प्रदान करना।

सामाजिक क्षेत्र की सेवा के लिए छात्र तथा अध्यापकों को अपने ज्ञान तथा अध्ययन के उपयोग के लिए अवसर प्रदान करना।

कार्य परियोजनाएं

कार्य परियोजनाए, जो छात्रों और अध्यापकों द्वारा पूर्ति के लिए चालू होंगी इस प्रकार होनी चाहिए कि यह निर्धारित समय में समाप्त की जा सकें। परियोजना की किस्म भाग लेने वालों की सक्षमता, क्षमता और संसाधनों के मुताबिक होना चाहिए। इस प्रकार की परियोजनाएं समाप्त होने पर सामाजिक परिसम्पत्ति हो जानी चाहिए।

ये कार्य योजनाएं, राज्य सरकार के इस आश्वासन से कि उनकी समाप्ति पर परियोजनाओं के अनुरक्षण सम्बन्धी देखभाल वह करेगी, चालू की जानी चाहिए।

1973 के ग्रीष्म काल में इस योजना में एक लाख युवक शामिल होंगे। उनमें से 75,000 विश्वविद्यालयों और कालेजों से लिए जाएंगे और शेष गैर-छात्र युवक होंगे। एक हजार शिविरों का आयोजन होगा तथा प्रत्येक शिविर में 100 युवक रखे जाएंगे। शिविर का आयोजन अप्रैल से जुलाई तक की अवधि के दौरान होगा। प्रत्येक शिविर 25 दिनों तक चलेगा। किसी स्थान पर यदि कोई बड़े कार्य वाली परियोजना चलाई जाती है तो ऐसे मामले में वहां उस स्थान पर क्रमानुसार कई शिविरों का आयोजन किया जा सकता है।

प्रत्येक शिविर में पहले दो दिन और अन्तिम दो दिन, संक्षेप व अनुस्थापन के लिए और मूल्यांकन व विसर्जन के लिए क्रमशः अलग रखे जाएंगे। शेष दिनों को वास्तविकता कार्यकरण के दिनों में माना जायेगा जिनमें दिन के समय सदस्यगण परियोजना-निर्माण कार्य पर कार्य करेंगे। फालतू समय में, छात्र तथा अध्यापकों को, ग्राम समुदाय के परामर्श से, वहां कार्य करना होगा जहां वे अपने ज्ञान और अध्ययन का उपयोग कर सकें। इन कार्यक्रमों की निदर्शी सूची में अनौपचारिक शिक्षा, ग्राम सफाई कार्य, भू-सुधारों का अध्ययन, बैंक राष्ट्रीयकरण का ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव तथा अन्न व्यापार इत्यादि के राष्ट्रीयकरण के अनुसरण से अन्न के वितरण व बिक्री से सम्बन्धित समस्याएं आतीं हैं।

वित्त व्यवस्था

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना की वित्तीय व्यवस्था की जा रही है। विश्वविद्यालयों को धनराशि सीधे ही दी जाएगी और वे, तदुपरान्त, कालेजों को धनराशि देंगे।

भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात

811. **श्री धरनीधर दास** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय और वर्ष 1950 में जनसंख्या का कितना भाग कृषि पर आश्रित था ;

(ख) क्या कृषि में जितने व्यक्ति कम होंगे, आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी और रोजगार के अधिक अवसर होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : भारत में हुई जन गणनाओं के अनुसार कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात (अर्थात् कृषि मजदूरों—काश्तकारों और कृषि श्रमिकों—का देश के कुल मजदूरों में प्रतिशत) 1951 में 69.74

प्रतिशत और 1971 में 69.67 प्रतिशत था। तथापि अब धारणाओं और परिभाषाओं में अन्तर होने के कारण, 1951 और 1971 की जन गणना से, कृषि पर आश्रित जनसंख्या संबंधी प्राप्त आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) और (ग) : आमतौर पर यह होता है कि कई विकसित देशों में कृषि-कार्य करने वालों की संख्या कम होती है और अविकसित देशों में आमतौर पर कृषि कार्यों में लगे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। तथापि सर्वत्र ऐसा नहीं होता कि जहां कृषि में कम लोग लगे हों वहां आर्थिक विकास की गति अधिक तेज और रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत ही अधिक हों। किसी देश में आर्थिक विकास की गति और रोजगार के अवसर विभिन्न बातों पर निर्भर करते हैं, जिनमें प्राकृतिक संसाधन, उपलब्ध पूंजी, प्रौद्योगिकी और आर्थिक एवं सामाजिक विकास आदि के लिए आधारभूत सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। सरकार कृषि विस्तार, लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रमों और ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना और साथ ही उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसरों की अभिवृद्धि करने का प्रयास कर रही है।

Gandhian Literature at University Level

***813. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have under consideration any proposal to bring the Gandhian literature at University level; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) : The literature on Gandhiji is available in the libraries of most of the universities. Gandhiji's thought, in one form or another, and his role in the national movement is also included in the syllabii of the relevant subjects for different courses in a large number of Universities.

The University Grants Commission has assisted some Universities in establishing Gandhi Bhavans. These Bhavans have books on Gandhiji.

'गुजरात्स काल टू सेव बाम्बे फ्राम बींग टर्न्ड इन्टूए सिमेंट्री' नामक समाचार

*814. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 24 मार्च 1973 के "ब्लिटिज" में प्रकाशित "गुजरात्स काल टू सेव बाम्बे फ्राम बींग टर्न्ड इन्टू ए सिमेंट्री" नामक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस हेतु केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि शहर का योजनाबद्ध विकास होना चाहिए तथा राज्य सरकार पर एक सांविधिक महानगर विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए बल दिया गया है।

(ग) नगर विकास का विषय राज्य क्षेत्र का होने के कारण, ग्रेटर बम्बई के विकास के लिए राज्य प्लानों में उपयुक्त व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। तथापि, राज्य सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि पांचवीं योजना में नगरीय विकास के लिए एक अलग सैक्टर होना चाहिए तथा महानगरों और अन्य बड़े शहरों के लिए राज्य प्लानों से अलग वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार ने यह भी इच्छा प्रकट की है कि भारत सरकार को बम्बई जलपूर्ति परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत वहन करना चाहिए। इन मामलों पर सम्पूर्ण साधनों के संदर्भ में विचार किया जाना है।

शंकर गार्डन कालोनाइज़र के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई प्रगति

*815. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 4 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2886 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा शंकर गार्डन कालोनाइज़र के विरुद्ध जारी रोक आदेश को हटाने के लिए मुकद्दमा लड़ने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्या प्रगति की है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मामले की सुनवाई वरिष्ट-उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी के न्यायालय में 22 मार्च, 1973 को हुई थी। दिल्ली विकास प्राधिकारी की ओर से पेश होने वाले वकील द्वारा रोकादेश समाप्त करने की प्रार्थना की गई थी। तथापि, न्यायालय ने रोकादेश समाप्त करने के लिए आवेदन-पत्र पर बहस सुनने का निर्णय किया तथा बहस के लिए 23 अप्रैल, 1972 की तारीख निश्चित की है।

भूमिहीन किसानों को 100 वर्ग गज़ भूमि देने सम्बन्धी योजना

*816. **श्री लालजी भाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में भूमिहीन किसानों को 100 वर्ग गज़ भूमि देने का निर्णय किया है और आज तक 9 करोड़ रुपया मंजूर किया है ;

(ख) क्या योजना को कार्यान्वित तो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा किन्तु इस पर होने वाला खर्च केन्द्र वहन करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां। तथापि, योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भूमिहीन मज़दूर आ जाते हैं ; आज तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का मूल्य 16.12 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, हां। तथापि, केन्द्र का उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृतियों तक ही सीमित होगा।

(ग) योजना के अन्तर्गत भूमि के अर्जन की पूर्ण उचित लागत, जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त विकास की लागत, जो 150 रुपये प्रति आवास-स्थल से अधिक न हो, केन्द्रीय अनुदान के रूप में राज्यों को देय है। परियोजना बनाने के लिए सामुदायिक विकास खण्ड एक इकाई है।

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोलने के लिए तमिलनाडु का अनुरोध

*817. **श्री पी० ए० सामिनायन :**

श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में एक प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय खोलने की अनुमति मांगी है।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने अनुमति दे दी है, और

(ग) क्या केन्द्र इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सहायता देगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उनकी राय के लिए भेजा गया है। प्रस्ताव पर आयोग के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिल्ली में आवास सहकारी समितियों को दी गई भूमि

*818. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी आवास सहकारी समितियों को रियायती दरों पर भूमि दी गई है तथा उनकी सदस्यता का स्वरूप क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी और अधिक सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) दिल्ली में मिश्रित सदस्यता वाली 30 आवास सहकारिताओं को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है ।

(ख) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, आवास सहकारिताओं को ग्रुप हाउसिंग के आधार पर फ्लैटों के निर्माण के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर भूमि का आवंटन किया जाता है।

चावल और गेहूं की वसूली और थोक व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न की जमाखोरी

*819. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में चावल की कुल कितनी वसूली की गई, निर्धारित कोटे के साथ इसका अनुपात क्या है तथा कमी के क्या कारण हैं ;

(ख) जमाखोरी तथा चोर बाजारी को समाप्त करने के लिए धनी उत्पादकों से फालतू गेहूं की वसूली के लिए विभिन्न राज्यों में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गेहूं के थोक व्यापार का सरकारी-करण किए जाने की व्यवस्था को असफल बनाने के लिये विभिन्न राज्यों के थोक व्यापारियों

ने धनी भूस्वामियों के पास अपने भंडार जमा करना शुरू कर दिया है और यदि हां, तो इनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) चालू विपणन मौसम अर्थात् 1972-73 में 19-4-1973 तक विभिन्न राज्यों में कुल लगभग 21.61 लाख मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया गया बताया जाता है जबकि 40.00 लाख मीटरी टन का लक्ष्य था। लक्ष्य की प्रतिशतता लगभग 54 बैठती हैं। कमी का कारण कुछेक राज्यों में कम उत्पादन होना और खुले बाजार के मूल्यों का अधिप्राप्ति मूल्यों से अधिक होना है।

(ख) राज्य सरकारों ने व्यापारियों द्वारा गेहूं का भण्डार रखने की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। कुछेक राज्यों में उत्पादकों द्वारा गेहूं का स्टाक रखने की मात्रा की भी सीमा निर्धारित की गई है। बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पादकों से गेहूं की अनिवार्य अधिप्राप्ति की जा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों का जमाखोरी और चोर-बाजारी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी राज्य सरकारों ने व्यापारियों द्वारा स्टाक की जमाखोरी को रोकने के लिए जमाखोरी निरोधक उपाय लागू किए हैं।

(ग) जब से गेहूं का थोक व्यापार लेने का निर्णय किया गया है, तब से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिससे यह पता चले कि देश के किसी भी भाग में बड़े पैमाने पर तस्करी और जमाखोरी हो रही है।

भाषाई सम्मेलन का वित्त-पोषण

*820. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की यह स्थापित प्रथा है कि किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा देश में कहीं भी किसी भाषाई सम्मेलन का आयोजन करने पर उसका वित्त-पोषण सरकार द्वारा किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन भाषाओं के सम्मेलनों का सरकार द्वारा वित्त-पोषण किया गया है और प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय विभाग में उपमंत्री (डो० पी यादव) :

क) : सरकार, आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा संस्कृत के प्रसार और विकास के लिए, सम्मेलन, सैमिनार तथा अभिसमय आयोजित करने हेतु, स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी भाषा सम्मेलन आयोजित करने के लिये, विश्वविद्यालयों को सहायता देता है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

1. पिछले तीन वर्षों में, जिन भाषाओं के लिए तथा जिन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए गए उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	भाषा	दिए गए अनुदान की राशि		
		1970-71	1971-72	1972-73
		रु०	रु०	रु०
1.	बहुभाषी (सम्मेलन)	4,000.00	19,500.00	4,000.00
2.	डोगरी	9,150.00	—	—
3.	संथाली	—	—	10,000.00
4.	संस्कृत	12,000.00	2,000.00	16,413.90

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित भाषा सम्मेलनों/सैमिनारों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि के लिए, दिए गए अनुदान

क्र० सं०	भाषा	दिए गए अनुदान की राशि		
		1970	1971	1972
		रु०	रु०	रु०
1.	बहुभाषी	40,494.34	19,627.00	39,000.00
2.	हिन्दी	5,500.00	30,350.00	—
3.	उर्दू	9,400.00	3,000.00	—
4.	तमिल	2,500.00	6,000.00	—
5.	उड़िया	—	—	2,000.00
6.	संस्कृत	6,225.00	—	—
7.	प्राकृत्त तथा पाली	8,500.00	9,200.00	6,000.00
8.	अंग्रेजी	15,600.00	3,000.00	3,000.00
9.	फ्रेंच	2,500.00	—	12,765.00
10.	जर्मन	—	—	15,500.00
11.	रूसी	—	—	9,575.00

1973-74 के दौरान दिल्ली में निम्न तथा मध्य आय वर्गों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का बनाया जाना

7655. **कुमारी कमला कुमारी :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें रिहाईश के लिए 1973 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट मिलने की आशा है ; और

(ख) 1973-74 में निम्न तथा मध्य आय वर्गों के लिए दिल्ली में कुल कितने फ्लैट बनाए जाएंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) वर्ष 1973-74 में लगभग 10,000।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 18,000 फ्लैट निर्माण तथा आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं।

वसन्त बिहार नई दिल्ली में लाइसेंस के बिना दुकान चलाना

7656. **श्री मोहम्मद युसुफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की वसन्त बिहार नामक बस्ती में एक रिहायशी इमारत में "माडर्न बाजार" नामक दुकान में दिल्ली नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त किए बिना आयातित तथा भारतीय वस्तुओं जिनमें उपभोक्ता वस्तुएं भी सम्मिलित हैं, बेची जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेंस के बिना व्यापार करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कई बार उस फर्म पर मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) लाइसैंस के बिना व्यापार करने को बन्द करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : पार्टी का नगर-निगम के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से चालान किया जा रहा है। दुकान के मालिक के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुकदमा दायर कर दिया है तथा मामला न्यायाधीन है।

Grant to Institutions in Panna District (M.P.)

7657. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Panna district in Madhya Pradesh which have been given grants during the financial years 1971-72, 1972-73 and the amount of grants given to each of these institutions by the Ministry?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : Statement showing the grant given by the Ministry of Education and Social Welfare to institutions in Panna District in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73 is attached.

Statement

Sr. No.	Name of the Institution	Grants paid during 1971-72	Grant paid during 1972-73
1.	Chhatrasal Government College, Panna	Rs. 1,250·00	Rs. 1,750·00
2.	Family and Child Welfare Project, Ajaigarh, District Panna	Rs. 61,965·00	Rs. 58,855·00

मोटरगाड़ियों में हैडलाइटों के लिए रंगीन बल्बों तथा कई ध्वनियों वाले हार्नों का प्रयोग

7658. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय मोटर गाड़ियों में हैडलाइटों के लिए रंगीन बल्बों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या एक अन्य नियम के उल्लंघन में भी वृद्धि होती जा रही है जिसके अनुसार विभिन्न स्वर और ध्वनियों के उतार-चढ़ाव वाले बहुध्वनि युक्त हार्नों, जिसमें नयापन होता है तथा जिससे कर्कश, बारीक, ऊंची और खतरे वाली ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, का उपयोग निषिद्ध है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख): इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सामने की सफेद रोशनी के प्रयोग संबंधी अपने मोटर गाड़ी नियमों के उपबंधों का कड़ाई से पालन करें। उनसे यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे मोटर गाड़ी नियमों के उल्लंघन में उन गाड़ियों के व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसी ही कार्यवाही करें जिनमें अनेक स्वर वाला भोंपू लगा है।

Efforts to Reduce the Effect of Western Civilisation

7659. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the nation-wide efforts being made to reduce the effect of Western civilization, culture, ideology, dress, languages in the social life of the country in order to give its due place to Indianness;

(b) the steps taken in this direction in the National and International Conferences; and

(c) the contribution made by the Indian Embassies abroad on the occasions of national functions to achieve this purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The Government is of the view that the foundation of Indian culture is strong enough to withstand the undesirable effects of Western influence on our way of life. While this is so, the Government constantly seek to expand consciousness and knowledge about the Indian heritage, in order to enrich the lives of our citizens.

(b) National and international conferences are not normally appropriate forums for the propagation of Indian culture. When the occasion arises, however, care is taken that a valid Indian viewpoint is presented at such forums.

(c) Indian Embassies abroad consistently endeavour to project Indian culture in foreign countries so that there may be fuller appreciation of Indian cultural values. Similar efforts are undertaken by the Indian Council for Cultural Relations and through cultural exchange programmes with several foreign countries.

औषधियों पर किस्म नियन्त्रण लागू करना और औषधियों में मिलावट के बारे में जांच

7660. डा० हरि प्रकाश शर्मा :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों पर किस्म नियंत्रण लागू करने और अत्यावश्यक औषधियों के मूल्यों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के बारे में निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, और

(ख) क्या औषधियों में मिलावट, घटिया स्तर की औषधियों और औषध मूल्यों की जांच के लिए कोई आयोग नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) औषधियों की कोटि ठीक रखने के उपबन्ध औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उस के अधीन 1945 में बनाए गए नियमों में पहले ही विद्यमान हैं। केन्द्र तथा राज्यों के औषध मानक नियंत्रण संगठन देश में आयातित अथवा देश में निर्मित वितरित और बेची जाने वाली औषधियों की कोटि ठीक रखने का काम करते हैं ।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 सभी औषधियों और औषधयोगों के मूल्य विनियमित करता है। इस आदेश के अधीन कुछ अनिवार्य मूल औषधियों के विक्रय मूल्य निश्चित किए गए हैं। इस आदेश से औषधियों के उपभोक्ता मूल्यों के प्रतिमान भी निश्चित किए जाते हैं तथा सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निर्माताओं की विक्रय मूल्यों में वृद्धि नहीं करने दी जाती।

(ख) इस से पहले तीन समितियां औषधियों की कोटि यथोचित बनाए रखने के उपायों के प्रभाव का अध्ययन कर चुकी है और उन्होंने इस संबंध में सिफारिशें की हैं।

मूल्यों के संबंध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष के अधीन एक कार्यकारी दल ने अन्य 25 मूल औषधियों की लागत संरचना तथा उसके रूपान्तरण और पैकिंग के खर्चों के प्रतिमानों का अध्ययन किया और उन की रिपोर्ट पैट्रोल और रसायन मंत्रालय के विचाराधीन है। इस के अलावा औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए अन्यों के साथ-साथ संसद सदस्यों आदि की एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रश्न पैट्रोल तथा रसायन मंत्रालय के विचाराधीन है।

अहमदाबाद स्थित भारतीय कृषि प्रबन्ध संस्थान में कृषि प्रबन्ध पाठ्यक्रम

7661. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री भारतीय कृषि प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में कृषि प्रबन्ध पाठ्यक्रम के बारे में 18 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार और पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालयों से कृषि इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के अंकों से पास होने अथवा इस वर्ष जुलाई में प्रथम श्रेणी में स्नातक की परीक्षा पास करने वाले कितने विद्यार्थियों ने इसी वर्ष अहमदाबाद में कृषि प्रबन्ध में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं ;

(ख) कितने विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, और

(ग) प्रथम डिवीजन में पास होने वाले तथा उन सभी विद्यार्थियों को जिनके प्रथम डिवीजन प्राप्त करने की आशा थी, लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं जैसा कि कलकत्ता स्थित इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट द्वारा प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के लिए किया जाता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) : नौ विद्यार्थियों ने, जिन्होंने पंत नगर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का बी० एस० सी० कृषि इंजीनियरी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था अथवा उसकी परीक्षा में बैठने वाले थे, आवेदन किया था । भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में कृषि में प्रबन्ध के एक वर्षीय कार्यक्रम में दाखिले के लिए हिसार से किसी भी छात्र ने आवेदन नहीं किया था।

(ख) : दो।

(ग) : 1. परीक्षा और साक्षात्कार के लिए छात्रों को बुलाने का आधार आवेदन-पत्र का योग्यता-क्रम निर्धारण है, जो एस० एस० सी० अथवा उच्च माध्यमिक से लेकर अन्तिम परीक्षा तक छात्र के शैक्षिक निष्पादन की प्रवृत्ति पर आधारित है।

2. आवेदन-पत्रों के योग्यता क्रम-निर्धारण के आधार पर आवेदकों का दर्जा निर्धारित किया जाता है।

3. उन सभी छात्रों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था जिनके प्राप्तांक, 1973-74 बैच के लिए कुल दाखिले हेतु आवेदन-पत्रों के योग्यता क्रम निर्धारण के औसत प्राप्तांक से अधिक थे।

सरकारी उद्योगों में नियुक्ति के लिए कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को प्राथमिकता

7662. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या **कृषि** मंत्री इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए उपयुक्त पदों पर यांत्रिकी अभियंताओं (मैकेनिकल इंजीनियर्स) की नियुक्ति पर बल के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत इंजीनियरिंग पदों के लिए अब भी कुछ सरकारी उपक्रम कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों की तुलना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातकों को प्राथमिकता देते हैं ; और

(ख) क्या कृषि से संबधित पदों पर नियुक्तियां करने के लिए कृषि इंजीनयरिंग स्नातकों को प्राथमिकता देने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकोलर भेजने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) इस मंत्रालय के पास कोई प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

जी० बी० पन्त विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग स्नातक तथा उनको रोजगार

7663. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या **कृषि** मंत्री कृषि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट अधिकारी और रोजगार तथा मार्ग दर्शन ब्यूरो के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 में जी० बी० पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से कितने कृषि इंजीनियरिंग स्नातक उत्तीर्ण हुए ;

(ख) छात्र कल्याण के डीन की सहायता से ऐसे कितने स्नातकों को रोजगार प्राप्त हुआ है; और

(ग) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की भान्ति इस विश्वविद्यालय में नियमित प्लेसमेंट आफिस खोलने में क्या कठिनाइयां हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) : 1971-72 में 13 कृषि इंजीनियरी स्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे।

(ख) केवल पांच।

(ग) जी० बी० पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्नातकों को रोजगार दिलाने के लिए विश्वविद्यालय के डीन, छात्र कल्याण संगठन में एक प्लेसमेंट अनुभाग (प्लेसमेंट सेक्शन) पहले से ही काम कर रहा है। हाल ही में प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के छात्रों के लिए काउन्सेलिंग तथा प्लेसमेंट अधिकारी के एक पद का सृजन किया गया है। इस पद पर एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

वन्य जीवों के चोरी छिपे शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण कर्मचारियों को वायरलैस सैट देना

7664. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीवों के अवैध शिकार पर प्रभावकारी रोक लगाने के लिये सरकार प्रमुख वन्य जीव संस्थाओं के वन्य जीव संरक्षण कर्मचारियों को वायरलैस सेट (वाकी-टाकी) देने से संबंधित किसी प्रकार पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां। बाघों के लिए 9 सुरक्षित स्थानों की प्रबन्ध योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इनकी जांच और स्वीकृति के समय ऐसे विभिन्न स्थलों के लिए "वाकी-टाकी" की उपयोगिता पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

वन्य क्षेत्र में कमी होने के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी

7665. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीवों की संख्या में तेजी से कमी होने का मुख्य कारण वन्य क्षेत्रों में बेरोकटोक कमी है।

(ख) क्या वन्य मात्र आर्थिक कारणों से वन विभागों द्वारा वन्य जीवों के शरण स्थलों का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या देश के वन्य जीव शरण स्थलों में पेड़ों की पत्तियों के चटाने से सम्बन्धित अधिकारों का इतना दुरुपयोग किया गया है कि बड़ी संख्या में पेड़ गिर पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो वन्य जीवों की समाप्त होती जा रही जातियों के लिये सुरक्षित शरणस्थल बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ख) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्कूलों में प्रारम्भिक स्तर पर वन्य जीवों से प्यार करना सिखाना

7666. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भावी नागरिकों में छोटी आयु में ही देश के वन्य जीवों से प्रेम करने की भावना लगाई जा सकती है,

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को यह सलाह देने की लिये, कि प्रारंभ विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में देश की वन्य जीवों की वरासत से प्रेम को भी सम्मिलित किया जाए, मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : वन्य जीवों के संरक्षण करने के विचारों और उसके लिये प्रेम को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किये जा रहे आधुनिक पाठ्यचर्याओं और पाठ्य-विवरण की सामग्रियों को उचित स्थानों में शामिल किया गया है और उन्हें देश भर में एक प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से कई स्कूलों में आजमाया जा रहा है। इस योजना का धीरे धीरे विस्तार करके सभी स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्राथमिक स्तर पर पशुओं के प्रति सामान्य रूप से और विशेषकर वन्य प्राणियों के प्रति रुचि और प्रेम पैदा करके इस भावना को प्रोत्साहित करना है। चिड़ियाघरों और वन्य प्राणियों के शिकार के लिए वर्जित स्थानों के महत्व पर भी जोर दिया गया है।

व्यापारियों द्वारा बीजों में मिलावट

7667. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1973 के समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों के इस विचार की ओर दिलाया गया है कि हरित क्रांति को "लाल" में बदलने का एक सहायक कारण व्यापारियों का बेईमानपूर्ण व्यवहार है जो कि बीजों और उर्वरकों में मिलावट करते हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में एक भी व्यापारी पर किसानों को घटिया बीज बेचने के अपराध में मुकदमा नहीं चलाया गया है, और यदि मुकद्दमा चलाया गया है तो कितने व्यापारियों पर चलाया गया है तथा उन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार विनियमों को अच्छी तरह लागू करने के लिए बीज उत्पादन करने वाले फार्मों को केन्द्रीय प्रशासन के क्षेत्राधिकार में लगायेगी; और यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस समय बीजों में हो रही मिलावट की समस्या को किस प्रकार हल करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, सरकार समाचार पत्र में दिये गये विचार से सहमत नहीं है।

(ख) बीज अधिनियम को 1 अक्टूबर, 1969 से सारे देश में लागू किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है उनकी संख्या, आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन तथा इनका वितरण प्रायः राज्य सरकार के कृषि विभागों द्वारा बीज फार्मों में किया जाता है। यह कार्य राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम, आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भी किया जाता है। कुछ संगठित गैर-सरकारी बीज उत्पादक तथा व्यापारी भी बीजों का उत्पादन तथा वितरण कर रहे हैं।

बीज अधिनियम, 1966 के प्रावधानों को दृढ़ता से लागू करने से घटिया किस्म के बीजों की बिक्री की संभावनाएं समाप्त हो जायेंगी। बीज अधिनियम में बीजों की किस्मों पर नियंत्रण रखने तथा घटिया किस्म के बीजों के विक्रय के मामलों में कार्यवाही करने के लिये प्रर्याप्त व्यवस्था मौजूद है।

चीनी कारखाने खोलने के लिए मैसूर को वित्तीय सहायता

7668. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री के० मालन्ना : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को वहां चीनी के कारखाने खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने चीनी के कारखानों की स्वीकृति हो गई है तथा केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ग) ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे तथा उनमें कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में चीनी फैक्ट्रियां शुरू करने के लिए खण्ड ऋणों और अनुदान संबंधी सहायता के सामान्य प्रतिमान के अलावा किसी विशेष वित्तीय सहायता के देने का आश्वासन नहीं दिया था। राज्य सरकार को यह सहायता राज्य प्लानों और सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को सहायता देने के लिए दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाद्यान्न के व्यापार को हाथ में लेने के लिए भाण्डागार

7669. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय तथा राज्यों के भाण्डागार निगमों, भारतीय खाद्य निगम और मार्केटिंग फैडरेशन के भाण्डागारों की संख्या कितनी है जो देश में खाद्यान्न के व्यापार को हाथ में लेने के लिए देश में कार्य कर रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पो० शिन्दे) : इन प्रत्येक संगठनों द्वारा खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए काम में लाए जा रहे गोदामों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

एजेंसी	गोदामों की संख्या
1. भारतीय खाद्य निगम	2,000
2. केन्द्रीय भाण्डागार निगम . .	142
3. राज्य भाण्डागार निगम . . .	675
4. विपणन संघ	3,750
	6,567

इसके अलावा, राज्य सरकारों के पास भण्डारण के प्रयोजन के लिए बहुत से गोदाम हैं।

एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन में कमीशन प्राप्त अध्यापकों को कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण

7670. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण** और **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन अध्यापकों को एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन में कमीशन दिया गया है उनके नामों की एन० सी० सी० आफिसरों के रूप में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के लिए स्वतः सिफारिश की जाती है,

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली में नेताजी नगर स्थित बायज हायर सकेण्डरी स्कूल इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है तथा बोर्ड द्वारा जिन अध्यापकों का चयन नहीं किया गया उनको एन० सी० सी० आफिसरों के रूप में प्रशिक्षण के लिए लिया गया है, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है कि एन० सी० सी० आफिसरों के रूप में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए चयन वरीष्टता गुणों के आधार पर किया जाए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Assistance for Developing Wholesale Market in Madhya Pradesh

7671. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** he pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh propose to develop wholesale market in the State; and

(b) if so, the amount of assistance demanded by them from the Central Government in this regard and reaction of Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Under a Central Sector Plan Scheme for the development of regulated markets in certain states including Madhya Pradesh Central assistance can be given to the State Government for development of selected regulated markets with institutional finance. The proposals of Madhya Pradesh were considered alongwith those of other States and Central assistance of Rs. 2 lakhs was released to the State Government during 1972-73. More markets are to be taken up for Central assistance during 1973-74.

Proposal from Madhya Pradesh Government for approval of Estimates for widening National Highways and Land Acquired for by passes

†**7672. Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sent for approval to the Government of India any proposal of the estimates for widening the National Highways and for land to be acquired for the by-passes in Madhya Pradesh; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) and (b) : Allocations have been made in the Fourth Five Year Plan to widen the single Tracks of the National Highways Nos. 3,12, and 43 into double Tracks and metalise them upto 374 miles at a cost of Rs. 936·60 lakh. Under there allocations estimates were received for widening and metalising the National Highways Nos. 3, 12, and 43 upto 254 miles out of which estimates worth Rs. 495·80 lakh for widening the National Highways Nos. 3 and 43 upto 219 miles have already been sanctioned. Estimates amounting to Rs. 47·62 lakh concerning 16 miles are being examined on the basis of technical and financial feasibility.

Estimates worth about Rs. 314 lakh in respect of 120 miles are still awaited from the State Public Works Department. Allocations of Rs. 906 lakh have also been made to concerning only to double widen the single trafic track upto 1004 miles. Of the National Highways Nos. 6, 7, 12, 25, 26, 27, and 43. Out of these allocating estimates were received in respect of 571 miles out of which a total expenditure of Rs. 431·91 lakh was sanctioned in respect of 425 miles concerning National Highways Nos. 6, 7, 26, 27 and 43. An estimates of Rs. 208 lakhs concerning 46 miles is under technical and financial examination. Estimates amount to Rs. 431 lakh in respect 433 miles are still awaited from the State Public Works Department.

By-passes

Provisions exist for constructing Raipur by-pass at a cost of Rs. 21 lakh on National Highways No. 6 and Narsinghpur by-pass at cost of Rs. 13 lakh in National Highway No. 26. Under the Third Five Year Plan grants were already sanctioned for acquiring land for these two by-passes. In the plan, provision for Rs. 3 lakh exist for acquiring land and construction of an overbridge on Shivnath River for by-passes near Mou Shahar and Durg shahar on National Highway No. 3. Estimates concerning land acquiring for these two by-passes have not yet been received from the State P.W.D. Survey is in progress with a view to finding the schemes.

Request from Madhya Pradesh Government for Assistance for Construction of Roads in Vindhya Pradesh

†**7673. Shri G.C. Dixist** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for assistance from the Central Government for construction of roads in Vindhya Pradesh particularly, in the dacoit infested area; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) and (b) : In connection with the formulation of proposals for anti-dacoity measures in the 4th Plan, certain schemes were suggested by the State Government which included, *inter-alia*, some roads in the Vindhya Pradesh Region also. Under this scheme. the Government of India have agreed in January 1972 to provide to the Government of Madhya Pradesh a loan of Rs. 97·50 lakhs for the development of certain inter-State roads in the dacoit-infested areas in the State which include, the following roads in Vindhya Pradesh Region :

(1) Indergarh-Pandokhar-Samthar (Bhind and Datia Districts).

(2) Banpur-Kailwan-Gora (Tikamgarh District).

(3) Sojna-Jagra (at the border of Madhya Pradesh) to meet Bargaon-Kakarwaha Road (Tikamgarh District).

There has been no other such specific request.

Further, the proposals submitted by the State Government for financial assistance under the Fifth Plan, also include some roads in the Vindhya Pradesh region. These schemes will need examination along with similar proposals received from other States. It is not possible to indicate any reaction to these proposals at this stage, as the 5th Plan is as yet in the preparatory stage.

बंगाल के रंगमंच के शतवर्ष पूर्ति समारोह के लिए केन्द्रीय सरकार का अंशदान

7674. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या बंग रंगमंच के शत वर्ष पूर्ति के अवसर पर समारोह के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ धन राशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किस-किस संगठन और किस-किस कलाकार को कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा इसके संस्कृति विभाग ने इस बात की समीक्षा की है कि धनराशि को किस प्रकार खर्च किया गया तथा केन्द्रीय वित्त सहायता पाने वाले संगठनों तथा सम्बन्द्ध कलाकारों द्वारा आयोजित ऐसे समारोहों की संक्षिप्त रिपोर्ट क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पो० यादव) : (क) जो, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अन्तर्गत कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए पेंशन की योजना

7675. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **शिक्षा, और समाज कल्याण, और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत कालेजों और विश्वविद्यालयों की सरकार का यह सलाह देने का प्रस्ताव है कि प्रोफेसरों, अध्यापकों, डिमोंस्ट्रेटरों, विभागकक्षों प्रिंसिपलों और वाइस-प्रिंसिपलों के लिए पेंशन योजना आरम्भ की जाए ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत कालेजों तथा प्रायोजित कालेजों आदि के लिए योजना के वर्गीकरण के बारे में तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत कालेजों तथा प्रायोजित कालेजों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार की पेंशन योजना आरम्भ किए जाने की सलाह दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित योजना की रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय सेवा निवृत्त लाभ नियम तैयार किए हैं, ये नियम, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक और गैर-अध्यापक दोनों प्रकार के सभी कर्मचारियों पर लागू हैं। इन नियमों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, को अपने अपने अधिनियमों में शमिल करने तथा उन्हें अप्रैल, 1964 से कार्यान्वित करने के लिए, भेज दिया गया है । इन नियमों में निम्नलिखित, दो वैकल्पिक योजनाएं दी गई हैं:—

1. सामान्य भविष्य निधि—तथा पेंशन तथा उपदान।

2. अंशदायी भविष्य निधि—तथा-उपदान।

इन नियमों की एक-एक प्रति, सभी राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को भी भेज दी गई है। विश्वविद्यालय से, अपने-अपने कर्मचारियों के लाभार्थ इन योजनाओं को लागू करने के प्रश्न पर यदि उनकी इच्छा हो तो राज्य सरकारों से बातचीत करने का अनुरोध किया गया है।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में विदेशी नाटकों का खोला जाना

7676. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कुछ विदेशी नाटकों के बारे में प्रकाशित पत्र की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या मंत्रालय इस पक्ष में है कि नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में भारतीय नाटकों की बजाए विदेशी नाटक खेले जायें ;

(ग) दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में 'डान्टन्स डैथ,'' नामक विदेशी नाटक खेले जाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई, और

(घ) ऐसे भारतीय नाटक खेलने और संस्कृति संगठनों को ऐसे भारतीय नाटक खेलने में सहायता देने, जिनका भारतीय जनता से निकट का सम्बन्ध हो तथा जिससे दर्शकों को भारतीय समस्याओं की गहराई और विस्तार को समझने में सहायता मिले, की ओर अधिक ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। स्कूल विदेशी नाटकों का भारतीय रूपान्तरण/अनुवाद तथा शुद्ध भारतीय नाटकों दोनों को ही प्रस्तुत करता है, किन्तु शुद्ध भारतीय नाटकों को ज्यादा महत्व देता है।

(ग) स्कूल द्वारा 35,000 रु० खर्च किए गए।

(घ) क्योंकि भारतीय नाटकों को समुचित महत्व दिया जाता है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

Grants to Institutions in Allahabad District of U.P.

7677. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Allahabad District in Uttar Pradesh which have been given grants during the financial year 1971-72 and 1972-73 indicating the amount of grants given to each of these institutions by the Ministry?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : A statement showing the grants given by the Ministry of Education and Social Welfare to institutions in Allahabad District in Uttar Pradesh during 1971-72 and 1972-73 is attached. [Placed in Library see No. LT-4850/73]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा काजू की फसल के बारे में अनुसंधान कार्यक्रम

7678. **श्री बयालार रवि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) काजू की फसल के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रम में सुदृढ़ता लाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही की रूप रेखा क्या है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए 1972-73 में कुल कितना धन खर्च हुआ और वर्ष 1973-74 के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 'अखिल भारतीय समन्वित मसाला तथा काजू सुधार परियोजना' नामक चौथी परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत--

(i) वपतला (आन्ध्र प्रदेश),

(ii) वृधाचलम (तमिलनाडु),

(iii) अनक्कयम (केरल) और

(iv) वेगुराला (महाराष्ट्र) में काजू के संबंध में अनुसंधान कार्य करनें के लिए चार केन्द्र हैं। उपर्युक्त चार केन्द्रों के अतिरिक्त, कसरागोद स्थित समन्वय केन्द्र और विट्टल स्थित प्रादेशिक केन्द्र भी काजू के संबंध में कुछ अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र मसाले और काजू के संबंध में अनुसंधान कर्मशाला में तैयार किए हुए तकनीकी कार्यक्रमों के विषय में कार्य कर रहे हैं।

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित चार केन्द्रों पर 1.59 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इसके अतिरिक्त परियोजना की समन्वित यूनिट पर 2.48 लाख रु० खर्च किए गए थे। वर्ष 1973-74 के दौरान चारों केन्द्रों और समन्वित यूनिट के लिए 4.10 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

केरल में भाण्डागार की सुविधाऐं बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा उठाए गए कदम

7679. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज के व्यापार का सरकारीकरण करने के राज्य के निर्णय के प्रकाश में केरल राज्य में खाद्यान्नों के भाण्डागार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा किये गये उपायों की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ख) क्या वर्ष 1973-74 में भाण्डागार की अतिरिक्त क्षमता बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम

भारतीय खाद्य निगम के पास केरल राज्य में 2.49 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता है। निगम ने राज्य में 63,000 मी० टन की क्षमता के गोदाम बनाने का मंजूरशदा कार्यक्रम बनाया है और आशा है कि वह इस वर्ष के दौरान पूरा हो जाएगा। तथापि, स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है और जब कभी आवश्यक हुआ क्षमता में और वृद्धि कर दी जाएगी।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम :

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के पास केरल राज्य में 12,250 मी० टन के गोदाम हैं और इनके अतिरिक्त 2,500 मी० टन क्षमता के गोदाम निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, निगम 1973-74 में 3,000 मी० टन क्षमता के और गोदाम बनाने का विचार रखता है। राज्य भाण्डागार निगम का भी 1973-74 में राज्य में 6,500 मी० टन क्षमता के गोदाम बनाने का विचार है।

Integration of Services of Employees in the Ministry of Agriculture.

7680. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the services of the employees working in various departments in his Ministry have not been integrated;

(b) whether senior officers have to work under junior officers in the absence of any combined seniority list of the employees working in various departments of Agriculture Ministry; and

(c) if so, the reasons for which the services of the employees working in the Departments of the Ministry of Agriculture have not been integrated.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) For posts of Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary there is already a common cadre for all the Ministries/Departments of the Government of India. These posts can be manned by the officers of the various All-India and Central Services viz., IAS., IA&AS., IRS., CSS. etc. All these Services are controlled by the Department of Personnel and vacancies in any Ministry/Department can be filled only by the officers nominated by that Department.

For the posts of Section Officers and below, there was a common cadre for the entire Secretariat till September, 1962. Since the decentralization of the Central Secretariat Service other than the Grade I from the 1st October, 1962, separate cadres have been created for the posts of Section Officers and below in the Departments of Agriculture, Food and the Community Development and Cooperation from that date.

To avoid uneven confirmation and promotions etc., subsequent to the decentralization of the cadres, the Department of Personnel have introduced a zonal scheme. According to this scheme, the Department of Personnel compile and maintain common seniority lists of the various decentralized grades and lay down specific seniority zones in each grade for promotion to the next higher grades.

The non-Secretariat posts are isolated posts and are treated to form as General Central Service for which separate recruitment rules are framed and the appointments, promotions etc. are made in accordance with the recruitment rules governing these posts. They will continue to remain as they are.

(b) There is no combined seniority list of employees working in the various departments of the Ministry of Agriculture since they constitute separate cadres. Promotions within the cadres are made in accordance with the Zoning scheme of the Department of Personnel whereas short term promotions within the cadre are made on the basis of seniority within the cadre.

In respect of the non-secretariat posts there is no combined senirority in respect of these posts and so there is no question of seniors working under junior officers in respect of such posts.

(c) The question of constituting a common cadre in the grade of Section Officers and below was considered and was not found practicable.

इण्डियन लूनेसी ऐक्ट आफ 1912

7681. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसम्बर, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एन ओवर ड्यू रिफार्म" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक सम्पादकीय लेख के अनुसार विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि इण्डियन लूनेसी एक्ट आफ 1912 को निरसित किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर इण्डियन मैन्टल हैल्थ एक्ट नामक एक अन्य एक्ट लाया जाना चहिए।

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि वह एक्ट पुराना हो चुका है और अपराधी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण करने के लिए "मैक मेंगटैन टेस्ट" जैसे उन्नीसवीं शताब्दी के सिद्धांतों पर आधारित है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) "पागल" और "पागलखाना" सम्बन्धी आधुनिक संकल्पनाओं को देखते हुए पागलपन संबंधी भारतीय अधिनियम, 1912 के स्थान पर कोई दूसरा अधिनियम रखने के लिए 'मानसिक स्वास्थ्य विधेयक' नाम से एक नया विधेयक बनाया जा रहा है।

जी० बी० पन्त अस्पताल दिल्ली के कारडियालोजी तथा न्यूरोलॅजी विभागों के साथ विशेष व्यवहार

7682. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० बी० पन्त अस्पताल, दिल्ली, में अन्य विभागों की उपेक्षा करके कारडियालोजी तथा न्यूरोलोजी विभागों के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न विभागों का व्यय क्या था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और तैयार होते ही इसे भेज दिया जाएगा।

विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मकानों की व्यवस्था

7683. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि पेंशन के बजाए मकानों की इच्छा प्रगट करने वाले वृद्ध बीमार अथवा विकलांग स्वतंत्रता सेनानियों के लिये एक गृह की स्थापना की जाए; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) यह 'निवास' कहां बनाया जायं, इसे चलायेगा कौन सरकार या कोई स्वैच्छिक संस्था ऐसी अनेक बातें हैं जो अभी तय नहीं हो पाई हैं और इस प्रकार योजना को कोई ठोस रूप नहीं दिया जा सका है।

नव-गठित अस्थमा एण्ड ब्रांकाईटिस फाउन्डेशन आफ इण्डिया की बैठक

7684. **श्री विभूति मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवगठित अस्थमा एण्ड ब्रांकाईटिस फाउंडेशन आफ इण्डिया की दिल्ली में 1 मार्च 1973 को उद्घाटन बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उद्घाटन बैठक में डाक्टरों ने यह बताया था कि अस्थमा और ब्रांकाईटिस धूम्रपान करने से होता है ;

(ग) क्या उक्त बैठक में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इस फाउण्डेशन के अध्यक्ष ने कहा था कि धूम्रपान ब्रांकाईटिस का एक महत्वपूर्ण कारण है।

(ग) जी नहीं। किन्तु इस फाउण्डेशन के अध्यक्ष ने कहा था कि 'टी० बी० एसोसिएशन आफ इण्डिया' और 'इण्डियन एसोसिएशन फार चेस्ट डिजीज़िज़' ने धूम्रपान के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किये थे और उन्होंने सरकार से धूम्रपान के विरुद्ध आवश्यक कानून पारित करने लिए अनुरोध किया था।

(घ) भारत सरकार इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार कर रही है और इस बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा।

फोटो लीथो प्रेस, मिन्टो रोड, नई दिल्ली

7685. **श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोटो लीथो प्रेस, मिंटो रोड़ में लगी अत्यन्त कीमती कम्पोज़िंग मशीनें (अर्थात् फोटो सैटर और वैरीटाईपर) सरकार के लिए बेकार का बोझा हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में इन मशीनों से कुल कितना उत्पादन हुआ है। और इन पर कुल कितना व्यय हुआ है अर्थात् उत्पादन लागत, चालकों के वेतन, समयोपरि भत्ता तथा नैमित्तिक व्यय ;

(ग) क्या इसके बावजूद सम्बन्धित वर्क्स मैनेजर ने गत दो वर्षों में इन मशीनों के आपरेटरों को डेसर्ट कूलर की व्यवस्था की उन के लिए विशेष भत्तों की सिफारिश की और एक विशिष्ट मामले के रूप में, आगे पदोन्नतियां की गई; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

संसदीय कार्य विभाग निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) फोटोसेटर का 1958 में मूल क्रय मूल्य 1,52,948 रुपये था। 5 वेरीटाईप मशीनें हैं जिनमें से तीन महीनें 1948-49 में 1,000 रुपये प्रति मशीन की दर से खरीदी गई थी जबकि अन्य दोनों मशीनों की कीमत 12,600 रुपये तथा 9,428 रुपये थी। वेरीटाइप मशीनें अब अप्रयोज्य हो गई हैं तथा उन्हें बदलने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार फोटोसेटर के फालतू पुर्जे इसे और कारगर बनाने के लिए प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ख) फोटोसेटर और वेरीटाईप के आपरेटरों की उत्पादन लागत निम्नलिखित रही है :

1970-71	1971-72
1,05,841 रुपये	1,40,259 रुपये

फोटोसेटर मशीनों के उत्पादन का निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें प्रदर्शन, प्रचार, लेबलों, पोस्टरों जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा कुछ अन्य आवश्यक कार्यों को करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मशीन का उत्पादन निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि फिल्म रोलों तथा पोस्टरों/लेबलों को विभिन्न आकार में काटने जैसे कार्यों को पृष्ठों में नहीं बदला जा सकता। वेरीटाइप मशीनों द्वारा पृष्ठों के रूप में किया गया उत्पादन निम्नलिखित है :—

1970-71		1971-72	
(नये कम्पोजिंग कार्य)	(लेखक द्वारा किए गए संशोधन)	(नये कम्पोजिंग कार्य)	लेखक द्वारा किए गए संशोधन)
1648	1590	4675	2142

(ग) जिस कमरे में वैरीटाईप मशीनें लगाई गई हैं वहां कोई वातानुकूलन व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, तापमान को निर्धारित अंश तक रखने के लिए फोटोसेटर मशीनों के लिए बातानुकूलन का होना अनिवार्य है जहां फिल्मों को प्रयोग में लाया जाता है। आपरेटरों को न ही विशेष भत्ता दिया गया है और न ही उन्हें विशेष पदोन्नति दी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मिट्टी का सुधार (सायल अमंडमेंट) करने की योजना

7686. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में पांचवी पंचवर्षीय योजना में सात राज्यों मे भूमि पर मिट्टी का सुधार (सायल अमेंडमेंट) करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) किन-किन राज्यों में ये योजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां । मंत्रालय पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मैसूर, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के एसिड मृदा क्षेत्रों में बेसिक स्लैग लाइम स्टोन । डोलोमाइट डैसे मृदा सुधार (सायल अमेंडमेंट) और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के क्षारीय मृदा क्षेत्रों में जिप्सम के प्रयोग को भी प्रोत्साहन देने के विषय में विचार कर रहा है । मृदा सुधार की इस सामग्री पर 50 प्रतिशत तक राजसहायता देने का विचार है ।

Post of Agricultural Commissioner lying vacant

7687. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the post of Agricultural Commissioner is lying vacant at a time when we are importing foodgrains from foreign countries; and

(b) if so, reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Yes.

(b) The post of Agricultural Commissioner fell vacant on 31-1-73(AN).

The post has since been upgraded to that of Joint Secretary's scale of pay, *viz*. Rs. 2500-125/2-2750. Pending revision of the existing recruitment rules for the post of Agricultural Commissioner, the post of is being filled on an *ad hoc* basis.

The vacancy was circulated to all the State Governments/Union Territories/Central Government Departments. Names have been received and the matter is under consideration.

बिल्डिंग मैटीरियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना

7688. श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक बिल्डिंग मेटीरीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देना

7689. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में नए मैडिकल कालेज खोलने के लिए राज्यों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : पिछले तीन वर्षों से राज्य सरकारों को नये मेडिकल कालेज खोलने के लिये कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है,

क्योंकि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के अधीन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए आर्थिक सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

स्टेट फार्मस कारपोरेशन में वित्तीय सलाहकार तथा लेखा अधिकारी के पद पर एक अधिकारी का चयन

7690. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट्स फार्मस कारपोरेशन आफ इंडिया में वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी का चयन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अधिकारी की विशेष योग्यताएं क्या हैं जिससे अन्य योग्यता प्राप्त लेखापालों के ऊपर वरीयता दी गई है; और

(ग) क्या इस पद के लिए केवल इसी एक अधिकारी के मामले पर विचार किया गया था जबकि उसी सेवा के अन्य अधिकारियों को रिक्त पड़े इस पद की सूचना तक नहीं दी गई थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : निगम ने एक समिति नियुक्त की थी जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी थे। इस समिति ने विभिन्न सेवाओं अर्थात भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के 12 अधिकारियों का साक्षातकार किया। समिति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के एक अधिकारी का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान में मुख्य लेखा अधिकारी के तौर पर उसके पिछले अनुभव और वित्तीय प्रबन्ध सहित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध के आधार पर चयन किया। इस पद को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारियों में परिचालित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं था।

समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायतें प्रकट करना

7691. **श्री हुकमचन्द कछवाय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजपत्रित अधिकारियों के लिए आचरण संबंधी नियमों में उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी शिकायतें प्रकट करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में फोटो लिथो गवर्नमेंट प्रेस के अधिकारियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : सदस्य महोदय के ध्यान में सम्भवतः वह प्रेस रिपोर्ट है जो स्टेट्समैन में दिनांक 5 अक्तूबर, 1972 को छपी थी जिसमें फोटोलीथो अधिकारियों द्वारा दिए गये संयुक्त अभ्यावेदन का सारांश दिया गया था। संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर फोटोलीथो विंग के सभी अधिकारियों को मंत्री महोदय की नाराज़गी से अवगत करा दिया गया है।

Consumption of Chemical Fertiliser in Madhya Pradesh

7692. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh consumes largest quantity of chemical fertilisers; and

(b) whether the requirement of these fertilisers has been increasing in Madhya Pradesh for the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) No Sir. During the last two years, Madhya Pradesh ranked eighth among the States in the country, in the consumption of chemical fertilisers.

(b) Yes, Sir. The requirement of fertiliser has been increasing steadily in Madhya Pradesh during the last three years.

1972 के दौरान उड़ीसा में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

7693. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रत्येक जिले में वर्ष 1972 के अन्त तक कितनी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गई थीं, और

(ख) लिफ्ट सिंचाई परियोजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी अनुबंध में दे दी गई है ?

विवरण

क्र० सं०	जिला	*31-3-72 तक स्थापित हुई उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं की सं०	सर्जित सिंचाई क्षमता
1.	गंजम	152	5,500
2.	कोरापुत	27	2,280
3.	सम्बलपुर	2	2,310
4.	सुन्दरगढ़	4	2,120
5.	शेन्कानल	7	350
6.	बालासोर	37	3,465
7.	कटक	235	22,395
8.	पुरी	21	840
9.	क्वेन्सर	—	—
10.	बोलनगिर	—	—
11.	कालाहांडी	—	—
12.	फुलबानी	—	—
13.	मयूरगंज	15	2,390
	योग	500	41,650

*स्थापित हुई परियोजनाओं का तात्पर्य उन परियोजनाओं से है जो शुरू की जा चुकी हैं।

गुजरात के समुद्रीतटीय क्षेत्र में मत्स्यपालन उद्योग का विकास

7694. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने दक्षिणी गुजरात के समुद्रीतटीय क्षेत्र में मत्स्य पालन उद्योग का विकास करने की सम्भावना का पता लगाने हेतु वहां सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य ने इस सम्बन्ध में चौरीयासी तालुका के समुद्रतटीय क्षेत्रों का पहले ही सर्वेक्षण कर लिया था; और

(ग) वहां एक मत्स्यपालन एकक का विकास करने हेतु राज्यों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1972 में उनके द्वारा आयोजित समुद्र मात्स्यकी अनुसंधान संगोष्ठी और अन्तरर्देशीय मात्स्यकी विचार-गोष्ठी ने यह सिफारिश की थी कि गुजरात के पूरे तटवर्ती क्षेत्र का खारे जल में मछली पालन की संभावनाओं का अनुमान लगाने की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाय। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परामर्श से सर्वेक्षण की पद्धति तैयार की है। राज्य सरकार ने सूरत जिले में उकाई में एक सर्वेक्षण यूनिट की स्थापना की है और चौरीयासी तालुका सहित इस क्षेत्र का सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार आंकड़े तैयार कर रही है। उनका शीघ्र ही भड़ोच और बुलसार जिलों का सर्वेक्षण-कार्य हाथ में लेने का भी विचार है।

(ग) चोरीयासी तालुका में मात्स्यकी यूनिट का विकास करने का कोई प्रस्ताव अभी केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान में मरुभूमि की समस्या हल करने के उपाय

7695. **श्री लाल जी भाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कुल क्षेत्र का 55 प्रतिशत भाग मरुस्थल है;

(ख) क्या लगभग 84 लाख व्यक्ति जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 33 प्रतिशत भाग है मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं;

(ग) क्या अधिकांश मरुस्थल दुर्गम क्षेत्र हैं और वहां पेय जल उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस मरुस्थल भूमि की समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) बीकानेर, चुरू, नागौर, बाड़मेर, जेसलमेर, जोधपुर, जैलोर तथा पाली के जिले राज्य के मरुस्थल क्षेत्र में स्थित हैं। इन जिलों का कुल क्षेत्रफल 1,74,400 वर्ग कि० मी० है जो राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 55 प्र० श० बनता है। 1971 की जनगणना के अनुसार इन जिलों में रह रही कुल जनसंख्या 64 लाख है जो राज्य की कुल आवादी का 25 प्र० श० है।

(ग) इन आठ जिलों का राज्य सरकार द्वारा चिरकालिक सूखा-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जल सप्लाई राज्य क्षेत्र के अधीन है। चौथी योजना में जल सप्लाई तथा सफाई कार्य-क्रमों के लिए निर्धारित किये गये 31 करोड़ रुपयो में से लगभग 20

करोड़ रुपये ग्रामीण जल सप्लाई के लिये निर्धारित किये गये हैं। कार्यकारी दल ने 1973-74 वर्ष के लिये राज्य की ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के लिए 7.33 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है।

त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने 531.66 लाख रुपये की लागत से 10 जिलों में (जिनमें ये 8 चिरकालिक सूखाग्रस्त जिले शामिल हैं) के 1023 ग्रामों के लिये 35 योजनाएं मंजूर कीं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 1972–73 के दौरान 175 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई थी। आर्थिक सहायता वर्ष 1973-74 के दौरान भी जारी रखी जायगी।

सम्भावित सूखाग्रस्त क्षेत्र के कार्यक्रम के अधीन 2.67 लाख रुपये की लागत की जलपूर्ति की 15 योजनाओं की भी जांच कर ली गई है तथा वे आवश्यक अनुमोदन के लिए कृषि मंत्रालय को भेज दी गई हैं।

1972-73 के दौरान में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण केन्द्रीय टीमों ने राजस्थान का दौरा किया और सूखा निवारण कार्यक्रम के अधीन जलपूर्ति की योजनाओं के लिए राजस्थान को 228 लाख रुपये देने की सिफारिश की।

केन्द्रीय सरकार ने पेय जल प्राप्त करने के लिये नलकूपों को खोदने के लिए यूनिसेफ से सहायता प्राप्त सामान्य कार्यक्रम के अधीन सख्त पथरीली मिट्टी के लिये 4 ड्रिलों तथा यू० एन० एच० सी० आर० कार्यक्रम के अधीन सख्त पथरीली मिट्टी के लिए एक ड्रिल की भी व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ के विशेष सूखा-निवारण कार्यक्रम के अधीन एक ओर रिंग भी दिया गया है। अतिरिक्त रिंगों का आवंटन भी विचाराधीन है।

Central Directive on the Manner of Distribution of Surplus Land

7696. Shri Bibhuti Mishra : Will the MINISTER OF AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have issud any directions to the States conveying the manner in which surplus land acquired by means of ceiling on land should be distributed among the landless persons; and

(b) if so, the outlines of this scheme?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) & (b) : The guidelines formulated by the Government of India in the light of the recommendations of the Chief Ministers' Conference held in July, 1972, laid down that while distributing surplus land priority should be given to the landless agricultural workers, particularly those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

मध्य प्रदेश के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे किए गए कार्य और रोजगार की व्यवस्था

7697. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिये गए;

(ख) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों में अब तक कितने कार्य पूरे हुए हैं तथा उन पर कितनी लागत आई है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है उनका सामान्य स्तर क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

ग्रामीण श्रम संगठन और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों में ठेका श्रम का उन्मूलन

7698. **श्री बसंत साठे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना में योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रभावकारी ढंग से रोजगार पाने हेतु ग्रामीण श्रमिकों का संगठन बनाएं जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ख) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिए ठेका प्रणाली को समाप्त करने अथवा निरुत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) तथा (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (जिसे अब सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम कहते हैं) के अधीन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए श्रमिकों के सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन दें ।

बड़ी संख्या में नसबंदी आपरेशन योजना

7700. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार बड़े पैमाने पर नसबन्दी आपरेशन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो 1972-73 के लक्ष्य की तुलना में नसबन्दी के किए गए आपरेशनों का राज्यवार ब्योरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) पुरुष नसबन्दी के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । वर्ष 1972-73 (फरवरी, 1973 तक) में राज्यवार नसबन्दी आपरेशनों का लक्ष्य और पुरुष नसबन्दी आपरेशनों की संख्या का एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4851/73]

कुष्ट रोग के इलाज के लिए एच्छिक संस्थायें

7701. **श्री एस० एन० मिश्र** :

श्री कुशोक बाकुला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगों का इलाज करने वाली केन्द्रीय सहायता प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं के नाम क्या हैं,

(ख) गत तीन वर्षों में उन्होंने ऐसे कितने रोगियों का इलाज किया, और

(ग) देश के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से कार्य के लिए उक्त ऐच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) सेवा भाव से कार्य कर रही कुष्ठ संस्थाओं की, जिन्होंने कुष्ठ नियंत्रण का कार्य शुरु किया हुआ है तथा जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, एक सूची संलग्न है ।

(ख) लगभग 53,000 ।

(ग) आमतौर पर सेवा भाव से कार्य कर रही ऐसी एक स्वैच्छिक संस्था के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र में जहां यह रोग 0.5 प्रतिशत या इससे अधिक फैला हुआ हो एक लाख की आवादी आनी चाहिए । फिर भी पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों में इस शर्त को शिथिल करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

विवरण

1. श्री वी० वी० एस० एस० देवस्थानम (आन्ध्र प्रदेश)
2. एच० के० एन० एस० हजुराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
3. श्री गौतमी जीवकारण्य संगम् (आन्ध्र प्रदेश)
4. विजयनगरा कुष्ठ गृह तथा अस्पताल (आन्ध्र प्रदेश)
5. फिलाडेल्फिया कुष्ठ अस्पताल (आन्ध्र प्रदेश)
6. कुष्ठ व्याधि निवारण संगम (आन्ध्र प्रदेश)
7. आन्ध्र केशरी युवजन समिति (आन्ध्र प्रदेश)
8. मिकिर हिल्स सेवा केन्द्र (आसाम)
9. श्रीमन्त शंकर मिशन (आसाम)
10. कुष्ठ सेवा समिति (बिहार)
11. राजेन्द्र कुष्ठ सेवाश्रम (बिहार)
12. संथाल पहाड़ियां सेवा मण्डल (बिहार)
13. डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन (गुजरात)
14. बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एन्टी लेप्रोसी एसोशिएसन (गुजरात)
15. श्री साबरकण्ठा आरोग्य मंडल (गुजरात)
16. डेमियन (कुष्ठ) संस्थान (केरल)
17. पूअर लेप्रोसी हास्पिटल (केरल)
18. होली क्रौस कनवेंट (केरल)
19. विसर्जन आश्रम एल०सी० यू० (मध्य प्रदेश)
20. दीनबन्धु मेडिकल मिशन (तामिलनाडु)
21. दयापुरम लेप्रोसी हास्पिटल (तमिलनाडु)
22. शिफेसिन लेप्रोसी रिसर्च सेनेटोरियम (तमिलनाडु)
23. दि मैरी कालवर्ट होल्डसवुथ मैमोरियल हास्पिटल (मैसूर)
24. एच० के० एन० एस० बम्बई (महाराष्ट्र)
25. एल० सी० यू० वादला मिशन (महाराष्ट्र)
26. महारोगी सेवा समिति (महाराष्ट्र)

27. वी० आर० डी० कुष्ठ सेवाश्रम (उत्तर प्रदेश)

28. कुष्ठ सेवाश्रम, बस्ती (उत्तर प्रदेश)

29. कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

30. काशी कुष्ठ सेवा संघ (उत्तर प्रदेश)

लद्दाख (जम्मू और काश्मीर) में अधिक ऊंचाई पर खेती के लिए अनुसंधान

7702. **श्री एस० एन० मिश्र :**

श्री कुशोक बाकुला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख (जम्मू और काश्मीर) में अधिक ऊंचाई पर खेती करने के लिए अनुसन्धान करने का कोई प्रायोजन है;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने गत वर्ष 23,31,600.00 रुपये की लागत से श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर) में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र और लद्दाख में एक उप केन्द्र की स्थापना करने के लिये एक परियोजना की मंजूरी दी थी। परन्तु राज्य सरकार ने इस स्टेशन को बन्द करने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वह राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। इसी कारण से अनुसंधान केन्द्र की स्थापना नहीं हो सकी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में साप्ताहिक आधार पर राशन देने के कारण हो रही कठिनाइयां

7703. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सब राशन कार्डधारियों को मासिक आधार पर राशन देने के स्थान पर साप्ताहिक आधार पर राशन देने के निर्णय से हो रही कठिनाई और असुविधा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चार सप्ताह का राशन देने की पद्धति को जो कुछ समय पहले चालू थी पुनः चालू करने का आदेश देगी; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न देने की प्रणाली से सम्बन्धित हैं। इस समय दिल्ली में साप्ताहिक आधार पर राशन दिया जाता है। मासिक या चार साप्ताहिक आधार पर राशन देने का मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

दिल्ली में उचित दर दुकानदारों द्वारा राशन सप्ताह के अन्तिम दिन कोटा लेना

7704. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, विशेषकर सब्ज़ी मंडी क्षेत्र में, राशन की चीनी, गेहूं और मैदा की अभी भी कमी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की नीति राशन की दुकानों को राशन सप्ताह के अन्तिम दिन राशन का कोटा देने की है अथवा क्या दुकानदार स्वयं जानबूझकर अपना कोटा सप्ताह के अन्तिम दिन लाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा होती है और अनेक राशन कार्डधारियों को सप्ताह के राशन की हानि होती है; और

(ग) क्या सप्ताह के सभी दिनों में राशन प्राप्त न होने और केवल सप्ताह के अन्तिम दिन राशन उपलब्ध होने पर सरकार उस सप्ताह का राशन आगामी सप्ताह में दिए जाने के बारे में आदेश जारी करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) : जी नहीं।

(ख) मौजूदा कार्यविधि के अनुसार, सर्कल विशेष की उचित मूल्य की दुकानों द्वारा सप्लाई लेने के लिए अग्रिम तारीखें निर्धारित कर दी जाती हैं और केवल उन्हीं तारीखों को गोदामों से अपेक्षित सप्लाई लेनी पड़ती है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं ।

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए पंचायतों को और अधिक अधिकार देना

7705. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि छोटे और सीमान्त किसानों के कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पंचायत राज निकायों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए : और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : छोटे और सीमान्त किसानों के लिए विशेष कार्यक्रमों को जो कुछ चुने हुए जिलों में मार्गदर्शी परियोजनाओं के रूप में हाथ में लिए गए हैं, संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विकास एजेन्सियो के जरिये क्रियान्वित किया जाता है । पंचायती राज निकायों के प्रतिनिधि इन एजेन्सियों से सम्बन्द्ध हैं ।

दिल्ली प्रशासन में शिल्प शिक्षकों के विभिन्न वेतनमान

7706. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में दिल्ली प्रशासन द्वारा कुछ शिल्प शिक्षकों को 250-550 रुपये के वेतन-मान में नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और क्या वर्ष 1972 से पूर्व शिल्प शिक्षकों को 220-430 के वेतनमान में नियुक्त किया गया था; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और उक्त असंगति को दूर करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क और ख) : दिल्ली प्रशासन ने 1972 में 250-850 रुपये के वेतनमान में 39 कार्य अनुभव

अध्यापकों की नियुक्ति की है। 1972 से पहले 220-430 रुपये के ग्रेडों में शिल्प आध्यापकों की नियुक्तियां की गई थीं ।

(ग) 250-550 रुपये के वेतनमान वाले पद स्कूलों में कार्य अनुभव अध्यापकों की योजना के अंतर्गत थे। इस समय 220-430 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहे शिल्प अध्यापकों को ऊंचे वेतनमान मंजूर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Loss to Agriculture due to Short Supply of Power

7707. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have not conducted any survey in regard to the loss suffered by Agriculture for want of power during 1972-73; and

(b) if so, the reasons therefor and the total loss of revenue suffered as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) : The information has been called for from the State Governments and will be placed on the Table of Sabha as soon as it is received.

Central Study Team to Famine Hit Madhya Pradesh

7708. Dr. Laxminarayan Pandeya :
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether 34 Districts out of 46 Districts of Madhya Pradesh are in the grip of famine;

(b) whether the Central Study Team had visited many of these famine-hit districts;

(c) whether the said Team has reported serious famine situation in Jhabua district; and

(d) if so, the measures, out of those recommended by the said Team, on which action has been taken by Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The State Government has reported that 30 districts have been affected in varying degrees by drought.

(b) The Central Study Team visited some of the drought affected districts.

(c) The Team has reported that Jhabua is one of the worst-hit districts.

(d) On the basis of the Team's recommendations a ceiling of expenditure of Rs. 1·44 crores has been fixed in respect of relief measures other than relief works. Expenditure on payment of wages on account of employment created on works of productive and durable nature would qualify for Central assistance. Hence, no ceiling in financial terms has been fixed on relief works.

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में स्नातकोत्तर शिक्षकों (ड्राइंग) के पद

7709. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में स्नातकोत्तर शिक्षक (ड्राईग) के नए पद बनाए गए हैं, और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने सितम्बर, 1971 में उक्त पदों के लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की थीं ;

(ग) क्या बोर्ड योगताओं में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सम्बन्ध विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे उनमें फैली निराशा दूर की जा सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां 141

(ख) विवरण संलग्न है [ग्रथालयं मे रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4852/73]

(ग) ड्राइंग अध्यापकों की निर्धारित अर्हताओं में फिल्हाल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) जी नहीं । दिल्ली प्रशासन द्वारा यथोचित रूप से अधिसूचित किए जाने पर ही भर्त्ती नियमों के आधार पर नियुक्ति /भर्ती की जाती है ।

Realisation of Damages from Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust

7710. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the **Minister** of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on account of using the land for other purposes by the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi to whom it was given for construction of hospital, Government are realising damages worth about Rs. 4 lakhs from the said Netra Sudhar Sangh and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust;

(b) if so, the amount to be realised from each of the said two institutions separately; and

(c) whether Government propose to waive the recovery of these damages; and if so, on what basis?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) : The site was surrendered to the Government by the All India Blind Relief Society on 26th April, 1969 and it has not yet been allotted to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust. The damage charges are to be recovered from all the occupants for the period subsequent to the date of surrender of the land by the Society and from the All India Blind Relief Society prior to that date. The amount of damage charges has not been worked out so far.

(c) There is no proposal to waive the recovery of damage charges.

उड़ीसा में कैंसर अनुसंधान केन्द्र

7711. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के निदेशक ने उड़ीसा में एक कैंसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के विचार का समर्थन किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) : देश में कैंसर संबंधी काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं को क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र बनाया जा सकता है अथवा नहीं यह जानने के उद्देश्य से इन संस्थाओं की जरूरतें और अतिरिक्त आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसधान परिषद के महा-निदेशक की अध्यक्षता में जिस कैंसर मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था उसने 12 संस्थाओं का निरीक्षण किया जिनमें श्रीराम चन्द्र भंज मेडिकल कालेज अस्पताल, कैंसर विंग, कटक भी सम्मिलित है । सरकार इस समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है ।

छोटे पत्तनों संबंधी समिति का चांदबाली पत्तन, उड़ीसा, का दौरा

7712. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पत्तनों संबंधी समिति ने ब्रिगेडियर ओ० पी० नरूला की अध्यक्षता में हाल ही में उड़ीसा में बालासोर जिले में चान्दबाली पत्तन का दौरा किया था, और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का क्या प्रयोजन था और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए चांदबाली पत्तन की स्थापना हुई है उनके अनुसरण में समिति ने पत्तन का दौरा किया अर्थात्

(i) छोटे पत्तनों पर यातायात देन की परस्पर संबंधित समस्याओं की जांच करना ।

(ii) उपलब्ध या उपलब्ध होने वाले यातायात से निपटने के लिए वे सुविधायें जिनकी व्यवस्था इन पत्तनों पर की जानी चाहिए, और

(iii) छोटे पत्तनों पर अधिक यातायात के विकास की दृष्टि से नौका निर्माण क्षमता को बढ़ाना ।

समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

मत्स्य पत्तन, धामारा, उड़ीसा के बारे में अन्तिम अनुमान

7713. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि मंत्री** मत्स्य पत्तन, धमारा उड़ीसा के परियोजना प्रतिवेदन के बारे में 18 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धामारा पर प्रस्तावित मत्स्य पत्तन के पूरा होने के बारे में उड़ीसा सरकार से अपेक्षित अनुमान प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना द्वारा दरों की वर्तमान अनुसूची को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये लागत अनुमानों की जांच के अतिरिक्त अधिकांश सूचना राज्य सरकार से हाल ही में प्राप्त हो गई है ।

(ख) राज्य सरकार से लागत अनुमानों संबंधी सूचना प्राप्त होने पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव की मंजूरी देने पर विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी गोष्ठी

7714. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी गोष्ठी में की गई सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) गोष्ठी में जो विचार प्रगट किये गए हैं, उन्हें योजना की अन्तिम रूप देते हुए ध्यान में रखा जायेगा । इस विषय पर अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है ।

भारत में दवाइयों की रुपयों में प्रति व्यक्ति खपत

7715. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दवाइयों की रुपयों में प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, और

(ख) अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जैसे देशों की तुलना में उक्त खपत कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) देश में इस समय प्रति वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये की एलोपैथिक औषधियों का उत्पादन होता है। हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार देश की आबादी लगभग 55 करोड़ है। निर्यात की गई औषधियों की कीमत के आधार पर जो 12 करोड़ रुपये है, देश में औषधियों की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 5 रुपये प्रतिवर्ष बैठती है।

(ख) अमरीका, रूस आदि जैसे देशों में प्रति व्यक्ति खपत की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है। "दि आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्ज आफ इण्डिया" ने 1967 में विभिन्न देशों में औषधियों की प्रति व्यक्ति खपत को प्रकाशित किया था और तत्सम्बन्धी सूचना नीचे दी गई है :—

	वर्ष 1967 (रुपयों में)
अमरीका . . .	193.41
इंगलैण्ड . . .	42.00
फ्रांस . . .	167.72
इटली . . .	97.42
जापान . . .	117.47
पश्चिम जर्मनी . .	146.10

रूस में औषधियों की प्रति व्यक्ति खपत सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

अध्यापकों की मांग पर विवादों में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप

7716. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने देश में अध्यापकों की मांग पर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए गत तीन वर्षों में कितने मामलों में और कितने अवसर पर हस्तक्षेप किया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार, अध्यापकों की मांगों के फलस्वरूप उत्पन्न झगड़ों को सौहार्दपूर्ण तय करने के लिए, राज्य सरकारो/संघीय क्षेत्र प्रशासनों से समय-सयम पर विचार विमर्श किया है। इस प्रकार के विचार-विमर्शों को हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है।

स्कूलों में उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए अखिल भारतीय विश्वविद्यालय उर्दू शिक्षक सम्मेलन में की गई मांग

7717. **श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा :**

श्री भोला गांधी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय उर्दू शिक्षक सम्मेलन द्वारा हाल ही में मांग की है कि उर्द भाषा-भाषी राज्यों में स्कूलों में प्राइमरी तथा माध्यमिक स्तर पर उर्दू को प्रोत्साहन दिया जाना वाहिए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). सरकार को लखनऊ में कुछ समय पूर्व हुए विश्वविद्यालय उर्दू अध्यापक सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव की जानकारी है जो साथ ही साथ उर्दू भाषी राज्यों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम को प्रोत्साहित करने की मांग से सम्बन्धित था।

प्राथमिक स्तर पर अपनी ही मातृ-भाषा में शिक्षा पाने की भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकार, सरकार की एक स्वीकृति नीति है। इस नीति तथा संविधान के अनुच्छेद 350 ए के उपबन्धों के अनुसरण में, राज्य सरकारों के यह सलाह दी गई है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा के माध्यम से, कम से कम एक अध्यापक नियुक्त करके, शुरू की जाए।

माध्यमिक स्तर पर, भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के बारे में, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि जहां कहीं उसकी मांग हो, इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

केन्द्रीय सरकार ने, देश भर में, केन्द्रीय स्कूलों में उर्दू के अध्ययन के लिए पहले ही से सुविधाएं उपलब्ध कर दी हैं।

उर्दू की प्रोन्नति के बारे में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जो उर्दू के विकास से संबंधित सभी पहलुओं पर भी विचार कर रही है।

देश में भिखारी और पटरियों पर रहने वाले व्यक्ति

7718. **श्री सतपाल कपूर :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भिखारियों और पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, और

(ख) बड़े नगरों, राज्यों की राजधानियों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उनकी अलग-अलग अनुमित संख्या कितनी है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं हुआ है। 1971 की जनगणना (1% अग्रिम सारणीकरण) के अनुसार भिखारियों और आवारों की संख्या 7,44,500 थी। मौसिमी कारणों तथा जनसंख्या में साधारण वृद्धि के कारण इस संख्या में परिवर्तन हो सकते हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत घर-घर दूध सप्लाई करने सम्बन्धी योजना

7719. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को घर-घर दूध सप्लाई करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त योजना कब आरम्भ की जायेगी और उस पर आरम्भ में कितना खर्च होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि दिल्ली दुग्ध योजना अपने दुग्ध डिपुओं से ग्राहकों द्वारा चुने हुए गृह वितरण ऐजेंटों के जरिए दूध सप्लाई करने की अनुमति देती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लुधियाना (पंजाब) में अखिल भारतीय विचार गोष्ठी एवं कर्मशाला का आयोजन

7720. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान कालेज ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से लुधियाना में एक विचार गोष्ठी एवं कर्मशाला का आयोजन किया था; और

(ख) विचार गोष्ठी के मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) विचार गोष्ठी के प्रमुख निष्कर्ष तथा सिफारिशें संलग्न हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4853/73]

(ग) विचार गोष्ठी में कोई ऐसी सिफारिशें नहीं की गई थी, जिनका सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जाना हो ।

दिल्ली में हैजे के मामले

7721. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बहुत संख्या में लोगों को हैजा हुआ है,

(ख) गत वर्ष में इसी अवधि की तुलना में इन आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई है, और

(ग) इस ओर क्या विशेष कदम उठाये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख): जी नहीं । 1973 में 18 अप्रैल, 1973 तक हैजे से एक ही व्यक्ति के पीड़ित होने की सूचना मिली है । पिछले साल इसी अवधि में हैजे से किसी व्यक्ति के पीड़ित होने की कोई सूचना नहीं थी ।

(ग) दिल्ली में हैजे के प्रकोप को रोकने के लिये जो उपाय किए गए वे इस प्रकार हैं :—

1. दिल्ली में विभिन्न संचारी रोगों की जिनमें हैजा भी शामिल है, स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिये अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक मासिक बैठक बुलाई जाती है ताकि उन पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाये जा सकें । इस बैठक में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका दिल्ली प्रशासन, स्थानीय अस्पताल, रेल और रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं ।

2. पाइपों के माध्यम से जो पानी सप्लाई किया जाता है उसकी नियमित रूप से जांच की जाती है और उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के पानी को नियमित रूप से रोगाणु मुक्त किया जाता है ।

3. खाद्य पदार्थों की सफाई व्यवस्था बनाए रखने का काम खुले रखे खाद्य पदार्थों की बिक्री रोक कर तथा खाद्य पदार्थों को नष्ट कर ऐसे पदार्थों के पकाने, बेचने आदि वाले स्थानों के निरीक्षण द्वारा किया जाता है ।

4. उन क्षेत्रों में जहां हैजा होने की अधिक संभावना होती है वहां हैजा-रोधी सुइयां लगाई जाती हैं । सामूहिक सुई अभियान में जेट-गन इन्जेक्टर को उपयोग में लाया जाता है ।

5. हैजे के संदिग्ध मामलों की शीघ्र रिपोर्ट करने के लिए और आवश्यक एहतियाती उपाय बरतने के लिए लोगो को प्रेरित करने की दृष्टि से स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

हमीरपुर (हि० प्र०) में एक नया विकास खंड बनाये जाने की योजना

7722. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हमीरपुर जिले (हि० प्र०) में एक नया विकास खंड, जिसका मुख्य कार्यालय लाउनी देवी होगा, खोलने के बारे में प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख की उच्चतर शिक्षा का पुनर्गठन

7723. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, सामज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख की उच्चतर शिक्षा संस्था में पुनर्गठन पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान ने, जो पहले दिल्ली प्रशासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली एक संस्था थी, 31 मार्च, 1971 से काम करना बन्द कर दिया है। इसके बंद हो जाने के पश्चात्, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, पहली अप्रैल, 1971 से एक विशेष केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया है। विशेष केन्द्रीय विद्यालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विचार किया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना के पास दूध के टोकनों के विचाराधीन आवेदन-पत्र

7724. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क), सरकार को जनवरी, फरवरी और मार्च, 1973 में क्रमश: दूध के टोकनों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) क्या सरकार इन टोकनों को देने के लिए कोई प्राथमिकता निश्चित करती है; यदि हां, तो इन प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1973 में कितने टोकन जारी किए गए और क्या ये टोकन किसी प्राथमिकता के आधार पर दिए गए थे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) द ल
जारी करने के लिए निम्न प्रकार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :—

जनवरी,	1973	1893
फरवरी,	1973 . .	1801
मार्च,	1973 . .	2206

(ख) जी हां। दूध के टोकन जारी करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के पास प्राप्त होने वाले सभी आवेदन-पत्र उचित श्रेणियों के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाते हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) वी० आई० पी०

(2) स्वास्थ्य संबंधी कारण

(3) रक्षा कार्मिक

(4) सरकारी अधिकारी

(5) अन्य सरकारी कर्मचारी

(6) विशेष परिस्थिति कोटा

(7) सामान्य

(ग) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1973 के दौरान विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उनकी आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 826 टोकन जारी किए गए थे ।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं

7725. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और इसकी विभिन्न ऐजेन्सियां कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही हैं;

(ख) क्या ये पत्रिकाएं अपना खर्च निकाल रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख) और (ग) : मंत्रालय 5 पत्रिकाएं प्रकाशित करता है :

दी एजूकेशन क्वाटरली	(अंग्रेजी)
कल्चरल फोरम	(अंग्रेजी)
संस्कृति	(हिन्दी)
शिक्षा विवेचन	(हिन्दी)
इंडियन एजूकेशन एबस्ट्रेक्ट्स	(अंग्रेजी)

ये पत्रिकाएं अपना खर्च आप नहीं निकालतीं। जो पत्रिकाएं मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती हैं वे अधिकांश व्यावसायिक स्वरूप की हैं तथा ये उन लोगों के लिये उपयोगी है जो शैक्षणिक कार्य, अनुसंधान कार्य तथा खासकर अध्यापन कार्य के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इसलिये वे व्यापारिक आधार पर नहीं चलाई जाती और उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपना खर्च आप निकालें। जो पत्रिकाएं मंत्रालय की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं उनसे सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विभिन्न एजेन्सियों से सूचना प्राप्त होने पर एक समेकित उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भंडागार निगम द्वारा कूच बिहार में भेदभाव

7726. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडागार निगम के कूच बिहार गोदाम में केवल बड़े व्यापारियों को अपना माल रखने की अनुमति दी जाती है जब कि छोटे किसानों तथा व्यापारियों आदि को यह अनुमति नहीं दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार बड़े व्यापारियों के माल तथा वस्तुओं का गोदाम में रखा जाना सीमित करने या उस पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) भाण्डागार-योजना में भाण्डागार चलाने के लिए माल स्वीकार करनें और व्यक्तिगतों, सहकारी समितियों और अन्य संस्थाओं द्वारा भण्डारण के लिए लाई गई कृषि पैदावार, खाद, उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण और अधिसूचित जिन्सों को लेने की व्यवस्था है। स्थान की उपलब्धता के अनुसार "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर सरकारी क्षेत्र संगठन, सहकारी समितियों, उत्पादकों, व्यापारियों ओर व्यक्तिगतों के माल स्वीकार किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के उर्वरकों के वितरण को अपने हाथ में लेना

7727. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उर्वरक पूल सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के उत्पादन के पूरे वितरण को अपने हाथ में लेने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय सरकारी उर्वरक कम्पनियों के सभी विपणन तथा संवर्धन कर्मचारियों को खपा लेगा ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उर्वरक वितरण सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में विपणन तथा संवर्धन कार्य के इस अन्तरण की सिफारिश की थी ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

100 Bed Hospitals in Adivasi areas of Madhya Pradesh

7728. SHRI DHAN SHAH PRADHAN :

Will the MINISTER of HEALTH and FAMILY PLANING be pleased to state :

(a) the number of existing 100 bed hospitals in Adivasi areas of Madhya Pradesh ;

(b) the number of additional such Hospitals proposed to be opened in those areas during the Fifth Five Year plan ; and

(c) Whether the Government of Madhya Pradesh had sought certain amount of funds from the centre, if so, Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANING (SHRI A. K. KISKU)

(a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

दिल्ली में राष्ट्रीय अनुशासन योजना इंस्ट्रक्टरों को खपाने के लिए पद बनाना

7729. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संकृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राष्ट्रीय अनुशासन योजना के इंस्ट्रकटरों को खपाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने 339 पद बनाए हैं और उन्हें शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के समान रखा है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के इंस्ट्रकटरों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों को खपाने और उन्हें सुपरवाईजरों के सामने रखने के लिए सरकार का विचार शिक्षा निदेशालय में और अधिक पद बनाने का है ताकि केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय अनुशासन योजना के इंस्ट्रकटरों का विकेन्द्रीयकरण किया जा सके और राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कर्मचारियों को राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के सम्बद्ध शिक्षा विभागों को सौंपने के बारे में किए गए निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बस रूट संख्या 29-ए का रद्द किया जाना

7730. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत बस रुट संख्या 29-ए को एक पक्षीय आधार पर रद्द किया गया था जिसके फलस्वरूप बस यात्रियों को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या 25 वर्ष पुराने रूट को पुन: शुरू करने का निगम का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) से (ग) : जी, नहीं । मुख्य दिल्ली-आगरा सड़क (रा० रा० चार०) पर ईश्वर नगर से जो 29-ए का बस मार्ग फ्रैंडस कालोनी, हरिनगर आश्रम, श्री निवासपुरी, लाजपत नगर, डिफेंस कालोनी, जंगपुरा मार्किट, भोगल, निजामुद्दीन, सुंदर नगर, सुप्रीम कोर्ट, तिलक ब्रिज, इंकमटैक्स आफिस, दिल्ली गेट, दरियागंज तथा लाल किले से होता हुआ जाता है, 1961 में शुरु किया गया । बसें ओखला इंडिस्ट्रियल एस्टेट प्रवेश द्वार तक, जो कि ईश्वर नगर से लगभग 2 कि० मी० दूर है, नहीं लेजाई जा सकी क्योंकि वहां पर दिल्ली-आगरा सड़क जक्शन और उस एस्टेट के प्रवेश द्वार के बीच एक रेलवे समपार है । परंतु, 1965 में बस सेवाएं ईश्वर नगर से ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट पहुंच मार्ग तक बढाई गयी । बाद में रेलवे समपार से बचने के लिए श्रीनिवासपुरी और लाजपत नगर के बीच ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट को रिंग रोड से जोड़ती हुई एक नयी सड़क बनायी गयी । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सड़क पर, सूरज पर्वत नाम की एक कालोनी (केलाश के उत्तर में) भी बनायी है । ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट और दिल्ली परिवहन निगम के कालकाजी डिपो के बीच गोविंद वल्लभ पंत पोलिटैक्निक नाम के एक शैक्षणिक संस्थान की भी स्थापना की गई । सूरज पर्वत के निवासियों तथा गोविंद वल्लभ पंत पोलिटैक्निक के विद्यार्थियों से बस सुविधाओं की व्यवस्था के लिए मांगें प्राप्त हुई । उपरोक्त नवनिर्मित सड़क का लाभ उठाते हुए जिस पर

रेलवे समपार नही पड़ता है, 4-6-1972 से 29-ए के बस मार्ग में थोड़ा सा संशोधन किया गया तथा बसों का परिचालन कालकाजी डिपो, गोविंद बल्लभ पंत पोलिटेक्निक, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, सूरज पर्वत, लाजपत नगर मोड़, श्री निवासपुरी, हरिनगर आश्रम, भोगल, निजामुद्दीन से होता हुआ और फिर अपने मूल मार्ग पर शुरू हुआ। 29-ए का संशोधित बस मार्ग अब उन क्षेत्रों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है जिन्हें पहले यह नहीं मिलती थीं और जिन व्यक्तियों के लाजपत नगर से पहले 20 पैसे किराया देना पड़ता था, उन्हें अब छोटे रास्ते से जाना होता है जिसके लिए किराया 15 पैसे है। बसें, यात्रियों को उनके कार्य स्थान से काफी दूर उतारने की बजाय, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट से होते हुए चलती हैं। जो यात्री पुराने मार्ग के अंतर्गत जंगपुरा मार्किट तथा लाजपत नगर के बीच बस सेवाओं का लाभ उठाते थे, उन्हें 24-ए की वैकल्पिक बस सेवा उपलब्ध की गयी हैं। इस तरह, इन व्यक्तियों को उपलब्ध सीधा योजक मार्ग यथावत ही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ई० 223-217 मार्ग को मोटर-योग्य सड़क द्वारा मुख्य मार्ग से मिलाना

7731. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने 1971 में स्पष्ट आश्वासन दिया था कि ई० 223-217 मार्ग को मोटर-योग्य सड़क द्वारा मुख्य मार्ग से मिलाया जायेगा ;

(ख) क्या अब तक आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया गया और इसके स्थान पर कच्चा मार्ग बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण उक्त आश्वासन को पूरा करने तथा वहां के निवासियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) से (ग) : मार्ग जहां स्थित है उस कालोनी के नाम का उल्लेख न होने के कारण इस विषय में सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी।

राष्ट्रीय विज्ञान योग्यता अनुसंधान छात्रवृत्ति

7732. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1970 तथा 1971 में राष्ट्रीय विज्ञान योग्यता अनुसंधान छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को बी० एस० सी० कक्षा के लिये 100 रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति मिल रही है;

(ख) क्या सन् 1972 तथा इससे बाद के लिये दी गई छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 150 रूपये प्रति मास कर दी गई है जिसके फलस्वरूप कनिष्ठ छात्रों को वरिष्ठ छात्रों की अपेक्षा अधिक छात्रवृत्ति मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह विषमता दूर करने का है और 1970 तथा 1971 मे जिनको छात्रवृत्ति मिली थी उनकी राशि को बढ़ाकर 150 रु० प्रति मास करने का है ताकि वरिष्ठ छात्रों के प्रति भेदभाव न हो ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग): समय-समय पर छात्रवृत्तियों की राशि को बढ़ाते रहने के कारण, सरकार के ध्यान में कुछ

ऐसी असंगतियां आई हैं कि नए छात्रवृत्ति प्राप्त कर्त्ताओं की तुलना में कुछ पुराने छात्रवृत्ति पाने वालों को छात्रवृत्ति की कम राशि मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की संबंधित समितियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी का विकास

7733. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** पश्चिम दिल्ली की शंकर गार्डन कालोनी की कमियों को दूर करने के बारे में 4 दिसम्बर, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 295 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण और आवास मंत्री द्वारा सभा में दिए गए स्पष्ट आश्वासन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शंकर गार्डन कालोनी के विकास हेतु दिल्ली नगर निगम को मनाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या प्लाटधारियों की बहुत अधिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण इस बारे में प्रभावी कार्यवाही करेगी?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : कार्य का निष्पादन आरम्भ करने के लिए शंकर गार्डन कालोनी के निवासियों ने दिल्ली नगर निगम के पास शेष राशि जमा नहीं कराई है।

सलाया पत्तन का विकास

7734. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सलाया पत्तन के विकास संबंधी कार्य शुरू करने पर विचार करेंगे ताकि जामनगर जिले के दुर्भिक्ष से प्रभावित लोगों को रोजगार मिल सके;

(ख) यदि हां, तो कार्य शुरू किए जाने की कब तक सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सलाया गुजरात में एक छोटा पत्तन है तथा छोटे पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने सलाया पत्तन के विकास के लिए कार्य शुरू करने पर अभी तक विचार नहीं किया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में विचारार्थ सलाया के समीप सुपर टैंकरों के लिए तट से दूर तेल के गंतव्य स्थान सहित खुले माल की धराउठायी के लिए एक गहरे डुबाब की साधे धाटीय पत्तन के विकास के लिए प्रस्ताव किया है। पांचवीं योजना में छोटे पत्तनों के लिए केन्द्रीय सहायता की मात्रा पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खजूर के पेड़ों का लगाया जाना

7735. **श्री लालजीभाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर क्षेत्रों में खजूर के पेड़ लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में खजूर के पेड़ लगाने से वहां पर पर्याप्त विकास तथा प्रगित होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बागवानी संबंधी वैज्ञानिक पैनल की सिफारिशों के अनुसार डा० जे० एस० जवन्दा, वरिष्ठ बागवानी-विशेषज्ञ, प्रादेशिक फल अनुसंधान केन्द्र, अबोहर को खजूर के वृक्ष लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने और अनुसंधान संबंधी अवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये राजस्थान भेजा गया था।

(ख) सिफारिश की गई है कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में खजूर के वृक्ष उगाने की सम्भावनाएं मौजूद है और कोई बड़ी परियोजना शुरू करने से पहले खजूर के वृक्षों को प्रयोगात्मक आधार पर उगाया जाना चाहिए।

(ग) राजस्थान सरकार खजूर की खेती के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एक अनुसंधान परियोजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

Dtc Bus Service in Delhi

7736. SHRI CHANDU LAL CHANDRAKAR : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether citizens in Delhi have still to wait for hours to get D.T.C. buses;

(b) whether one has to wait for hours for buses having a frequency of 20 or 22 minutes;

(c) whether thousands of commuters have to stand in queues in the mornings and evenings waiting for buses; and

(d) if so, reasons for which proper arrangements for buses have not been made so far keeping in view growing population of Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI M.B. RANA): (a) to (d) It is not true that, in Delhi, commuters have to wait for hours together to get a bus, though it is possible that the frequency of bus services on certain routes and during certain hours may not be adequate to meet the entire demand of the people served by those routes. Considerable improvement has been made in the bus services since 3-11-1971, when a statutory Corporation was established to manage the city transport services. As against a fleet of 1366 buses on 31-10-71, out of which 352 were more than eight years old, the number of buses, as on 31-3-1973, increased to 1514 of which 400 are more than eight years old. The number of buses on road also increased from 1118 to 1373 during the same period. This has made it possible for the Corporation to operate 2648 additional trips daily. In order to improve the services further, orders have also been placed for 425 additional buses, which will be added to the fleet during 1973. It is also proposed to acquire 2270 new buses during the Fifth Plan period. In Delhi, most of the Government Offices and commercial establishments have practically the same opening and closing timings. In order to meet the heavy rush, a large number of special trips are being provided from the residential colonies in the morning and from office complexes and market places in the evening. At most of the important stands, traffic supervisory staff is also posted to ensure smooth clearance of traffic. In case of inadequacy of buses on any particular route, additional buses are detailed through the Central Control Room which is connected with wireless communication system and telephone lines.

संथाली भाषा सम्मेलन

7737. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संथाली भाषा सम्मेलन गत दो वर्षों से लगातार बिहार के जिला संथाल परगना के पाकुर स्थान पर होते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) क्या आयोजकों ने सरकार से कोई अनुदान प्राप्त किए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1971-72 के दौरान, बिहार के जिला संथाल परगना में पकुर नामक स्थान पर कोई संथाली सम्मेलन नहीं हुआ था। किन्तु, उक्त स्थान पर 19, 20 और 21 जनवरी, 1973 को, संथाली साहित्य तथा सांस्कृतिक संस्था, कलकत्ता के तत्वावधान में संथाली भाषा, साहित्य तथा संस्कृति पर एक सेमिनार आयोजित हुआ था;

(ख) सेमिनार की मुख्य सिफारिशों का संबंध इन बातों से है; सरकार तथा जनता दोनों द्वारा संथाली भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग, भारत के संविधान में, राष्ट्र भाषा के रूप में संथाली को शामिल करना ; संथाली लेखकों के लेखों को समुचित मान्यता देना; संथालों से संबंधित न्यायिक मामलों में रोमन लिपि में संथाली भाषा का प्रयोग; बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में द्वितीय राज्य भाषा के रूप में संथाली को मान्यता देना; संथाली में प्रसारण के लिए अधिक समय देना और भारत की सभी आदिम जातीय भाषाओं के विकास के लिए, एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना।

सेमिनार ने, संथाली भाषा को लिखने के लिए पंडित रघुनाथ मरमु द्वारा रचित, "ओल चिकी" नामक लिपि के नए रूप का भी स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि यह यथा समय पूर्ण परिपक्वता तथा पूर्णता को प्राप्त होगी।

(ग) जी हां।

संथाली भाषा के लिए ओ० एल० लिपि का प्रयोग

7738. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रघुनाथ मरमु ने भारत भर में समान रूप से प्रयोग के लिए संथाली भाषा के लिए ओ० एल० लिपि बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो इस लिपि के व्यापक रूप में उपयोग में लाने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार की वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की है?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस लिपि के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए, सरकार को वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता हेतु, कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु सरकार ने बिहार में पकुर नामक स्थान पर, जनवरी 1973 में संथाली भाषा और साहित्य पर आयोजित एक सेमिनार के लिए, हाल ही में एक स्वैच्छिक संगठन को अनुदान दिया है। सेमिनार ने संथाली लिखने के लिए रोमन लिपि को अपनाने की सिफारिश करते हुए एक संकल्प पारित किया था।

युवकों तथा अविवाहितों के नसबन्दी आपरेशन

7739. **श्री कार्तिक उरांव** :

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम के लाभ के बारे में शिक्षित तथा संतुष्ट करने के बजाय लोगों को चकमे दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है जो 18 के लगभग की आयु के युवकों तथा अविवाहित लोगों के नसबन्दी आपरेशन करते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रकार की सभी शिकायतों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है।

फैजाबाद उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय का खोला जाना

7740. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से फैजाबाद में एक कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया; और

(ग) क्या सरकार फैजाबाद उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय के कब तक खोले जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकारों की परिधि में आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 1973 में सूचित किया है कि उन्होंने फैजाबाद में तत्काल एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है। भारत सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने के बारे में निर्णय करने से पहले यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे मान्यता प्रदान करे। तथापि सरकार को इस प्रकार की सहायता का कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) यह राज्य का मामला है और उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इस बारे में कार्यवाही कर रही है।

चावल अनुसंधान संस्थान, फैजाबाद, उ० प्र० को आवंटित राशि

7741. **श्री आर० के० सिन्हा** :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान फैजाबाद स्थित चावल अनुसंधान संस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) इस संस्थान की क्षमता और कार्यकरण में सुधार करने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) चावल अनुसन्धान संस्थान, फैजाबाद को वित्तीय सहायता मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार ने चौथी योजना अवधि के लिये 4968400.00 रुपये की राशि आवंटित की है जिसमें से 1972-73 के लिये 1675200.00 रुपये की राशि दी जा चुकी है और 1973-74 के लिये 1153100.00 रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के वित्तीय आबंटनों के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पूरी चौथी योजना अवधि के लिये 689484.00 रुपये की राशि आबंटित की है जिसमें से 1972-1973 के लिये 140000.00 रुपये की राशि दी जा चुकी है। वर्ष 1973-74 के दौरान इस केन्द्र के लिये 116700.00 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) पांचवीं योजना की अवधि के दौरान राज्य सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा इस केन्द्र को उपयुक्त ढंग से सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में स्कूल न जाने वाले 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे

7742. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री शशि भूषण :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को माता पिता द्वारा अनिवार्यतः स्कूल भेजने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या लोक सभा के चालू सत्र के दौरान इस बारे में कोई विधेयक पेश किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 6-11 आयु वर्ग के बच्चों में लगभग 6 प्रतिशत बच्चे सामाजिक आर्थिक कारणवश स्कूल नहीं जा रहे हैं ।

(ख) दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1960 में दिल्ली संघ क्षेत्र में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है । तथापि, सामाजिक आर्थिक कारणवश, इस अधिनियम का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है । स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए, सभी उत्साहवर्धक उपाय, जिनमें प्रेरणा देना भी शामिल है, उठाए जा रहे हैं । दाखिला चाहने वाले बच्चों की मांग पूरी करने के लिए, नए प्राथमिक स्कूल खोले जाते हैं और विद्यमान स्कूलों में नई कक्षाएं भी शामिल की जाती हैं ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रमाण-पत्र को अनिवार्य बनाना

7743. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के एक उपाय के रूप में सभी महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र लगाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत कुछ खाद्य पदार्थों जैसे घी, मक्खन, खाने वाले तेल, मसाले, शहद, हींग, खाने वाले रंग, तथा खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाली अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति केवल एगमार्क अथवा भारतीय मानक संस्थान जैसी किसी सरकारी प्रमाणक एजेन्सी द्वारा प्रमाणन के पश्चात् दी जाएगी । सम्बन्धित प्राधिकरणों के विचार प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा ।

उड़ीसा और आन्ध्र के भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून

7744. **श्री शशि भूषण :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने भूमि की अधिकतम सीमा आदि के बारे में प्रगतिशील कानून पारित किए ;

(ख) इन दोनों राज्य सरकारों द्वारा ऐसे कानून कब पारित किए गए थे और भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए यह कानून कब भारत सरकार को भेजे गए थे ; और

(ग) ये कानून भारत के राष्ट्रपति को कब भेजे गए थे और क्या उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जा चुकी है और उक्त निर्णय की सूचना सम्बद्ध राज्य सरकारों को कब दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तक आन्ध्र प्रदेश के लिए भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित विधेयक राज्य विधान सभा द्वारा 5 सितम्बर 1972 को और विधान परिषद् द्वारा 13 सितम्बर, 1972 को पारित किया गया था। यह विधेयक 16 सितम्बर, 1972 को भारत सरकार के पास भेजा गया था। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृत 1 जनवरी, 1973 को प्राप्त हुई।

उड़ीसा का भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक वहां राष्ट्रपति का शासन लागू होने से पहले पारित नहीं किया जा सका था इस लिए इस सम्बन्ध में प्रश्न में दिए गए बाद के कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन के ड्राइंग और संगीत अध्यापकों के लिए पी० जी० टी० वेतनमान

7745. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1972 के आदेशों के अनुसार सरकार ने ड्राइंग और संगीत के अध्यापकों के लिए पी० जी० टी० वेतनमान स्वीकृत किया है ;

(ख) क्या इसके बाद सरकार ने दिल्ली प्रशासन को तदर्थ आधार पर पदोन्नति करके ड्राइंग संगीत आदि के अध्यापकों को पी० जी० टी० वेतनमान देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेश दिया है ; और

(ग) क्या दिनांक 31 मई, 1972 के उन आदेशों को क्रियान्वित किया जाएगा, जिन पर अभी तक अमल नहीं किया गया है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध आर० पी० सिंह की याचिका पर दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक काडर और विशेष काडर से पदोन्नति के अनुपात के सम्बन्ध में निर्णय दिए जाने के बाद तथा/अथवा स्थागन आदेश रद्द किए जाने के बाद ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, दरियागंज, दिल्ली में सुविधायें

7746. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय, दरियागंज, दिल्ली में बिजली बार-बार फेल हो जाती है, जिससे मरीजों, डाक्टरों और काम करने वाले कर्मचारियों को भारी असुविधा होती है;

(ख) क्या वहां पेशाबघर, शौचालय और पानी जैसी मूल सुविधाओं की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने इन सुविधाओं की व्यबस्था करने के लिए और बिजली के वर्तमान तारों के बहुत पुराने होने के कारण बिजली की तारों को बदलने के लिए सरकार से अनेक बार अनुरोध किया है; और

(घ) इस आवश्यक अनुरोध को अब तक स्वीकार न करने के क्या कारण हैं और उक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा बिजली की तारों को बदलने के लिए कब मंजूरी दी जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) बिजली के बार-बार चले जाने की ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, किन्तु दरियागंज क्षेत्र में कभी-कभी बिजली बन्द हो जाया करती है जिसका औषाधालय पर भी असर पड़ता है ।

(ख) से (घ) पेशाबघर, शौचालय और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से ही इस औषधालय में उपलब्ध हैं । वैसे, ग्रीष्म ऋतु में दरियागंज इलाके में पानी की कमी एक आम कठिनाई है । इसका कभी-कभी औषधालय पर भी असर पड़ता है । इस असुविधा को दूर करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को पहले ही 'बूस्टर पम्प' की व्यवस्था करने के लिए लिखा गया है । इस औषाधलय में हैण्ड पम्प की भी व्यवस्था है ।

बिजली के तारों में दोषों को नई तारें लगाकर अथवा अन्य उपायों द्वारा दूर करने का कार्य पहले ही केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आरम्भ कर दिया है । केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की सम्भावना है ।

दिल्ली में उर्दू माध्यम वाले स्कूल

7747. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में दिल्ली में सरकार/स्थानीय निकायों से मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त प्राप्त कुल कितने प्राइमरी, मिडिल और हायर-सैकेन्डरी स्कूल थे और वर्ष 1970, 1971 और 1972 में इन स्कूलों में कुल कितने छात्र और छात्रायें अध्ययन कर रहे थे ;

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित स्कूलों में से कितने स्कूल उर्दू माध्यम के थे और वर्ष 1970, 1971 और 1972 में दिल्ली में उर्दू माध्यम के स्कूलों में कितने छात्र और छात्रायें एवं अध्यापक थे; और

(ग) वर्ष 1973 के दौरान दिल्ली में अधिक संख्या में स्कूल खोलने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ख) अधिक स्कूल खोलने के संबंध में प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

विवरण

		1970	1971	1972
(क) प्राथमिक स्कूल		941	1358	1417
मिडिल स्कूल		472	419	416
उच्चतर माध्यमिक स्कूल		453	477 (आई० सी० एस० स्कूलों सहित)	513
दाखिला:				
प्राथमिक स्कूल	लड़के	169607	214627	228115
	लड़कियां	108549	176159	189179
	जोड़	278156	390786	417294
मिडिल स्कूल	लड़के	117279	55671	53578
	लड़कियां	98952	40184	39031
	जोड़	216231	95855	92609
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	लड़के	187267	195866	204820
	लड़कियां	129769	136797	154913
	जोड़	317036	332663	350733
(ख) उर्दू माध्यम स्कूलों की संख्या				
प्राथमिक स्कूल . .		34	36	35
मिडिल स्कूल . .		11	11	12
उच्चतर माध्यमिक स्कूल .		5	5	5
उर्दू माध्यम स्कूलों में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों की संख्या :				
प्राथमिक स्कूल .		9643	10789	11783
मिडिल स्कूल .		3515	2476	2613
उच्चतर माध्यमिक स्कूल		3649	3985	4039
अध्यापकों की संख्या				
प्राथमिक स्कूल		193	245	269
मिडिल स्कूल .		137	87	89
उच्चतर माध्यमिक स्कूल		150	156	161

पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली के दुकानदारों को दुकानों का निर्माण करने के लिए वित्तीय साहयता

7748. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली के उन दुकानदारों को वित्त उपलब्ध करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिन्हें आजादपुर मण्डी, दिल्ली में दुकानों के निर्माण के लिए भू-खण्ड आवंटित किए गए हैं और जिनके लिए उक्त प्रयोजनार्थ अन्य स्रोतों से धन जुटाना बहुत मुश्किल है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्य नहीं है कि वह निर्माणार्थ धन भी उपलब्ध करें ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं ।

(ख) दुकानों के निर्माण के लिए ऋण देना दिल्ली विकास प्राधिकरण का कर्तव्य नहीं है । आवंटी ऋण के लिए भारत के जीवन बीमा निगम अथवा बैंकों को आवेदन कर सकते हैं ।

चीनी सम्बन्धी स्थायी नीति

7749. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कभी नियन्त्रण करके और फिर नियन्त्रण समाप्त करके चीनी संबंधी अपनी नीति में बार-बार परिवर्तन करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में किसी स्थायी नीति का पालन करने की कोई योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) गन्ने के उत्पादन में घट-बढ़ से मुख्यतया चीनी के उत्पादन में पैदा हुई घट-बढ़ को ध्यान में रखते हुए सरकार (1) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध करवाने; (2) निर्माताओं को उचित लाभ दिलाने; और (3) गन्ना उत्पादकों, जो उद्योग को मूल कच्चा माल उपलब्ध करते हैं, को उपयुक्त प्रोत्साहन देने को सुनिश्चित करने के लिए चीनी नीति की बराबर समीक्षा करती रहती है । आगामी कुछ वर्षों में चीनी की सप्लाई और मांग के बीच संतुलन कायम करने के लिए खूब सोच-विचार कर और उचित रूप से समाकलित दीर्घकालीन नीति अपनायी गई है । इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें लोक सभा में 29 अगस्त 1972 को घोषित की गई थीं ।

मोटे अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले-जाने पर रोक के बारे में प्राप्त हुए अभ्यावेदन/सुझाव

7750. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले-जाने पर लगाई गई रोक के बारे में सरकार को अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा परिकल्पित जमाखोरी और सरकारी एजेन्सियों द्वारा मोटे अनाजों की अभिप्राप्ति करने की दृष्टि से सरकार ने खरीफ मौसम 1972-73 के शुरू में नीति रूप में यह निर्णय किया कि गैर-सरकारी खाते पर मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय और अन्तर जिला संचलन पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए । तदनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित आदेशों को जारी करने की मंजूरी दे दी थी ।

उत्तर प्रदेश के लिए अनाज का कोटा

7751. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का अनाज का कोटा कम कर दिया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप राज्य में खाद्यान्न की गम्भीर कमी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की सीमित उपलब्धि को देखते हुए और उत्तर प्रदेश राज्य में रबी मौसम के शुरू होने से राज्य को सरकारी वितरण प्रणाली की उचित जरूरत पूरी करने के लिए उसे अप्रैल, 1973 के लिए गेहूं का कम कोटा आवंटित किया गया था ।

दिल्ली प्रशासन के अधीन उप-शिक्षा निदेशक (खेलकूद) का पद

7752. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन उप-शिक्षा निदेशक (खेलकूद) का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त पद को विज्ञापित किया गया था और उक्त पद के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया और कितने उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं । पद पर, संघ लोक सेवा आयोग के जरिए, नियमित आधार पर 10-4-73 से नियुक्ति की गई थी ।

(ख) पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हताएं निम्नलिखित हैं :--

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा उसके समकक्ष,

2. किसी मान्यताप्राप्त कालेज अथवा विश्वविद्यालय की शारीरिक शिक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा, और

3. खेलों के क्षेत्र में लगभग 7 वर्ष का संगठनात्मक और प्रशासकीय अनुभव।

(ग) जी, हां। 112 उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र भेजे थे और उनमें से 11 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अधिकारी के वेतनमान

7753. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में विशेष संवर्ग के लिए शर्तों का निर्धारण करते समय दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में कुछ शारीरिक शिक्षा अधिकारियों के वेतन-मान अधिक दिखाये गये थे; और

(ख) यद हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन के अधीन वरिष्ठ विद्यालय निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा) के पद

7754. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन वरिष्ठ विद्यालय निरीक्षक (शारीरिक शिक्षा) कुछ पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों की संख्या कितनी है और इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1970-71 के दौरान बनाए गये वरिष्ठ स्कूल निरीक्षक/निरीक्षिकाओं (शारीरिक शिक्षा) का केवल एक पद खाली पड़ा है।

(ख) एक जून/जुलाई, 1970 में जब दिल्ली नगर निगम के मिडिल और उच्च माध्यमिक स्कूलों को प्रशासन द्वारा लिया गया था, दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रशासन को स्थानान्तरित किये जाने वाले एक अधिकारी हेतु यह पद बनाया गया था। क्योंकि अधिकारी नहीं आया इसलिए पद खाली रहा।

झूठे कृषि सुधार नामक समाचार

7755. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "शेम एग्रेरियन रिफार्म्स . . . . राजस्थान गवर्नमेन्ट मारगेज्ड टू फयूडल्स एण्ड कुलक्स (झूठे कृषि सुधार. . . . राजस्थान सरकार सामन्त वादियों और कुलकों के पास गिरवी रखी हुई है)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राजस्थान पट्टेदारी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत एक परिवार के लिये जोत की अधिकतम सीमा 30 स्टैन्डर्ड एकड़ निर्धारित की गई थी । यह सीमा विभिन्न श्रेणियों की भूमि के लिए 22 से 336 एकड़ के बीच निर्धारित की गई है । इस वर्ष जनवरी में जारी किये गये अध्यादेश तथा उसके बाद पास किये गये अधिनियम के अन्तर्गत एक परिवार के लिए जोत की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है :—

अधिकतम सीमा का स्तर	1973 के अध्यादेश के अनुसार	1973 के अधिनियम के अनुसार
1. वर्ष में कम से कम दो फसल उगाने योग्य सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि	18 एकड़	18 एकड़
2. वर्ष में कम से कम एक फसल उगाने योग्य सुनिश्चित सिंचाई वाली भूमि . . .	27 एकड़	27 एकड़
3. 23 जुलाई, 1972 तक फलोद्यानों के अन्तर्गत आई भूमि	54 एकड़	54 एकड़
4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत न आने वाली तथा अनुसूची के अनुसार उपजाऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि . .	54 एकड़	48 एकड़
5. उपर्युक्त किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाली तथा अनुसूची के अनुसार अर्द्ध-उपजाऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि	54 एकड़	54 एकड़
6. उपर्युक्त किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाली तथा पहाड़ी क्षेत्र की भूमि .	54 एकड़	75 एकड़
7. उपर्युक्त किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाली तथा अर्द्ध-मरु क्षेत्र वाली भूमि .	150 एकड़	125 एकड़
8. उपर्युक्त किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाली तथा मरु क्षेत्र वाली भूमि . . .	200 एकड़	175 एकड़

किसी परिवार या व्यक्ति के लिए जोत की अधिकतम सीमा की गणना करते समय, 1 जनवरी, 1973 से पहले किये गये वास्तविक हस्तान्तरण के सिवाय, 26 सितम्बर, 1973 को या उसके पश्चात् विक्रय, उपहार, अदला-बदली, दस्तावेज, सुपुर्दगी, वसीयत, न्यास निर्माण या अन्य रूप में किये गये हस्तान्तरणों को मान्य नहीं समझा जायेगा।

राजस्थान विधान सभा ने अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह में समाप्त होने वाले अपने अधिवेशन में पहाड़ी क्षेत्रों में जोत की अधिकतम सीमा 75 एकड़ (जैसे कि अधिनियम में व्यवस्था की गई थी) से घटा कर 54 एकड़ निर्धारित करने के लिए अधिनियम में संशोधन

कर दिया है । यह भी व्यवस्था की गई है कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत जहां भी जोत की अधिकतम सीमा 1960 के अधिनियम में निर्धारित की गई अधिकतम सीमा से अधिक हो वहां 1960 के अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई सीमा लागू रहेगी । संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि 1973 का संशोधित अधिनियम, केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही है और आशा है कि राजस्थान सरकार सहित सब राज्य सरकारें भूमि सुधारों को तेजी से क्रियान्वित करेंगी ।

"हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित इण्डियन हाकी फेडरेशन के सचिव का वक्तव्य

7756. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' में "इट इज टाइम आल आफ अस गेट आउट सेज आई०एच० एफ० सेक्रेटरी" (यही समय है कि हम सब अपने पदों को छोड़ दें---इण्डियन हाकी फैडेरेशन के सचिव का वक्तव्य) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है । भारतीय हाकी संघ एक निजी स्वैच्छिक संगठन है तथा इस समाचार का मुख्य संबंध भारतीय हाकी संघ के अन्दरुनी विवाद से है, जिसके तथ्यों से संघ ही अच्छी तरह से अवगत है ।

इस समाचार पर कार्रवाई करना या न करना संघ पर ही निर्भर करता है ।

नेशनल काउन्सिल आफ यूनिवर्सिटी स्टूडेन्टस आफ इण्डिया से सम्बद्ध विश्वविद्यालय छात्र संघ

7757. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल काउन्सिल आफ यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स आफ इण्डिया' (एन० सी० यू० एस० आई०) नामक संगठन से कौन-कौन से विश्व विद्यालय छात्र संघ सम्बद्ध हैं ।

(ख) क्या सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले तीन वर्षों दौरान नेशनल काउन्सिल आफ यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट आफ इंडिया को अथवा उसके द्वारा आयोजित अथवा प्रायोजित किसी कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता दी थी, और

(ग) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Withdrawal of D.T.C. Buses Being Provided to Public Schools

7758. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the bus service in Delhi, which is already unsatisfactory, is also adversely affected as a result of these buses being provided to the public schools; and

(b) if so, whether D.T.C. propose to consider the question of not providing buses to these schools keeping in view the above facts and the sound financial position of these schools and if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) and (b) No, Sir. This arrangement does not, in any way, affect the normal services being operated by the Delhi Transport Corporation as the school opening and closing timings coincide with the slack traffic period. Moreover, this also supplements the traffic earnings of the Corporation.

Proposal to Issue 'All-Route' D.T.C. Passes to Government Employees at Concessional Rates

7759. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Delhi Transport Corporation issues 'all route' passes to the students of schools and colleges of Delhi at a concessional rate of Rs. 12·50 and having that pass they are not asked to purchase extra ticket even for their travelling in express buses;

(b) if so, the number of such passes issued as at present;

(c) whether Government would make arrangements for issuing similar 'all route' passes on concessional rates to the Government employees stationed in Delhi also; and

(d) if so, the time by which such passes would be issued and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) Yes, Sir.

(b) 19,536 such passes were issued during March, 1973 as against 21,235 during the one month period from 24-7-72, when this facility was first introduced.

(c) and (d) There is no proposal to extend this facility to any other category of persons as the Corporation has been incurring losses for the past several years.

दिल्ली उच्च न्यायालय भवन के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग

7760. **श्री रामभगत पासवान** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय भवन के निर्माण में घटिया किस्म की निर्माण-सामग्री के प्रयोग के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसके कारण अभी हाल में उच्च न्यायालय भवन की एक छत गिर गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) घटिया सामग्री के प्रयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। छत का गिरना दोषपूर्ण टेक के कारण आकस्मिक था तथा घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण नहीं था। ठेकेदार ने छत के गिरे हुए भाग का पुनः निर्माण कर दिया है ।

(ख) (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, छत के गिरने वाले भाग के पुनः निर्माण के लिए कोई अदायगी नहीं की गई है ।

भवन निर्माण सहकारी समितियों/समूह आवास समितियों को आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा दिया गया ऋण

7762. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने समूह-आवास समितियों (ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज) सहित भवन निर्माण सहकारी समितियों को ऋण देने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को ऋण देने की क्या-क्या शर्तें हैं और उन्हें अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) शर्तें उसी प्रकार की हैं जिन का पालन आवास बोर्डों आदि को ऋण देने के लिए किया जाता है । तथापि, विस्तृत मार्गदर्शन सम्बन्धी अनुदेशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया जाना

7763. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिए जाने से संबंधित 10 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय के कार्यों में छात्रों द्वारा भाग लिए जाने से संबंधित गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रो० एस० नुरुल हसन) : जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों द्वारा भाग लिए जाने के बारे में गजेन्द्र गडकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करते समय ध्यान में रखा गया है । अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के व्यापक वैधानिक प्रस्तावों को तैयार करते समय इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1973 तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में, कोर्ट में छात्रों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है । उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक तथा केरल और कालीकट विश्वविद्यालय विधेयक में भी, जोकि संबंधित राज्य विधान-सभाओं में विचाराधीन हैं, कोर्ट/सीनेट में छात्रों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है ।

दिल्ली में आगे की कक्षाओं में चढ़ाने के संबंध में "रेट कांट्रेक्ट सिस्टम"

7764. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों ने ऊंची कक्षाओं में चढ़ाने के लिये 'रेट कांट्रेक्ट सिस्टम' बना रखा है; और

यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी प्रथा को रोकने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज-भाषा की क्रियान्विति के संबंध में हिन्दी निदेशालय द्वारा की गई प्रगति

7765. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी निदेशालय तथा मंत्रालय के अन्य विभागों ने केन्द्र की राजभाषा के संबंध में संवैधानिक उपबन्धों को क्रियान्वित की दिशा में क्या प्रगति की है;

(ख) क्या हिन्दी के विकास के लिए आयोगों और समितियों को सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो वह कार्य किस अवस्था में है, और

(ग) उक्त विषय पर मंत्रालय की भावी योजनाएं क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है (अनुबन्ध I) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4854/73] ।

(ग) अनुबन्ध I [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4854/73] में उल्लिखित विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रयास तेज करने तथा नई परियोजनाएं विकसित करने का प्रस्ताव है । इनके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं ।

देश में डाक्टरी शिक्षा का भारतीयकरण

7766. श्री रण बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक्टरी शिक्षा के 'भारतीयकरण' का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सरकार का यह विचार है कि वर्तमान चिकित्सा शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के अनुकल करने के लिए उसे नया रूप देने की जरूरत है । इस विषय पर निरन्तर विचार किया जा रहा है । प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में संशोधन करने तथा पूर्व-स्नातक चिकित्सा शिक्षा को देश के अनुकूल बनाने के कुछ सुझाव पहले ही राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और मेडिकल कालेजों को दे दिए गये हैं ।

ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था करने के लिए "पायलट लैण्ड कालौनी"

7767. श्री पी० आर० शैनाय :

श्री राम कंवर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण रोजगार की समस्या हल करने के लिए राज्यों मे "पायलट लैण्ड कालोनीज" की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) उन कालोनियों की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पुस्तिका में भूमि बसाकर लाभकर रोजगार की व्यवस्था करने संबंधी समन्वित योजना के संबंध में जो सुझाव दिया था, वह भारत सरकार के विचाराधीन है । इस योजना के अन्तर्गत 1200 एकड़ के संहत खण्डों में 200 परिवारों की ऐसी बस्तियां बसाने का विचार है, जो वस्तुतः आत्म-निर्भर हों और आगे चलकर स्वावलम्बी सिद्ध हो सकें ।

प्रत्येक जिले में कृषि पोलिटेकनिक की स्थापना करना

7768. **श्री पी० आर० शिनाय :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन के हाल ही में हिसार में हुए चतुर्थ सम्मेलन में प्रत्येक जिले में कृषि पौलिटेकनीक की स्थापना करने के लिए की गई सिफारिश की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) पांचवीं योजना में 50 कृषि पोलिटेकनीकों की स्थापना करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा गया है ।

जिला स्तर पर संग्रहालयों की स्थापना करना

7769. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्वीय वस्तुओं, मूर्तियों और प्राचीन कलात्मक एवं हस्तकौशल वस्तुओं के परिरक्षण के लिए उत्साह तथा रुचि उत्पन्न करने हेतु जिला स्तर पर संग्रहालय की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) केन्द्र द्वारा इस प्रयोजन के लिए किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) नेहरू युवक केन्द्रों के साथ-साथ संग्रहालय स्थापित करने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है ।

कृषि समस्याओं का अध्ययन

7770. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री कुशोक बाकुला :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि की समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समस्याओं के समाधान के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या उपाय किए जाते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : 1970 में स्थापित राष्ट्रीय कृषि आयोग कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में गहन अध्ययन कर रहा है और आगामी 25-30 वर्षों के परिपार्श्व में कृषि विकास के लिए सिफारिशें करेगा ।

संचालन दल और इस द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को तैयार करने के लिए स्थापित कार्यकारी दल बड़ी गम्भीरता से भारतीय कृषि की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं । सभी क्षेत्रों जिनमें आदानों की पूर्ति, कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण, कृषि ऋण, विपणन और मूल्य नीति, भूमि और जल विकास, पशुपालन और डेरी उद्योग, मत्स्य उद्योग और कार्मिक सम्मिलित है तथा कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन के अन्य पहलुओं पर इन दलों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अब तक निम्नलिखित 14 अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं :

1. छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए ऋण सेवायें ।
2. छोटे और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के ज़रिये दुग्ध उत्पादन ।
3. कृषि विश्व विद्यालयों में कृषि मौसम-विज्ञान प्रभागों की स्थापना ।
4. उर्वरक वितरण ।
5. अनाज की अधिक उपज देने वाली और संकर किस्मों के अच्छे बीजों का वर्णन और वितरण ।
6. कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण के कुछ पहलू ।
7. भूमिहीन कृषि मजदूरों के आवास के लिए स्थान ।
8. आलू के बीज ।
9. मृदा सर्वेक्षण और भारत का मृदा मानचित्र ।
10. उत्पादन यांत्रिकी--मानव निर्मित बन ।
11. सिंचाई पद्धतियों का आधुनिकीकरण तथा कमांड क्षेत्रों का समेकित विकास ।
12. समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम ।
13. जिन्स विचार परिषदों और निदेशालयों का संगठन और उनके कार्यकलाप ।
14. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के संगठनात्मक पहलू । इन रिपोर्टों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं । अन्य अन्तरिम रिपोर्टों और आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इनके अतिरिक्त विभिन्न संस्थान जिनमें कृषि विश्वविद्यालय और कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं, भारतीय कृषि के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन में लगे हुए हैं ।

प्रत्येक राज्य द्वारा वसूल किया गया चावल और गेहूं तथा उपभोक्ताओं को उसकी बिक्री के लिए की गई व्यवस्था

7771. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने अब तक गेहूं और चावल के थोक व्यापार को अपने नियन्त्रण में ले लिया है;

(ख) इस समय इन राज्यों ने अलग-अलग कितना स्टाक वसूल कर लिया है;

(ग) उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं की बिक्री के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में चावल और गेहूं के लिए अलग-अलग कितना मूल्य वसूल किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की सप्लाई की जाये; और

(घ) किन-किन राज्यों ने अब तक निर्णय नहीं किया है अथवा उसे क्रियान्वित करने से इन्कार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) गेहूं का थोक व्यापार आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों और चण्डीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दिल्ली के संघ शासित प्रदेशों में ले लिया गया है चावल का थोक व्यापार आगामी खरीफ मौसम में ले लिया जायेगा ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) राज्य सरकारों को केन्द्रीय खाते पर निम्नलिखित मूल्यों पर अधिप्राप्त गेहूं दिया जा रहा है:—

उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए 78 रुपये प्रति क्विंटल । राज्य सरकारें वितरण की स्थानीय लागत को जोड़ने के बाद खपत मूल्य निर्धारित करती हैं । खपत मूल्य 81 रुपये से 95 रुपये प्रति क्विंटल के बीच भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी प्रकार, मौजूदा व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को निम्नलिखित मूल्यों पर अधिप्राप्त चावल भी देती है :—

मोटा चावल	100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर
मध्यम चावल	111 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर
बढ़िया चावल	120 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर
बहुत बढ़िया चावल	128 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर
बढ़िया बासमती	150 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर

राज्य सरकारें वितरण की स्थानीय लागत को ध्यान में रखते हुए अन्तिम खपत मूल्य निर्धारित करती हैं ।

(घ) किसी राज्य ने इस निर्णय को कार्यान्वित करने की मनाही नहीं की है। तथापि, केरल और तमिल नाडु के राज्यों और कुछेक संघ शासित देशों से सुझावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विपणन मौसम 1973-74 (1-4-73 से आगे) के दौरान अधिप्राप्त किए गये गेहूं की मात्राएं

(21-4-73 को तैयार किया गया) (आंकड़े मी० टन में)

राज्य का नाम	वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्रा	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति
असम	68	17-4-73
बिहार	412	18-4-73
गुजरात	3	16-4-73
हरियाणा	13,821	19-4-73
मध्य प्रदेश	27,485	19-4-73
पंजाब	18,641	19-4-73
महाराष्ट्र	3,721	18-4-73
राजस्थान	213	20-4-73
उत्तर प्रदेश	11,624	20-4-73
प० बंगाल	30	15-4-73
दिल्ली	47	20-4-73
चण्डीगढ़	11	18-4-73
जोड़ . . .	76,076	

एक-फसली अनुसंधान स्टेशनों के युक्तिकरण के लिए कृषि वैज्ञानिकों का अनुरोध

7772. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन्** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि एक फसली-अनुसंधान (सिंगल क्रास रिसर्च) स्टेशनों तथा संस्थानों के योगदान पर पुनर्विचार किया जाए;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि सम्पूर्ण कृषि दृष्टिकोण अपनाना है तो एक फसली अनुसंधान स्टेशनों के कार्य का पुनर्विन्यास करना चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की उनकी सिफारिशों पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन एक-फसली संस्थानों ने अपने अनुसन्धान कार्यक्रम का विस्तार किया है, ताकि उन सभी फसलों को अनुसन्धान का लाभ पहुंच सके जिनकी खेती उस फसल विशेष के साथ हेर-फेर की जाती है जिसके लिए वह संस्थान स्थापित किया गया था। उदाहरण के रूप में केन्द्रीय धान अनुसंधान जो देश के

पूर्वी प्रदेश में स्थित है और जहां धान और पटसन की हेर-फेर से खेती की जाती है, पटसन के साथ हेर-फेर करके धान की विभिन्न किस्में उगाने की उपयुक्तता और उपादेयता पर अनुसंधान कार्य हाथ में लिया गया है। इसी तरह बैरकपुर पटसन संस्थान (पश्चिमी बंगाल) आलू, धान और दालों के संबंध में अनुसन्धान कार्य करता है, जोकि पटसन के साथ हेर-फेर करके उगाई जा सकती है। इसका उद्देश्य समग्र रूप से एक ऐसी फसल प्रणाली की खोज करना है और फसल की किस्में और सस्य-विज्ञान पद्धतियां तैयार करना है जो सबसे अधिक लाभप्रद प्रणाली के उपयुक्त हों। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य भी अब बहुफसली खेती प्रणालियों की उपादेयता को प्रदर्शित करना है।

डाक्टरी शिक्षा पद्धति का पुनरीक्षण

7773. **श्री आर० वो० स्वामिनाथन् : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के अध्यक्ष ने डाक्टरी शिक्षा पद्धति का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि, हां, तो क्या उन्होंने डाक्टरी शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य में मेडिकल विश्वविद्यालय संस्थान का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) जी हां, । चिकित्सा शिक्षा पर भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा सितम्बर 1971 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में चिकित्सा शिक्षा की वर्तमान पद्धति का उल्लेख किया था तथा चिकित्सा शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने के लिए प्रत्येक राज्य में चिकित्सा विश्व-विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। फरवरी 1972 में मद्रास में हुए 47 वें अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह तर्क देते हुए कि भारत में चिकित्सा शिक्षा के सुधार की आवश्यकता है तथा प्रत्येक राज्य में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय होना चाहिए जिससे उस राज्य के सभी मेडिकल कालेज संबद्ध किये जायें, इस बात को फिर दुहराया था।

यह सुझाव विचाराधीन है।

गुजरात सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से मोटे अनाज की खरीद

7774. **श्री प्रभुदास पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने विभिन्न राज्यों से 85,000 टन मोटा अनाज खरीदने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी खरीद पर कुल कितना धन व्यय किया जाना है;

(ग) क्या केन्द्र ने इस खरीद में राज्य की सहायता की है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से कितना मोटा अनाज खरीदा गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खरीफ की फसल के असफल हो जाने और बफर स्टाक तैयार करने के इरादे के कारण गुजरात सरकार ने विभिन्न राज्यों से 85,000 मीटरी टन मोटा अनाज खरीदने का निर्णय किया है। लगभग कुल 706 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने पंजाब से राज्य में मक्का के संचलन पर प्रतिबन्ध लागू करने से पूर्व 3000 मीटरी टन मक्का अधिप्राप्त किया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने राज्य से राज्य के आधार पर विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित मात्रा में मोटे अनाज खरीदने में राज्य सरकार की सहायता की है :—

राज्य	जिन्स	मात्रा मी० टन में
उत्तर प्रदेश	ज्वार	5000
तमिल नाडु	मक्का	1200

राज्य ने उत्तर प्रदेश से सहकारी समिति से सहकारी समिति के आधार पर भी लगभग 2000 मीटरी टन बाजरा और 1500 मीटरी टन मक्का खरीदा है।

Suggestions Regarding Amending the Existing Rules of Aligarh Muslim University

†7775. **Sari Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestions from the Committees of Aligarh University for amending the existing rules;

(b) if so, the broad outlines of those suggestions; and

(c) the action taken by Government on those suggestions?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Quota of rationed foodgrains and Sugar for Madhya Pradesh

†7776. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the total quota of rationed foodgrains and sugar decided to be given to Madhya Pradesh by the Central Government during the months of February, March and April, 1973?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : The total quantity of foodgrains and sugar allotted to Madhya Pradesh by the Central Government during the months of February, March and April, 1973, was as under :

(In tonnes)

Foodgrains	Sugar
64,000	34,842·3

महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के लिए समिति का गठन करना

7777. **श्री बेंकारिया** : **क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण जल मार्गों का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के व्यौरे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं, और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) एक समिति बनाई गई है जो इस प्रश्न का अध्ययन करे और उस प्रस्ताव की सिफारिश करे जिस के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए कानून बनाने के लिए विचार किया जाये । यह समिति गंगा-भागीरथी हुगली नदियों का अध्ययन करेगी और सिफारिश करे कि क्या वे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जायें।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम ये हैं :—

(1) श्री पी० एच० त्रिवेदी, निदेशक,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय (अध्यक्ष)

(2) श्री एच० एस० बनर्जी,
मुख्य इंजीनियर और प्रशासक (न० ज० प०)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय ।

(3) श्री एन० गोपालकृष्णन,
उप सचिव (आंतरिक वित्त) नौवहन और परिवहन मंत्रालय ।

(4) श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव,
उप सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उतर प्रदेश सरकार ।

(5) श्री वाई० एन० सिंह,
विशेष कार्य अधिकारी,
लोक निर्माण कार्य, परिवहन लोक स्वास्थ्य,
इंजीनियरी विभाग, बिहार सरकार ।

(6) श्री एच० पी० राजखेवा,
सचिव, परिवहन विभाग,
असम सरकार ।

(7) श्री ए० के० राय,
सदस्य सचिव,
अन्तर्देशीय जल परिवहन,
नौचालन कक्ष,
पश्चिम बंगाल सरकार ।

(ग) समिति को आदेश की तारीख अर्थात् 21-3-73 से 6 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है ।

गिर: गुजरात में वन्य जीवन संरक्षणालय का विकास

7778. **श्री बेकारिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनागढ़ में गिर वन्य जीवन संरक्षणालय के विकास स्थलों पर अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । गिर वन्य प्राणि आश्रयस्थल का विकास सम्बन्धी कार्य फरवरी, 1972 से शुरू हो चुका है ।

(ख) मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि तक की प्रगति नीचे दी गई है :—

(1) 141 किलोमीटर शुष्क कंकरीली दीवार (ड्राई रब्बल वाल) का निर्माण पूरा हो चुका है ।

(2) 17 किलोमीटर क्षेत्र में हरी झाडियां उगाने और दो रोक नाकों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है ।

(3) हरी झाड़ियां उगाने के लिए अग्रिम कार्यवाही भी की गई है ।

(4) कर्मचारियों के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं ।

(5) स्थानीय चरवाहों को आश्रयस्थल छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भारी अन्तर

7779. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से परिवार नियोजन कार्यक्रम के बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भारी अन्तर रहा है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि को अन्य कार्यों अथवा परियोजनाओं पर व्यय कर देते हैं, तो ऐसे दोषी राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की इच्छा के प्रतिकूल राज्य सरकारों ने अधिकांशतः परिवार नियोजन के कर्मचायरियों को स्थायी दर्जा देने के लिए समान कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रम में गतिशीलता लाने और उसे ठीक-ठीक करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं । पिछले चार वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए की गई बजट व्यवस्था तथा अनुमानित खर्च इस प्रकार था :—

	बजट व्यवस्था	अनुमानित खर्च
	(लाख रुपए)	
1969-70 . .	4200.00	3692.52
1970-71	5200.00	4830.58
1971-72 . .	6060.46	6193.05
1972-73	6320.46	7499.33

(ख) ऐसी प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।

(ग) और (घ) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 7 राज्य सरकारों और दो संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली तथा दमन और दीव आदि ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थायी पदों को स्थायी पदों के रूप में बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस विषय पर बाकी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के साथ भी लिखा-पढ़ी की जा रही है।

पंचायत राज संस्था का संविधान में सम्मिलित करना

7780. **श्री राजदेव सिंह**
श्री वरके जार्ज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए सरकार का विचार पंचायती राज संस्था को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी साधन बनाने हेतु इसे संविधान में सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) संविधान के अधीन निदेशक सिद्धांतों में राज्य सरकारों को आदेश है कि "राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें ऐसे अधिकार और सत्ता देने के लिए कदम उठाएगा, जोकि उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होंगे।" यह देश में पंचायती राज के कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बचाव समझा जाता है।

चारों पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क विकास पर पूंजी निवेश

7781. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समान आर्थिक विकास के लिए सड़कों को प्रथम प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए, और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास पर निवेश की प्रतिशतता में निरन्तर कमी के क्या कारण हैं अर्थात् पहली पंचवर्षीय योजना 8.6 प्रतिशत, दूसरी योजना में 6.7 प्रतिशत तीसरी योजना में 6.5 प्रतिशत और चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.5 प्रतिशत ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) नियोजित आर्थिक विकास कार्यक्रम में सड़कों को विकास की पर्याप्त उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अतएव, सड़क विकास पर कुल योजना परिव्यय आर्थिक रूप में एक योजना के बाद दूसरी योजना के लिए बढ़ता जा रहा है और चतुर्थ योजना में यह 871 करोड़ रुपये हो गया है जबकि प्रथम योजना में परिव्यय 135 करोड़ रु० था और इस प्रकार पांचवीं योजना की तुलना में परिव्यय साड़े पांच गुना बढ़ गया।

चतुर्थ योजना में सड़क क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर आवंटित परिव्ययों के अतिरिक्त सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार के लिये केश परियोजना अकाल राहत कार्य और विशेष रोजगार कार्यक्रमों जैसे विशेष कार्यक्रम जैसी कुछ अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत विशेषकर चौथी पांच वर्षीय योजना के दौरान सड़क विकास पर भी काफी धन खर्च किया गया है ।

इस प्रकार सरकार सड़कों के महत्व के संबंध में पूर्णतया जागरूक है और यथासंभव इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक धन का आवंटन कर रही है । तथापि विभिन्न क्षेत्रों के लिए, परिव्यय, कुल योजना परिव्यय के विशिष्ट प्रतिशतता शेयरों के रूप में आवंटित नहीं किया गया है । विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं, योजना कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध साधनों, विकास के विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक दावों आदि जैसे विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए इनका विचार किया जाता है ।

भारत सरकार के मुद्रणालयों के विभिन्न विंगों के वर्क्स मैनेजरों के वेतनमानों में असमानता

7782. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिन्टो रोड प्रैस और नासिक रोड प्रैस के फोटो लिथो विंग के वर्क्स मैनेजर का वेतनमान अपेक्षतया कम संख्या में वर्कर्स होते हुए भी इन्हीं प्रैसों के लैटर प्रैस विंग/फर्म्स विंग के वर्क्स मैनेजर और भारत सरकार के अनेक मुद्रणालयों के समान हैं;

(ख) क्या चंडीगढ़ और भुवनेश्वर के फोटो लिथो प्रैस के मैनेजर का वेतनमान भारत सरकार के अन्य अनेक मुद्रणालयों के उच्चतम अधिकारियों के वेतनमान से अधिक है, यद्यपि इन मुद्रणालयों के कर्मचारियों की संख्या चंडीगढ़ और भुवनेश्वर के प्रैसों के कर्मचारियों की संख्या से चार गुना से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(घ) भारत सरकार के मुद्रणालयों के विंगों के विभिन्न वर्गों के वेतन ढांचे में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । तथापि, पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर के प्रबन्धक के पद को प्रशासनिक कारणों से अस्थायी तौर पर अधोमुख किया गया है ।

(ग) प्रबन्धकों को दिये जाने वाले वेतनमान केवल स्थापना की संख्या के आधार पर नहीं दिए जाते बल्कि परिष्कृत मशीनों के संचालन और अनुरक्षण के प्रभावकारी पर्यवेक्षण के लिए तथा फोटो लिथो खण्ड में उच्च स्तर के मुद्रण तकनीक के लिए भी दिए जाते हैं । लैटर-प्रैस खण्ड में प्रबन्धक को बड़ी संख्या में अधीनस्थ पर्यवेक्षकों की सहायता प्राप्त है । फोटो लिथो खण्ड में ऐसे पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत कम है ।

(घ) लैटर-प्रैस और आफसेट-प्रैस दोनों में विभिन्न श्रेणियों के पदों के वेतनमानों पर तीसरे वेतन आयोग द्वारा विचार किया गया है तथा आयोग की सिफारिश पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारत सरकार के मुद्रणालयों के कार्मिकों की संख्या

7783. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मुद्रणालयों में मुद्रणालयवार कार्मिकों की संख्या क्या है और उनके फोटो लिथो विंगों में जहां कहीं ऐसे विंग हैं, कर्मचारियों की संख्या क्या है; और

(ख) इन मुद्रणालयों का समुचा प्रभार जिन अधिकारियों के हाथों में है उनके वेतनमान क्या हैं और मुद्रणालयों के फोटो लिथो विंगों के प्रभारी अधिकारियों के वेतनमान क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4855/73]

प्रभावी पौधा-संरक्षण प्रणाली के लिए योजना

7784. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृमियों, विनाशकारी कीटों के प्रकोप और पौधों में बीमारियों के कारण प्रति वर्ष देश में फसल का 20 प्रतिशत भाग, जिसका मूल्य 1500 करोड़ रुपये होता है, नष्ट हो जाता है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में हाल ही में पौधों की कुछ नई बीमारियों का पता चला है;

(ग) क्या विनाशकारी कीटों और पौधों की बीमारियों की रोकथाम के लिए अब तक किये गए उपायों का फसल के उत्पादन पर कोई सराहनीय प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और पांचवी योजना में एक प्रभावी पौधा-संरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) पौधों में कीटों तथा बीमारियों के कारण फसलों की हानि होने से संबंध में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि पौधों में कीटों तथा बीमारियों से एवं भंडारण के दौरान लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक फसल की हानि होती है ?

(ख) खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों तथा इन फसलों की सघन खेती प्रारम्भ करने से पौधों में नई बीमारियों के लगने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं । इन नई बीमारियों का गत कुछ वर्षों में पता चला है ।

(ग) जी नहीं । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वनस्पति-रक्षण लोकप्रिय बनाने के लिये किये गये विभिन्न उपायों से फसलों को कीटों तथा बीमारियों से बचाने पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है ।

(घ) बनस्पति-रक्षण के विस्तार के लिए विगत समय में कई उपाय किये गये हैं। ये उपाय पांचवीं योजना में तीव्र किये जायेंगे। कीट निगरानी, पूर्वानुमान तथा चेतावनी सेवा की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों को कीटों की संभावित वृद्धि तथा उनके नियन्त्रण उपायों के संबंध में उचित समय पर पर्याप्त जानकारी देगा। कीटनाशी दवाइयों के वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी, ताकि कृषकों को अपने समीपस्थ स्थानों पर बनस्पति-रक्षण रसायन उपलब्ध हो सकें। फसलों के रक्षण के लिए प्रभावकारी उपचारात्मक उपाय करने में किसानों के शिक्षण के लिए विस्तार प्रयास सुदृढ़ किये जा रहे हैं।

"मदरलैण्ड" में प्रकाशित 'स्टोरी आफ ए सेक्यूलर संस्कृत स्कालर'

7785. **श्री भालजी भाई रमार**
श्री हुकम चन्द कछवाय } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मार्च, 1973 के "मदरलैण्ड" में पृष्ठ 3, कालम 1 में 'स्टोरी आफ ए सेक्यूलर संस्कृत स्कालर' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) विभाग में उप-निदेशक का पद कितने समय से तदर्थ आधार पर चलता आ रहा है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। उप निदेशक के पद का सृजन 1970 में किया गया था तथा भर्ती नियमों आदि को अंतिम रूप दिए जाने तक इस मंत्रालय के एक अधिकारी की एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की गई थी, जिसकी अवधि बाद में बढ़ा दी गई थी।

भरती नियमों को अन्तिम रूप से तैयार कर लिए जाने पर, नियमित आधार पर चुने गए एक उम्मीदवार को अब नियुक्त कर लिया गया है। इस समाचार में प्रकाशित कहानी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में 'कापी होल्डरों' के रिक्त पद

7786. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में 20 दिसम्बर, 1972 को 'कापी होल्डरों' के 10 रिक्त पदों के लिए लगभग 52 प्रत्याशियों की प्रतीक्षा-सूची अधिसूचित की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने 'कापी होल्डरों' के पदों को अपेक्षित संख्या में भरने के बाद इतनी लम्बी प्रतिक्षा-सूची को रद्द करने के लिए आदेश जारी किये हैं; और

(ग) यदि इसको रद्द करने के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए हैं तो प्रैस अधिकारियों द्वारा प्रतीक्षा-सूची को रद्द करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां, तथापि, रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या 17 थी न कि 10 ।

(ख) जी, हां । आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिन्टो रोड, नई दिल्ली में टाईप-II के 160 क्वार्टरों का आवंटन

7787. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों से मिन्टो रोड क्षेत्र में क्वार्टरों को बदलने से सम्बन्धित 26 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4671 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 160-टाईप 2 क्वार्टर भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के सबसे निकट हैं और क्या इस मुद्रणालय के संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि मुद्रणालय के कर्मचारियों को इन क्वार्टरों का आवंटन किया जायें; और

(ख) यदि हां, तो मुद्रणालय के कर्मचारियों को इन क्वार्टरों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) ये क्वार्टर पूर्णतया प्रैस कर्मचारियों को आवंटित नहीं किए जा सकते क्योंकि इनमें से 60 स्वास्थ्य विभाग को दे दिए गये हैं तथा शेष 100(क्वार्टरों) को उसी क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को उन क्वार्टरों के बदले में दिये जायेंगे जिन्हें गिराया जाना अपेक्षित है ।

खाद्यान्नों की भारी कमी को देखते हुए कृषि योजना और सिंचाई मंत्रालयों के बीच समन्वयन निकाय

7788. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों की भारी कमी को देखते हुए कृषि योजना और सिंचाई मंत्रालयों के बीच कोई समन्वयन निकाय बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निकाय का स्वरूप क्या है और उन्होंने क्या विशिष्ट कार्य किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने अभी तक किसी भी औपचारिक समन्वय निकाय की स्थापना नहीं की है । फिर भी एक छोटे दल का गठन किया गया है, जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सिंचाई और बिजली मंत्रालय, खाद्य विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं यह दल 1972 में कम वर्षा से होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए समन्वय, मूल्यांकन और कार्यक्रम तैयार करने के मामले में मंत्रिमंडल की सचिव-समिति को सहायता करेगा । इस दल ने वर्ष 1972-73 के दौरान रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में आरम्भ किये गये, आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्य-

क्रमों की प्रगति पर विचार करने के लिए समय-समय पर बैठकें की हैं जिनमें विभिन राज्यों के लिए नियुक्त क्षेत्र अधिकारियों की टूर सम्बन्धी टिप्पणी राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों और अन्य उपलब्ध सूचना के आधार पर विचार किया गया है । इस दल के विचार-विमर्श के परिणाम, पुनरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए सचिव, समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग (मार्केटिंग डिवीजन) पर नियन्त्रण

7789. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय भारतीय उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग की देखभाल कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उसके प्रशासन में हाल ही में हुए परिवर्तन के कारण कोई कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । भारतीय उर्वरक निगम और उसके विपणन प्रभाग पेट्रोलियम तथा रासायनिक मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में हुई केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक

7790. **प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक 23 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली और गुजरात राज्य ही ऐसे थे जो सम्पूर्ण मद्य-निषेध समर्थक थे ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक 23 मार्च, 1973 को नहीं, बल्कि 24 मार्च, 1973 को हुई थी । तीन गैर-सरकारी सदस्यों, दिल्ली प्रशासन तथा गुजरात राज्य ने पूर्ण मद्यनिषेध का समर्थन किया था जबकि अन्य ने महसूस किया कि पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करना शीघ्र ही सम्भव नहीं होगा ।

आर्थोपैडिक सेन्टर के भवन का खाली पड़ा रहना

7791. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग ने एक आर्थोपेडिक सेन्टर की मंजूरी दी थी जिसके भवन की विकलांगों के पुनर्वास के लिए 60,000 रुपये की लागत से मरम्मत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्र पूरा बन जाने के बाद भी कई महीनों से खाली पड़ा हुआ है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त केन्द्र के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिसम्बर, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस समय समाज कल्याण विभाग ने शत्रुओं की कार्यवाही द्वारा विकलांग हुए व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का विचार किया था । विस्थापित स्त्रियों के कस्तुरबा निकेतन के भवन के उपयुक्त भाग में अस्थाई रूप से यह केन्द्र खोला जाना था और इस प्रयोजन के लिए इस निकेतन के भवन का नवीकरण किया गया था । परन्तु इस केन्द्र को नहीं खोला गया था क्योंकि युद्ध थोड़े समय तक ही रहा था तथा रक्षा मंत्रालय की वर्तमान सुविधाओं के अधीन जरूरतमंद व्यक्तियों की देखभाल की गई थी ।

(ख) इस प्रकार का कोई नया अथवा अलग केन्द्र नहीं खोला गया था । कस्तूरबा निकेतन का जो नवीकरण किया गया है, उससे इस निकेतन के निवासियों को लाभ पहुंचेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवेकानन्द कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा तैयार की गई गेहूं की अधिक उपज वाली किस्म

7792. श्री प्रसन्नाभाई मेहता :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवेकानन्द कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला ने गेहूं की अधिक उपज वाली बहुत सी किस्में तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुसंधान से पर्वतीय क्षेत्रों में उपज में तीन गुना वृद्धि होगी; और

(ग) क्या गेहूं की अन्य किस्म भी तैयार की गई हैं, यदि हां, तो उनसे सम्बन्धित तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) विवेकानन्द कृषि अनुसन्धान प्रयोगशाला ने गेहूं की कुछ किस्में तैयार की हैं । इस प्रयोगशाला ने अपने फार्म में किये गये परीक्षण के आधार पर वी० एल० 78, वी० एल० 404 जैसी कुछ किस्में किसानों में वितरित की थीं । इनमें से कुछ अब किस्मों के अखिल भारतीय समन्वित परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(ख) विवेकानन्द प्रयोगशाला में तैयार की गई कुछ किस्मों के संबंध में यह दावा किया गया है कि उनसे पहाड़ी क्षेत्रों में उपज में तीन गुना वृद्धि हो सकती है । किसानों द्वारा उगाई जा रही स्थानीय किस्में औसतन प्रति हैक्टार लगभग 10 क्विंटल उपज देती हैं । यदि नई किस्मों के लिए समुचित कृषि आदानों की व्यवस्था की गई तो ये स्थानीय किस्मों की तुलना में काफी अधिक उपज दे सकती है ।

(ग) विवेकानन्द प्रयोगशाला अलमोड़ा में जिन अन्य महत्वपूर्ण किस्मों के परीक्षण का कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है, उनके नाम हैं वी० एल० 427 और 425, बी० 21, वी० 61 602, 579, 759, वी० एल० 528, वी० एल० 422, वी० एल० 428 आदि । ये किस्में निर्मुक्त करने से पहले विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में इनका व्यापक परीक्षण किया जायेगा ।

दिनांक 27 मार्च, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में रिडल आफ एम्पटी बैग्ज इन व्हीट गोडाउन' (गेहूं के गोदाम में खाली बोरियों की गुत्थी) शीर्षक से छपा समाचार

7793. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मार्च 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में रिडल आफ एम्प्टी बैग्ज इन व्हीट गोडाउन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में गोदामों में भरे खाद्यान्न का पता लगाने के लिए छापे मारना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गोदामों पर देशव्यापी छापे मारने का निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है और केन्द्रीय भाण्डागार निगम से कहा है कि वे शीघ्र अति शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें । केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने उस अधिकारी को, जिसने खरीदारी की गई बतायी जाती है, मुअत्तल कर दिया है और इस घटना की जांच करने के आदेश दिए हैं ।

(ग) और (घ) : निगम में चल रहे आदेशों के अनुसार, समय-समय पर स्टाक की प्रत्यक्ष जांच की जाती है । गोदाम में दिन-रात पहरे की व्यवस्था है । गोदाम में आने वाले और गोदाम से जाने वाले सभी स्टाकों की दरवाजे पर जांच की जाती है और गेट-पास प्रणाली लागू है । निगम से कहा गया है कि वे इन उपायों को सख्ती से लागू करें और सभी गोदामों में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को सशक्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें ।

विशिष्टियों (स्पेसिफिकेशन्स) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के तरीकों का सुझाव देने के लिए समिति की स्थापना का प्रस्ताव

7794. **श्री पी० गंगा देव ;**

श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विशिष्टियां और डिजाइनों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए, तरीकों का सुझाव देने हेतु समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की स्थापना कब तक कर दी जायेगी और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे, और

(ग) क्या उक्त समिति में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होगा।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) समिति निम्नलिखित संरचना से पहले ही गठित की जा चुकी है :—

(1) महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय	अध्यक्ष
(2) विज्ञान और प्राद्योगिकी राष्ट्रीय समिति का प्रतिनिधि	सदस्य
(3) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधि	सदस्य
(4) दो राज्यों के मुख्य इंजीनियर	सदस्य
(5) योजना आयोग के परिवहन प्रभाग के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति का एक पूर्णकालिक सचिव होगा।

(ग) जी, हां,

खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट के कारण

7795. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य गिरना आरम्भ हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह गिरावट खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है अथवा खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण के कारण ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) कुछ राज्यों में कुछेक महत्वपूर्ण अनाजों विशेषतया गेहूं, चना और मक्का के मूल्य गिरने शुरू हो गए हैं।

(ख) और (ग) मूल्यों में गिरावट आने के कई कारण हैं अर्थात मंडियों में नई फसल की आमद शुरू होना, गेहूं की अधिक अच्छी फसल होने की आशा, व्यापारियों द्वारा खाद्यान्नों का स्टाक निकालना, थोक व्यापार का लिया जाना और खुदरा व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले स्टाक की सीमा निर्धारित करना।

खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण का अखिल भारतीय कृषक संघ द्वारा विरोध

7796. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कृषक संघ ने खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण पर सरकार का सहयोग न करने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या संघ ने खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण के लिए कुछ शर्तें रखी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अखिल भारतीय किसान संघ द्वारा गेहूं के थोक व्यापार को हाथ में लेने के विरुद्ध आन्दोलन चलाने और जब

तक सरकार अधिप्राप्ति मूल्य न बढ़ाए तब तक अपनी पैदावार न बेचने के लिए किसानों को बाध्य करने से सम्बन्धित समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट को सरकार ने देखा है । सरकार ने थोक व्यापार को हाथ में लेने की नीति को कार्यान्वित करने का दृढ़-संकल्प किया हुआ है । 76/- रुपये प्रति क्विंटल का पहले से घोषित किया गया गेहूं का अधिप्रांप्ति मूल्य चालू रबी मौसम में लागू रहेगा। तथापि, थोक व्यापार को हाथ में लेने के संदर्भ में सरकार ने चालू रबीं मौहम में गेहूं की कुछेक बढ़िया किस्मों का अधिप्राप्ति मूल्य 82/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने का निर्णय किया है :

'प्री-रिलीज मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम' के लिए राष्ट्रीय बीज निगम से अनुरोध

7797. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगम ने सरकार से अनुरोध किया है कि निगम को प्रतिवर्ष कुछ राशि दी जाए ताकि वह महत्वपूर्ण किस्मों के 'प्रीरिलीज मल्टीप्लीकेशन प्रोग्रेम' को लागू कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम का अनुरोध भारत सरकार के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय बीज निगम के पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन करना

7798. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने सरकार से अनुरोध किया है कि निगम के पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन किया जाए ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में समानता लाने के लिए वर्ष 1966-67 और 1967-68 में ज्वार (सारगम) और मक्का (मेज) के 'फाउंडेशन' बीजों के उत्पादन में परिणामस्वरूप हुई हानियों के लिए निगम को मुआवजा दिया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) निगम के अनुरोध पर सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के ब्यौरों और कम्पनी-कार्य विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों की शिकायतों सम्बन्धी समिति

7799. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या प्रगति की है और क्या मंत्री महोदय ने वर्ष 1970 में इस समिति की नियुक्ति का आश्वासन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो समिति की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तक जी हां, 9 जून 1971 को राज्य-सभा में दिए गए एक आश्वासन के आधार पर एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में जुलाई 1972 में एक छोटी समिति की स्थापना कर दी गई है । अध्यक्ष के नामांकन में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाने के कारण इस समिति की स्थापना में देरी हुई । इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

राष्ट्रीय बीज निगम की बकाया राशि

7800. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1971 को राज्य सरकारों, निजी पार्टियों और अन्य उधार लेने वालों की और राष्ट्रीय बीज निगम की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) इतनी बड़ी राशि के बकाया पड़े रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इतनी राशि बकाया एकत्र होने देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) 31-3-1971 को राज्य सरकारों और गैर सरकारी पार्टियों की और निम्न राशि वकाया थी :—

राज्य सरकारें .	130.11 लाख रुपए
गैर-सरकारी पार्टियां	72.52 लाख रुपए

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा राज्य सरकारों को उधार के रूप में बिक्री की गई थी। क्योंकि इनमें से कुछ राज्य सरकारों को पेशगी अदायगी करने में कठिनाइयाँ अनुभव हो रही थी। राष्ट्रीय बीज निगम के उत्पादकों को भी उधार के तौर पर स्टाक दिए जाते हैं और बीज की अधिप्राप्ति के समय वसूली कर ली जाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए ऋण के तौर पर बीजों की सप्लाई करने के लिए किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, निगम बकाया राशि को वसूल करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। और 31 दिसम्बर, 1972 तक 130.04 लाख रुपए की राशि (76.84 लाख रुपए राज्य सरकारों से और 53.20 लाख रु० गैर सरकारी पार्टियों से) वसूल की जा चुकी है ।

भेड़ों को टीका लगाने, मशीन द्वारा ऊन काटने और भेड़ों का नस्ल-संकरण करने के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता ।

7801. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चारे और पानी की तलाश में लगभग 20 लाख भेड़ें राजस्थान से पड़ौसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में चली जाती हैं और वहां से आने-जाने में भेड़ें अपने साथ बीमारियां ले जा सकती हैं ;

(ख) क्या सरकार इन भेड़ों को बीमारियां पकड़ने और फलाने से निरापद करने हेतु उनको टीका लगाने सम्बन्धी कोई योजना बनाने का विचार कर रही है; जैसा कि ढोरों के मामले में किया गया है ; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने टीका लगाने, मशीन द्वारा ऊन काटने, नस्ल-संकरण करने आदि जैसे विस्तार कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ; और यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सरकार को यह विदित है कि राजस्थान के गड़रिए अपने भेड़-झुण्डों के साथ मौसम बदलने पर चारे और पाणी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ।

(ख) विभिन्न मौसमी बीमारियों से भेड़ों और अन्य ढोरों के बचाव के लिए विशेषकर उन्हें अन्य स्थानों पर ले-जाने के समय राज्य सरकारें उपाय करती रही हैं। अभी तक ढोरों को पशु-प्लेग से छुटकारा दिलाने का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। बड़े पैमाने पर भेड़ों को दवा पिलाने की विशेष योजना भी कुछ राज्यों में चालू है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ढोरों के अन्य बीमारियों से बचाव के लिए एक कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

(ग) भेड़ों के नस्ल-संकरण कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार को विदेशी भेड़ों के आयात में सहायता कर रही है। योजना के अधीन पशु-चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, मशीन द्वारा ऊन उतारने और भेड़ों के अन्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार ने जैसलमेर ज़िले में 5 वर्षों की अवधि में 125·57 लाख रुपए की लागत से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली भेड़ों के लिए चारा आरक्षण क्षेत्रों का विकास करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

हिन्द महा सागर में मत्स्य-स्रोतों का उपयोग करना

7802. डा० कर्णी सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 25 वर्षों के दौरान भारत में मछली उत्पादन की वृद्धि की दर विश्व की उत्पादन वृद्धि-दर से बहुत कम रही है ;

(ख) क्या अनुमान लगाने से पता लगा है कि अतलांतिक और प्रशान्त महासागरों की तुलना में हिन्द महासागर में मछली पकड़ने का बहुत बड़ा स्रोत है ;

(ग) भारत हिन्द महासागर के अत्यधिक स्रोतों का उपयोग क्यों नहीं कर सका है जबकि जापान, दक्षिण कोरिया तथा तैवान जैसे देश इस सागर से बहुत मछलियां पकड़ रहे हैं ; और

(घ) इतने सस्ते और पौष्टिक समुद्री मत्स्य स्रोतों का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) मछली उत्पादन के विषय में गत 21 वर्षों की अवधि के लिए उचित विश्वासनीय आंकड़े उपलब्ध हैं। इस अवधि में भारत के मीन उत्पादन में 145 प्रतिशत (अर्थात प्रति वर्ष 4.4 प्रतिशत) तथा विश्व के मीन उत्पादन में इसी अवधि में 195 प्रतिशत (अर्थात प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत) वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1968 की इन्डीकेटिव वर्ल्ड प्लान में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार विश्व में मछली का सम्भाव्य उत्पादन लगभग 1182 लाख मीटरी टन है इस उत्पादन में अन्ध महासागर का अंशदान 537 लाख मीटरी टन (45.4 प्रतिशत), प्रशान्त महासागर का अंशदान 555 लाख मीटरी टन (47.0 प्रतिशत), हिन्द महासागर का अंशदान 73 लाख मीटरी टन (6.2 प्रतिशत), तथा भूमध्यसागर का अंशदान 17 लाख मीटरी टन (1.4 प्रतिशत) है। तथापि हिन्द महासागर (विशेषकर पश्चिम हिन्द महासागर) में आरम्भिक उत्पादन आन्ध तथा प्रशान्त महासागरों के औसत उत्पादन से अधिक है।

(ग) इस समय भारत की हिन्द महासागर की मछली का 37.7 प्रतिशत भाग उपलब्ध हो रहा है और यह इस क्षेत्र में प्रमुख मीन—उत्पादन देश है। तथापि, वर्तमान उत्पादन मुख्यत: तृतीय और तटदूर क्षेत्रों के मीन संसाधनों के उपयोग पर आधारित है। भारत को अभी तट में दूर स्थित

क्षेत्रों से मछली पकड़ने की अपनी क्षमता बढ़ानी है । हिन्द महासागर से जापान, दक्षिणी कोरिया तथा तायवान आदि देशों की केवल 8.2 तथा 3 लाख मीटरी टन मछली प्राप्त हो रही है जो हिन्द महासागर के कुल उत्पादन का क्रमश 2.7, 0.8 तथा 1.1 प्रतिशत है। तथापि, इनमें से कुछ देश हिन्द महासागर के अलावा बाहर से मछलियों की काफी मात्रा प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) मीन-उद्योग योजना के परिव्यय का एक बड़ा भाग समुद्रीय मीन-उद्योग के विकास पर व्यय होता है। समुद्रीय मीन-उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में संसाधनों का उपयोग करना तथा मछली पकड़ने के पोतों तथा गियर एवं परिसंस्करण तकनीकों के सुधार के सम्बन्ध में अनुसंधान करना सम्मिलित है। किए गए अन्य उपायों में मछली पकड़ने के चुनीदा केन्द्रों में अवतरण तथा घाट लगाने की सुविधाओं की व्यवस्था करना, मीन-उद्योग उपस्करों की पूर्ति करना व मछली पकड़ने के पोतों का यंत्रीकरण करना तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर मिलावटी गेहूं की सप्लाई

7803. **डा० कर्णी सिंह : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1973 के 'पैट्रियट' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उचित दर की दुकान पर बेचे गए गेहूं की छानबीन करने पर पाया गया कि उसमें कांच के टुकड़े, टूटी हुई चूड़ियां, कंकड़ तथा न पहचाने जाने वाले पदार्थ काफी मात्रा में मिले हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे कि लोगों को उचित दर की दुकानों से मिलावटी वस्तुएं न मिलें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सम्बन्धित सर्कल अधिकारी से जांच-पड़ताल की है लेकिन समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं था । यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से मिलावट वाली वस्तुएं न मिलें, दुकानदारों से कहा गया है कि वे भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों के नमूनों को ऐसे स्थान पर रखें जिसे जनता देख सके और कार्डधारी अपना राशन लेने से पूर्व खाद्यान्नों की जांच-पड़ताल कर सकें ।

फूलबनी जिला (उड़ीसा) में मलेरिया

7804. **श्री बक्शी नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फूलवनी जिले (उड़ीसा) के लगभग प्रत्येक गांव में लोग मलेरिया से पीड़ित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) राज्य सरकार ने बतलाया है कि फूलवनी जिला (उड़ीसा) में मलेरिया का प्रकोप बढ़ती पर है ।

(ख) इस प्रकोप को रोकने के लिए सामान्यत: निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) आक्रमण और समेकन की अवस्था वाले क्षेत्रों में छिड़काव कार्य करने के लिए राज्य सरकार को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

(2) अनुरक्षण की अवस्था वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले मलेरिया सम्बन्धी चौकसी के काम को तेजी से करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अधीन परिसीमीय स्टाफ के निमित्त भी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

(3) स्थान-स्थान पर इस रोग के फूट पड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए काफी मात्रा में कीटनाशक दवाएं । मलेरिया रोधी दवाएं की जा रही हैं ।

(4) मलेरिया के पता लगे सभी रोगियों का तुरन्त आवश्यक इलाज किया जा रहा है ।

इन सब बातों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने उस विशेष सर्वेक्षण दल की सिफारिश पर जिसने उड़ीसा का दौरा किया था, 1972–73 में 25 लाख रुपए और अलाट किए जिनमें से 20 लाख रुपए तूफान पीड़ित क्षेत्रों में मलेरिया रोधी कार्य करने के लिए थे । यह रकम उस सामान्य सहायता की रकम के अलावा अलाट की गई थी जो भारत सरकार राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए देती है ।

Nehru Museum, New Delhi

***7805. Shri Onkar Lal, Berwa :** Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of persons who visited Nehru Museum in the capital city of Delhi during 1972-73;

(b) the number of foreigners, out of them, who visited Nehru Museum : and

(c) the amount provided by Government for its development in the Fifth Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) : A total of 10,53,530 persons visited the Nehru Museum at the Teen Murti House, New Delhi, during 1972-73. No seperate count of foreigners visiting the Museum is being maintained.

(c) The Fifth Five-Year Plan has not yet been finalised.

New Varieties of Wheat and Rice

7806. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the varieties of wheat and rice developed during the last three years;

(b) the outlines thereof; and

(c) the names of agricultural farms where these varieties have been tested?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) : Names and characteristics of the new high yielding varieties of rice and wheat developed during the last three years are given below :

Variety	Days to mature	Grain quality	Adaptability
Rice Varieties :			
Bala .	90—100	Coarse	Rainfed up-land
Cauvery .	90—100	Medium Coarse	Multiple cropped transplanted.
Kanchi .	110—120	Coarse	Multiple Cropping
Annapoorna .	110—120	Coarse	First crop, Kerala.
Ratna .	110—120	Fine	West U.P. & Punjab
Krishna .	110—120	Fine	Multiple cropping
Sabarmati .	110—120	Fine	North Western plain zone
Jamuna .	110—120	Fine	North Western plain zone.

Variety	Days to mature	Grain quality	Adaptability
IR 20	120—130	Fine	East India
Vijaya	130—140	Fine	Ceneral cultivation.
Karuna	110—120	Coarse	Multiple Cropping (Tamil Nadu Kuruva Season).
Wheat Varieties			
Heera .	130—140	Amber Colour	Irrigated North Western plain zones.
A—9—30—1		Amber Colour	Rainfed Central zones.
Narbada—4 . .		Amber Colour	Rainfed Central zones

(c) : There are 24 *main* centres under All-India Coordinated Rice Improvement Project *Viz.* Coimbatore, Aduthurai, Pattambi, Maruteru, Hyderabad, Mandya, Raipur, Cuttack, Bhubaneswar, Chinshrah, Burdwan, Patna, Jorhat, Wangbal, Agartala, Faizabad, Nagina, Ludhiana, Jogindernagar, Karnal, Nawagam, Karjat, Anantnag and Kota, and about eighty sub-centres. Similarly, there are 18 *centres* under All India Coordinated Wheat Improvement Project *viz.* I.A.R.I., New Delhi, Bhowali, Pusa, Indore, Wellington, Lahaul Valley, Niphad, Ludhiana, Pantnagar, Powarkhoda, Durgapura, Kanpur, Vijapur, Patna, Kalyani, Rudreu, Dharwar and Mahalleshwar. The said high yielding varieties of rice and wheat have been released for cultivation in the areas of their best adaptability (as indicated against each) after intensive testing at these locations under the projects. In addition, these varieties have been also tested at several States farms and States regional research stations by the respective Departments of Agriculture.

समाज कल्याण योजनाओं की अप्रयुक्त राशि

7807. डा० हरिप्रसाद शर्मा :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1973 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "फन्डस फार सोशियल वल्फेयर स्कीम्स अन यूटिलाइज्ड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो वे परिस्थितियां कौन-सी हैं जिनके कारण 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत बताई गई योजनाएं वर्ष के दौरान शुरू नहीं हो सकीं और नियत की गई राशि प्रयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सत्य है कि कुछ समाज कल्याण परियोजनाओं में धनराशि उपयोग नहीं की गई अथवा कम उपयोग की गई है । धनराशि के उपयोग न होने अथवा कम उपयोग होने का कारण ये कठिनाइयां हैं जो योजना तथा समाज कल्याण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रुकावट डालती हैं । ये परियोजनाएं राज्य सरकारों और विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । परियोजनाओं की विविधिता केवल उनके आकार के कारण ही नहीं है बल्कि विशेष स्थिति में पाई जाने

वाली विस्तृत परिस्थितियों के कारण भी है । क्षेत्रों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की अगम्यता के कारण भी कठिनाइयां आती हैं जो कार्यान्वयन की गति को धीमा कर देती हैं । इन परिस्थितियों में परियोजनाओं के विशिष्ट ढांचे, जो किसी विशेष मामले के लिए पूर्ण रूप से उचित हो, को बनाने के लिए पर्याप्त समय और श्रम लगेगा । एक अन्य घटक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संख्याओं की सामर्थ्य भी है ।

सामाजिक व्यथा की परिस्थितियां बदलती रहती हैं अतः इन परिस्थियों से निपटने के लिए किए गए उपायों को पूर्ण आंकड़ों और अनुसन्धान द्वारा निर्धारित करना है । अतः परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक तत्व है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक बुराइयों को कम करने के लिए इन परियोजनाओं द्वारा आर्थिक रूप से पूर्ण एवं सुनिश्चित लाभ प्राप्त हो ।

फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद गत वर्ष कुछ युक्त परियोजनाएं चालू की गईं जिनसे जन साधारण पर्याप्त लाभान्वित हुए। उदाहरणार्थ, पौष्टिक आहार कार्यक्रम के आधीन गत वर्ष लाभान्वितों की संख्या 1970-71, जब यह परियोजना सर्वप्रथम आरम्भ की गई, की संख्या से छः गुणी और 1971-72 की संख्या से डेढ़ गुणी है । दूसरा उदाहरण परिवार और बाल कल्याण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें 1972-73 में प्रायोजनाओं की संख्या बढ़कर 34 हो गई है ।

एक गोष्ठी में दिल्ली बृहत योजना के पुनरीक्षण की मांग

7808. **श्री राम कंवर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में हुई एक गोष्ठी में सर्वसम्मति से यह मांग की गई थी कि दिल्ली बृहत् योजना का पुनरीक्षण किया जाए ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस गोष्ठी की रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ग) इस गोष्ठी में की गई विभिन्न टिप्पणियों तथा सुझावों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सेमिनार गैर-सरकारी था तथा उसकी सिफारिशें सरकार को मालूम नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक कच्चे माल तथा खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि

7809. **श्री राम कंवर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इकनामिक टाइम्स' द्वारा किए गए सर्वेक्षण, जो इसके 25 मार्च 1973 के अंक में छपा है, की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि गत बारह महीनों में औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में 32 प्रतिशत तथा खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सर्वेक्षण के आशय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) (ख) और (ग) सरकार ने दिनांक 25-3-1973 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट को देखा है । पूर्वी राज्यों में अप्रैल-मई, 1972 मानसून-पूर्व वर्षा असफल होने, जिससे ग्रीष्म और अगेती/शरद की फसलें बुरी

तरह प्रभावित हुई थीं और जून-सितम्बर, 1972 में मानसून वर्षा की अनिश्चितता और उसकी कमी, जिससे बहुत सारे क्षेत्रों में खरीफ की फसल प्रभावित हुई थी, के कारण मुख्यतया मूल्यों में वृद्धि हुई थी । सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए बहुत से पग उठाए हैं और उठाए गए पगों में ये शामिल हैं :—(क) सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना और सारे सरकारी स्टाक को उचित मूल्य की दुकानों से वितरित करना; (ख) गेहूं के पदार्थों के थोक तथा खुदरा मूल्यों पर नियन्त्रण लागू करना और उचित मूल्य की दुकानों से इनके वितरण को विनियमित करना; (ग) इस समय लागू नियामक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना; (घ) अतिथि नियन्त्रण आदेश लागू कर खाद्यान्नों की खपत पर रोक लगाना; (ङ) खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति तेज करना; (च) विदेशों से सीमित मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करना ; (छ) खाद्यान्नों के प्रति बैंक पेशगियों पर निरीक्षण कड़ा करना ; और (ज) चालू रबी मौसम से गेहूं का थोक व्यापार लेना ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर नियमित रूप से गेहूं की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके ।

तमिलनाडु को कृषि पुनर्वित्त निगम से सहायता

7810. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु ने कृषि पुनर्वित्त निगम से सबसे अधिक सहायता प्राप्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों में खाद्यान्न खरीदने के लिए व्यवस्था

7811. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में खाद्यान्न खरीदने के लिए हमारी क्या व्यवस्था है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : अन्य देशों से खाद्यान्न की खरीद भारतीय सप्लाई मिशनों, जहां ये मिशन स्थित हैं, की सहायता से की जाती है और अन्य मामलों में दूसरी सरकार के मिशनों के माध्यम से की जाती है ।

ताजमहल और कुतुब मीनार का रख-रखाव

7812. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ताज महल और कुतुब मीनार जैसे राष्ट्रीय स्मारकों का जीवन खराब रख-रखाव के कारण कम हो रहा है ?

(ख) गत तीन वर्षों में, बार-बार, ताजमहल तथा कुतुब मीनार के रख-रखाव पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ, और

(ग) उनके नवीकरण सम्बन्धी क्या मुख्य प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि उनके जीवन को बढ़ाया जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। ताज महल और कुतुब मीनार का रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा रहा है और उन्हें अच्छी मरम्मत की स्थिति में रखने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जाते हैं।

(ख) उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों के वर्षवार खर्चे के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	1970-71	1971-72	1972-73
	रु०	रु०	रु०
ताज महल .	2,15,622	2,37,161	6,97,758
कुतुब मीनार . . .	1,34,416	3,99,792	5,57,023

(ग) वर्ष 1973-74 के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण के प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:—

ताजमहल :—मीनार के दक्षिण पश्चिम की ओर के क्षतिग्रस्त या टूटे-फूटे पत्थरों को बदलना तथा इसी प्रकार के पत्थर के उठे हुए चबूतरे, प्रवेश द्वारा तथा मकबरे के बीच की पटरी और भवन के मुख्य द्वार के क्षतिग्रस्त अथवा टूटे-फूटे पत्थरों को भी बदलना ; फुव्वारों के नलतन्त्र की मरम्मत और आगे चौक के चारों ओर के दलान की मरम्मत।

कुतुबमीनार :—गैर-संक्षारक धातु की बीच की राजगीरी को लोहे के चिपचिपे मसाले से मजबूत करने के बाद मीनार के ऊपरी क्लईदार टूटे-फूटे पत्थरों को बदलने के लिए एक ऊंचा नलिकार लोहे का ढांचा प्रप्त करना तथा उसे खड़ा करना। कुतुब के प्रांगण में स्थित इमाम जीन के मकबरे के आंगन के फर्श की मरम्मत करने का भी विचार है।

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

7813. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने केन्द्रीय विद्यालय (सेण्ट्रल स्कूल) हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या पटना में एक केन्द्रीय विद्यालय है और यदि हां, तो क्या इसमें होस्टल का प्रबन्ध है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के सहरसा और धनबाद जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) बिहार राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित 9 केन्द्रीय स्कूल हैं:—

1. बरौनी
2. बोकारो
3. दिनापुर कैंट

4. गया
5. पटना
6. रांची
7. जवाहरनगर
8. रामगढ़ कैंट
9. सिंघारसी

(ख) पटना में एक केन्द्रीय स्कूल है किन्तु उसके पास कोई छात्रावास नहीं है। धनाभाव के कारण इस समय छात्रावास की सुविधाएं केवल उन्हीं सीमित स्कूलों में मुहैया की गई हैं जहां पर स्थानान्तरणीय रक्षा कर्मचारियों के बच्चों की संख्या अधिक है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केवल कुछेक ऐसे स्थानों के स्कूलों में छात्रावास सुविधाओं की व्यवस्था की है जहां स्थानान्तरणीय रक्षा कर्मचारियों की संख्या काफी है।

(ग) सहरसा में केन्द्रीय स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु धनबाद में एक स्कूल खोलने के लिए प्राप्त अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

Delegation of Calcutta Tramway Workers' Union

7814. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a delegation of Calcutta Tramway Workers' Union had met him on 28th March last and had given him a memorandum;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) Government's reactions thereto?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) Yes, Sir.

(b) The following points were made in the Memorandum :—

(i) For proper utilisation of the resources available to the Calcutta Tramways Company, it should be nationalised forthwith.

(ii) The proposals of the Calcutta Tramways Company for improvement of its services, including extension of tramway services to other areas in the city, should be accommodated in the fifth plan.

(iii) The Calcutta Tramways Company, Calcutta State Transport Corporation and the underground Railway Project in Calcutta should be brought under a single authority for purposes of management and control; and

(iv) Adequate funds should be allotted to the Calcutta Tramways Company so that all its schemes may be implemented and the current pace of repair work may not be hampered.

(c) The suggestions primarily concern the Government of West Bengal and have been brought to their notice for consideration. The State Government who have taken over the management of the Calcutta Tramways Company are examining the question of purchasing its ownership.

Inclusion of Patna Town in Central Slum Clearance Scheme

7815. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 956 on the 26th February, 1973 regarding Central Slum Clearance Scheme for Patna Town and state :

(a) whether Government of Bihar has sent any proposal to the Central Government in this regard;

(b) whether Government of Bihar has sought funds from the Government for the implementation of the aforesaid scheme and if so, the amount thereof; and

(c) Government's reaction in regard thereto?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

प्रदर्शक के पद की समाप्ति तथा उसे कनिष्ठ प्राध्यापक (जूनियर लेक्चरारशिप) में बदलना

7816 श्री रामावतार शास्त्री : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के अतिरिक्त समूचे भारत में प्रदर्शकों के पद समाप्त कर दिये गये हैं और उन्हें कनिष्ठ प्राध्यापकों के पद में बदल दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के कारण क्या हैं,

(ग) बिहार राज्य सरकार ने प्रदर्शकों के मामले में उसी पद्धति को अपनाने की केन्द्र से सिफारिश की है और वह काम में अन्तर के भुगतान के लिए सहमत हो गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के पास, इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Work started Last Year on National Highways in Maharashtra

7817. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state whether construction of any National Highways started in Maharashtra last year and during the current year, and if so, the names thereof and the amount of expenditure incurred thereon last year and the amount of expenditure proposed to be incurred this year?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : Sanctioned works included in the Fourth Five Year Plan on National Highways in Maharashtra are in progress. They relate to National Highways Nos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13 and 50. An amount of approximately Rs. 13·47 crores has been spent during 1972-73, on original works started in 1972-73 as well as on those which have been started earlier and in progress during that year. Provision to the extent of Rs. 10·50 crores has been made for works during the year 1973-74.

Request from Rajasthan Government for Taking up National Highway at the Time of Famine

†**7818. Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state whether Rajasthan Government requested Central Government at the time of famine for taking up any National Highway and if so, the names of such National Highways and the names of the National Highways on which work has commenced and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : Yes, Sir. The State Government sought approval of the Government of India to the work of widening of Beawar-Bhim section (KM 54/4 to 90/0) and in March 1973 the State Chief Engineer referred to the need for the early commencement of work on this project as a famine relief measure. Sanction for this work has been accorded and the work has already commenced.

In February 1973 the State Chief Engineer sent preliminary estimates and survey details of bye-pass at Ajmer, Kishangarh and Beawar for the approval of the Government of India and pointed out that these works will provide relief to the famine stricken labour. Align-

ment of all these three bye-passes has since been approved and the State Government have been requested to furnish estimates for earthwork, collection of material, C.D. works, etc. The required estimates have not yet been received from the State Government .

Implementation of Suggestions Made in the 72nd Report of P.A.C.

7819. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Public Accounts Committee has made suggestions in its 72nd report to strengthen the Indian Council of Medical Research and make it more effective and if so, the details thereof and the time by which Government would implement these suggestions; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) and (b) : Yes. The information required is given in the attached annexure. [Placed in Library see No. L.T.—4856/73].

"Crash Plan in India Failed says E.C.A.F.E."

7820. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the Hindustan Times dated 19th March, 1973 under caption 'Crash Plan in India Failed says Economic Commission for Asia and Far East';

(b) if so, reaction of Government; and

(c) whether Government propose to make efforts to implement crash-Programme with a view to increase production and if so, the steps to be taken by Government and the details of the production programmes completed in Rajasthan by the amount spent so far?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Yes, Sir.. The Government of India are aware of this news-item.

(b) Various problems and issues concering agriculture which are reported to have been referred to in the Economic Survey by the Economic Commission for Asia and Far East are already receiving attention.

(c) The Crash Scheme for Rural Employment, which aims at direct generation of employment, and creation of assets of durable nature, envisages undertaking of labour intensive projects resulting in the creation of agricultural and other infrastructure. Projects undertaken include minor irrigation, soil conservation, afforestation, land reclamation and antiwaterlogging measures and construction of roads. Works relating to minor irrigation soil conservation etc. Result in direct increase of production whereas road construction helps in procuring inputs for agriculture and marketing of agricultural produce.

Programmes taken up in Rajasthan include, *inter-alia*, minor irrigation and soil conservation. The amount reported spent during 1971-72 is Rs. 114·63 lakhs and that during 1972-73 Rs. 355·00 lakhs. Break up of the amount spent on different schemes is not available.

बंगला देश से आयात की गई मछली को कोल्ड स्टोरेज में रखने तथा उसके विपणन की सुविधाएं

7821. डा० रानेन सैन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य निगम (सेन्ट्रल फिशरीज कारपोरेशन) बंगलादेश से अधिक मात्रा में मछली आयात कर रहा है परन्तु कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त सुविधाओं तथा उचित बिक्री संगठन के अभाव के कारण मछलियां सड़ रहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोल्ड स्टोरेज की पर्याप्त सुविधाएं जुटाने तथा बिक्री की उचित व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) बंगला देश से मछली के आयात की मात्रा में निर्यात-कर्ताओं द्वारा किये जाने वाले पूर्ति के प्रस्ताव के आधार पर घटा-बढ़ी होती रहती है। प्रशीतागार की सुविधाओं या इसकी बिक्री के लिए संगठन के अभाव के कारण आयातित मछली के सड़ जाने का कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) निगम के खुदरा विपणन संगठन को और सुचारू रूप देने और प्रशीतागार की सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

Uneducational Institution Occupying Building in B. H. U. Campus

†**7822. Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any uneducational institution is occupying a building in the Campus of Banaras Hindu University;

(b) if so, the name of the said institution; and

(c) the action being taken to get this building vacated from the said institution?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) : A two-roomed building in the campus of the Banaras Hindu University is in possession of R. S. S. The University has filed a Civil suit in the court to get the same vacated. The suit is still pending in the Court.

स्वास्थ्य विज्ञान के लिए पृथक् विद्यालय

7823. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वास्थ्य विज्ञान के लिए पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) तथा (ख) सितम्बर 1971 में हुए राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन में भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक सुझाव रखा था कि प्रत्येक राज्य में एक चिकित्सा विश्व-विद्यालय होना चाहिये जिसके साथ राज्य के सभी मेडिकल कालेजों को सम्बद्ध कर देना चाहिये। यह सुझाव इस विचार से दिया गया था कि किसी विशेष राज्य के मेडिकल कालेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के सभी मामलों पर समान नियंत्रण रखा जाए और चिकित्सा शिक्षा तथा परीक्षा के स्तर में एकरूपता लाई जा सके। यह सुझाव भारत सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों में कृषि उत्पादन में तथा ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए गांवों का विकास हेतु राज्यों का चयन

7824. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन में तथा ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु परीक्षण के तौर पर गांवों का विकास करने के लिए कतिपय राज्यों का चयन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rajen Babu T. B. Hospital, Kingsway Camp, Delhi.

7825. Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. H. P. Sharma :

Will **the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to Shri Babu Ram Verma's letter regarding Rajen Babu T. B. Hospital, Kingsway Camp, Delhi appearing in the 'Nav Bharat Times' dated the 20th March, 1973; and

(b) if so, Government's reaction in this regard?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Sh. A. K. Kisku) : (a) Yes, sir.

(b) The matter is being looked into.

Procurement Price of Wheat in U.P.

7826. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the **Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed the procurement price of wheat in Uttar Pradesh at Rs. 63·00 per quintal;

(b) whether the producers were also consulted before the said price was fixed; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) : No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन तथा उसकी आवश्यकता

7827. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :
श्री गेंदा सिंह : } क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में राज्यवार, चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ है तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है और इस वर्ष के दौरान देश की चीनी की आवश्यकता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० शेर सिंह) : 1972-73 मौसम के लिए, राज्यवार, चीनी उत्पादन के अनुमान और 7 अप्रैल, 1973 तक वास्तविक उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्तमान रुख के अनुसार चालू मौसम में चीनी के कुल उत्पादन में 37 लाख मीटरी टन से सीमान्त वृद्धि भी हो सकती है। खपत के लिए लगभग 36 लाख मीटरी टन चीनी रखी जायेगी।

1972-73 मौसम के लिए राज्यवार चीनी उत्पादन के अनुमान और 7 अप्रैल, 1973 तक वास्तविक उत्पादन को बताने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य का नाम	उत्पादन का अनुमान (1972-73) अर्थात् 30 सितम्बर, 1973 तक ।	7 अप्रैल, 1973 तक वास्तविक उत्पादन ।
1	2	3
उत्तर प्रदेश	1,008	1,177
बिहार	182	216
प० बंगाल	5	4
असम	7	5
हरियाणा	69	80

पंजाब .	44	42
राजस्थान .	12	15
मध्य प्रदेश .	34	28
उड़ीसा	10	5
आन्ध्र प्रदेश	297	236
गुजरात	152	120
महाराष्ट्र	1,086	1,023
मैसूर	283	228
केरल .	27	15
तमिलनाडु . .	382	205
पांडिचेरी . .	20	18
अखिल भारत (जोड़) . . .	3,618	3,417

दमन-सूरत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

7828. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के मामले में पिछड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो दमन-सूरत सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, नहीं। पिछले वर्ष ही गुजरात में गुजरात राजस्थान सीमा से सुई गांव तथा राधानपुर होती हुई समाख्याली तक 270 कि० मी० लम्बी सड़क को पठानकोट-कांडला मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15) के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। इस प्रकार गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल किलोमीटर लम्बाई 1082 से 1352 हो गई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार का दमन-सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में ग्रामीण रोजगार के लिए वृत कार्यक्रम में संसद् सदस्य को सम्बद्ध करना

7829. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में विधायकों के न होने की स्थिति में रोजगार के लिए वृत कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले कार्यों में संसद सदस्यों को सम्बद्ध करने का है, और

(ख) यदि हां, तो वे कार्य किस प्रकार के होंगे और संसद सदस्यों को उन कार्यों में किस प्रकार सम्बद्ध किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) व (ख) भारत सरकार द्वारा ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए संसद सदस्यों के सहयोग के लिए आग्रह किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को सौंपा गया है। कुछ राज्यों में वहां की राज्य सरकारों द्वारा गठित की गई समन्वय समितियों में संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तथापि, इस योजना के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों द्वारा अदा की जाने वाली सही भूमिका प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है।

उड़ीसा में विधान सभा सदस्यों के स्थान पर संसद सदस्यों को वास्तविक रूप में से जिन कार्यों में सम्बन्ध किया जा रहा है, उनके बारे में राज्य सरकार से सूचना मांगी जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में हरिजनों और आदिम जातियों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभाव

7830. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों का, विशेष कर उड़ीसा के सन्दर्भ में, हरिजनों और आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, विशेषकर हरिजनों और आदिवासियों पर हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर अथवा उड़ीसा में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि 1969 में किए गए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण से पता चला था कि जनसंख्या के सभी वर्गों ने, जिनमें अनुसूचित जातियां/जन जातियां भी शामिल हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम लगभग एक ही अनुपात में अपनाया है।

हाल में उड़ीसा में किए गए एक दूसरे सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां की सामान्य जनसंख्या के 12 प्रतिशत पात्र दम्पत्तियों की तुलना में अनुसूचित जातियों /जन जातियों में से लिए गए नमूनों में से 10-12 प्रतिशत पात्र दम्पत्ति इस समय परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।

Allotment of Residential Quarters To Widows and Ailing Applicants

7831. Shri Shyam Sunder Mohapatra : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether while considering allotment of residential quarters widow applicants receive priority of consideration;

(b) whether ailing patients also have priority over others; and

(c) how many applicants of these categories are yet to be disposed off?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Accommodation from the general pool is meant for Government employees working in eligible offices in Delhi/New Delhi. Widows of Government employees, who were allotted accommodation from the general pool and die in harness, are given ad hoc allotments if they are otherwise eligible. Some residential units from the general pool have also been placed at the disposal of the Ministry of Defence for allotment to the widows of Defence personnel who lost their lives in the last Pakistani aggression.

(b) In cases of serious illness of Government servants, ad hoc allotments are sometimes made to mitigate hardship.

(c) One application of the widow of a deceased Government servant and 27 applications from ailing Government servants are yet to be disposed of.

STATES WHICH STARTED PROCUREMENT BEFORE 31ST MARCH, 1973 AND EXPENDITURE INCURRED

7832. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the names of States which had started procurement of foodgrains before 31st March, 1973, as also the names of the States which had stored foodgrains by that date indicating the quantity thereof and the expenditure incurred by those States on that item?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : Although the rabi procurement commences in April, in some of the States wheat crop is harvested earlier. Prior to 31-3-1973, the total quantity of wheat procured by the State Governments was as under:—

	(in tonnes)
Madhya Pradesh	1000
Maharashtra	445

The total expenditure on the quantity procured is estimated to be approximately about Rs. 8 lakhs in Madhya Pradesh and about Rs. 4 lakhs in Maharashtra.

FLUCTUATION IN PRICE OF WHAT ON ARRIVAL OF NEW CROP

7833. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent to which the prices of wheat have fluctuated within a month of arrival of new crop in the market; and

(b) the increase in production of wheat during this year as compared to last year?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Sinde) : (a) With the commencement of arrivals of wheat in the market the prices in some of the States have fallen in the last one month. The extent of fall being Rs. 4/- to Rs. 25/- per quintal in Haryana and Rs. 7/- to Rs. 19/- per quintal in Punjab and Rs. 3/- per quintal in Delhi and Rs. 23/- per quintal in Himachal Pradesh.

(b) Firm estimates of foodgrain production including wheat for 1972-73 would become available after the close of the current agricultural year *i.e.* sometime in July-August, 1973. On present indications, an increase is anticipated in the production of wheat.

FINANCIAL ASSISTANCE TO INSTITUTION FOR SOCIAL WELFARE

7834. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government give financial assistance to certain Social Welfare institutions in the country;

(b) if so, the basis thereof and the names of such 20 Social Welfare Institutions in the country which have been provided the largest amount of financial assistance during the last two years;

(c) whether any statement showing the work done by them is submitted to the Government and whether Government also examine them; and

(d) whether there is also any such institution whose grant has been discontinued during the last two years on account of its unsatisfactory work?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) Statement giving the information is attached. (Placed in Library *See* No. L.T.-4857/73].

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir.

खाद्यान्नों का मुक्त रूप से व्यापार

7835. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के उपरान्त, सरकार एक सीमा तक इसका मुक्त रूप से व्यापार करने की अनुमति देगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं का थोक व्यापार लेने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार गेहूं के प्राइवेट थोक व्यापारियों पर रोक लगा दी जाएगी। तथापि, लाइसेंसिंग और/अथवा पंजीकरण की प्रणाली के अधीन खुदरा व्यापारियों को निर्धारित सीमा के अंदर गेहूं खरीदने तथा रखने और उसे केवल उपभोक्ताओं को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जाएगी ।

आसाम, आंध्र और उड़ीसा में क्षेत्रीय दंगों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना

7836. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा पाया गया था कि आसाम, आंध्र, उड़ीसा और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दंगों में विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया ;

(ख) क्या समूचे देश मे हुए राजनैतिक आन्दोलनों मे भी विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले का कोई तथ्यात्मक अध्ययन किया है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश भर में विद्यार्थियों और युवकों में प्रदेशवाद की बढ़ती हुई भावना को रोकने तथा उनमें भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने के लिये कोई नीति बनाकर उसके अनुसार कार्यक्रम बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ङ) : सरकार को यह ज्ञात है कि छात्र समुदाय का कुछ वर्ग देश के कुछ भागों में हाल के आंन्दोलनों और अशान्ति में शामिल रहा है। सरकार को, विद्यार्थियों के क्षेत्रीय अथवा राजनैतिक स्वरूप के हिंसा के कार्य-कलापों में भाग लेने के मामले पर गहरी चिन्ता है। चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान कुछ समय पहले विद्यार्थी असन्तोष की विभिन्न घटनाओं से संबंधित उपलब्ध सूचना का विश्लेषण किया गया है। ऐसा देखा गया कि विद्यार्थी असन्तोष की घटनाओं में से लगभग एक तिहाई घटनाएं, पर्याप्त योग्य अध्यापक नियुक्त करना, विशिष्ट पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के दाखिलों के प्रबन्ध वाली संस्थाओं का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना, परिवहन की अच्छी सुविधा इत्यादि जैसी अच्छी शैक्षिक सुविधाओं की मांग से संबंधित थीं। अगली एक तिहाई घटनाएं असफल होने वाले विद्यार्थियों की मांग, कालेज संघों का चुनाव, बर्खास्त किए गए स्टाफ आदि का प्रतिवाद इत्यादि जैसी समस्याओं के कारण थी। शेष घटनाएं विद्यार्थियों द्वारा बड़ी-बड़ी समस्याओं के संबन्ध में थी, जो घरेलू, आर्थिक तथा अन्य समस्याओं से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तक थीं ।

2. सरकार का यह अभिमत है कि शैक्षिक प्रक्रिया के जरिए वैज्ञानिक वातावरण तैयार करने और सभी संकुचित क्षेत्रीय और सांप्रदायक भावनाओं की अस्वीकृति के लिए सही अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने बहुत सी नीतियां और कार्यक्रम चलाये हैं और वह विद्यार्थियों और अध्यापक समुदाय के सहयोग से नये कार्यकलापों का विकास करती रहेंगी।

3. शैक्षिक प्रांगणों में साम्प्रदायिकता और प्रादेशिकता से संघर्ष करने के उद्देश्य से, इस मंत्रालय द्वारा गठित शिक्षाविदों और छात्र नेताओं की समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालयों और चुने हुए कुछ कालेजों में साम्प्रदायिकता और प्रादेशिकता के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये मंच के रूप में काम करने हेतु राष्ट्रीय एकता समितियां स्थापित की गयी थीं। शिक्षाविदों और छात्र-नेताओं की समिति अब अपनी अगली बैठक में इस आशय पर विचार करेगी कि इन समितियों को सुदृढ़ और उनका पुनर्गठन कैसे किया जाये।

4. केन्द्रीय सरकार ने, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और जनतंत्र के विरुद्ध, पुस्तकों के विषय किस हद तक विरोध प्रकट करते हैं इस चीज का पता लगाने के लिये स्कूलों में निर्धारित पुस्तकों की समीक्षा करने के लिये पहले से एक द्रुतगामी कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया है। इस प्रकार की जांच के परिणाम-स्वरूप निष्कर्षों को सभी राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं।

5. विभिन्न प्रदेशों के रीति रिवाजों की बेहतर जानकारी और उनके समादर के लिए युवकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में आदान-प्रदान करना एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप है और सरकार विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता दे रहे हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति सहित उनके जीवन के भिन्न-भिन्न रीति रिवाजों को पाठकों के नोटिस में लाने के लिये पुस्तकों का निर्माण किया गया है और भविष्य में भी अधिक संख्या में इन पुस्तकों का निर्माण किया जायेगा।

6. राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों और समाज के चारों ओर के समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिये छात्रों और गैर-छात्रों दोनों की एक बहुत बड़ी संख्या के युवकों को शामिल करने के हेतु कार्यक्रमों को सरकार भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रही है। ग्रीष्म ऋतु के महीनों के दौरान "अकाल उन्मूलन में युवकों का योगदान" नामक एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें सामुदायिक परिसम्पति को उत्पन्न करने में छात्र और गैर-छात्र दोनों प्रकार के अन्ततः एक लाख युवक भाग लेंगे। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के सृजन से प्राप्त सन्तोष के अलावा, जो उन्हें ग्रामीण समाज के और समीप लायेगा, वे अपने आपको समाज के परामर्श से समाज की कुछ समस्याओं को हल करने में व्यस्त भी रखेंगे, जिनका समाज को सामना करना पड़ता है। सरकार का यह अभिमत है कि इस प्रकार के क्रियाकलापों से युवकों के विचार और उदार बनेंगे और इससे उनको अपनी प्रादेशिक अथवा संकीर्ण विचारधारा से निश्चित रूप से यथासम्भव मुक्ति मिलेगी।

विभिन्न जनसंख्या क्षेत्रों में परिवार नियोजन का विस्तार

7837. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (एक) शहरी (दो) ग्रामीण (तीन) गन्दी बस्ती (चार) जनजाति क्षेत्रों और (पांच) पिछड़े ग्रामीण समुदायों--इन विभिन्न जनसंख्या क्षेत्रों में परिवार नियोजन का विस्तार करने के बारे में सांख्यिकीय अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस प्रकार का अध्ययन परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामों का तथ्यपूर्ण आंकलन करने तथा देश की जनता के वंशानुगत गुणों को बनाये रखने के लिये आवश्यक है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किरू) : (क) से (घ) : शहरी और ग्रामीण दम्पत्तियों तथा कुछ मुख्य-मुख्य सामाजिक-आर्थिक वर्गों के लोगों के ज्ञान, प्रवृत्ति और व्यवहार के स्तर का अध्ययन करने के लिए स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नत वर्ग के लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम अधिक अपनाया जाता है। तथापि गन्दी बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े हुए ग्रामीण समुदायों के बारे में नियमित रूप से अलग से आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम देश में जनसंख्या के सभी वर्गों पर लागू हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति को ध्यान में रखते हुए देश के लोगों की सन्तानोत्पादन सम्बन्धी विशेषताओं के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए इस समय अध्ययन करना अनिवार्य नहीं समझा गया है।

सरसों के बीजों की बहुत अधिक फसल

7838. श्री समर गुहा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरसों के बीजों की बहुत अधिक फसल होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास राज्यवार, सरसों के बीजों के उच्चतर उत्पादन के तथ्यात्मक अनुमान है;

(ग) सरसों के बीजों की बहुत अधिक फसल के सरकारी अनुमानों का बीजों तथा तेल के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा को सरसों के बीजों की सप्लाई की दर के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : उपलब्ध संकेतों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान तोरिया तथा सरसों की फसल का उत्पादन पूर्ण संतोषजनक होने की सम्भावना है। तथापि, उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरसों के बीज तथा उसके तेल के मूल्य, उनके उत्पादन एवं देश में वनस्पति तिलहनों एवं तेलों की समग्र सप्लाई की स्थिति से प्रभावित होते रहते हैं। इस वर्ष कई उत्पादक राज्यों में सूखे की स्थिति के फलस्वरूप, खरीफ के तिलहनों के उत्पादन में कमी होने से तिलहनों तथा तेलों के मूल्यों में सामान्यतः वृद्धि हुई है। तथापि, अन्य खाद्य तिलहनों तथा तेलों की तुलना में सरसों के बीज तथा उसके तेल के मूल्यों में अपेक्षतया बहुत कम वृद्धि हुई है।

(घ) सरसों के बीजों के वितरण का नियंत्रण नहीं है। तथापि, आयातित तोरिया के बीजों में से पश्चिम बंगाल को प्रति माह 2,000 मीटरी टन का आबंटन किया जा रहा है।

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायत राज विषयक कानून

7839. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण विषयक बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार, पंचायती राज कानून अभी तक पास नहीं किये हैं अथवा काफी समय पूर्व कानून बनाने के उपरान्त भी इनको लागू नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में कानूनों को लागू करने में तथा इसके अन्तर्गत चुनाव करवाने में कितना समय लगेगा ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : यद्यपि बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के ढांचे की सिफारिश की थी, लेकिन 1968 में मद्रास में हुए मुख्य मंत्रियों और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि दो अथवा तीन स्तरीय ढांचे को अपनाने की बात राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों पर छोड़ दी जानी चाहिए ।

इस समय पंचायती राज 19 राज्यों और 6 केन्द्र शासित क्षेत्रों में एक, दो अथवा तीन स्तरीय ढांचे वाले विभिन्न रूपों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों जैसे नागालैण्ड, मेघालय, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीवी द्वीपसमूह, पांडिचेरी और मिजोरम ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया है । तथापि, नागालैण्ड में इस प्रयोजन के लिए उनके अपनी परंपरागत जनजातीय संस्थाएं हैं, जैसे क्षेत्र, प्रक्षेत्र और जनजातीय परिषदें ।

यद्यपि पंचायती राज राज्य विषय है, तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और केन्द्रशासित क्षेत्रों से लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि पंचायती राज को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। यह बताना सम्भव नहीं है कि पंचायती राज कानून बनाने और उनके अन्तर्गत चुनाव कराने में राज्य सरकारों को कितना समय लगेगा। फिर भी राज्य सरकारों पर इस बात के लिए बल देने हेतु प्रयत्न किए जाते रहे हैं कि राज्यों में पंचायती राज शीघ्र लागू करना महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है।

प्रशाद नगर, वैस्टर्न ऐक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का निर्माण

7840. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के वैस्टर्न एक्सटेंशन एरिया क्षेत्र में प्रशाद नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के निर्माण का एक प्रस्ताव है;

(ख) प्रत्येक वर्ग में बनाए जाने वाले फ्लैटों की संख्या क्या है और ये फ्लैट कितने मंजिल के होंगे; और

(ग) ये फ्लैट अलाटमेंट के लिए कब नक तैयार हो जाएंगे ।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ग	फ्लैटों की संख्या	मंजिलों की संख्या
1. मध्यम आय वर्ग	304	4
2. निम्न आय वर्ग	150	3
3. जनता	150	4

(ग) इन्हें एक वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना है।

Curtains and Chairs Provided to Bungalows of Members of Parliament Under C.P.W.D. Enquiry office, Ferozshah Road, New Delhi.

7841. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the condition of the curtains and chairs provided to some of the bungalows of the Members of Parliament coming under C.P.W.D. Enquiry Office, Ferozshah Road, New Delhi is so bad that they need to be replaced;

(b) whether also for their replacement, it is said that they are out of their stock; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir. The condition of curtains and chairs is not bad.

(b) and (c) : The furniture and furnishings are of old designs. Requests for their replacement cannot be accepted because of the current ban on the purchase of such items on account of the financial stringency.

थोक व्यापारियों, एजेंसियों, भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों द्वारा वसूल की गई गेहूं की मात्रा

7842. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के बाद राज्य की थोक व्यापार एजेन्सियों, भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों द्वारा प्रत्येक गेहूं उत्पादक राज्य से कुल कितना गेहूं वसूल किया गया और गेहूं के केन्द्रीय सुरक्षित भंडार को छोड़कर और अपने राशन के उद्देश्य के लिए राज्यों द्वारा वसूल की गई मात्रा को भी छोड़ कर तत्संबंधी, राज्यवार, आंकड़े क्या हैं; और

(ख) खुदरा व्यापारियों को गेहूं के वितरण के लिए की गई व्यवस्था की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : चालू रबी मौसम के दौरान गहूं पैदा करने वाले प्रत्येक राज्य में विभिन्न अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अभिप्राप्त किए गए गेहूं की कुल मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है। विभिन्न अधिप्राप्ति एजेंसियों से केन्द्रीय सरकार जो अधिप्राप्त स्टाक प्राप्त होगा उससे ही केन्द्रीय भण्डार बनेगा और उसमें से ही राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

(ख) लाइसेंसिंग प्रणाली के अधीन खुदरा व्यापारियों को कार्य करने की अनुमति दी जायेगी और उन्हें उपभोक्ताओं को बेचने के लिए खुले बाजार से गेहूं खरीदने की छूट होगी लेकिन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों में निर्दिष्ट की गई सीमा के अन्दर ही खरीदने, रखने और बेचने की अनुमति होगी।

विवरण

विपणन मौसम 1973–74 (1-4-73 से आगे) के दौरान अधिप्राप्त किए गए गेहूं की मात्राएं
(21-4-73 को तैयार किया गया) (आंकड़े मी० टन में)

राज्य का नाम	वास्तव में अधिप्राप्त की गई मात्रा	निम्नलिखित तारीख तक की स्थिति
असम	68	17-4-73
बिहार	412	18-4-73
गुजरात	3	16-4-73
हरियाणा	13,821	19-4-73
मध्य प्रदेश	27,485	19-4-73
पंजाब	18,641	19-4-73
महाराष्ट्र	3,721	18-4-73
राजस्थान	213	20-4-73
उत्तर प्रदेश	11,624	20-4-73
पश्चिम बंगाल	30	15-4-73
दिल्ली	47	20-4-73
चण्डीगढ़	11	18-4-73
जोड़	76,076	

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का और धुलिया के बीच राष्ट्रीय राज-पथ 34 के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना

7843. **श्री त्रिदिब चौधरी** क्या : **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का और धुलिया के बीच के स्थानों में फरक्का के निचली ओर गंगा नदी के कटाव से राष्ट्रीय राजपथ-34 के वर्तमानभाग को भारी खतरा बना हुआ है, और

(ख) उस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपथ-34 के लिए वर्तमान मार्ग के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है जिससे गंगा द्वारा इस के कटाव की संभावनाओं को दूर किया जा सके और इस महत्वपूर्ण राजपथ पर सड़क यातायात निर्विघ्न हो सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) फरक्का बांध सड़क पुल के दक्षिणी पहुंचमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के मौजूदा अस्थायी मार्ग, जोकि पहले बेनीग्राम फेरी पहुंचमार्ग था, को गंगा से भूमि कटाव का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्थायी संरेखण के साथ-साथ उस पुल का पहुंचमार्ग नदी से काफी दूरी पर निर्माणाधीन है।

(ख) मौजूदा अस्थायी राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर और भूमि कटाव की संभाव्य स्थिति का उस सीमा तक सामना करने के लिए जब तक कि स्थायी पहुंच मार्ग बन कर तैयार नहीं हो जाता, पीछे हटी हुई स्थिति में अस्थायी मार्ग के कमजोर हिस्से के पुनर्संरेखण के अनुमान को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

मैसूर में काजू के विपणन के सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट

7844. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में काजू के विपणन के सर्वेक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना परिव्यय हुआ और इस के लिए किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी नहीं। यह रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं की गई है, क्योंकि अभी मैसूर में काजू के विपणन संबंधी सर्वेक्षण चल रहा है। यह सर्वेक्षण-कार्य कोलार, दक्षिण कनारा और उत्तर कनारा के जिलों में किया जा रहा है। 1972-73 के दौरान राज्य सरकार को अब तक 28,000 रु० की राशि निर्मुक्त की गई है और 1973-74 के वर्ष के लिए 39,000 रु० की व्यवस्था की गई है।

मैसूर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना

7845. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धारवाड़ में एक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य में एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) : जी, हां।

(ख) तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

जहां तक धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का संबंध है, प्रस्ताव पर आयोग द्वारा नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की उन मार्गदर्शी रेखाओं की दृष्टि से विचार किया जाएगा जो आयोग द्वारा तैयार की जा रही हैं। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था का विकास

7846. **श्री गिरिधर गौमांगी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था के विकास का स्तर इन राज्यों में सामान्य स्तर की तुलना में क्या है, और

(ख) कोरापुट, बस्तर और माँडला में 1947, 1960 और 1971 के वर्षों में सभी मौसम में काम आने वाली सड़कों की प्रति 100 किलोमीटर के पीछे कुल मीलयोग कितना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) : संबंधित राज्य सरकारों से उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बारे में आवश्यक सूचना की प्रतीक्षा की जा रही

है और यथा समय इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। परन्तु बिहार की स्थिति, राज्य सरकार की सूचनानुसार निम्न प्रकार से हैं--

(31-3-72 को जैसी स्थिति थी)

	प्रति 11 वर्ग किलोमीटर	प्रति लाख जनसंख्या
(1) संथाल परगना और छोटा नागपुर कबीली क्षेत्रों में सड़क विकास की कुल सतह . .	(किलोमीटर) 6.70	37.2
(2) राज्य में सड़क विकास की सामान्य सतह . .	8.56	26.2

चौथी योजना के दौरान आदिवासी विकास संबंधी मार्गदर्शी परियोजना की प्रगति

7847. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के दौरान विकास आदिवासी संबंधी मार्गदर्शी परियोजना की प्रगति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : 6 मार्गदर्शी आदिवासी विकास परियोजनाओं की प्रगति की मुख्य बातों के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-4858/73)

आदिवासी विकास संबंधी मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए धनराशि के नियतन का आधार

7848. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान आदिवासी विकास संबंधी मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए किस आधार पर धनराशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों की कृषि-आर्थिक स्थिति को सुधारना है, अथवा क्षेत्र विकास है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना में कितने खंडों को शामिल किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कृषि मन्त्रालय के केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान स्कीम के अन्तर्गत छः आदिवासी विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश (2), उड़ीसा (2), बिहार (1) और आन्ध्र प्रदेश (1) में स्थित हैं और उन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुई एक आदिवासी विकास एजेंसी चला रही है। प्रत्येक परियोजना में आदिवासियों के आर्थिक विकास कार्यक्रम के लिए 1.5 करोड़ रुपये और परियोजना क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़कें बनाने के लिए 0.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार समय-समय पर एजेंसियों को सहायक अनुदानों के रूप में धन देती रहती है। ऐसा करते समय वह कार्यक्रम की क्रियान्विति की दिशा में हुई प्रगति, व्यय हुई राशि की सूचना और कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए धन की आवश्यकता को ध्यान में रखती है।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्यक्रम के सफलता-पूर्वक कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं का उद्देश्य अभिज्ञात आदिवासी परिवारों की कृषि-आर्थिक स्थिति को सुधारना और सुविधाओं तथा संस्थाओं को कारगर बनाना है।

(ग) प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आए खण्डों की संख्या निम्न प्रकार है :—

परियोजना का नाम	परियोजना के अन्तर्गत आए खण्डों की संख्या
(1) श्रीकाकुलम (आ० प्र०)	9
(2) सिंघभूम (बिहार)	4
(3) दंतेवाड़ा (म० प्र०)	4
(4) कोंटा, बस्तर जिला (म० प्र०)	3
(5) गंजम (उड़ीसा)	8
(6) कोरापुट (उड़ीसा)	10

उड़ीसा में जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा जल सप्लाई योजना के बारे में जांच समिति के निष्कर्ष

7849. **श्री गरिधर गोमांगो** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार, जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन, उड़ीसा ने जल सप्लाई योजनाओं की क्रियान्विति में भारी गलतियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : सूचना की उड़ीसा राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों से किराया लेना

7850. **श्री बरके जार्ज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्वार्टरों के किरायों को नियत करने और सरकारी कर्मचारियों से उन के सम्बद्ध वेतनमानों के हिसाब से किराया लेने की बजाए नियत किराया ले लेने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। आबंटी से उस की परिलब्धियों का 10 प्रतिशत लेने का वर्तमान फार्मूला (उन कर्मचारियों के लिए 7½ प्रतिशत जिन की परिलब्धियां मंहगाई वेतन समेत 220/- रुपये से कम है) उससे मानक लाइसेंस फीस वसूल करने की अपेक्षा अधिक लाभकारी है जो कुछ मामलों में निर्धारित प्रतिशतता से बढ़ सकती है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण और आवंटन

7851. **श्री बरके जार्ज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आबंटन के लिए निर्मित अथवा निर्माणाधीन सरकारी क्वार्टरों के विभिन्न वर्ग कौन-कौन से हैं;

(ख) उपरोक्त क्वार्टर वास्तव में कितने क्षेत्रफल में बने हुए हैं; और

(ग) कर्मचारियों से प्रत्येक वर्ग के क्वार्टरों के लिए कितना किराया लिया जा रहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवीं योजना के दौरान दिल्ली में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

7852. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टरों का निर्माण करने की संभावना है;

(ख) क्या ये क्वार्टर उन के कार्य-स्थल के निकट ही बनाए जायेंगे: और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई बृहत योजना बनाई गई है और यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी टाईप I से टाईप III तक के क्वार्टरों के सामान्यतया पात्र होते हैं। निधियां उपलब्ध होने पर, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में टाईप I से टाईप III के 28,265 एकक निर्माण करने का विचार है ताकि दिल्ली में 75 प्रतिशत परितुष्टि प्राप्त की जा सके।

(ख) भूमि के उपलब्ध होने पर, कार्य-स्थान के यथा संभव निकट क्वार्टरों का निर्माण करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) अभी नहीं।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा उर्वरक का वितरण अपने नियन्त्रण में लेने का सुझाव

7853. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नीति बनाने वालों के एक उच्च स्तरीय सम्मेलन ने 28 मार्च, 1973 को राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादित उर्वरकों के वितरण को अपने नियंत्रण में लेने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : सहकारी नीति बनाने वालों के एक सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि नाइट्रोजन युक्त, फौसफैटिक तथा मिश्रित उर्वरकों का समस्त देशी उत्पादन वितरण हेतु सहकारी समितियों द्वारा ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण करने के कार्य में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को महत्वपूर्ण भाग लेना चाहिए।

सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद ही सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा।

भारत में आयातित खाद्यान्नों के परीक्षण के लिए एजेंसी संस्थान

7854. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आयातित खाद्यानों के परीक्षण के लिए सरकार की अपनी कोई एजेन्सी है अथवा कोई अन्य संस्थान हैं अथवा किसी अन्य प्राभिकरण की नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) : जी नहीं। सरकार के पास आयातित खाद्यानों के परीक्षण के लिए अपनी प्रयोगशाला है।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

शिवालिक जीवाश्मों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के बारे में उत्पन्न कथित विवाद

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में हमें वक्तव्य दें:—

"शिवालिक जीवाश्मों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात के बारे में उत्पन्न कथित विवाद"

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री नूरुल हसन) : शिवालिक पहाड़ियों (उत्तरी भारत) में प्राचीन होमिनिडो के अध्ययन और खोज का एक संयुक्त सहयोगात्मक कार्यक्रम, पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ और याले विश्वविद्यालय पी० बाडी संग्रहालय, अमरीका के बीच 1967 में प्रारम्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित हुआ था। इस परियोजना पर कार्य मार्च, 1968 में शुरु हुआ। अमरीकी क्षेत्रीय टीम और भारतीय टीम के बीच परियोजना के संचालन के दौरान कुछ गंभीर मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण परियोजना को पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, अप्रैल, 1969 में निलम्बित कर दिया गया था। दिसम्बर, 1969 में विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने निश्चय किया कि परियोजना को विश्वविद्यालय के संसाधनों के अन्तर्गत ही विश्वविद्यालय के नेतृत्व विभाग द्वारा स्वतन्त्र रूप से जारी रखा जाए। अगस्त, 1972 में इस बात पर सहमति हुई कि परियोजना को भारत के नृतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सहायक-अनुदान के जरिए सहायता प्रदान की जाए। परियोजना के लिए एक सलाहकार समिति भी स्थापित की गई थी।

मई 1972 में याले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिमन्स, पंजाब विश्वविद्यालय के साथ शिलाभवों के बंटवारे के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए चण्डीगढ़ आए। बातचीत के दौरान उनसे कुछ विषयों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में वह संयुक्त राज्य अमरीका में उपयुक्त अधिकारियों के साथ परामर्श करेंगे। प्रोफेसर सिमन्स से अभी तक पंजाब विश्वविद्यालय में कोई और संदर्भ प्राप्त नही हुआ है।

पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुसार यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किन्तु ऐसी सम्भावना है कि कुछ महत्वपूर्ण शिलाभवों की आकृतियां उस समय तैयार की गई हों और अमरीका भेजी गई हों जबकि मूल शिलाभव वाले विश्वविद्यालय की टीम के संरक्षण में थे। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि क्या कोई शिलाभव वस्तुत: भारत से बाहर ले जाया गया है।

पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 के अन्तर्गत ऐसा एक विशिष्ट उपबन्ध है कि केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी प्राधिकरण या एजेन्सी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी पुरावशेष का निर्यात करना, जिसमें अन्य वस्तुओं के साथ-साथ प्राचीन काल की वस्तु अथवा चीज अथवा विज्ञान के चित्र भी शामिल हैं, वैध नहीं होगा।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी पुरातत्व वस्तु अथवा कला के महत्व की वस्तु का निर्यात वैध नहीं है।

मुझे जानकारी मिली है कि मैसूर राज्य में एक मन्दिर से मूल्यवान कला वस्तुओं, नक्काशी की वस्तुओं तथा मूर्तियों को एक गिरोह द्वारा पहले नेपाल भेजा जाता है और वहां से अन्य देशों को। चण्डीगढ़ संग्रहालय से चित्रों आदि की भी चोरी हुई है। बम्बई संग्रहालय से बुद्ध की मूर्ति की चोरी हुई थी। अप्रैल 1972 को देश से 150 मूर्तियों की चोरी हो चुकी थी। इन वस्तुओं की हमारे देश में कोई मण्डी नहीं है परन्तु पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक पुराने इतिहास का पता लगाने के लिए जांच करते हैं। वैज्ञानिक तथा संस्कृति में प्रगति की दृष्टि से इन वस्तुओं का बहुत महत्व है। यदि हम एक वार इन को खो देते हैं तो पुन: इन को हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री बतायें कि देश की पुरानी परम्पराएं और बहुमूल्य आस्तियों का संरक्षण किस प्रकार किया जायेगा !

डा० शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि येल विश्वविद्यालय तथा पश्चिमी जर्मनी के वैज्ञानिक इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में देश के शोषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

प्रो० नूरुल हसन : मैंने सभी सूत्रों से पता लगाया है कि कोई भी जीवांश्म (फासिल) गुम नहीं है सरकार की अनुमति के बिना इनको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। जहां तक कस्टम का सम्बन्ध है इन को बहार भेजा जा सकता है तथा इनको बाहर से मंगाया जा सकता है।

Shri M.C. Daga (Pali) : It is a matter of great pride for Himachal Pradesh as well as for our Country that a museum is being constructed in Himachal Pradesh where 50 to 80 lakh years old fossils will be kept. Land has already been acquired for it. The Ministry of Steel and Mines have also sanctioned 45,000 rupees for the same.

I will request that if anything wrong has happened in the Punjab University it should be placed before the House nothing should be concealed. Dr. Abhimanyu Sharma of Indian Association of Physical Anthropologists have categorically said that some fossils have been stolen and kept in U.S. Embassy. He has also demanded that steps should be taken against U.S. Scientists wanting to explore the Shivalika. He has also revealed that a west German team was asked to go back after it had made a collaboration agreement for a major 20-year research project. He has also said that Americans took help from Prithvijit Singh son of Jagjit Singh who is a Registrar of the University. Some fossils were relieved by the U.S. Embassy when a strong protest was lodged with the U.S. authorities. The West German Scientists were invited after a decision was taking in the Conference to the effect that various institutions and Scientists should be associated with the research work. The said team was sent back and they were not allowed to carry out

any research work. The research work was carried out by the Punjab and Yale University Scientists. The Bengal Asiatic Society then gave the award to Prof. Simons of the Yale University. The Punjab University lodged a protest with the Society saying that the research work was done by both the Universities, and that the award should have been given to persons belonging to both the Universities.

May I know whether the statement of Dr. Sharma is incorrect? The statement of the hon. Minister is not clear. May I also know whether any case under the Antiquities Act has been registered. News regarding fossils of the Shivalik has appeared in all the Indian papers. May I know whether the University of Punjab or Education University has made any enquiry against Shri Prithvi Singh ? I would like to know the amount being earmarked for the research work?

May I know whether any enquiry has been instituted on the basis of the reports of Dr. Sharma? May I also know the value of the stolen fossils? May I further know whether the Americans were allowed under the collaboration agreement to take some fossils with them for research?

Shri Nurul Hassan : I have received a letter from Shri Chopra, the Head of Anthropology Department in which he has stated that they have failed to steal any fossil. The Vice-Chancellor of the University has also expressed similar views :

If the hon. Member gives any specific instance I am prepared to look into it. We have sanctioned 75 thousands rupees for this project. It has been decided to constitute a Committee consisting of experts from Geological Department, Anthropology and various other departments. This Committee will give its advice in various fields of research and other matters.

Various rules under the Antiquities are being framed. But in the meantime Government is acting in accordance with the spirit of the Act.

The agreement provided that some fossils can be given to the Yale University. But this connection I may inform the House that no fossils can be taken out of the country without the permission of the Government.

So far as the question of giving award to Dr. Sharma is concerned it was a scholarly judgement of the Asiatic Society. There can be same difference of opinion on their judgement but the Government do not want to interfer in their matter.

श्री समर गुह (कन्टाई) : भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण 1950 से फासिल्ज़ एकत्रित करने का, प्रयास कर रहा है परन्तु इनके महत्व को अभी तक नहीं समझा गया है। शिवालिक फासिल्ज से हिमालय के बनने तथा 'गिराधे' के अमरीका में पहुंचने का पता लगता है। यह भी पता लगता है कि घोड़ा पहले उत्तरी अमरीका में उत्पन्न हुआ और उसके बाद दूसरे देशों में गया। शिवालिक से विभिन्न पहाड़ियों के बनने का भी पता लगता है। इससे भारत के वनने तथा इसके वन जीवन का भी पता लगता है। अनेक बहुमूल्य फासिल्ज को देश के विभिन्न भागों में नष्ट किया गया है और कुछ देश से बाहर भी ले जाया गया है। क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए उचित कानूनी उपाय नहीं हैं। इसके लिए एक अधिनियम बना देना पर्याप्त नहीं है। आम व्यक्ति नहीं जानता कि इन की रक्षा किस प्रकार करनी है।

वंशपटक सोसाइटी ने डा० सिमन्स को जो इनाम दिया है उसमें कुछ गलती नहीं की है। वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जीवाश्म विज्ञान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सहयोग हो रहा है अथवा नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम जर्मन के वैज्ञानिकों के साथ भेदभाव का बर्ताव किया गया था। क्या सरकार फासिल्ज के संरक्षण के लिए कोई कानून बनायेगी ? हम चाहते हैं कि शिवालिक क्षेत्र में एक संग्रहालय बानया जाये। मुझे पता लगा है कि श्री एम० एम० चौधरी ने इस बारे में कुछ ठोस सुझाव दिये हैं। सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मेरे विचार में पश्चिम जर्मनी के किसी भी वैज्ञानिक ने फासिल्ज का अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। अतः भेदभाव के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। न केवल पंजाब विश्वविद्यालय बल्कि भारत की अनेक संस्था देश की फासिल्ज सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने में रुचिकर हैं। और वे इनको एकत्र कर रहे हैं। जहां पर आवश्यक समझा जा रहा है संग्रहालय बनाये जा रहे हैं। इन सभी संगठनों को सरकार से धन मिल रहा है। अतः मेरे विचार में केवल फासिल्ज के लिए एक अन्य संग्रहालय बनाना उचित नहीं है। अनुसंधान तथा इनको एकत्र करने के बारे में शिक्षा मंत्रालय पूरी सहायता दे रहा है। अभी तक दुरुपयोग के किसी मामले का पता नहीं लगा है। यदि कोई मामला विशेष मेरे ध्यान में लाया जाये तो मैं जांच करूंगा।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का सम्बन्ध है मूल फासिल्ज को बाहर नहीं भेजा जाता केवल प्लास्टर कास्टम ही बाहर भेजे जाते हैं। फासिल्ज का अध्ययन करने के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को सुविधाएं दी जाती हैं।

श्री हरिकिशोर सिंह (पुपरी) : क्या पाये गये फासिल्ज का कोई रजिस्टर सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा बनाया गया है। यदि नहीं तो माननीय मंत्री यह किस प्रकार कह सकते हैं कि देश से किसी फासिल को बाहर नहीं ले जाया गया है। क्या फासिल्ज में अनुसंधान कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के सरकार के किसी अभिमाग के पास नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि देश में फासिल्ज सम्पत्ति कितनी है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : अनुसंधान करने वाले दल के पास एक रजिस्टर रहता है। जो भी सामान मिलता है उसको रजिस्टर में उसी समय लिखा जाता है। यह आम प्रथा है, पाये गये सामान का पूरा ब्यौरा भी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

जहां तक फासिल्ज को बाहर ले जाने की बात है मैंने केवल इतना कहा था कि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

जहां तक विदेशी वैज्ञानिकों को अनुसंधान की अनुमति देने का कानून है इसके लिए सरकार द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सम्बन्धित शैक्षिक संस्था के परामर्श से किसी विदेशी वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दी जाती है।

उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं की सहायता की जाती है जिससे कि वे सर्वेक्षण तथा खुदाई आदि का कार्य कर सकें।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

Re : Motions for Adjournment

महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का अत्यधिक अभाव

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया सभी बैठ जाइये। मुझे दो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री एस० एम० बनर्जी और श्री श्याम नदन मिश्र की ओर से तथा दूसरा श्री मधुलिमये की ओर से। दोनों लगभग एक ही विषय पर हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, due to the shortage of foodgrains in the varicus parts of Maharashtra serious situations has developed there. We should be allowed to have a

discussion on the situation. Discussions on it can take place if you kindly admit on adjournment motion. It is a serious matter. Government have failed in their duty to supply adequate quantity of foodgrains resulting in disturbances and plunder there.

Secondly, it has been claimed by the Government that they have procured large quantity of foodgrains in Haryana and Punjab. If it is so why they have not supplied the surplus foodgrains to the famine affacted areas of Maharashtra?

My third point is that if it was intended by the Government to import foodgrains, then why they have delayed it. (*Interruption*)

Calling attention motion will not solve any purpose.

अध्यक्ष महोदय : यदि कानून और व्यवस्था का प्रश्न है तो यह राज्यों का विषय है। अनाज की कमी के बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। खाद्य और कृषि मंत्रालय की मांगों के समय भी इस विषय में चर्चा हो चुकी है। तथापि मैं आपको एक एक मिनट बोलने का समय देने को तैयार हूं।

श्री मधुलिमये (बांका) : मेरा एक कवीचा का प्रश्न है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : कुछ दिनों से स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है। सरकार हमें वसूली और सप्लाई के बारे में वास्तविक स्थिति नहीं बताती। भूख से लोग मरने लगे हैं तथा आज समाचार मिला है कि दो आदिवासी भूख से मर गये हैं। सम्पूर्ण महाराष्ट्र में खाद्यान्न के लिये दंगे हो रहे हैं।

(व्यवधान)

स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है तथा इस विषय पर सदन को चर्चा करने का अवश्य अवसर दिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have a point of order. I know that it is under the discretionary power of the Speaker to admit or reject any adjournment motion. But the discretion of Speaker is guided by certain rules. (*Interruptions.*)

Mr. Speaker : It is not a point of order. It is a submission no doubt. (*Interruption*) Kindly don't interrupt like this. Let me hear him for two minutes.

Shri Madhu Limaye : In 1965-66 the then Food Minister Shri Subrahmaniam issued a direction to the effect that the areas in which 7·5 per cent crop was destroyed would be declared as famine affected areas.

Secondly, under Article 302 of the Constitution Parliament has been empowered to regulate inter-state trade in foodgrains. The proper distribution of food can not be ensured without it.

Thirdly, Schedule 7 indicates that import and export of foodgrains are the subject matter of the Central Government. These points show that the Central Government have not performed their duties relating to proper distribution of food in the country. In these circumstances adjournment motion should be admitted.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महाराष्ट्र में खाद्यान्न की कमी के कारण प्रदर्शन हुए तथा पुलिस ने गोली चलाई जिसमें चार व्यक्ति मारे गये तथा 25 व्यक्ति घायल हो गये।

अत्यन्त खेद का विषय है कि जिन अधिकारियों ने जमाखोरों से अनाज के 30-40 बोरे जब्त किये उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनपर लूटपाट का आरोप लगा दिया गया।

मेरे विचार से यह मामला स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के लिये पर्याप्त न्यायोचित है जिसमें सरकार की आलोचना की जा सके। महाराष्ट्र में खाद्यान्न की अपर्याप्त सप्लाई तथा वहां पर उत्पन्न अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में नगर सेठों और नौकरशाहों ने षडयंत्र रच रखा है । वे खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण की नीति को असफल करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है उन्हें तुरन्त रिहा किया जाए तथा जमाखोरों को गिरफ्तार किया जाए अन्यथा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वीकार करता हूं कि यह मामला वास्तव में महत्वपूर्ण है । किन्तु इस विषय पर इस सत्र के दौरान कई बार चर्चा हो चुकी है । **(व्यवधान)** मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee : Kindly do not make haste in taking decision on this matter. Certain recent developments have taken place there.

Mr. Speaker : This very matter has been discussed two-three times on the floor of this House. If it is a matter of law and order, then it pertains to state. I am very sorry that I can not give my consent to the adjournment motion.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं (देखिये संख्या एल०टी० 4847-73]

अत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब पी० शिदे) : मैं आवंश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) पहला संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 24 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 176, (ड़) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) अन्तरक्षत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 31 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 187 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) अन्तरक्षत्रीय गह्, और गह् उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 2 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 193 (ङ), में प्रकाशित हुआ था।

ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 4848/73]

गुरू गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद
RE : GURU GOBIND SINGH MEDICAL COLLEGE, FARIDABAD

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) : महोदय। मैंने अनुरोध किया था कि मंत्री महोदय को फरीदाबाद मैडीकल कालेज के बारे में वक्तव्य देने को कहा जाए।

श्री बसंत साठे (घरोला) : महोदय हम जानना चाहते हैं कि क्या समझौता हुआ है।

श्री पीलू मोदी : इस समस्या को अविलम्ब सुलझाना चाहिये जिससे विद्यार्थी आन्दोलन और हड़ताल समाप्त कर सकें। आशा है कि आप मंत्री महोदय से शीघ्र वक्तव्य देने के लिये कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में सम्बद्ध मंत्री महोदय, विभिन्न संगठनों के नेताओं और दोनों मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क बनाए रहा था। मैंने बैठक में आपको भी बुलाया था। उसके पश्चात् ऐसा ज्ञात हुआ कि कुछ समझौता हो गया है।

श्री खाडिलकर ने भी इस समाचार की पुष्टि की थी कि पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ समझौता हो गया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि उक्त बैठक को स्थगित कर देना चाहिये।

श्री बसंत साठे : धन्यवाद। आप मंत्री महोदय से कब वक्तव्य देने के लिये कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय : अब तो सभा की औपचारिक कार्यवाही की जाएगी।

लोक लेखा समिति
Public Accounts Committee
81 वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं समुद्र पारीय संचार सेवा--संचार मंत्रालय--के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (सिविल)–के पैरा 51 पर लोक लेखा समिति का 81वाँ प्रतिवेदन प्रस्तूत करता हूं।

विदेशी मुद्रा विनयमन विधेयक
Foreign Exchange Regulation Bill
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री सतीशचन्द्र (बरेली) मैं विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिए और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के

व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तूत करता हूं ।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री सतीश चन्द : मैं विदेशी मुद्रा के स्रोतों के संरक्षण के लिए और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए कुछ संदायों को, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों के व्यवहार को, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और करेंसी और बुलियन के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों को विनियमित करने वाली विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

Agriculture Refinance Corporation (Amendment) Bill

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्री यशवंत राव चह्वाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन कहने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दीजिए" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

Matter under rule 377

बिहार के समाजवादी नेता श्री सूरज नारायण सिंह की कथित हत्या के बारे में

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैंने इस विषय पर सभा का ध्यान आकर्षित नहीं किया। श्री समर गुह ।

श्री समर गुह (कंटाई) : महोदय ! मैं सभा का ध्यान उस महान स्वतंत्रता सैनानी की निर्मम हत्या की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने अपना समस्त जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया था । मैं इसे राजनीतिक हत्या मानता हूं । पुलिस ने कांग्रेस सत्ता के साथ मिलकर षडयंत्र रचा तथा उसे दिन दहाड़े मार दिया गया । दूसरे नेता श्री हेमंत कुमार बसु की भी हत्या कर दी गई । श्री सूरज नारायण उपवास पर थे तथा उन्हें घसीट कर पुलिस ने पाशविक रूप से उन पर लाठियाँ

बरसाँई। डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु लाठी लगने के कारण हुई। यदि यह सच है तो यह हत्या कितनी निर्मम है। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता की पुलिस ने पीटते-पीटते हत्या कर दी। यह पहला अवसर नहीं है वरन् इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं। 30 नवम्बर को पुलिस ने मधुबनी में सी० पी० आई० के कार्यकर्त्ताओं की हत्या करदी।

इस परिस्थिति को देखते हुऐ किसी भी दिन किसी भी दल के नेताओं के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। अतः मैं माँग करता हूं कि इस घटना की न्यायिक जाँच करानी चाहिये तथा यह जाँच स्वयं केन्द्रीय सरकार द्वारा करानी चाहिये।श्री सूरज बाबू की हत्या के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इससे सम्पूर्ण सदन को धक्का पहुंचा है तथा जिन व्यक्तियों का इस हत्या-काण्ड में हाथ हो उनको तूरन्त जेल में पहुंचा देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ! **(व्यवधान)** इस पर सभी को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता। एक माननीय सदस्य को सभा का इस विषय की ओर ध्यान दिलाने का अवसर दिया जा चुका है तथा यह पर्याप्त है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत) : राज्य का विषय होने के कारण इस मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। किन्तू मुझे एक जानकारी प्राप्त है जिससे मैं सभा के समक्ष रख देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री को यह सूचना दी है कि मैं न्यायिक जाँच करा रहा हूं। सम्भवतः न्यायिक जाँच की व्यवस्था भी करा दी गई हो।

(व्यवधान)

श्री तेन्नेटी विश्वनाथन और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी

श्री जी० विश्वनाथन (बान्डीवाश) : आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के पश्चात् प्रायः वहाँ पर शीघ्र शीघ्र धारा 144 लगाई जाती है। विशाखापत्तनम में 21 अप्रैल को श्री तेन्नेटी विश्वनाथन, भूतपूर्व सदस्य, लोक सभा एवं सात अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। विरोधी नेताओं को इस प्रकार दबाना अनुचित है।

अनुदानों की मांग 1973-74
DEMANDS FOR GRANTS 1973-74

विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब विदेश मंत्रालय माँग संख्या 28 पर चर्चा और मतदान होगा। [जो सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं वे 15 मिनट में मेरे पास चिट भेज दें। विदेश मंत्रालय की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की निम्नलिखित माँगे प्रस्तूत की गई :

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
28	विदेश मंत्रालय	68,57,7700

श्री सरोज मुखर्जी (कटवॉ) : मैं अपने दल साम्यवादी (मार्क्स) की ओर से विदेश मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का विरोध करता हूँ। विगत वर्ष से पूर्व सरकार ने बंगला देश के मामले पर सही कदम उठाया था। परन्तु कार्यवाही करने से पूर्व लाखों लोगों की हत्या हो चुकी थी। उसके पश्चात् भी हम अमरीकी साम्राज्यवाद के सम्मुख झुकते रहे हैं। विदेश मंत्री के कई मैत्री प्रस्ताव अमरीका द्वारा रद्द कर दिये गये हैं।

शिमला समझौता भी सही दिशा में एक कदम था। कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान से बंगलालियों और भारत से युद्धबंदियों की वापसी का निर्णय भी सही निर्णय है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

एशिया, अफ्रीका और अरब देशों में हमारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। लंका, बर्मा और कम्बोडिया से अच्छे सम्बन्ध अभी भी स्थापित नहीं हो सके हैं।

चीन के बारे में हमने सही दृष्टिकोण अपनाया है। हमें समाजवादी देशों से कोई खतरा नहीं है। जहाँ की तथा बाहर की कुछ पार्टियाँ चीन और अमरीका को एक ही स्तर पर रखते हैं। भारत को केवल साम्राज्यवादी देशों से ही खतरा हो सकता है।

सिक्किम की सुरक्षा के बारे में हम वचनबद्ध हैं। हमें चेग्याल के प्रतिक्रियावादी शासन की रक्षा के लिये अपनी सेवाएं नहीं भेजनी चाहिएं थी। हमें वहां के प्रगतिशील लोगों का साथ देना चाहिए। सिक्किम को एक स्वतन्त्र प्रजातांत्रिक राज्य बनाया जाना चाहिए जिसके भारत के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध हों। हमें अन्य देशों को शस्त्रास्त्र बेचने बन्द कर देने चाहिए। इस प्रकार की विस्तारवादी गतिविधियों से बचना चाहिए। हमारी अर्थ-व्यवस्था अमरीका की अर्थ-व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। आपने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि अमरीका और भारत के मूलभूत हितों में कोई अन्तर नहीं है। हमारा दावा तो है कि भारत एक समाजवादी प्रगतिशील राष्ट्र है अतएव साम्राज्यवादी देशों की नीतियों के साथ हमारा संघर्ष होना चाहिए।

समाजवादी रूस के साथ सहयोग तो समझ में आता है परन्तू साम्राज्यवादी अमरीका के साथ सहयोग का कोई अर्थ समझ में नहीं आता।

रूस और चीन के आपसी मतभेदों से लाभ उठाना उचित नहीं है। एसी नीति को समाप्त करना चाहिए।

भारत की यात्रा कर रहे अमरीका के प्रमुख व्यक्ति, श्री जोजफ ने कहा है यदि कोई महान शक्ति, इस देश में प्रभुत्व प्राप्त करती है अथवा पाकिस्तान की एकता को चुनौती बनती है तो अमरीका को सक्रिय कार्यवाही करनी पड़ेगी।

भारत ने अमरीका के सी० आई० ए० के विरुद्ध अभियान समाप्त कर दिया है। अमरीका ने अभी तक रोकी गई सहायता पुनः देना आरम्भ कर दिया है। उसके पश्चात् समाचार मिला है कि पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्र भेजे जा रहे हैं।

अमरीकी डालर का 10% अवमूल्यन हुआ है। ब्रिटेन के साझा बाजार में प्रवेश से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की शक्ति अमरीका, रूस और जापान से बहुत बढ़ गई है। उनका 1971 का आयात 171 बिलियन डालर तथा निर्यात 312 बिलियन डालर रुपए था जबकि अमरीका रूस और जापान का आयात 78 बिलियन डालर था।

अमरीकी राजदूत ने कहा है कि उनके देश का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार बढ़ाना है। इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर अधिक भार पड़ता है। ऐसा लगता है कि आर्थिक क्षेत्र में हमारी नीति ठीक नहीं है।

यदि आप प्रगतिशील स्वतन्त्र नीति चालू करना चाहते हैं तो आपको दक्षिण वियतनाम की क्रांन्तिकारी अन्तरिम सरकार, कोरिया की प्रजा के प्रजातंत्रिक गणतन्त्र और कम्बोडिया के राष्ट्रीय संघ की सरकारों की तुरन्त मान्यता देनी चाहिए। वियतनाम में जनता को विजय प्राप्त हुई है। हमें शीघ्र ही स्वतन्त्र प्रगतिशील नीति अपनानी चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गुहाटी) : मैं समझता हूं कि हम पिछले वर्ष पर संतोष व्यक्त कर सकते हैं। हमारी विदेश नीति से न केवल मामलों का संतोषजनक समाधान किया गया है अपितू उससे इस उपमहाद्वीप में शाँतिपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायता मिली है।

हमारी विदेश नीति की निन्दा स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरु के काल में तथा उसके पश्चात् भी की जाती रही है। कहा जाता है कि हमारी विदेश नीति ने हमें मित्रहीन और असुरक्षित छोड़ दिया है।

पाकिस्तान दक्षिण मार्गी मित्रों के साथ था। आज वह देश साम्यवादी चीन का अनुकरण कर रहा है।

चीन समाजवादी देश होते हुए भी किसिंगर के साथ गठजोड़ करता रहा है। बंगला देश की घटनाओं के दौरान और पश्चात् पाकिस्तान का अनुचित रूप से साथ देता रहा है।

इन सबकी तुलना में हमारी गुट-निर्पेक्ष की नीति पर्याप्त सफल रही है। हमारी विदेश नीति प्रशंसनीय है क्योंकि गुट-निर्पेक्षता अब तक इसके मूलभूत सिद्धांत बना हुआ है।

बंगला देश की स्वाधीनता और वियतनाम शान्ति-वार्ता से शन्ति संतुलन में और भूगोलिक-राजनीति में परिवर्तन आया है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी शान्ति नहीं पा सकेंगे।

आज विश्व में हमारा भाल ऊँचा है। परन्तु वियतनाम के मामले में स्थिति उतनी स्थिर नहीं है। इन मामलों पर विचार करना अत्यन्त उचित ही है।

हमारे मार्क्सवादी मित्र ने जो विस्तारवादी होने का आरोप लगाया है ऐसा आरोप कोई भी शान्तिप्रिय देश भक्त नहीं लगा सकता। हमें इस क्षेत्र में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की स्वतन्त्र प्रभुसत्ता को संरक्षण मिल सके।

अमरीका और चीन को यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्रों में मत-वैविध्य होते हुए भी इस बात में एकमत है कि विदेशी साम्राज्यवाद एवं हस्तक्षेप का विरोध किया जाये। भारत बंगला देश करार द्वारा मानवीय समास्याओं को अन्य समस्याओं से पृथक किया गया है। अब अगला कदम भुट्टो के हाथ में है। श्री भुट्टो ने कहा है कि क्योंकि अपराध पाकिस्तान में हुए थे अतएव मुकद्दमा पाकिस्तान में चलना चाहिए। वास्तविकता यह है कि अपराध पाकिस्तान द्वारा बंगला देश पर किये गये थे। दूसरे विश्व युद्ध में चैकोस्लोवाकिया और आस्ट्रेलिया, जर्मनी का भाग थे परन्तु दूसरे विश्व युद्ध के मुकद्दमें नूरेम्बर्ग में हुए थे।

यह उत्साहजनक बात है कि विश्वमत ने भारत–बंगला देश वक्तव्य का स्वागत किया है।

हम अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं जैसे कि किसी भी अन्य देश के साथ। अमरीका ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिये जिससे इस क्षेत्र में शांति को धक्का लगता है।

रूस के साथ घनिष्ट संबन्ध स्थापित होना उत्साहजनक बात है। भारत रूस संधि का उद्देश्य इस उप महाद्वीप में विदेशी प्रभाव को समाप्त करना है। मैं समझता हूं कि यदि हम अपनी विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन करना चाहते हैं तो हमें शीघ्र ही ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था प्रगति कर सके। पैट्रोलियम मंत्रालय को ऐसी प्रगतिशील तेल नीति अपनानी चाहिए कि विदेशी सम्बन्ध हानिकर न रहें।

वास्तव में भारत–पाक मामलों के सुलझाव के लिए पहल भारत ही करता रहा है।

इस समय हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, अतएव हमारी विदेश नीति का मूल्यांकन होना आवश्यक है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) :—भारत-बंगला देश संयुक्त वक्तव्य के पश्चात् यह वाद-विवाद उपयोगी है। उक्त संयुक्त वक्तव्य में राजनीतिक एवं मानवीय दृष्टि से विचार किया गया था। बंगला देश के पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों एवं पाकिस्तान के युद्धबंदियों का मामला एक साथ निपटाने का यत्न किया गया है। न केवल पाकिस्तान में अपितु कई अन्य देशों के समाचार पत्रों ने इस विषय में चुप्पी साधी हुई है कि भारत में पाकिस्तानी बंदियों के साथ तो मानवता पूर्ण व्यवहार किया जाता है जबकि पाकिस्तान में बंगाली नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है।

सौ से अधिक देशों द्वारा मान्यता प्राप्त बंगला देश आज भी श्री भुट्टो के लिए वास्तविकता नहीं है। नई पाकिस्तानी संविधान सभा में बंगला देश को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है जोकि वर्तमान इतिहास का विरोध करता है।

संयुक्त वक्तव्य की शर्तें इतनी उदार हैं कि श्री भुट्टो उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।

ढाका के साथ पूरी सहमति से हम शिमला समझौते की क्रियान्विति के मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। संयुक्त वक्तव्य ने श्री भुट्टो की परीक्षा का एक अवसर दिया है।

पाकिस्तान को अमरीका तथा चीन द्वारा निरन्तर हथियार दिये जाने से उत्पन्न होने वाले संकट का सामना देश को करना है। इस बात की भी सम्भावना है कि ईरान जैसे हीपो देश से भी पाकिस्तान को अमरीकी हथियार मिल सकते हैं। इन सब बातों का तात्पर्य पाकिस्तान में सैनिक अधिकारी की प्रतिष्ठा को बनाये रखना है जोकि इस उपमहाद्वीप में युद्ध जैसा वातावरण बनाये रखना चाहते हैं। ब्रिटेन में हमारे एक मात्र फील्ड मार्शल ने ऐसी बात कही है जो कि एक भारतीय राष्ट्रिक को शोभा नहीं देती।

यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति निक्सन तथा भुट्टो ने 15 मार्च को भारत को एक प्रभावशाली देश बताया। वास्तव में अमरीका यह कह कर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना चाहता था। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। गत 25 वर्षों में पाकिस्तान ने भारत पर

बार-बार आक्रमण किया है। इस क्षेत्र में तनाव बनाये रखने में वास्तव में अमरीका को अपना हित दिखाई देता है। आज वाशिंगटन के साथ साथ चीन भी अपनी आवाज मिला रहा है और बंगला देश पर भारत के प्रभाव की बात कर रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि शेख मुजीबुर्रहमान ने इन सभी बातों को रद्द कर दिया है। हमें अमरीका की बातों में न आकर अपने देश पर ध्यान देना है और अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों को निभाना है। हमें एशिया तथा विश्व में शान्ति स्थापना के लिए अपने प्रयास जारी रखने हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई महसूस करे कि हम उस पर दबाव डाल रहे हैं। हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के सम्बन्ध बनाने चाहिए।

सिक्किम में घटी घटनाओं पर हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है। हमें वहां पर अपने मित्र बनाने चाहिए और शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। मुझे पता लगा है कि कलकत्ता स्थित अमरीकी वाणिज्य दूत 17 और 18 फरवरी को गंगटोक गये थे उन्होंने आसाम, उड़ीसा तथा हजारीबाग का दौरा भी किया है ऐसा लगता है कि उन का कुछ विशेष इरादा था। देश को इन सभी बातों से सतर्क रहना चाहिए।

जवाहरलाल नेहरु ने रूस से मित्रता की नींव रखी थी। उसी के आधार पर भारत–रूस शान्ति, मित्रता तथा सहयोग की संधि की गई है। ऐसी ही संधि हमने बंगलादेश के साथ भी की है। एशिया में शान्ति स्थापना के प्रश्न पर हमें कुछ पहल करनी चाहिए। हमें चीन को याद दिलाना चाहिए कि 1955 में स्वयं चीन ने एशिया तथा प्रशांत सागर के क्षेत्र में सामूहिक शान्ति संधि का प्रस्ताव किया था। अभी चीन से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह भारत तथा रूस के प्रति अपना शत्रतापूर्ण रवैया बदल लेगा।

वियतनाम शान्ति समझौते को पूरी तरह क्रियान्वित करने के बारे में भारत सरकार की ओर से एक शब्द भी नहीं कहा गया है। सरकार अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने में हिचकचा रही है। प्रधानमंत्री ने जो यह कहा है कि भारत और अमरीका के हितों के बीच कोई विवाद नहीं है। खरतूम में अमरीकी राजनयिको की हत्या पर भी हमारे प्रधानमंत्री ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है। ऐसा अमरीका को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है।

अमरीका से मिस्टर रश और सिस्कों हमारे मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री से मिलने आये थे। अमरीका से आने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री के दरवाज़े सदा खुले रहते हैं। अमरीकी डर के कारण ही हमारी सरकार कोरिया के लोकतंत्रात्मक लोक गणराज्य को मान्यता नहीं दे रही है। मारीशस जैसे देशों ने उत्तरी कोरिया को मान्यता दे दी है परन्तु, हमारे देश ने ऐसा नहीं किया है। शायद हम पी० एल० 480 की जमा राशि से डरते हैं। जबतक हम स्थायी विकास की स्थिति पर न पहुंचे जाये तब तक हमें भुगतान नहीं करना चाहिए। श्री गोस्वामी ने भी इस बात का उल्लेख किया है। हम विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में हिचकिचा रहे हैं। विदेशी नीति बनाने में हमें और अधिक उत्साह से काम करना चाहिए। हमें विश्व को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हम शान्ति और समाजवाद में विश्वास रखते हैं। हमें अपनी विदेश नीति इन्हीं आधारों पर बनानी चाहिए। विदेशों में स्थिति हमारे दूतावास प्रभावशाली नहीं हैं। हमें इनको सक्रिय बनाना चाहिए। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति में अनेक कमियां हैं। जितनी जल्दी हम इनको दूर कर लें उतना ही अच्छा है।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर परिवहन हो रहे हैं। इसमें सद्-भावना का वातावरण बनता दिखाई देता है। भारत ने सदा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मित्रता तथा आपसी

सूझबूझ के वातावरण के लिए प्रयत्न किये हैं। भारत–रूस संधि को इस बारे में एक आदर्श माना जाना चाहिए। रूस-अमरीकी तथा चीन और जापान के सम्बन्धों में सुधार से विश्व में तनाव कम हुआ है। भारत की विदेश नीति पंचशील के आधार पर निर्धारित की गई थी। तब शक्ति संतुलन और विश्व राजनीति की बातों का तथा इन सिद्धांतों पर अन्य देशों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। इन सबके बावजूद हमने स्वतन्त्र विदेश नीति का अनुसरण किया।

जहां तक इस उपमहाद्वीप में शान्ति स्थापना का प्रश्न है हमने पाकिस्तान की ओर सदा मित्रता का हाथ बढ़ाया है। अपने अन्य पड़ौसी देशों के साथ भी हमने सदा मित्रता का हाथ बढ़ाया है हालांकि उन्होंने ऐसी कई बातें की हैं जिनसे शत्रुता उत्पन्न हो सकती थी। हमने नेपाल की सदा सहायता की हालांकि उसने भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की नीति अपनाई है, हमारे देश और नेपाल के बीच पुराने तथा घनिष्ट सम्बन्ध हैं और प्रधान मंत्री की हाल की नेपाल यात्रा के बाद यह सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुए हैं। इस महीने के अन्त में हमारे प्रधानमंत्री श्री लंका जाने वाली हैं हम उनके डर को दूर करने कर प्रयास करेंगे। आशा है इस यात्रा के पश्चात् हमारे सम्बन्धों में सुधार होगा।

हम बहुत कठिन समय से गुजरे हैं और हमने गम्भीर जोखिम के समय बंगलादेश की सहायता की है। हमने सदा दुखी लोगों की सहायता की है।

न्यूयार्क टाइम्स के हाल में छपे ईरान के शंहशाह के इन्टरव्यू से पता चलता है कि वह पाकिस्तान के डूबने के बारे में अनावश्यक तौर पर चिन्तित हैं और वह स्वयं को पाकिस्तान का संरक्षक समझ, उसको बनाये रखने का पार्ट अदा करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई घटना घटी तो वह हस्तक्षेप करेंगे। इस वक्तव्य को अमरीका द्वारा उस देश को सप्लाई किये जाने वाले हथियारों की बात के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ अमरीका ने पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई आरम्भ कर दिये हैं। हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिए।

आशा थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति शिमला समझौते को क्रियान्वित करेंगे। पाकिस्तान ने भारत-बंगलादेश की संयुक्त पेशकश को भी अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हमारे विदेश मंत्री ने हाल में गल्फ देशों का दौरा किया है। मुझे आशा है कि इसका हमारी नीति पर तथा आदेशों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

पश्चिम एशिया में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि इसरायल ने लेबनान पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग को जला दिया है। अब इन देशों के सैनिक नेताओं की बैठक हो रही है। हमें इस स्थिति पर निगाह रखनी चाहिए।

अतः नीति का एक उद्देश्य इस उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति उत्पन्न करना है, इसके लिए हमें नेपाल, श्रीलंका और बंगलादेश के साथ मित्रता बनानी है।

हमने भड़काये जाने वाली कार्यवाही के बावजूद चीन से समझौता करने वाली नीति अपनाई है। हम नहीं चाहते कि भारत और चीन सदा शत्रु बने रहें। हमें आशा है कि चीन भी हमारे साथ अच्छे सम्बन्ध बनायेगा यदि हम वर्तमान नीति का अनुसरण करते रहें तो हमें आशा है कि हम शान्ति के क्षेत्र को बढ़ा सकेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन (बान्डीपारा) : यदि हम विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हमारी नीति पूर्णतया सफल नीति है और यह नीति विश्व में सबसे अच्छी है परन्तु

वास्तविकता इसमें उलट है। हमारी स्थिति यह है कि हम अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकें हैं। हमारी नीति न तो प्रगतिशील है और न ही इसमें दूरदर्शिता है। हमारी विदेश नीति दिवालिया नीति है।

हम बदलती हुई दुनिया को भूल रहे हैं। जब हनोई पर अमरीकी बमवर्षक बम गिरा रहे थे उसी समय क्रेमलिन में राष्ट्रपति निक्सन का स्वागत हो रहा था। एक ओर चीन अमरीका को साम्राज्यवादी कह रहा है तो दूसरी ओर वह अमरीकी राष्ट्रपति श्री निक्सन का पेकिंग में स्वागत कर रहा था। दोनों जर्मनी एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस बदलती दुनिया में गुटनिरपेक्षता का क्या महत्व रह जाता है। हमें किसी भी बात को स्थायी न मानकर सदा अपने देश के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। पण्डित नेहरु ने एक बार नेपाल में कहा था कि पंचशील का नारा पुराना हो गया है। हमारी नीति वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए न कि पुराने नारों पर।

एशिया में हमारी नीति असफल रही है। इसका एक कारण पाकिस्तान तथा चीन से हमारी शत्रुता हो सकता है। दूसरे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के प्रति हमने जो नीति अपनाई उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। इन देशों में गलत राजदूत नियुक्त किये गये हैं। ये व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे।

जहां तक हमारे पड़ोसी देशों नेपाल तथा श्रीलंका का सम्बन्ध है मुझे पता लगा है कि हमारे प्रधानमंत्री अगले कुछ दिनो में श्रीलंका जाने वाले हैं। आशा है कि बातचीत में शास्त्री श्रीमावो भन्डारनायक करार का मामला सामने आयेगा। वहां के तथाकथित राष्ट्रीयता विहीन लोगों द्वारा यह शंका व्यक्ति की जा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री उदारता दिखाते हुए कहीं उनके भविष्य का सौदा न कर दें। हम सदा यह मांग करते रहे हैं कि श्रीलंका, मलयेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में तमिल भाषा जानने वाले व्यक्ति को राजदूत नियुक्त किया जाये ताकि वह उन लोगों की समस्या को समझ सके।

एक लम्बी अवधि के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। पाकिस्तान को भारत तथा बंगलादेश द्वारा की गई संयुक्त पेशकश को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके साथ हमारे सम्बन्धों में युद्ध बंदियों तथा कश्मीर की एक बड़ी बाधा है। यदि वह इस पेशकश को स्वीकार कर लेता है तो एक बाधा दूर हो जायेगी। कश्मीर के बारे में हमने विश्व को दिखा दिया है कि पाकिस्तान और भारत आपसी बातचीत द्वारा इस समस्या को हल कर सकते हैं। मेरे विचार में प्राथमिक कार्यवाही के तौर पर दोनों देशों को जहाजों की उड़ान तथा संचार के अन्य माध्यम खोलने चाहिए। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि दोनों देशों को राजनैतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करने चाहिए। कश्मीर के बारे में दोनों देशों की वास्तविकता ध्यान में रखकर स्थायी हल तलाश करना चाहिए।

जब तक रूस और चीन के बीच शत्रुता वाली स्थिति बनी रहेगी हमारे सम्बन्ध दोनों में से एक साथ खराब रहेंगे। रूस ने कठिनाई के समय हमारी पूर्ण सहायता की है। चीन को डर है कि रूस स्वयं तो चीन पर पश्चिम से आक्रमण करेगा और भारत को दूसरी ओर से चीन पर आक्रमण करने के लिए कहेगा क्योंकि दोनों देश में संधि है। अता मेरा निवेदन है कि इस शंका को दूर करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। चीन के रवैये में कुछ परिवर्तन हुआ है। अतः हमें चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाना चाहिए।

वियतनाम में भारत की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक धक्का लगा है क्योंकि भारत को पैरिस समझौते के पश्चात् पर्यवेक्षी आयोग में एक सदस्य के नाते भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

जहांतक पश्चिम एशिया का सम्बन्ध है बड़ी शक्तियां इस समस्या का हल ढूंढने में असफल रही हैं। इस अनिश्चित स्थिति को सुलझाने के लिए हमारे देश ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इसरायल के रवैये में अब परिवर्तन आ गया है। भारत को चाहिए कि इस समस्या को हल करने के लिए वह कोई ठोस कार्यवाही करे। इस के लिए हमें अरब देशों के साथ इसरायल के साथ भी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे द्वारा हर प्रकार का सम्पूर्ण समर्थन दिये जाने के बावजूद भी अरबों ने हमारी आवश्यकता समय हमें कोई सहयोग नहीं दिया। बंगला देश को विश्व के 96 देशों ने मान्यता प्रदान की परन्तु अरब देशों में से केवल 4 ने ही बंगला देश को मान्यता दी। मैं समझता हूं कि भारत सरकार किसी देश को यह समझने का अवसर न दे कि भारत का निर्णय तो उसके हक में अवश्य ही होगा। दूसरे हमें अपनी वर्ण-भेद की नीति के संबंध में पुनर्विचार करना चाहिये।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई की हमारे देश ने तथा इस संसद ने निन्दा की है और अब इस स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। हालांकि अमरीकी सरकार ने हमारे साथ अपने सम्बन्ध बिगाड़े हैं परन्तु वहां की संसद तथा जनता हमारे देश के साथ अच्छे संबंध बनाने के पक्ष में हैं। अमरीका को पाकिस्तान को शस्त्र नहीं सप्लाई करने चाहिए तथा हमें उससे यह आश्वासन प्राप्त करना चाहिये के ईरान को पहुंचने वाले उनके शस्त्र पाकिस्तान को नहीं जायेंगे।

चीन द्वारा वीटो के प्रयोग के कारण बंगला देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहले अमरीका ने चीन के विरुद्ध वीटो का उपयोग किया था और चीन ने बंगला देश के विरुद्ध वीटो का उपयोग किया। अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र वीटो के उपयोग के संबंध में आवश्यक परिवर्तन किये जायें केवल एक देश को समचे विश्व की भावना की अवहेलना कर सकने का अधिकार समाप्त किया जाना चाहिये।

तीसरे विश्व देशों को संगठित होना चाहिये तथा हमारे देश का इस संबंध में पहल करना चाहिये। अफ्रीका एशिया तथा लातीनी अमरीका की समस्याओं के अध्ययन हेतू एक अध्ययन समिति गठित की जाये। इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिये भारत को पहल करनी चाहिये।

श्री सन्त बख्श सिंह (फतहपुर) : यद्यपि विश्व का रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है तो भी विपक्ष द्वारा प्रस्तुत विधेयक वर्ष 1948 के समय का लगता है। विपक्ष अब भी गुट-निर्पेक्षता आदि पर चर्चा करना चाहता है। विश्व में परिवर्तन की गति तो इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि अमरीकी राष्ट्रपति श्री निक्सन ने व्यापार संबंधी अपनी कांग्रेस से कहा है कि वह सोवियत संघ को इस संबंध में सबसे प्रिय राष्ट्रों के समान दर्जा दे तथा जापान के विरुद्ध व्यापारिक अवरोध लगाये। जापान साहबेरिया के तेल उद्योग में भारी पूंजी निवेश कर रहा है तथा चीन दक्षिण पूर्व एशिया में अमरीका की अनुपस्थिति नहीं चाहता। अमरीका रूसी गैस पर 3-5

विलियन डालर का निवेश करने जा रहा है तथा रूस पश्चिम जर्मनी को यूरेनियम ईंधन बेच रहा है। इस प्रकार हम देखते है कि पुरानी रूढ़ियां बदल कर नयी धारणायें जन्म ले रही हैं।

विश्व की समस्याओं के बारे में भारत सरकार की लचकदार नीति, निडरता तथा तुरन्त निर्णय लेने की भावना की मैं सराहना करता हूं। हमने विश्व को दिखा दिया है कि हम सर्वदा अपने देश के हितों का ध्यान रखते हैं तथा सातवें बेड़े अथवा डालर आदि का आतंक हमें अपने निश्चय से डगमगा नहीं सकता।

(श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए)

Shri K. N. Tiwari in the chair

शिमले में हमने पाकिस्तान के समक्ष जो प्रस्ताव हमने रखे उसका विश्व भर ने स्वागत किया। इस करार में किसी भी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप या दखल नहीं था। यह करार हमारी सरकार की दृढ़तापूर्ण नीति का प्रतीक रहा।

हमें पाकिस्तान और चीन को अब समान दृष्टि से नहीं देखना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान अब वह देश नहीं रहा जिसे हम वर्षों से जानते आये थे। पाकिस्तान अमरीका और चीन वाली नीतियां अपना रहा है और हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि ईरान दो बिलियन डॉलर के हथियार बेचे गये हैं। अमरीका द्वारा फ्रांस की खाड़ी में रुचि लेना उसके द्वारा भारत-चीन युद्ध के दौरान उसके द्वारा ली गई रूचि जितना ही प्रभावी हो सकता है। तेल संसाधनों को हस्तगत करने के लिये हर-प्रकार की कूटनीति अपनाई जा है। यह स्थिति हम इस प्रकार की है कि इसका पूरा अनुमान लगा लेना बड़ा कठिन है। हम पर अमरीका तथा बड़े-बड़े पूंजीपतियों का भारी दबाव पडने की आशंका है। अमरीका आज पाकिस्तान का पश्चिम एशिया संबंधी अपनी नीति के अन्तर्गत अपना साधन बनाना चाहता है यह पाकिस्तान के लिये तो हानिकारक होगा। पाकिस्तान को अपने पिछले अनुभवों से पाठ सीख लेना चाहिये। मित्र और शत्रु देशों के बीच समान अन्तर रखने की बात सर्वथा गलत है। कुछ लोगों ने कहा कि भारत-सोवियत संधि के बाद हमारी गुट-निर्पेक्षता की नीति समाप्त हो गई ऐसी आलोचना ऐसे लोगों की ओर से की गई जो चाहते हैं कि भारत अमरीका के गुट में शामिल हो जाये। भारत ने अपनी अखंडता व प्रभुसता बनाये रखने तथा अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए शांति स्थापना के सिद्धांत अपनाते रहने का निश्चय किया है। कुछ लोगों ने तब तो शोर नहीं मचाया जब कि हमने अमरीका से वर्ष 1962 से 1965 के बीच 820 लाख डालर विश्व से हथियार खरीदे थे। वर्ष 1958-1960 के लगभग हमने अमरीका से 160 लाख टन अनाज खरीदे थे। उस समय इन लोगों ने हल्ला नहीं मचाया जब वर्ष 1962 से 1965 के मध्य अमरीका से हमें 820 लाख डालर के शस्त्रास्त्र प्राप्त हुए तथा स्वयं अमरीका ने उनके उपयोग की देख-रेख की थी। उस समय भी किसी ने शोर नहीं मचाया जब हम अमरीका से 160 लाख टन खाद्यान का करार कर के उस देश पर इतने अधिक आश्रित हो गये थे।

हमने यह देखा है कि चाहे काश्मीर का मामला हो चाहे गोवा और बंगला देश का मामला हो; सोवियत संघ ने हमेशा हमारा ही साथ दिया है। फिर भी हम सोवियत संघ से गहन मित्रता न करें। उस देश से हमें लाखों रुपये के मूल्य की सैन्य सहायता प्राप्त हुई।

भारी इंजीनियरी, इस्पात भारी उद्योग, नौवहन, मशीन टूल्ज आदि के क्षेत्र में सदैव ही भारी सहायता तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ। हम रूस से केवल इसीलिए मित्रता नहीं चाहते कि वह हमारा पड़ौसी रहा है, यांकि हमारी मान्यता एक समान है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे और सोवियत संघ की राष्ट्रीय हित भी समान हैं। सोवियत संघ हमें भी इतना ही चाहता है जितना हम सोवियत संघ के चाहते हैं। वह देश हमे किसी प्रकार अपना अडा नहीं बनाना चाहता। यही कारण है कि हमें सोवियत संघ के अधिकाधिक निकट आना चाहिये। इस की आलोचना करने वाले लोग तथ्यों से अवगत नहीं हैं क्योंकि उनके ज्ञान जानकारी प्राप्त करने का आधार पहले ही लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें ही हैं। साथ ही ये लोग अपने राष्ट्र के हितों की बात न सोचकर अपने पूर्वाग्रह के मद में फंसे हैं।

पश्चिम ऐशिया, दक्षिण पूर्व ऐशिया तथा अन्य कई मामलों में भारत और सोवियत संघ के हित एक समान हैं। किन्तु महासागर में जो अनर्थ होने जा रहा है उस दृष्टि से भी हमें विश्व की प्रगतिशील और समाजवादी शक्तियों का सहयोग चाहिये।

हमें अपने पड़ौसियों के साथ अपने संबंध अछे रखने का जिज्ञासु होना चाहिये। परन्तु हमें अपने उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिये हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देना चाहते हैं। हमें दृड़ता से अपने समाजवाद के सत्र पर अग्रसर होते रहना चाहिये।

Shri Attal Bihari Vajpayee (Gwalior) : India's policies in respect of various international events last year creates mixed feelings among us. Whereas India's prestige touched new high on account of our contribution in the great struggle for freedom by Bangladesh people. but side by side we are losing that achievement of our's by adopting certain wrong policies. The Government had, formerly, decided and declared that the question of POWs could be discussed with Pakistan only after the recognised Bangladesh but now we have offered a package-deal which the Government term, new initiative and which in fact is a sort of new surrender to Pakistan. Earlier, also the Government had surrendered several areas to Pakistan even in the face of stiff opposition by the countrymen.

What would then happen about recognition to Bangladesh by Pakistan. I admit that the return of POWs is a human problem; but why is it so only for India; why not for Pakistan also? Pakistan anyhow managed to take back their last territory under Simla Agreement. And now again she wants her POWs back without recognising Bangladesh. India should not be blinded by the mirage of peace and we should not be allowed to be befooled again by Pakistan. Shri Bhutto's speeches are full of suspicion; and we should not agree to have a two partite discussion on this issue. Pakistan must first recognise Bangladesh and only then there should be any talk on this issue with Bangladesh representative also in the talks on this package deal.

Simla agreement was based on the spirit of stable peace in this sub-continent but now we are being told by the Government Officers that the danger from Pakistan's side is not yet out. She is not having good intentions and is accumulating arm from all sides. It should, therefore, be well understood that until Shri Bhutto takes Pakistan out of clutches of China and U.S.A. and also stops foreign intervention into his country is appeared peace in this Sub-continent can never be ensured.

Secondly, Iran is being made to emerge as war power so that she is able to administer her influence in the seas connected with these countries and that the U.S.A. is enabled to play their game there. We are seeking U.S.A. assurance that their arms would not be used against our country, but may I know what happened to their assurance during India-Pak conflict? I don't think U.S.A.'s assurances have any starting. We know that U.S.A. want to woo Pakistan only to sabotage and control the affairs in this Sub-continent.

Some of our friends say that democracy has come in Pakistan and we should help in strengthing that cause. But how can the democracy in Pakistan guarantee that Pakistan would give her anti-India intentions? We should not be engulfed in such a misunderstanding.

The report of the Ministry of External Affairs says that we have not basic difference with the U.S.A. and the existing conflict in views is only because of their policies in regard to third countries *vis-a-vis* Indian policies. So, it should be our utmost effort to emerge as one of the big powers in the universe. There are not only two powers in the world but U.S.S.R., U.S.A, China, West Europe, Japan are also world powers now. We want that our country should also be recognised as one of the big powers among them. It does not mean that we want to terrorise our neighbours but to extend our help to them. I know that the U.S.A. do not likes us to become a world power and I doubt whether the U.S.S.R. would also like that.

We know the U.S.S.R. are our friends and they have stood by us in our need. But it is also true that the U.S.S.R. are intervening in our national affairs. We find that on the occasion of the Fifteenth Anniversary of the Soviet Union at Moscow in which our country was represented by the Vice-President of India. The Chairman of the Communist-Party of India was given equal treatment and seat parallel to our Vice-President, and we were not given a choice to protest, against it. Did it not amount to our object surrender to the wishes of that country? There the Chairman of the C.P.I. Shri Dange, asked for Soviet help in bringing about such a joint Government of the Centre in India as the one that existed in Kerala. Does it not mean that Soviet Union should come and intervere into our own national affairs? Do you think that our sense of self-respect would allow such an intervention? Never. But I am very sorry to point out that our Foreign Minister did not raise any objection to such utterings. He rather took it as the vindication of our deep faith in democracy.

The talk of non-alignment these days is an absolute thinking only those countries can remain non-aligned who are definitely self-sufficient in all respects. In case we want to remain non-aligned we will have to be industrially advanced and militarily very strong and self reliant.

After the coming up of E.C.C. there is no use of our remaining a Member of the Commonwealth. We should therefore, withdraw from British Commonwealth.

Also we should review our attitude towards the Arabs. We have been crying that Israel should vacated the occupied Arab land. But did the Arabs ever supported our demand and Claim on Kashmir which now under Pakistani's occupations, or the areas occupied by china? We should, therefore, have our policies on mutual give and take spirit. Then although we have recognised Israel but have not established diplomatic relations with her. I therefore, demand that we should set up diplomatic relations not only with Israel but also with South and North vietnams and South and North Koreas.

The C.P.M. has criticised Government for deploying Army in Sikkim whereas we are bound to do so under India-Sikkim pact. There is not question of our having any expensive designs in respect of Sikkim. We did the needful with best possible intentions. However Sikkim too cannot remain immune from the wave of democracy which is sweeping the entire universe. So the CPM should refrain from using such a dangerous language which is now being fully exploited by China. Let them keep in mind that only Sikkim, and none else, has to decide what relations should she have with India. We cannot and also do not wish to impose anything on the people of Sikkim. However we would be very glad if they choose to have a constitutional monarchy there.

A reference has been made to the speech of the Prime Minister in one Asian Conference. I fully realise that she did not have in her mind any support for any aid of Aparthied behaviour. But still she should have vindicated the view that she had expressed in the Conference with regard to dropping of atom bomb in Japan. Let it be clearly understood that America could have never dared to behave in the same manner with the Europeans. In fact, Asia has been being considered the only fit place to test the destructive weapons. So, it would have been better had the Prime Minister not spoken anything at all. But if she said something, she should have stood by that strongly.

I once again submit that we are under the pressure of the U.S.A. and despite that we claim that we are following a policy of non-alignment. I therefore urge upon having a more diplomatic

flexible and practicable policies in case we want to protect, our national interests and prestige. Only then we can be a successful Nation in the international field.

श्री सी० एस० स्टीफन (मुवतुपुजा) : मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों की प्रशंसा करता हूं । गत वर्ष जो कुछ हमने किया उससे हमारे देश का विश्व भर में सम्मान बढ़ा है, हमारा आत्मसममान बढ़ा है तथा विश्व ने हमारे उद्देश्यों और नीतियों को पूरी तरह समझा है।

श्री जी० विश्वनाथन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपना प्रभाव नया करने के कारण हमारा गौरव घटा है तथा हमारी विदेश-नीतियों की कमजोरी जाहिर हुई है। मेरा निवेदन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रभाव बढ़ जाना या कम हो जाना ही केवल हमारी विदेश नीति के सही अथवा गलत होने का मानदण्ड नहीं है वस्तुतः सही मान-दण्ड तो यह है कि कितने देश विभिन्न मामलों में हमारी नीति का समर्थन करते हैं। और इसका आधार हमारी गुट-निर्पेक्षता की नीति है । गुट-निर्पेक्षता की नीति का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी विशिष्ट देश के साथ सहयोग का व्यवहार करें । गुट-निर्पेक्षता की नीति का सही अर्थ यह है कि आप अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करते हैं तथा विश्व में उभरने वाले विभिन्न मामलों में अपने निजी दृष्टिकोण रखते हैं।

और किसी दृष्टिकोण के सही होने का मानदण्ड यह है कि आपके दृष्टिकोण का विश्व में कितने देशों ने माना स्वीकार किया।

उक्त मानदण्ड के अनुसार भारत को इस बात का पूरा सन्तोष होना चाहिये कि समय के साथ-साथ भारत के दृष्टिकोण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है चाहे वह समस्या वियतनाम संबंधी हो चाहे कोरिया संबंधी । चाहे चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के संबंधी हो चाहे वह सह-आस्तिव का सिद्धान्त रहा हो । इस प्रकार के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय दष्टिकोण सही और स्वीकार्य सिद्ध होते आये हैं । आज गुट-बद्ध राजनीति समाप्त होती जा रही है, परस्पर तनाव कम होते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ निक्सन को पिकिंग जाना पड़ा तथा सोवियत संघ के साथ संधि करनी पड़ी । दोनों जर्मनी देश परस्पर निकट आय, वियतनाम संघर्ष समाप्त करना पड़ा आदि-आदि । मैं यह तो नहीं कहता कि यह सब कुछ भारत के कारण हुआ, परन्तु यह सही है कि इन मामलों में जो दृष्टिकोण भारत ने अपनाये वह सही सिद्ध हुए । यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी विदेश-नीति उचित सिद्ध हुई है । हलांकि यह भी सही है कि उपरोक्त मामलों में हमारा काफी योगदान रहा है। हमने चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के लिये जोर दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय मत तैयार करने में वड़ी भूमिका निभाई । वियतनाम युद्ध के विरोध में हम अभियान चलाते रहे। कोरिया के बारे में भी हम ने विश्व-मत तैयार करने के लिए बहुत काम किया। आखिर हमने इतना कुछ तो किया ही जितना हमें करना चाहिए था। और धीरे-धीरे विश्व में हमारे सिद्धांतों को मान्यता मिली।

यह कहना भी गलत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी आवाज़ नहीं है। अब समय वदल गया है। अब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में एक प्रतिभाशाली शाक्ति है। अब अनेक अफ्रीकी देश स्वतंत्र तथा प्रभुस्ता प्राप्त हो चुके हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना स्थान पा चके हैं। अतः परिस्तिथयां बदल गई हैं। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभाव

किसी नीति के सफल या विफल होने का सही मानदण्ड नहीं है। बंगला देश के मामले को लेकर वहां हमारी आवाज़ का कुछ भी शोर नहीं हुआ था। हम प्रत्येक देश के सामने अपना मत रखना पड़ा और उसे समझना पड़ा। और आज देखिये। बंगला देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तो नहीं है मगर फिर भी इसी संघ की महासभा ने इस देश की वास्तविकता को स्वीकार, उस सुरक्षा परिषद् से इसे सदस्य बना लेने की सेफारिस सर्वसम्पति से की है संयुक्त राष्ट्र संघ के ही अनेक देशों न इस देश को मान्यता दी है। और चीन का वीटो न होता तो बंगला देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन जाता। क्या हमने इस प्रकार गत 18 महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई ख्याति नहीं कमाई है। क्या बंगला देश को एक प्रभुसत्ता प्राप्त देश के रूप में स्थापित कर देना हमारी विजय नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनाव के लिये बड़े संघर्ष में हमारे देश के प्रतिनिधि भारी बहुमत से विजयी हुआ। उसे केवल एक मत नहीं मिल सका क्या अब भी आप कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है और कि हम अकेले पड़ गये हैं।

हमें वस्तु स्थिति को समझना तथा उसे मान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप को यह स्वीकार करना होगा कि हमारी विदेश नीति सर्वथा सही सिद्ध हुई है और यह नीति हमारे स्वतंत्र और प्रभुसता प्राप्त देश की है। यह कहना गलत है कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है हम किया कि के दबाव में आकर चलते हैं बताईये ऐसी कौनसी नीति है जो हमारे देश के हितों के विरुद्ध है और कि जिसे हमने किसी के दबाव में आकर गठित किया है। मैं विपक्ष को चुनौती देकर पूछता हूं कि कौनसी ऐसी एक भी कार्यवाही हमने किसी दबाव में आकर की है या जिससे हमारे देश का अनहित हुआ है। किसी विपक्ष के नेता को भी यह कहना शोभा नहीं देता कि हम प्रभुसत्ता प्राप्त नहीं है याकि एक ही अन्य देश के पिछलगू हैं।

शिमला करार के संबंध में भारत द्वारा की गई पहल को श्री वाजपयी ने देश के लिये अहितकर बताया। मुझे खेद है कि उन्होंने जानबूझकर इस पहल करने की आवश्यकता को ठीक से समझने का प्रयास नहीं किया। युद्ध विराम हो गया था और युद्धबंदी हमारे पास हैं। जिनेवा सम्मेलन का निर्णय है कि युद्धबंदी लौटाये जाने चाहियें। परन्तु हमारा उत्तर यह है कि पाकिस्तानी युद्धबंदियों ने संयुक्त कमांड के सामने हथियार डाले थे और बंगला देश की सलाह के बिना हम युद्धबंदियों को वापस नहीं कर सकते। अब वाजपपैयी जी का कहना है कि यदि पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता दे। मेरे विचार में अब तो स्थिति यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने इस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने की सिफारिश सुरक्षा परिषद से की है। अब यदि बंगला देश कहता है कि उनसे परामर्श कि ये बिना युद्धबंदियों को न छोड़ा जाय तो हम क्या कर सकते हैं। परन्तु यदि बंगला देश स्वयं इस मामले से अलग हो जाता है तब हम क्यों बैकार की जिद पकड़ें? अब क्योंकि बंगला देश को सहायता देना संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में है इसीलिये हम इस प्रश्न को युद्धबंदियों के प्रश्न से अलग कर रहे हैं।

मानवता का प्रश्न केवल पाक युद्धबंदियों के विषय में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रहे बंगालियों के मामले में भी उठता है। तीसरे बंगला देश में भी पाकिस्तानी लोग हैं। क्या हम इस मानवीय प्रश्न की पाकिस्तान द्वारा बंगला देश को मान्यता दिये जाने के प्रश्न से

जोड़ें रखें । अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश देश बंगला देश को मन्यता दे चुके हैं तथा पाक द्वारा भी मान्यता दिया जाना केवल कुछ समय की बात है । यह तो उन्हीं के लिये है कि वे हमारे प्रश्न को अलग रखें।

अब पाकिस्तान का कहना है कि संघर्ष समाप्त होते ही युद्धबंदी लौटाये जाते थे परन्तु क्या संघर्ष समाप्त हो गया है। लड़ाई खत्म हो गई है। जी नहीं, युद्ध के मूल कारण तो अभी तक शेष हैं पहला कारण तो बंगला देश की राष्ट्रीय वस्तुस्थिति उसकी अखण्डता तथा प्रभुसत्ता को स्वीकार जाना है। जब तक ऐसा नहीं होगा युद्ध समाप्ति के लक्षण समाप्त नहीं होंगे । अत: श्री भुट्टो का यह कहना ग़लत है कि जनेवा सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो चुका अत: युद्धबंदी तुरन्त लौटाये जाने चाहियें। परन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब कि बंगलादेश में पाकिस्तानी के युद्धबंदियों को पाकिस्तान लौटाया जायें; तथा बंगालियों को बंगला देश भेजा जाये । जब तक श्री भुट्टो यह स्वीकार नहीं करते तब तक उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दृष्टिकोण का मान्य बनाना कठिन होगा। इस स्थति के सजृन के लिये हमारे विदेश मंत्री बधाई के पात्र हैं। जहां तक बंगला देश को मान्यता दिये जाने का प्रश्न है यह एक अलग मामला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश देश बंगला देश को मान्यता दे चुके हैं पाकिस्तान भी कब तक अपनी आंखें बन्द रख सकेगा समय उसे भी ऐसा करने को बाध्य कर देगा, यदि श्री भुट्टो बंगलादेश को नहीं स्वीकार करते तो बंगला देश भी श्री भुट्टो के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेगा । यह इन दोनों का मामला है, इस प्रकार इस संदर्भ में भी हमारी विजय ही है ।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय अफ्रीका देशों तथा दक्षिण अमरीका के साथ हमारे संबंधों का है। अफ्रीकी देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। महात्मा गांधी ने अपना राजनैतिक संघर्ष अफ्रीका से ही आरम्भ किया था। आज भी भारत अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में संघष का नेतृत्व कर रहा है। इस संबंध में हमारे दूतावास के एक सदस्य श्री बरकत अहमद का योगदान बहुत ही सराहनीय है । वहां अब भी नया उपनिवेशवाद चल रहा है और हमें उन्हें यह जताना है कि हम पूरी तरह से उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। अफ्रीकी देशों को केवल धन की ही बाबत भावात्मक सदस्यता तथा सहृदयता तथा समर्थन की जरूरत है। हमें यह समझ लेना है कि इस दुनिया में केवल सोवियत संघ, अमरीका और चीन ही का महत्व नहीं है बल्कि अफ्रीकी देशों के उस पुन: उभरने वाले महाद्वीप का भी बहुत महत्व है। हमें भावात्मक रूप से उनका पूरा साथ देना है ।

अन्त में मैं देश के विदेशी मामलों को कुशल संचालन के लिये विदेश मंत्री को बधाई देता हूं तथा विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
28	2.	**श्री सरोज मुखर्जी**	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी मामलों में विदेशों में भारत का समुचित चित्र प्रस्तुत करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए ।

1	2	3	4	5
28	3.	**श्री सरोज मुखर्जी**	एक ऐसी साहसिक, सवस्थ तथा लोकप्रिय नीति बनाने में असफलता जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान तथा गरिमा प्रतिलक्षित होती हो ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए ।
28	9.	**श्री सरोज मुखर्जी**	पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ौसी के सम्बन्ध बनाने में मंत्रालय द्वारा आगे पहल करने तथा उत्साह दिखाने की आवश्यकता ।	100 रुपए
28	10.	**श्री सरोज मुखर्जी**	चीन जनवादी गणतंत्र के साथ वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने का मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
28	11.	**श्री सरोज मुखर्जी**	प्रचार तथा अन्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दूसरे देशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की गतिविधियों की असफलता ।	,,
28	12.	**श्री सरोज मुखर्जी**	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को तुरन्त मान्यता देने और सैंगोन सरकार से सभी सम्बन्ध समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपए
28	13.	**श्री सरोज मुखर्जी**	कम्बोडिया के राजकुमार सिहानूकूलन की राष्ट्रीय संघ सरकार को मान्यता देने में असफलता ।	,,
28	14.	**श्री सरोज मुखर्जी**	विदेशों में हमारे देश के कार्यालयों, प्रभारी राजदूतों और राजदूतों को, उनका भारत के भारत नियमित सम्पर्क कायम रख कर, समय पर तथा समुचित मार्गदर्शन देने में असफलता ।	,,

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
28	15.	**श्री एच० एन० मुकर्जी**	विदेशों में हमारे दूतावासों तथा उच्चायोगों के कार्यकरण में निरन्तर त्रुटियां ।	100 रुपये
28	16.	,,	चिली और क्यूबा जैसे देशों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने की वांछनीयता ।	,,
28	17.	,,	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की लूट खसोट को रोकने के लिए विदेश नीति की भूमिका ।	,,
28	18.	,,	बंगला देश के साथ भारत की मैत्री तथा बन्धुत्व की सुदृढ़ बनाने के लिए मार्गोपाय ।	,,
28	19.	,,	कोरिया के लोकतंत्री जनवादी गणतंत्र के साथ पूर्व राजनयिक सम्बन्ध कायम करने की वांछनीयता ।	,,
28	20.	,,	हिन्द महासागर में हाल के आंग्ल-अमरीकी जमाव से उत्पन्न समस्याएं जिनके कारण इसके शान्ति क्षेत्र के रूप में उद्भव में बाधा ।	,,
28	21.	,,	हिन्द-चीन में स्थिति से उत्पन्न समास्याएं तथा इस क्षेत्र में नव-साम्राज्यवादी तत्वों का जारी रहना ।	,,
28	22.	,,	एशिया में सुरक्षा तथा शान्ति बनाए रखने के कार्य में भारत की भूमिका ।	,,
28	23.	,,	शिमला समझौते को लागू करने में पाकिस्तान के दुराग्रह पर काबू पाने के लिए मार्गोपाय ।	,,

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
28	24.	**श्री एच० एन० मुकर्जी**	उपमहाद्वीप में समस्याओं को विशेषकर भारत के हित के विरुद्ध बढ़ावा देने में, अमरीका, चीन तथा कतिपय अन्य शक्तियों की भूमिका।	100 रुपये ,,
28	25.	,,	अमरीका के साथ भारत के सम्बन्ध और वर्तमान नीतियों में निहित खतरे।	,,
28	26.	,,	सिक्किम में हाल में उत्पन्न स्थिति और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।	,,
28	27.	**श्री पी० जी० मावलंकर**	भारत की एक सूझ-भूझ वाली, वास्तविक और लाभप्रद विदेश नीति का निरंतर मूल्यांकन करने तथा उसे कार्यान्वित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए।
28	28.	,,	पूर्व और पश्चिम की दोनों महान शक्तियों के बीच भारत को यथार्थ रूप से निरपेक्ष रखने में असफलता।	,, ,, ,,
28	29.	,,	राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के अनुरूप एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने में असफलता।	,,
28	30.	,,	वर्तमान विश्व में शांति और विकास के सवंर्धन तथा चहु-मुखी प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशिष्ट एजेंसियों में अधिक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने में असफलता।	,,
28	31.	,,	राष्ट्र मंडल को सही नेतृत्व प्रदान करने तथा नए क्षेत्रों में पहल करने में असफलता।	,,

28	32.	**श्री पी० जी० मावलंकर**	विशेष रूप से अफ्रीका और लेटिन अमरीका के महाद्वीपों के विकासशील तथा नए स्वतंत्र देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध बढ़ाने तथा उन सम्बन्धों को सुदृढ़ करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
28	33.	,,	समानता और पारस्परिक हित, लाभ और सम्मान के आधार पर एशिया के और विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से पड़ोसी देशों के साथ सार्थक मित्रता तथा साझेदारी स्थापित करने में असफलता।	,,
28	34.	,,	समूचे विश्व में स्थित भारत के विभिन्न दूतावासों, उच्चायोगों और वाणिज्य-दूतावासों में काम करने वाले भारतीयों तथा गैर-भारतीयों की संख्या में भारी कमी करने में असफलता।	,,
28	35.	,,	भारत का विदेशों में यथार्थ तथा समुचित चित्र प्रस्तुत करने की दृष्टि से भारत के दूतावासों और मिशनों में अच्छे, सुदृढ़, साहसपूर्ण तथा कार्यकुशल विदेश प्रचार एकक स्थापित करने में असफलता।	,,
28	36.	,,	शिमला समझौते के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक दृढ़, ठोस और निश्चित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता।	100 रुपए
28	37.	,,	युगांडा से बाहर निकाले गए भारतीयों को तुरन्त राहत तथा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
28	38.	श्री पी० जी० मावलंकर	जनवादी गण तंत्र चीन के साथ राजनयिक वार्ता आरम्भ करने के लिए ठोस उपाय अपनाने की आवश्यकता ।	100 रुपए
28	39.	,,	भारत और अमरीका के बीच प्राणवान, स्वतंत्र तथा परस्पर सम्मान पर आधारित राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
28	40.	,,	इजराइल में एक पूर्णरुपेण भारतीय राजनयिक मिशन तथा नई दिल्ली में ऐसा ही एक ईजराइली मिशन स्थापित करने की आवश्यकता ।	
28	41.	,,	फिजी तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों तथा प्रदेशों में बलात् बाहर निकाले जाने वाले भारतीयों को देखभाल करने की आवश्यकता ।	,,
28	42.	,,	विदेशों में स्थित हमारे राजनयिक दूतावासों में अनावश्यक व्यय तथा विलासतापूर्ण रहन-सहन में भारी कमी करने की आवश्कता ।	,,
28	43.	,,	बंगला देश गणतंत्र की सरकार तथा वहां के लोगों के साथ और अधिक सुदृढ़ मित्रता स्थापित करने की आवश्यकता ताकि भारत के उप-महाद्वीप में लोकतंत्र समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता और स्वतंत्रता के आदर्श सुदृढ़ हो सकें ।	,,
28	44.	,,	हिन्द महासागर को ठोस शांति के क्षेत्र के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता ।	,, ,,

(1)	(2)		(3)	(4)
28	45.	श्री वी० जी० मावलंकर	विभिन्न सरकारी अथवा स्थापनाओं द्वारा अपनाये जाने वाले उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, फासिस्टवाद, तानाशाही और रंगभेद नीति के विरुद्ध युद्धरत सभी लोगों और देशों का समर्थन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
28	46.	,,	सिक्किम के स्वतंत्रता प्रिय तथा शांतिप्रिय लोगों की स्वभाविक तथा लोकतंत्रात्मक महत्वाकांक्षाओं और आन्दोलोनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने, उनकी सराहना करने तथा उनका समर्थन करने की आवश्यकता।	,,

श्रीमती माया राय (रायगंज) : सभापति महोदय, भारतवर्ष विदेश नीति के मुख्य आधार स्तम्भ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अनुरूप पंचशील मार्ग के सिद्धान्तों का अनुगामी रहा है। हमारे स्वर्गीय नेता जवाहरलाल नेहरू जीवनपर्यन्त उपनिवेसवाद, जातिवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ते रहे। भारत का उद्देश्य समग्र विश्व को अपने नैतिक मूल्यों से अवगत कराना रहा है।

हमारी गुट-निरपेक्ष नीति न केवल महत्व के चरमोत्कर्ष पर रही बल्कि लाभकारी भी सिद्ध हुई है। इस नीति का अनुसरण करने वाले कई राष्ट्रों के आपसी विवाद समाप्त हो गए। पंडित नेहरू के शब्दों में भारत की नीति स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष की नीति है।

सातवें दशक में हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमें पता लगा कि आर्थिक उद्धार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अपूर्ण है।

विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित देशों को दी जा रही सहायता के आकार-प्रकार को निश्चित करने के लिए उसका मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया है। अतः आर्थिक रूप से पीड़ित सभी देशों के अपने-अपने राष्ट्र के विकास के लिए आपसी सहयोग करना चाहिए और विकसित राष्ट्र पर निर्भरता को कम करना चाहिए।

हम शक्तिशाली राष्ट्रों से अभी भी सम्पर्क बनाए हुए हैं। यह जानते हुए भी कि अमरीका पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई कर रहा है, हम अमरीका से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। भारतवर्ष ने अपने सिद्धान्तों के अनुरूप चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किए जाने के लिए संघर्ष किया। अब भी हम चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। अन्य राष्ट्र हमारी शांतिप्रिय नीतियों पर कीचड़ उछालते

हैं और विश्व की बड़ी शक्तियों के कहने पर चलने के लिए विवश करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु इससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है।

हमारे उपमहाद्वीप में शांति के प्रति हमारा अंशदान हमारे अपने मूल्यों की भावना के अनुरूप है। भारत ने ही भारत-पाक युद्ध समाप्त होने के पश्चात् दोनों देशों के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया। उपमहाद्वीप की समस्याओं को समाप्त करने के लिए भारत ने शांतिमय वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किया। जब तक ये समस्याएं हल नहीं हो जातीं, तब तक उपमहाद्वीप का कोई भी राष्ट्र विश्व में सार्वभौमिक एकता और प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख सकता।

पाकिस्तानी युद्धबंदियों की मानवीय समस्याओं, पाकिस्तान में रह रहे बंगालियों और और बंगला देश में रह रहे पाकिस्तानियों की वापसी से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान करने के लिए भी भारत ने ही पहल की। पाकिस्तान ने बंगला देश को मान्यता प्रदान नहीं की है। बंगला देश का कहना है कि जब तक पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता नहीं देता तब तक वह कोई बातचीत नहीं करेगा। बंगला देश का कहना ठीक भी है नृशंस युद्ध के कारण हुए विनाश के पश्चात भारत और बंगला देश संयुक्त प्रयत्नों से मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

बंगला देश में रह रहे गैर-बंगाली पाकिस्तान वापिस जाना चाहते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान में रह रहे बंगाली बंगला देश वापिस जाना चाहते हैं। उनकी वापिसी में विलम्ब होने का कोई औचित्य हमें नजर नहीं आता। इस पूरे मामले पर भारत के लिए बंगला देश के विचार जानना आवश्यक है; इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों ने भारत और बंगला देश की संयुक्त कमान्ड के समक्ष अपने हथियार डाले थे बल्कि इसलिए कि बंदियों, अधिकारियों और कुछ व्यक्तियों ने जघन्य अपराध किए हैं। बंगला देश को पूरा अधिकार है कि वह ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाए और दोषी व्यक्तियों को सज़ा दे।

पाकिस्तान युद्धबंदियों की मानवीय समस्या के पहलू को लेकर काफी शोर मचा रहा है। हमारी संयुक्त घोषणा इस बात का ठोस प्रमाण है कि हम आपसी सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम ले रहे हैं। समस्या का समाधान समानता के आधार पर बातचीत होने से ही सम्भव हो सकता है और पाकिस्तान के रवैये को देखकर ही पता लग सकता है कि वह अपने वचनों को कितनी ईमानदारी के साथ निभाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विश्व में भारत की वर्तमान स्थिति असंतोषजनक है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी भारत सक्रिय नहीं है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रगतिशील परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन भारतवर्ष की स्थिति जड़ है। हिन्द-चीन में शांति स्थापित करने के लिए भारत गत 17 वर्षों से प्रयत्नशील है परन्तु आज स्थिति यह है कि न तो भारत को दक्षिण वियतनाम का समर्थन प्राप्त है और न ही उत्तर वियतनाम का। वियतनाम पर हुए पैरिस सम्मेलन में भी हमें शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार हमारा महत्व उत्तरोत्तर समाप्त होता जा रहा है। शक्तिशाली राष्ट्रों में भी हमारा नाम नहीं है। अगर भारत अगले 10-15 वर्षों में बड़ी शक्ति न बना तो वह बाहरी दबाव और आन्तरिक क्रान्ति का शिकार हो जाएगा। भारत अभी तक समस्या की तह तक नहीं पहुंचा।

बड़ी शक्ति बनने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र के पास अणुशक्ति अथवा आर्थिक समृद्धता हो। लेकिन खेद की बात है कि हमारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। विकासशील देशों में हमारी स्थिति सबसे शोचनीय है। चार बड़ी शक्तियों में से तीन शक्तियां एशिया से सम्बद्ध हैं। सोवियत संघ को भी सापेक्ष पृथक्करण की स्थिति में धकेला रहा है। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है।

सोवियत संघ भारत के सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। भारत द्वारा सोवियत संघ पर निर्भर रहने की स्थिति सीमा पार कर चुकी है और हमारी कूटनीति की सफलता इस बात में है कि वर्तमान स्थिति के दबाव का सामना करने में हम किस प्रकार समर्थ हो सकते है वर्तमान शक्ति संतुलन भारत की अपेक्षा चीन और पाकिस्तान के अधिक पक्ष में है। जब पाकिस्तान और चीन अपने लाभ के लिए शक्ति संतुलन को मोड़ सकते हैं, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मंत्रालय और माननीय संसद सदस्यों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि योरोप की तरह दक्षिण और पूर्व एशिया में भी विभाजन होगा। वहां भी साम्यवादी और गैर साम्यवादी दो भाग बन जाऐंगे। साम्यवादी गुट में दो साम्यवादी शक्तियां सत्ता के लिए प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर. अमरीका तथा जापान अपनी स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए प्रयत्न करे। चीन की भी इसमें शामिल होने की संभावना है।

जापान आर्थिक रूप से समृद्ध है। हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जापान ने दक्षिण-पूर्व एशिया को एक हजार करोड़ डालर का निर्यात किया। इसके अतिरिक्त जापान विश्व में चौथा सैनिक शक्ति वाला राष्ट्र बनने के लिए प्रयत्नशील है जापान की बढ़ती हुई शक्ति को ध्यान में रखते हुए ही चीन और सोवियत संघ जापान के निकट आना चाहते हैं। जापान को सारा कच्चा माल हिन्द महासागर से होकर जाता है और जापान इस क्षेत्र पर प्रभाव जमाने की ताक में है।

वियतनाम के पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। जापान को संसाधन जुटाने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वह दक्षिण-पूर्व एशिया पर प्रभाव कायम करने की स्थिति में आ जाएगा। हमारी स्थिति ठीक इसके विपरीत है।

हिन्द-चीन में वर्तमान स्थिति अशान्तमय है; विशेष रूप से कम्बोडिया की हालत काफी नाजुक है। ऐसी आशंका है कि वहां भी वियतनाम की तरह समझौते से पहले स्थिति पुनः खराब न हो जाए। प्राप्त खबरों से पता चलता है कि लड़ाई कम्बोडिया के साम्यवादी और राजकुमार सिंहानुक के समर्थक कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में अमरीका तथा राजकुमार सिंहानुक के बीच वार्तालाप के लिए कहा गया है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम दक्षिण-पूर्व एशियाई सुरक्षा सम्मेलन बुलाने के मामले में पहले करें।

पश्चिम एशिया अथवा मध्यपूर्व में हमें पाकिस्तान की अपेक्षा ईरान की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना होगा। ऐसी सम्भावना है कि ईरान हिन्द महासागर में अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। ईरान और पाकिस्तान के सुदृढ़ सम्बन्धों को देखते हुए हमें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

राजदूतों के चयन में पक्षपात किया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया जा रहा है जिसके विरुद्ध कई आरोप हैं और जांच आयोग उनकी जांच कर रहा है।

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि राजनीतिक दलों ने बाह्य शक्तियों के साथ गठबन्धन किया हुआ है। प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर रहते हुए ऐसे आरोप लगाना उनको शोभा नहीं देता। मेरे विचार में दो ही दल ऐसे हैं जिनके बाह्य शक्तियों के साथ सम्बन्ध हैं और सत्तारूढ़ दल उनमें से एक है। (**व्यवधान**) ऐसे वक्तव्य देकर प्रधानमंत्री देश को एकता के सूत्र में नहीं बाँध सकती।

संयुक्त घोषणा प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारत को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो भारतीय उप-महाद्वीप में समझौता करने के लिए हमें पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। पाकिस्तान में रह रहे बंगालियों की दशा शोचनीय है। यदि बंगला देश पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों पर मुकदमा चलाएगा तो पाकिस्तान भी बंगालियों को कष्ट दे सकता है। हमें इस मानवीय समस्या का हल ढूंढना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर प्रयत्न करना चाहिए। विदेश मंत्रालय को एसे प्रयत्न करने चाहिएं जिससे विश्व में हमारे देश की स्थिति मजबूत हो।

श्री वंसंत साठे (अकोला): मैं विदेश **मंत्रालय** की माँगों का समर्थन करता हूं तथा विदेश मंत्री तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की सराहना करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने हाल में हुई भारत-बंगलादेश की संयुक्त घोषणा में दोष निकालने का प्रयत्न किया है। भारत और बंगलादेश ने संयुक्त घोषणा की है कि 93,000 युद्धबन्दियों को वापस भेजा जाए। केवल 195 युद्धबन्दियों को जिन पर कत्लेआम करने का आरोप है रोके जाने का निर्णय किया गया है। दोनों देशों ने नागरिकों को भी अपने-अपने देश भेजे जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई है। क्या इस निर्णय में कोई दोष निकाला जा सकता है?

[**(डा० सरदीश राय पीठासीन हुए)**
Dr. SARDISH ROY in the Chair]

श्री मिश्राजी ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि भारत बजाए शक्तिशाली होने के कमजोर होता जा रहा है। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि भारत ने सदा शक्ति-पिपासा का विरोध किया है तथा भारत नहीं चाहता कि किसी देश के साथ बल का प्रयोग किया जाए। हमारा परमाणु शक्ति सम्पन्न देश होने में विश्वास नहीं है। हमारी नीति मित्रता, सद्-व्यवहार और सहयोग की नीति है। बंगलादेश की उत्पत्ति के साथ भारत का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है और अफ्रीकी-एशियाई देशों में आर्थिक प्रगति के लिये भारत का योगदान सराहनीय रहा है। दक्षिण-एशियाई देशों के विकास के लिये हमें परस्पर सहायता और सहयोग प्राप्त करना होगा जिससे ये देश बड़े देशों पर निर्भर न रह सकें। पाकिस्तान के बारे में हमारे रवैये का पता उक्त घोषणा से लग ही जाता है। अब यह पाकिस्तान पर निर्भर रहता है कि वह उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस सम्बन्ध में भारत अकेले कोई कदम नहीं उठा सकता है।

भारत को अपने प्रतिनिधियों को भेजने के अवसर को नहीं ठुकराना चाहिये क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। युद्धबन्दियों को वापस भेजने की समस्या को अन्ततोगत्वा सुलझाना ही है अतः इस घोषणा का स्पष्टीकरण देने के लिये प्रतिनिधियों को भेजने में कोई त्रुटि नहीं है।

आश्चर्य है श्री वाजपेयी जी ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं जैसे श्री मिश्रा जी ने। उन्होंने कहा कि "भारत एक शक्ति के केन्द्र के रूप में उभरे, यह राष्ट्र की विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिये"। वह चाहते हैं कि हमारा देश परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बने। किन्तु जैसे ही हमारा यह प्रयत्न आरम्भ होगा तभी हमारा अफ्रीकी एशियाई देशों की आर्थिक प्रगति का लक्ष्य समाप्त हो जाएगा तथा हम विश्व में शक्ति के लिये हो रही दोड़ में फंस जाएंगे।

उन्होंने कहा है कि "क्योंकि हम अनाज के लिये दूसरे देशों पर निर्भर हैं अतः हमारी गुट निर्पेक्ष नीति नहीं है।" मुझे खेद है कि श्री वाजपेयी जी ने ऐसी बातें कही हैं। हमने अनाज का मूल्य दिया है किसी से दान तो नहीं लिया। सूखे आदि की स्थिति में चीन और जापान जैसे देशों ने भी अन्य देशों से अनाज खरीदा है। इसका आशय यह नहीं है कि हम किसी के पदाचिन्हों पर चल रहे हैं अथवा किसी के प्रभाव में आ रहे हैं।

जहाँ तक अमरीका का सम्बन्ध है उसके साथ भी हमारे पारस्परिक मित्रता के आधार पर सम्बन्ध हैं। हाल ही में अमरीका ने ईरान को पुरानी किस्म के हथियार सप्लाई किये जिसकी भारत ने स्पष्ट रूप से आलोचना की तथा उसकी इस नीति के प्रति असंतोष व्यक्त किया कि अमरीका इस उप-महाद्वीप के ऊपर पुराने किस्म के हथियारों को थोपना चाहता है। इस नीति को अपनाकर अमरीका इस उप-महाद्वीप के देशों में वैमनस्य उत्पन्न करना चाहता है।

अमरीका यदि अपनी इस पुरानी नीति को त्याग दे तो उसके साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हो सकते हैं। हमें अमरीका की जनता के प्रति कोई वैमनस्य नहीं है और न ही चीन की जनता के साथ है। कतिपय विवादास्पद मामलों को छोड़कर हम चीन के साथ मित्रता करने को तैयार हैं किन्तु इस सम्बन्ध में हम उतावले भी नहीं हो सकते। कुछ दिन पूर्व जो यह कहते थे कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य नहीं होने चाहिये अब अनायास वही लोग यह कहने लगे हैं कि उसके साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयास क्यों नहीं किये जाते। सम्भवतः इसका कारण चीन और अमरीका में मित्रता बढ़ना है।

हमारी विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम सभी देशों के साथ मित्रता रखना चाहते हैं तथा हमारा सर्वोच्च लक्ष्य राष्ट्रीय हितों तथा विश्व में शांति बनाए रखना है। हमारी विदेश नीति सफल रही है तथा भारत को इस बात पर गर्व होना चाहिए।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-ऑगल-भारतीय): शिमला समझौते से यह आशा बंधी थी, तथा अब भी है, कि इससे भारत और पाकिस्तान में 27 वर्षों से विद्यमान वैमनस्य की समाप्ति हो जाएगी। किन्तु श्री भुट्टो के कार्यों तथा उनके भाषणों से शिमला समझौते के मूलभूत आशय को क्षति पहुंची है तथा कुछ लोगों ने व्यक्तिगत अनुभव अथवा राजनीतिक दवावों के आधार पर यह समझना आरम्भ कर दिया है कि यदि पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप में शिमला समझौते की आत्मा को चोट पहुंची है।

खेद है कि प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों से सलाह लेने की उस परिपाटी को समाप्त कर दिया है जो श्री नेहरू ने आरम्भ की थी तथा श्री शास्त्री ने विकसित की थी।

शिमला समझौते के बाद सम्वाददाताओं ने मुझसे पूछा कि उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैंने यही बताया कि यदि इस विषय पर मुझसे परामर्श किया गया होता तो मैं यह सुझाव देता कि जिस भूभाग पर हमने कब्जा किया है उसको वापस लौटाने के लिये इस शर्त पर सहमत होना चाहिये कि श्री भुट्टो काश्मीर की वास्तविकता को स्वीकार करें। अब स्थिति यह है कि किसी भी देश ने पूर्व लाइन को नहीं छोड़ा है तथा पाकिस्तान अब भी काश्मीर में जनमत संग्रह पर अड़ा हुआ है।

युद्ध बन्दियों को वापस न भेजे जाने के मामले में हमारी पर्याप्त आलोचना हो रही है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में 200,000 बंगाली नागरिक हैं पाकिस्तानी सेना में 30,000 बंगाली सैनिक हैं। बंगलादेश ने कहा है कि युद्धबन्दियों पर सैनिक मुकदमा चलाया जाएगा। यद्यपि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत है तथापि इससे भी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा क्योंकि यदि बंगला देश एक युद्धबन्दी पर मुकदमा चलाएगा तथा उसे आजीवन कारावास देगा तो पाकिस्तान दो बंगाली नागरिकों के साथ यही व्यवहार करेगा तथा इससे दोनों देशों में एक होड़ सी लग जाएगी।

इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि भारत सरकार कम से कम आधे युद्धबन्दियों को बंगला देश को सौंप दे जिससे संयुक्त घोषणा और संयुक्त कार्यवाही को व्यावहारिक रूप मिल सके। इससे श्री भुट्टो को राजनीतिक चाल खेलने का अवसर भी नहीं मिलेगा।

जो भूभाग हमारे कब्जे में आया था उससे हमें सबसे अधिक लाभ हो सकता था। किन्तु उस अवसर को त्यागने के बाद स्थिति पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यदि युद्धबन्दियों को एक बार वापस दे दिया गया तो हमारे समक्ष पुनः काश्मीर की समस्या खड़ी हो जाएगी।

सम्भवतः प्रधान मंत्री शक्ति संतुलन के सिद्धांत को पुराना मानती हैं किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि सभी बड़े देश उस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तथा इसका अनुसरण करते हैं। विश्व में शक्ति के लिये ही संघर्ष हो रहा है।

अतः प्रधान मंत्री शक्ति सन्तुलन की इस विचारधारा के बारे में चाहे कुछ भी सोचें, इस सिद्धान्त को इस महाद्वीप में बदले की भावना से लागू किया जायेगा और हमें इसी सिद्धान्त के अनुसार अपनी विदेश नीति बनानी पड़ेगी। इस क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व की प्रधानता है।

चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार नहीं है क्योंकि चीन इस क्षेत्र में रूस का प्रभाव नहीं चाहता, इसीलिए हम देख रहे हैं कि चीन पाकिस्तान को अधिकाधिक सहायता दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार तो चीन ने पाकिस्तान से एक गुप्त सैनिक सन्धि की है। यहाँ तक कि भारत को परेशान करने के लिए चीन, मिजो विद्रोहियों और नागा विद्रोहियों को भी शस्त्र दे रहा है।

विश्व नीति के बारे में अमरीकन मूक दर्शक नहीं है। इस विश्वशक्ति संघर्ष में रूस और अमरीका ही मुख्य प्रतिद्वन्द्वी है। दोनों ही अपना प्रभाव कायम रखने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध अड्डे बना रहे हैं। श्री निक्सन ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। उन्होंने

इसे अपनी विदेश नीति के अंश के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि शक्ति-सन्तुलन का विकल्प शक्ति का असन्तुलन है और श्री निक्सन के अनुसार शक्ति के असन्तुलन के कारण आसानी से युद्ध में तीव्रता आ सकती है ।

हम चाहें कुछ भी कहते रहें अमरीका अपनी इच्छा से ही पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति बनाने जा रहा है क्योंकि वह रूस के साथ अपना शक्ति सन्तुलन कायम करने में लगा हुआ है। अतः हमें किसी भी देश पर, चाहे वह रूस है या अमरीका है, अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुझे भय है कि सरकार में हमारे साम्यवादी मित्र हमारे देश को ऐसी स्थिति में ले आते जिसे वे केवल हमारी अर्थ व्यवस्था को ही नहीं अपितु रक्षा व्यवस्था को भी रूस के साथ ही नहीं वरन् कोमीकोन देशों के साथ भी जोड़ देते। मुझे पता नहीं कि आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी संयुक्त आयोग का क्या महत्व है। क्या इससे किसी प्रकार की कोमीकोन प्रौद्योगिकी का संकेत मिलता है। हमें रूस अथवा अमरीका के बारे में किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उनमें से कोई अपनी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नवीनतम गोपनीयता हमारे सामने प्रकट नहीं करेगा।

भारत-रूस सन्धि में एक ऐसा अनुच्छेद है जिससे ऐसी बहुत जानकारी मिलती है कि रूस के साथ रुपये में व्यापार करने का समझौता पूर्णरूप से रूस के पक्ष में जाता है। हमारी 80 प्रतिशत परम्परागत वस्तुओं का रुपये में व्यापार किया जाता है और इस व्यापार का उपयोग रूस विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कर रहा है। अन्तिम विश्लेषण से यह पता लगता है कि हमारी आर्थिक शक्ति से ही यह निर्णय हो पायेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी स्थिति क्या है। हम जितना अधिक रूस के प्रभाव क्षेत्र में होते जायेंगे वह उतना ही किसी भी समय हमें आणविक कार्य करने से रोकेगा। यदि हमने पहले आणविक परीक्षण किया होता तो पाकिस्तान के साथ कभी युद्ध नहीं होता और हमें इस अनादर पूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक देश अपने हितों को ध्यान में रखता है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब कि विश्व शक्तियों की गुटबन्दी बदल रही है और विश्व दो गुटों में न रह कर अब अनेक गुटों में बंट रहा है। शक्ति सन्तुलन और राजनीतिक प्रभुत्व के दिन समाप्त हो रहे हैं। देशों के बीच सम्बन्धों का आधार प्रभुत्व और नेतृत्व के आधार पर न रहकर मित्रता और समानता के आधार पर परिवर्तित हो रहा है। यह इन प्रवृत्तियों और घटनाओं का केवल स्वागत ही नहीं है वरन् इससे उस नीति का स्पष्ट रूप से संकेत भी मिलता है जिस नीति का भारत स्वतंत्रता से लेकर आज तक पालन कर रहा है। हमारी नीति पंचशील के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है और वर्तमान घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है। भारत ने किसी देश का नेता बनने या आधिपत्य जमाने का कभी प्रयास नहीं किया है। हम समानता और मित्रता के आधार पर विश्व के देशों के साथ मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। गुटनिर्पेक्षता की हमारी नीति ने हमें ऐसा करने के लिए समर्थ बनाया है। गुटनिर्पेक्षता की हमारी नीति की जो कटु आलोचना की जाती रही है वह अब समाप्त हो गई है। इस नीति के आलोचकों ने स्वीकार किया है कि इस नीति की अभी भी उपयोगिता और वैधता है। किन्तु हमारे देश में अभी भी इसके कुछ आलोचक हैं।

आज एक छोटा सा देश किसी बाहरी बड़ी शक्ति के प्रभुत्व को सहन नहीं कर सकता। राष्ट्रीयता की ऐसी भावना से शक्ति आती है। कोई बड़ी शक्ति इसका दमन नहीं कर सकती।

पुराना उपनिवेषवाद और साम्राज्यवाद अब नये उपनिवेषवाद और आर्थिक प्रभुत्व के साम्राज्यवाद का रूप धारण कर रहा है। यह स्थिति बहुत ही भयानक है। इससे प्रभावों के क्षेत्रों में बंट जाएगा और यह स्थिति छोटी शक्तियों या गुटनिर्पेक्ष देशों के हित में नहीं जाएगी। इस स्थिति को गुटनिर्पेक्ष देश भली-भांति जानते हैं और ये इस प्रकार के दबाव में नहीं आने वाले हैं हम भली-भांति समझते हैं कि जब तक बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों पर परस्पर विरोधी दबाव डालते रहेंगे तब तक गुटनिर्पेक्षता की आवश्यकता बनी रहेगी और इस आन्दोलन को शक्तिशाली बनाना हमारे हित में है जिससे बड़ी शक्तियाँ अपनी जटिल चालों से हमें निर्बल अथवा समाप्त न कर सकें।

लुसाका में वर्ष 1970 में आयोजित गुटनिर्पेक्ष देश के लिए शिखिर सम्मेलन का बड़ा ही महत्व था। इस में पहली बार विकासशील तथा गुटनिर्पेक्ष देशों के मध्य आर्थिक तथा तकनीक सहयोग के प्रश्न पर चर्चा की गई। इस का उद्देश्य छोटे देशों को बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व में आने से बचाना था तथा इन देशों के मध्य आर्थिक सहयोग तथा उसके द्वारा आत्म-निर्भता लाने का प्रयास करना था।

इस सम्मेलन की अगली बैठक एहजीमर्ज में होगी और इसमें फिर विकासशील तथा गुटनिर्पेक्ष देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के विषय में चर्चा होगी तथा पता चलेगा कि किस-किस देश ने इस महान उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में क्या-क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

आज हर ओर आर्थिक सहयोग पर बल दिया जा रहा है। हमने भी इस संदर्भ में कुछ कदम उठाए हैं तथा अपनी निति में इसका और आर्थिक समावेश किया है तथा अपनी विदेश नीति में आर्थिक सहयोग के महत्व को बढ़ाया है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के द्वारा तथा हमारे निकटतम पड़ौसियों और विश्व के विकास-शील देशों के साथ आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंध समाप्त करने से इन पर औद्योगिक तथा तकनीकी उद्योगों में सहयोग करने से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा मानव कल्याण का उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस दिशा में मेघालय द्वारा उठाये गए कदमों के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका के देशों में एक बढ़ती हुई यह जागरूकता दिखाई देती है कि हमारा देश इन देशों को तकनीकी तथा विशेषज्ञ-ज्ञान सुविज्ञता प्रदान करने में सर्वथा समर्थ और योग्य है, या साथ ही हम इन्हें सलाहकार सेवाएं, सर्वेक्षण तथा संभाव्यता प्रतिवेदन की उपलब्धी करा सकते हैं। हमने कोलम्बो योजना, इकेफ़ तथा एस० सी० ए० ए० पी० (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना) की गतिविधियों में भी रुचि ली है। इन बहुपक्षीय संगठनों की गतिविधियों में लाग देकर तथा अधिकांश देशों के साथ द्विपक्षीय संपर्क बढ़ाकर हमने इन देशों के साथ, विशेषकर श्रीलंका, मारिशस, अफ़गानिस्तान और भूटान आदि हमारे पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग द्वारा अपनी मैत्री को वास्तविक अर्थ दिया है। मित्र देशों को हमारे द्वारा दी गई सहायता का अनुमान इससे भी हो सकता है कि हमने आई० टी० ई० सी०, कोलम्बो योजना तथा विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना आदि में अपनी करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता तथा भारतीय माल तथा सेवायें प्राप्त करने के लिये ऋण दिये हैं। हमने विकासशील देशों में बड़ी संख्या में अपने विशेषज्ञ भेजे हैं जो कि उन देशों में

विकास कार्यक्रमों में सहायता देंगे। हमारे लगभग 157 विशेषज्ञ विदेशों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे जहाँ भी गये हैं उन्होंने अपने लिये तथा देश के लिये अच्छा नाम कमाया है।

इससे स्पष्ट है कि हम अपने ही देश में कठिनाइयाँ होते हुए भी हमने उनके देशों को अपने अनुभवों तथा संसाधनों आदि हर प्रकार के ज्ञान का लाभ पहुंचाया है और आर्थिक सहयोग तथा औद्योगिक विकास के उत्पन्न कार्यक्रम में अपनी हर समय सहायता दी है। हमारी इस विदेश नीति के फलस्वरूप, हमारे और अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के बीच सद्भावना मैत्री और व्यापार में पहले की अपेक्षा बहुत वृद्धि हुई है।

आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में हमारी सबसे अधिक गतिविधियाँ अफ्रीका महाद्वीप में हैं। इन देशों का यथासंभव शीघ्र विकास करने हेतु हम अपने अनुभव प्रदान करने तथा उनके प्रयासों में हर प्रकार की सहायता करने को तत्पर रहते हैं। यह सभा जानती है कि हमारे तथा अफ्रीकी देशों के प्रति ऐसी बहुत सी बातें समान हैं। हमारी भांति वे भी उपनिवेषवाद तथा शोषण के दौर से गुजरे हैं। इसलिए हम उनकी कठिनाइयों को भली प्रकार समझते हैं हमने इन देशों के साथ बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक स्तर पर संबंध जोड़े हैं तथा अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में हमारे भारतीय उद्योगों ने कपड़ा, चीनी, रसायन आदि आदि उद्योगों पर आधारित संयुक्त उपक्रम स्थापित किए हैं। हमने यहाँ भारत में अफ्रीकी छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा प्रशिक्षण की सुविधायें दी हैं तथा वहाँ अपने तकनीशियनों, विशेषज्ञों, अध्यापकों तथा डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

साम्राज्यवाद, जातिवाद तथा उपनिवेषवाद के विरुद्ध हमने अपने अफ्रीकी भाईयों का सदा साथ दिया है। हमने इन्हें नैतिक तथा भौतिक दोनों प्रकार का समर्थन और सहायता दी है। हमने हमेशा ही क्रुरता, दमन तथा जातिभेद की नीतियों की निन्दा की है। यह हमारा संकल्प है कि हम अपने अफ्रीकी भाईयों का सदैव ही साथ देंगे तथा अन्याय, अत्याचार तथा मान अधिकारों के नृशंस दमन के विरुद्ध उनके संघर्ष में उनकी हर संभव सहायता करेंगे। इस संदर्भ में अफ्रीकी एकता संगठन भी अफ्रीकी देशों के लोगों में परस्पर मैत्रीभाव तथा विचार एकता बनाए रखने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

राजनैतिक दृष्टि से भी अफ्रीकी देशों के साथ हमारे बहुत निकट के संबंध रहे हैं। भारत तथा इन देशों के मध्य दोनों ओर से बड़े माननीय व्यक्ति आते जाते रहे हैं। गत वर्ष हमारे राष्ट्रपति ने इथोपिया, तन्जानिया तथा ज़ोम्बिया का दौरा किया था। हमारे विदेश मंत्री भी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में गये थे। कुछ समय पूर्व तन्जानिया के उप-राष्ट्रपति भी भारत आये थे।

पिछले वर्ष उगांडा की घटनायें वस्तुतः ही बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण रहीं। वहां हज़ारों लोगों को अपमान तनाव की स्थिति में तथा, बिना किसी दोष के वह देश छोड़ना पड़ा। वहां की स्थानीय सरकार को समझाने के हमारे प्रयास विफल रहे। किन्तु हमने उगांडा में अपने राष्ट्रिकों को लाने के लिये सभी प्रबन्ध किये तथा फिर उन्हें यहां लाकर भारत के प्रत्येक निवासी के समान ही उन्हें हर प्रकार की रियायत तथा यहां बस जाने में सहायता प्रदान की। परन्तु अफ्रीका में रह गई उनकी सम्पत्ति का मामला अभी हल नहीं हो पाया है। हमने कई बार यह मामला उठाया है परन्तु हमें अभी सफलता नहीं मिली है। हमें बताया तो गया

है कि हमारे इन राष्ट्रिकों की सम्पत्तियां बिना मुआवजा मिले जब्त नहीं की जायेंगी परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस नीति की घोषणा उन्होंने नहीं की है। कुछ दिन पहले ही हमारे उच्चायुक्त राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति अमीन से मिले थे जिन्होंने हमारे राष्ट्रिकों की सम्पतियों का शीघ्र ही मूल्यांकन और भुगतान कराने का आश्वासन दिया है।

अफ्रीका में भारत मूलक लोगों के बारे में यहां माननीय सदस्यों की चिन्ता बनी हुई है। परन्तु अब सभी अफ्रीकी देशों ने अपने वाणिज्यिक उद्योग तथा उत्पादन संसाधनों का अफ्रीकीकरण तथा राष्ट्रीकरण करने की नीति अपनाई है। हमारा इस नीति से कोई विरोध नहीं है क्योंकि हमने भी अपने यहां ऐसा ही किया है। हालांकि इस से वहां के गैर राष्ट्रिकों को हमसे हानि होगी परन्तु फिर भी हमारा यह प्रयास है कि हमारे राष्ट्रिकों को अपने व्यवसाय बन्द करने या अपने हितों की रक्षा करने का अवसर मिल जाये और वे चरणबद्ध कार्य-क्रमानुसार स्वदेश लौट सकें। बहुत से अफ्रीकी नेताओं ने वहां मांग की है कि अफ्रीकीकरण की बात को धीरे-धीरे लागू किया जाये।

माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में जोम्बिया की घटानाओं से हमारे उस मित्र देश को बड़ी कठिनाई पड़ी जबकि इयान स्थित सरकार ने रोडेशिया के रास्ते से वाह्य दुनिया के साथ जोम्बिया का सम्पर्क तोड़ दिया इससे जोम्बिया के लोगों को बड़ी ही आर्थिक तथा अन्य प्रकार की क्षति पहुंची मामला सुरक्षा परिषद में उठाया गया तथा जोम्बिया को एक अथवा दो विपक्ष मार्ग देने का संकल्प पारित किया गया। हमने इस संकल्प का पूर्ण समर्थन किया। अब स्वयं जोम्बिया मानवीय प्रतिष्ठा तथा उनके समान अधिकारों के लिये इस संघर्ष में लगा हुआ है और भारत तथा दुनिया के सभी देशों को उसे हर प्रकार का नैतिक तथा भौतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए।

अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों के बीच विद्यमान हिन्द महासागर के बारे में भी यहां जिक्र किया गया है। इस क्षेत्र के बहुत से देशों विशेषकर तटवर्ती देशों में गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। हमने भी अनेक बार अपनी इस बारे में नीति स्पष्ट की है। हम चाहते हैं कि यह क्षेत्र सर्वथा शांति का क्षेत्र रहे तथा इसे बडी शक्तियों की परस्पर प्रतिद्वन्द्वता से मुक्त रखा जाये। **(व्यवधान)** इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों का विद्यमान रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। हम समझते हैं कि यदि इस क्षेत्र में हस्तक्षेप न किया जाय तो संबंधित देश स्वयं ही आपस में कोई समझौता कर लेंगे। इस संबंध में वर्ष 1970 को लुसाका सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी तथा उसके बाद वर्ष 1971 में महासभा में भी तथा दोनों जगह संकल्प पारित किये गये थे कि हिन्द महासागर को शांतिपूर्ण तथा आणविक शस्त्रों से मुक्त क्षेत्र रखा जाये।

हम जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जल में कोई भी देश विचरण कर सकता है, परन्तु यहां नौ-परिवहन तो किया जा सकता किन्तु स्थायी रूप से किसी का समुद्र में बना रहना अवांछित है। हमने किसी देश को यहां रहने के लिये कोई विशिष्ट सुविधा नहीं दी है। हम समझते हैं कि बड़ी शक्तियों को स्वयं परस्पर बैठकर इस संदर्भ में विचार करके अपने भ्रमों का निवारण करना चाहिये। हम भी अपने समान मत रखने वाले देशों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। एक सर्वमान्य स्थिति तथा जन मत तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी शक्तियों से भी यह अपेक्षा है कि वे छोटे देशों के विचारों को सुनें तथा समझें।

राष्ट्रमंडल के बारे में मैं मानता हूं कि ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बन जाने से हमारे वाणिज्यिक हितों को बड़ी हानि पहुंची है परन्तु फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना हमारे लिये अत्यन्त लाभकारी है और यदि हमें इस संगठन में बने रहना जब भी हमें निरर्थक लगेगा तो हम तुरन्त ही उसे छोड़ देंगे। परन्तु इम समय तो हम अन्य देशों के साथ सहयोग बहुत आवश्यक समझते हैं। इस समय हम इन देशों के साथ शिक्षा तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर रहे हैं। अतः हमारे विचार से इस संस्था को छोड़ने का समय नहीं है।

अन्त में मैं फिजी में रह रहे भारत मूलक व्यक्तियों के बारे में भी कुछ शब्द कहूंगा क्योंकि सभा में यह प्रश्न अनेक बार उठा है। यहां कुछ माननीय सदस्यों तथा बाहर भी देशवासियों को लगता है कि फिजी में हालात अच्छे नहीं हैं। और इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिये। समाचार है कि भारतीयों को फिजी निवासियों के ओर से ऐसी गुप्त धमकियां मिली हैं कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा उगांडा में हुआ है। परन्तु हमें हमारे उच्चायुक्त ने सूचना दी है कि इस समाचार का कोई आधार नहीं है। वहां की सरकार ने भारत मूलकों के संबंध में अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। वहां के नेता तथा स्वयं वहां के प्रधान मंत्री वार्ग भेद के विरूद्ध हैं तथा पूर्णतया मेलजोल तथा एकता बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील हैं। सभी फिजी राष्ट्रिकों को वर्ण रंग अथवा धर्म का भेद किये बिना संविधान के अधीन समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः उगांडा की घटनाओं को फ्रिजी की स्थिति से समानता देना ग़लत है। उगांडा में अधिकांश भारत मूलकों को वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं है जबकि फिजी में भारत मूलकों ने वहां की राष्ट्रीयता अपना रखी है इसलिये उन्हें वहां समान अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त फिजी के नेताओं तथा प्रधान मंत्री ने उगांडा में घटी घटनाओं की खुले तौर से निन्दा की है और यहां तक कि उगांडा से निकाले गये लोगों को अपने देश में बसा लेने की पेशकश की है। यदि उनके दिल में भारत-विरोधी भावना होती तो वे कभी भी ऐसा प्रस्ताव न करते।

श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए

Shri S. A. Kadar in chair.

अतः इस प्रकार की धारणा रखने का कोई आधार नहीं है और न ही हमें वहां से कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह चर्चा मंत्री महोदय के भाषण सहित सर्वथा अरुचिकर रही है जबकि पहले इस चर्चा में कतिपय बड़ी रोचक और लाभप्रद एवं उत्साहप्रद बातें आया करती थीं। लगता है आज किसी को भी इसमें रुचि नहीं है कि यह मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है और न ही हमारे विदेशों के साथ संबंधों में कोई रुचि दिखाई जा रही है। आज हमें कुछ मालूम नहीं कि कौन-कौन देश वस्तुतः हमारे मित्र हैं तथा कौन हमारी सहायता करेगा।

आज हम विश्व की नज़रों में भी अपने घरेलू मामले भी संभाल सकने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं। विश्व का हर देश हमारे बारे में यही राय रखता है। यहां तक कि स्वयं रूस भी यही राय रखता है भले ही वह हमारे मुंह पर कुछ भी कहता हो।

हमारे राज्य मंत्री ने कहा है कि हमने राष्ट्रपति अमीन से सख्त विरोध प्रकट किया कि वह हमारे लोगों की सम्पत्ति का मुआवज़ा अदा करें। परन्तु जो देश स्वयं सम्पत्ति की परिभाषा नहीं समझता तथा मुआवज़ा देना नहीं जानता वह दूसरे देश से किस मुंह से मुआवज़ा मांग सकता है।

हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा देश महान है, यहां ज्ञान है, प्रतिभा है, विशेषज्ञ हैं सब कुछ है, परन्तु हम उनको अपनी समझ-बूझ के साथ संजोकर उनका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे । यही हमारे अन्दर कमी है फिर हम विदेश नीति के बारे में चर्चा क्या करें।

इस सभा के प्रत्येक सदस्य ने तोते के समान रटे हुए शब्दों में भारत-सोवियत संधि की प्रसंशा की है। मुझे सन्देह नहीं कि सोवियत संघ के साथ हमारी मित्रता सौभाग्य का द्योतक है परन्तु यह संधि भी वस्तुत: श्री किसिंजर द्वारा पेंकिंग की यात्रा के परिणामस्वरूप की गई है और यही एक मात्र विकल्प भी रह गया था । हम इस संधि के द्वारा ही संबंधों में अपने असंतुलन को ठीक कर सकते थे। और शायद इस संधि के पश्चात ही हम सोवियत संघ से कह सकते थे कि आप चीन पर निगाह रखिये हम बंगला देश के मामले में उलझे हैं । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने यह अनुमान ही नहीं किया कि किसिंजर का चीन जाना रूस के लिए भय पैदा करना था न कि भारत के लिए । वस्तुत: तो इसके पश्चात सोवियत संघ को ही भारत की आवश्यकता थी । हमने हड़बड़ाहट में श्री डी० पी० धर को मास्को भेजा और वह संधि करके लौट आये और मंत्री महोदय ने तुरन्त इस पर हस्ताक्षर कर डाले और अब एक के बाद एक सदस्य उनकी प्रसंशा कर रहे हैं । वस्तुस्थिति तो यही है ।

क्या किसी ने सोचा है कि भारत सोवियत संधि से सोवियत संघ को ही लाभ हुआ है। इस संधि के बाद हम किसी भी अन्य देश के साथ अपने संबंध बढ़ाने के संबंध में सीमित होकर रह गये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्य हमसे सम्पर्क नहीं बना सकते ।

आज सभी चाहते हैं कि चीन के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण हो जायें । किसिंजर की भांति चीन से संबंध जोड़ने की यहां बड़ी जिज्ञासा है । परन्तु क्या भारत-सोवियत संधि के होते हुए हम चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना पायेंगे ? नहीं । साथ ही भारत-सोवियत संधि के द्वारा रूस का यह उद्देश्य है कि वह चीन को हमसे दूर रखे ।

आज चीन सोवियत संघ का परम शत्रु है और इसी लिए चीन भी हमसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक यह भारत-सोवियत संधि रहेगी ।

आज अमरीका के साथ हमारे संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं। यहां तक कि उनकी तुलना में सोवियत संघ और अमरीका के संबंध अच्छे हैं, जब कि अमरीका से हमारे संबंध स्वयं सोवियत संघ के कारण बिगड़े हैं ।

आज लोग समझते हैं कि भारतीय सेना ने नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगला देश में विजय प्राप्त की है । साथ ही, यद्यपि शिमला समझौता सही दिशा में उठाया गया एक कदम था, परन्तु इसके बाद क्या हुआ ? इस समझौते में हम एक पक्ष हैं और एक पक्ष जिससे कोई समझौता न हो सका उनसे जो कुछ भी करार हमने किया है वह अविश्वसनीय है कि क्योंकि एक ओर तो हम कहते हैं हम हर बात द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर करेंगे और दूसरी ओर हमारे त्रिसूत्रीय दायित्व हैं जिन्हें हमें पूरा करना है।

पैकेज करार के कई लाभ होते हैं और इसे बनाया भी ऐसे मीठे शब्दों में जिनसे कि वो श्री भुट्टो को स्वीकार्य हो जायें । यह चीज श्री मुजीबुर्रहमान से सलाह लेकर की गई है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं । परन्तु मुझे आशा है यदि तीनों पक्ष इसे स्वीकार कर लें तो हमारी क्रियान्विति में समय नहीं गवाया जाना चाहिए ।

मेरा सदा यही विश्वास रहा है कि भारत केवल भारतीय उप-महाद्वीप के आस-पास के देशों के साथ जैसे दक्षिण-पूर्व ऐशियाई देशों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी अपने संबंधों को व्यापक बनाये । उदाहरणार्थ, नेपाल पर्वतीय अंचल में स्थित एक पिछड़ा हुआ देश है, हमें एक उदार मित्र की तरह उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए । विदेश मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह नेपाल का दौरा करें । चीन ने भी नेपाल की सहायता की है, बल्कि चीन ने जो सड़कें नेपाल में बनाई हैं वे भारत द्वारा वहां पर निर्मित सड़कों से कहीं सुन्दर और सुदृढ़ हैं । क्या इसका परिणाम यह नहीं होगा कि भविष्य में नेपाल भारत की बजाय चीन से अपने कार्य करवायेगा ?

पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरे पिछड़े देश नेपाल ने हमसे कुछ व्यापार-रियायतें मांगी थी वे कुछ वस्तुओं का आयात करके चुपचाप भारत में बेच देना चाहते हैं । इसमें क्या बुराई है । जब हमारे देश में 500 करोड़ के मूल्य की तस्करी हो रही है तो फिर नेपाल के भी थोड़े से रुपये आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा ? और फिर यह तस्करी रुक भी तो नहीं रही है । फिर इस व्यापार-करार का रूप क्यों नहीं दे दिया जाता ? इससे नेपाली लोग खुश हो जाते और आप तीन-चार वर्ष में नेपालियों के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त भी कर पाते ।

ईरान का भी एक उदाहरण लीजिये । अब तक ईरान पाकिस्तान का परम मित्र रहा है। यदि भारत मीठापुर परियोजना को स्वीकार कर लेता तो हमारे भी ईरान से अच्छे संबंध हो सकते थे क्योंकि ईरान के शाह की मीठापुर परियोजना में बेहद रूचि थी, और यह परियोजना दोनों देशों के लिये लाभकारी भी थी, अतः हमें ईरान और पाकिस्तान के घनिष्ट संबंधों की चिन्ता किये बिना ईरान से अपनी सुदृढ़ मित्रता करनी चाहिए थी । परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया और अब ईरान के शाह हमें चिन्ता बताकर स्वयं परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं ।

आज देश के व्यापक हितों की कोई चिन्ता नहीं करता । सबको अपनी जेब की फ़िक्र है या फिर सोवियत संघ के हितों की चिन्ता है । देश के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं । और इसी लिये मैंने कहा था कि यह चर्चा सर्वथा रूचि विहीन तथा असंगत है ।

सभापति महोदय : श्री चालिया—यहां नहीं हैं । श्री बी० एन० शास्त्री !

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैं विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

पाकिस्तान और चीन को छोड़कर अन्य पड़ौसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे और सौहार्दपूर्ण रहे हैं । श्री पीलू मोदी ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की है और इस चर्चा को भी असंगत बताया है । वस्तुतः हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और हमें अपने इस उप-महाद्वीप में शान्ति बनाये रखने तथा हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों के स्वतंत्र विचरण के संबंध में गंभीरता से विचार करना है । हमारी गुट-निरपेक्ष की नीति का अर्थ आत्मनिर्भरता तथा हमारी स्वतंत्रता है इसका विदेशों की नीति में कोई संबंध नहीं है । भारत-सोवियत संधि का आधार भी दोनों

देशों के समान हितों का प्रतिपादन है । यह दोनों देशों के लिए समान रूप से हितकारी है। अतः इस संधि की आलोचना करना असंगत तथा निराधार बात है ।

सोवियत रूस हर घड़ी हमारा साथ देता आया है । जनेवा से लेकर बंगलादेश के मामले तक रूस ने हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया है । इसलिए यह कहना भी ग़लत है कि रूस के कारण अमरीका से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं । अमरीका सदा ही हमारे दृष्टिकोणों का विरोध करता रहा है तथा हमारे पड़ौसी देशों के हित में हमारे प्रति बुराइयां पैदा करता रहा है । उदाहरणार्थ भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के मामले में जहां सोवियत संघ ने भारतीय सिद्धान्त का समर्थन किया वहां अमरीका ने हमें डराने के लिए अपना सातवां बेड़ा हिन्द महासागर में भेज दिया था। इसी से अनुमान हो सकता है कि हमारा कौन मित्र है और कौन नहीं है । साथ ही हमारी प्रधान मंत्री ने अनेक अवसरों पर यह घोषणा की है कि परस्पर आदर, प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखंडता के आधार पर हम किसी भी देश के साथ बात करने को सदा तैयार रहते हैं। यही हमारी नीति का आधार भी है । चीन की नीति हिंसापूर्ण तरीकों से परिवर्तन लाने की है और वही नीति वह अपने पड़ौसी देशों पर भी थोपना चाहता है । इसीलिए हमारे चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में भी गोरिल्ला गतिविधियों का सूत्रपात चीनियों द्वारा ही किया गया था।

पाकिस्तान में आरम्भ से भारत विरोधी भावना व्याप्त रही है । वहां के नेता भारत विरोधी प्रचार करके ही अपने देश की जनता पर शासन करते हैं।

ताशकन्द संधि तथा शिमला संधि में बड़ा अन्तर है । ताशकन्द संधि तीसरे देश के कहने पर की गई थी जबकि शिमला संधि दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय आधार पर की गई। कुछ सदस्यों ने कहा है कि शिमला संधि भारत द्वारा एक प्रकार का, आत्मसमर्पण है । यह गलत है। अगर भारत ने आत्मसमर्पण करना होता तो इतना समय क्यों लगता? हमारा उद्देश्य तो यह था कि न तो हम अपनी भूमि किसी को देंगे और न ही हम किसी की भूमि हस्तगत रखना चाहते हैं ।

भारत तथा बंगला देश द्वारा संयुक्त रूप से पाकिस्तान को की गई पेशकश को भी समर्पण कहा गया है । यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान खुश होता परन्तु वे तो हमें स्वीकार करने में भी संकोच कर र हैं।

हाल ही में हिमालय समेत हमारे छोटे से पड़ौसी देश सिक्किम में जनता ने वहां के शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था । और जनता तथा शासक दोनों ने भारत सरकार से वहां शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का अनुरोध किया । कुछ लोग इसे दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप किया जाना समझते हैं । यह हस्तक्षेप नहीं है । यह तो उस देश के ही हित में था कि भारत ने अपने पड़ौसी देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व निभाया। हमसे वहां की जनता तथा शासक दोनों को सन्तोष है।

विदेशों में हमारे राजनैतिक मिशनों का कार्य सन्तोषजनक नहीं है । यह बड़े खेद की बात है कि हमारे मिशनों के कुछ अधिकारियों को तो भारत की परम्परा और संस्कृति की जानकारी तक नहीं है । उन्हें भारत की, नये भारत की सही तस्वीर वहां पेश करनी चाहिए ।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस संबंध में विशेष ध्यान देंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि भारत की परम्परा, संस्कृति तथा नीतियों का सही-सही चित्र विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। साथ ही मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि कि वह यहां व्यक्त की आलोचनाओं को भी विषय संगत समझ कर उन पर विचार करें ।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री हरिकिशोर सिंह (पुपरी) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे । हम अब आधे घण्टे की चर्चा पर विचार करेंगे परन्तु श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय यहां नहीं हैं। अतः यह सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार 24 अप्रैल, 1973/4 वैसाख, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, Apill 24, 1973/Vaisakha 4, 1895 (Saka)

L/M316LSS/73—6-9-73 GIPF.